राजभाषा भारती

वर्ष : 38, अंक : 142 (जनवरी–मार्च 2015)

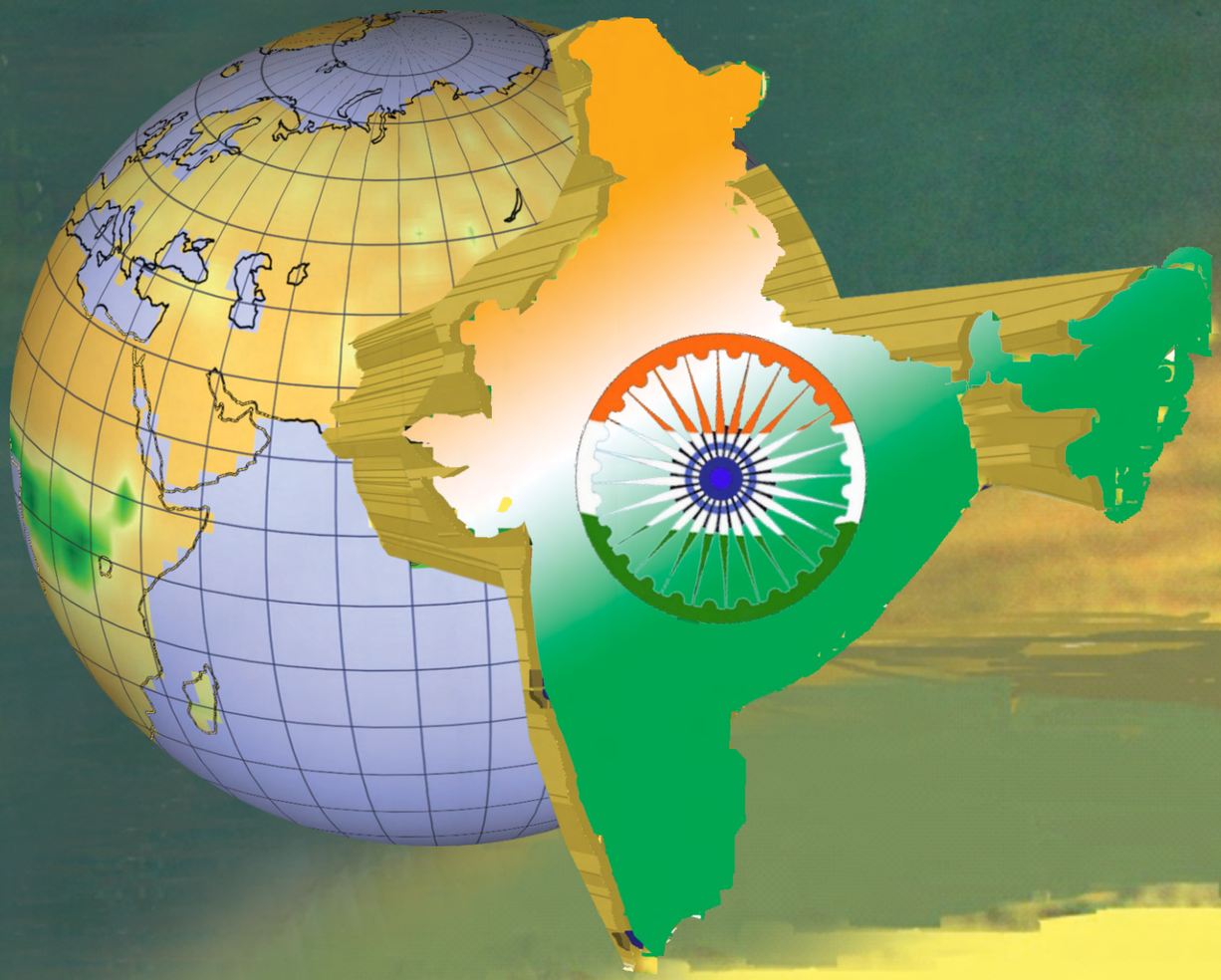

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

जन–जन की भाषा है हिंदी

राजभाषा सम्मेलन कोलकाता, 2015

माननीय श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, राज्यपाल, पश्चिम बंगाल, ने पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया।

श्रीमती पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में दीप प्रज्वलित करते हुए।

राजभाषा विभाग की गतिविधियों से पूर्ण ई-बुक-2015 का विमोचन श्री केशरी नाथ त्रिपाठी द्वारा हुआ।

राजभाषा भारती अंक-141 का विमोचन पूर्व एवं पूर्वात्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में माननीय श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के कर-कमलों से हुआ।

राजभाषा भारती

संरक्षक
एस.के. श्रीवास्तव, आई.ए.एस.
सचिव, राजभाषा विभाग

परामर्शदाता
पूनम जुनेजा,
संयुक्त सचिव

संपादक
डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल
संयुक्त निदेशक
(नीति/पत्रिका)

सहायक संपादक
राकेश शर्मा 'निशीथ'

उप संपादक
कुश मोहन नाहर

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। सरकार अथवा राजभाषा का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अपना लेख एवं सुझाव भेजें :
संपादक: राजभाषा भारती
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
एन डी सी सी-2 भवन,
चौथा तल, बी विंग,
जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष सं॰ : 011-23438137
ई-मेल : patrika-ol.nic.in
rakesh.sharma60@nic.in
पोर्टल:
www.rajbhasha.gov.in

वर्ष: 38 जनवरी-मार्च, 2015 अंक : 142

विषय सूची

	लेख का नाम	लेखक का नाम	
1.	वैश्वीकरण और हिंदी	डॉ॰ टी॰ महादेव राव	3
2.	विश्वभाषा और भविष्यभाषा के रूप में हिंदी	डॉ॰ श्रुतिकान्त पाण्डेय	5
3.	देश-विदेश में हिंदी का भविष्य	प्रदीप कुमार	8
4.	दुनिया की निगाह हिंदी की ओर	आर॰ सी॰ गुप्ता	11
5.	भूमण्डलीकरण के दौर में भाषाओं पर बढ़ता खतरा	आकांक्षा यादव	12
6.	इंटरनेट और हिंदी	मेजर गौरव	15
7.	राष्ट्रीय एकता और हिंदी	डॉ॰ रामगोपाल शर्मा 'दिनेश'	16
8.	आधुनिक संचार माध्यम और नागरी लिपि	आशीष जायसवाल	18
9.	हिंदी अनुवाद की दशा और दिशा	डॉ॰ वासुदेव 'शेष'	21
10.	कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का प्रयोग एवं कठिनाइयां	शुभ्रता मिश्रा	24
11.	राजभाषा के संदर्भ में हिंदी और समकालीन चुनौतियां	डॉ॰ आर॰ पी॰ एस॰ चौहान	27
12.	इक्कीसवीं सदी: साहित्यिक चिंतन और परिणाम	डॉ॰ अशोक पण्ड्या	29
13.	जल बचाओ, ऊर्जा बचाओ	सैय्यद आदिल शमीम अंद्राबी	31
14.	ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न सोपान	डॉ॰ दुर्गादत्त ओझा	32
15.	'एक प्रवासी भारतीय' के 'सत्याग्रही महात्मा' बनने की यात्रा	शोभना जैन	36
16.	हिंदी के अथक साधक: मदनमोहन मालवीय	राकेश शर्मा ''निशीथ''	39
17.	विधि-विज्ञान के प्रतिमान: सूक्ष्म-वनस्पतियों के निशान	प्रो॰ मुकुल चंद पांडेय	42
18.	संगठन में टीम व टीम भावना	विजय प्रकाश श्रीवास्तव	45
19.	बढ़ती उम्र तथा लंबी किडनी बीमारियां	माजिद मुश्ताक पंडित	48
20.	माझगांव डॉक—राष्ट्र का गौरवशाली पोत निर्माता	रामप्रीत एच॰ यादव	49
	राजभाषा संबंधी गतिविधियां		51
	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें		
	राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें		
	कार्यशालाएं		
	हिंदी दिवस/विश्व हिंदी दिवस		
	राजभाषा समारोह/सम्मेलन/संगोष्ठी		
	प्रतियोगिताएं/पुरस्कार		
	वार्षिक कार्यक्रम		73
	पाठकों के पत्र		75

सम्पादकीय

भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र की व्यवस्था सदियों से रही है। हालांकि हम गणतंत्र का जो रूप अभी अनुभव कर रहे हैं वह कुछ ही दशकों पुराना है। गणतंत्र और लोकतंत्र हमारे इतिहास का हिस्सा रहे हैं और वर्तमान गणतंत्र को सही दिशा देना हम सब की जिम्मेवारी है। लोकतंत्र की मूल भावना सरकार द्वारा लोगों तक पहुंचाने में है और इसके लिए एक सरल भाषा ही माध्यम हो सकती है। हिंदी यह भूमिका बखूबी निभा रही है और निभा सकती है। लेकिन देखा गया है कि सरलीकरण के इस दौर में भाषा का स्तर नीचे जा रहा है। इसका कारण सरकार में भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों और साहित्य से बनी हुई दूरी है। विभाग का प्रयास है कि पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से इस दूरी को कम किया जाए, ताकि अधिकारी सरकारी काम-काज के साथ साहित्य से भी जुड़ें और हिंदी भाषा उन्नत हो। हमें आशा है कि ''राजभाषा भारती'' के रूप में हमारा यह प्रयास सफल रहेगा।

प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए जागरुकता प्रदान करना तथा हिन्दी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1990 के दशक में 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाये जाने की घोषणा की थी। इन्हें मद्देनजर रखते हुए राजभाषा के इस अंक में वैश्वीकरण और हिन्दी, विश्व भाषा और भविष्य भाषा के रूप में हिन्दी, देश-विदेश में हिन्दी का भविष्य, दुनिया की निगाह हिन्दी की ओर, भूमण्डलीकरण के दौर में भाषाओं का बढ़ता खतरा, इंटरनेट और हिन्दी-लेखों को शामिल किया गया है।

राजभाषा हिन्दी से संबंधित अन्य लेख शामिल किए गए हैं—आधुनिक संचार माध्यम और नागरी लिपि, हिन्दी अनुवाद की दशा और दिशा, कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का प्रयोग एवं कठिनाइयां, राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी और समकालीन चुनौतियां। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के अवसर पर एक प्रवासी भारतीय मोहनदास करमचंद गांधी के सत्याग्रही बनने की यात्रा शीर्षक लेख 'सर्वश्रेष्ठ प्रवासी भारतीय' में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी के शताब्दी वर्ष को मनाए जाने की जानकारी दी गई है।

माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारत रत्न से पुरस्कृत किए गए हिन्दी के अथक साधक मदन मोहन मालवीय से संबंधित लेख एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी के फोटो को आवरण पृष्ठ पर स्थान दिया गया है। इसके अलावा 21वीं सदी साहित्यक चिंतन और परिणाम, जल बचाओ, ऊर्जा बचाओ, विधि-विज्ञान के प्रतिमान: सूक्ष्म-वनस्पतियों के निशान, संगठन में टीम व टीम भावना, बढ़ती उम्र तथा लंबी किडनी बीमारियां आदि लेखों को सम्मिलित करके पत्रिका को सूचनापरक, ज्ञानवर्धक और सुरुचिपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही राजभाषा संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक, कार्यशाला, संगोष्ठी, क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, प्रतियोगिता तथा पुरस्कार की रिपोर्टों/सूचनाओं और कार्यालय आदेशों को स्थान दिया गया है।

सुधी पाठकों की प्रतिक्रिया एवं सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

संपादक

वैश्वीकरण और हिंदी

–डॉ॰ टी॰ महादेव राव

भारत का उदात्त एवं प्राचीन दर्शन 'वसुधैव कुटुंबकम' संपूर्ण विश्व को एक परिवार, एक इकाई के रूप में देखने, समझने और जीने की प्ररेणा देता है। सब मिलकर रहें और इस विश्व समाज को सह अस्तित्व के साथ शांतिमय रूप में जीएं – स्पष्टत: ही यह कल्याणकारी दर्शन समूची मानव जाति को सहज और स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया से जुड़ने–जोड़ने का संदेश देता है। लेकिन जिस वैश्वीकरण, जिसका नवीनतम घटनाक्रम विश्व व्यापार संगठन है, की अवधारणा उक्त भावना से नितांत रूप से भिन्न है। इस अवधारणा का किसी प्रकार की कल्याणकारी मानवीय भावना से कुछ लेना–देना नहीं है। विश्व व्यापार संगठन के इस दौर में अति भौतिकता और समृद्धि की इस अंधी दौड़ में आपस में सुख–दुख बांटने की उदात्त भावना का नितांत अभाव है। सोच इस पर केंद्रित और सीमित है कि हम अपने व्यापार में कैसे सफल हो सकते हैं, अधिकाधिक लाभ कैसे कमा सकते हैं।

भूमंडलीकरण ने भौतिक जगत की दूरियों को मिटाया है। वैज्ञानिक उन्नति, औद्योगिक विकास, कंप्यूटर, फैक्स, इंटरनेट और ई–मेल के इस युग ने हमारे सोच–विचार और विकास के सारे मानदंड बदल दिए हैं। आज पिछड़ा हुआ वह नहीं है जिसके पास ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है बल्कि पिछड़ा हुआ वह है जिसके पास भले ही ज्ञान व संसाधनों का भंडार है परंतु उनके आधुनिकतम ढंग से उपयोग करने का अभाव है।

वैश्वीकरण को लेकर भाषा के परिप्रेक्ष्य में भी यही बात है। आज वह भाषा सबसे समृद्ध भाषा नहीं है जिसका अपूर्व एवं उल्लेखनीय इतिहास है, साहित्य है और संस्कृति की उज्ज्वल परंपरा है बल्कि वह भाषा समृद्ध है जो वर्तमान परिवेश में अधिक अनुकूल और उपयोग में लायी जा रही है, भले ही इसके पीछे उसके विभिन्न राजनीतिक व अन्य समीकरण हों।

विश्व व्यापार संगठन के इस युग में सभ्यता और संस्कृति की उज्ज्वल परंपरा की और प्राचीनतम भाषा संस्कृत विरासत वाली विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजभाषा हिंदी का क्या अर्थ है? विश्व व्यापार संगठन की प्रक्रिया भूमंडलीकरण से क्या हिंदी का दुनिया में अधिकाधिक प्रसार होगा? क्या देश–विदेश में यह विज्ञान की भाषा बनेगी? क्या यह विश्व व्यापार संगठन में व्यवहृत अन्य भाषाओं की तरह ही समादृत होगी?

हिंदी भाषा का वैश्वीकरण की दृष्टि से विचार करने के लिए भारत का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि भारत विश्व में एक आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है। वैश्वीकरण के इस चुनौती भरे युग में विज्ञापनों के माध्यम से अपने–अपने उत्पादों को बेचने की जबर्दस्त होड़ लगी है। जहां एक ओर भारत की अनेक क्षेत्रों में निर्यात की भारी संभावनाएं निहित हैं वहीं दूसरी ओर इसका उपभोक्ता बाजार भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। बहुदेशीय कंपनियों को इस विशाल देश में अपने उत्पादों के बेचने की प्रबल संभावनाएं हैं। इन निहित संभावनाओं के चलते अब इन बहुदेशीय कंपनियों को भारतीय भाषाओं में भले ही कोई लगाव न हो, तो भी बाजार की शक्ति द्वारा इन बहुदेशीय कंपनियों का भविष्य इन भाषाओं पर टिका है। ऐसे में वे अपने विज्ञापन हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में देकर कामयाबी हासिल कर रही हैं क्योंकि विश्व व्यापार में अपना व्यापार करने वाली ये बहुदेशीय कंपनियां यह भी बखूबी जानती हैं कि भारत में उपभोक्ता बाजार महानगरों और शहरी आबादी से निकल कर छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण अंचलों में भी फैलता जा रहा है और इन विज्ञापनों में इसी अनुपात में भारतीय भाषाओं का महत्व भी बढ़ता जा रहा है।

वैश्वीकरण के इस दौर में वैश्विक धरातल पर आर्थिक और प्रौद्योगिकी में उन्नति का विशेष महत्व है। आज जब भारत विश्व में एक आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है तो ऐसे में आर्थिक उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिक विकास ही है। वर्तमान परिवेश में आर्थिक दृष्टि से विकसित होने के लिए भारत को गतिशील सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की महती आवश्यकता है। अब तक भारत एक सांस्कृतिक व आध्यात्मिक तेवर वाला सामाजिक ढांचे में विकसित होता देश रहा है। वस्तुत: किसी देश का विकास उसकी आर्थिक प्रगति पर निर्भर करेगा और आर्थिक प्रगति विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए यह और भी जरूरी है कि वह व्यापक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति करे। निश्चय ही किसी भी देश में सामाजिक जागृति और आर्थिक परिवर्तन किसी भी विदेशी माध्यम से नहीं किया जा सकता।

जहां तक हिंदी भाषा या रचनात्मक साहित्य की बात है, वह गुणवत्ता एवं मात्रा की दृष्टि से विश्व स्तरीय और समृद्ध है किंतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन सभी भारतीय भाषाओं की उपलब्धि बहुत उल्लेखनीय नहीं कही जा सकती। बावजूद इसके कि भारत सरकार तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने लगभग 8 लाख शब्दों को पारिभाषिक शब्दों के रूप में जुटाया है। यह दुर्भाग्य ही है कि भारत को अपनी इतनी अधिक संख्या में तथा अनेक दृष्टि से समृद्ध

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

भाषाओं के वरदान का कोई उल्लेखनीय लाभ नहीं मिला है। आज वस्तुस्थिति यह है कि समस्त दर्शनों, शास्त्रों और अनुशासनों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सर्वोपरि स्थान है। तेजी से बदलते हुए संसार के सामाजिक और सांस्कृति स्वरूप तथा परस्पर आदान-प्रदान के फलस्वरूप काफी गहराई तक प्रभावित हो रही भारतीय संस्कृति के समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति हेतु हिंदी भाषा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों की अभिव्यक्ति आज अनिवार्य हो गयी है।

यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार संप्रति विश्व के लगभग 137 देशों में हिंदी भाषा विद्यमान है। हिंदी भाषियों की कुल संख्या अनुमानत: 100 करोड़ हैं। भारत के प्रतिवेशी राष्ट्रों यथा नेपाल, चीन, सिंगापुर, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव आदि ऐसे देश हैं, जिनमें से अनेक बृहतर भारत के अंग थे। यहां हिंदी भाषी परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी निवास कर रहे हैं। नेपाल की भाषाएं हिंदी की विभाषाएं ही है। बर्मा और भूटान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो उर्दू और बांग्ला प्रचलित है उन्हें यदि देवनागरी में लिख दिया जाए तो वे हिंदी से भिन्न प्रतीत नहीं होंगी। जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया में जो उर्दू बोली जाती है, उसको देवनागरी में लिख दिया जाए तो वह हिंदी ही है। दुबई की अधिकांश जनता न केवल हिंदी समझती है अपितु बोलती भी है।

भारत मूल के अप्रवासी भारतवंशी बहुल राष्ट्र हैं जिन्हें भारत 'उप महाद्वीप' कहा जा सकता है। इनमें प्रमुख है मॉरिशस, सूरीनाम, फीजी, त्रिनिदाद, गयाना और दक्षिण अफ्रिका। इन देशों में लगभग 150 वर्षों से हिंदी विद्यमान है। भाषा और संस्कृति की दृष्टि से ये देश एक लघु भारत ही हैं। इन देशों में पर्याप्त मात्रा में रचनात्मक साहित्य का सृजन हो रहा है। यहां के क्षेत्रीय हिंदी भाषा रचनाकारों ने हिंदी साहित्य का संवर्धन किया है। इस दृष्टि से इन देशों में हिंदी के राजभाषायी स्वरूप के विकसित होने की अपार संभावनाएं निहित हैं।

तीसरा वर्ग, समुन्नत राष्ट्रों के हिंदी प्रवासी संप्रति हिंदी भाषा समाज यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न विकसित राष्ट्रों में फैला हुआ है। ब्रिटेन में भारतीयों की नई कॉलोनियां हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, रूस, स्वीडन, नार्वे, हॉलैंड, पोलैंड, जर्मनी, सऊदी अरब आदि देशों में भी पर्याप्त मात्रा में हिंदी भाषी जन निवास कर रहे हैं। हिंदी से इन देशों का संबंध कई वर्षों से है।

विदेशों में भारतीय मूल के डॉक्टर, इंजीनियर, स्वदेशी इंजीनियरों और अन्य डॉक्टरों की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा सफल हैं। भारतीय कुशल श्रमिकों की भी इन देशों में भारी मांग है। खाड़ी देशों में तो ऐसे कुशल श्रमिकों की पूर्ति भारतीयों द्वारा ही हो रही है। निश्चय ही यह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का एक शुभ लक्षण तो है ही, भाषा के प्रयोग व विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुत: हिंदी भाषा के संरचना, स्वरूप व चिंतन में एक विशिष्ट प्रकार की संक्रमणशील संवेदना है जो सुन लेगा वह सम्मोहित हो जाएगा। ऐसे में यहां की हिंदी भाषा या भाषाओं के साथ-साथ, जनभाषा का रूप लेती है तो इससे निश्चय ही हिंदी भाषा का वांछित संर्वधन, विकास व प्रसार होगा।

इसके अतिरिक्त जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वह यह है कि इन देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंध विकसित हो रहे हैं। जिनके चलते रोजाना के कामकाज में तथा मीडिया व मनोरंजन के क्षेत्रों में निस्संदेह हिंदी के प्रयोग व विकास की असीम संभावनाएं निहित हैं।

सूचना-क्रांति के इस दौर में हर क्षण बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच हिंदी भाषा एक नये जोश के साथ उभर रही है। कुछ वर्ष पहले तक हिंदी को गंवारों, जाहिलों और कम पढ़े-लिखों की भाषा माना जाता था, लेकिन वैश्वीकरण और बाजारीकरण के इस दौर में यह सोच तेजी से बदल रही है।

कॉरपोरेट जगत, मजबूरी में ही सही, हिंदी को हाथों-हाथ स्वीकार कर रहा है। भारत में उपभोक्ता वस्तुओं के वृहद् बाजार को आज अनदेखा करना असंभव है। विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजारों के खुलने के साथ ही कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में पदार्पण किया। मार्केटिंग और व्यापार में भारतीयों से कहीं ज्यादा माहिर इन कंपनियों का यह अनुभव था कि किसी भी देश में वहां की भाषा, संस्कृति और जायका जाने बगैर अपने पांव जमाना आसान नहीं है। ऐसे में इन कंपनियों ने अपने उत्पादों को भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढालकर पेश किया। अपने उत्पादों के विपणन के लिए इन कंपनियों ने हिंदी भाषा को चुना, क्योंकि यह भाषा सबसे बड़े टारगेट ग्रुप तक पहुंचती है। ''ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास'' से वास्ता रखने वाले इस बाजार में 60 प्रतिशत से अधिक लोग हिंदी भाषी हैं। ऐसे में यह एक सुकुन देने वाला समाचार है कि हिंदी भाषा का भारत में ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व में विस्तार हो रहा है।

पिछले 1,000 वर्षों से अधिक समय से भारत में हिन्दी का व्यापक उपयोग होता रहा है। अपभ्रंश से प्रारंभ हुआ हिंदी का रचना संसार आज परिपक्वता के चरम पर है। अंग्रेजों के भारत आगमन के पूर्व ही हिंदी ने अपनी जड़ें समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में जमा दी थीं। उस समय का भारत आज की ही तरह विश्व व्यापार का एक महत्वपूर्ण भागरीदार था। इसलिए इस देश की जनता के साथ कार्य-व्यवहार करने के लिए हिंदी का समुचित ज्ञान होना आवश्यक था।

प्रबंधक, राजभाषा
एच.पी.सी.एल., विशाख रिफाइनरी,
मलकापुरम, विशाखापटनम-530011
मोबाइल: 9394290204

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

विश्वभाषा और भविष्यभाषा के रूप में हिंदी

–डॉ॰ श्रुतिकान्त पाण्डेय

भाषा, मानव समाज के लिए इतनी सहज और स्वाभाविक व्यवस्था है जैसे देह और प्राण या अग्नि और प्रकाश। भाषा विहीन समाज और समाज विहीन भाषा नितान्त अकल्पनीय हैं। बिन भाषा के न कल्पना सम्भव है न विचार। समाज भाषा के माध्यम से ही बना, बढ़ा और विकसित हुआ है। भाषा न केवल समाज को जानने-समझने और इसमें व्यवहार करने का साधन है बल्कि शिक्षा-साहित्य, धर्म-दर्शन, सूचना-संचार, शोध-विकास, ज्ञान-विज्ञान, साहित्य-संस्कृति, कला-शिल्प, व्यापार-वाणिज्य और प्रशासन जैसे तमाम सन्दर्भों की जन्मदातृ, संचालिका और पोषिका है। यह तथ्य भाषा और समाज के बीच सम्बन्ध की सहजता और स्वाभाविकता की बानगी भर हैं।

दैनन्दिन प्रयोग की दृष्टि से भाषा चाहे जितनी पार्थिव प्रतीत हो; पर अपने स्वरूप और प्रकृति में वह नितान्त सजीव और संवेदनशील है। वह समाज और इसकी दशा-दिशा के प्रति पूरी तरह सजग और प्रतिक्रियावादी है। भाषा की संरचना, शब्दकोश और शैली ; समय, स्थान और सन्दर्भों के साथ सामंजस्य स्थापित करके न केवल अपने अस्तित्व को संरक्षित करती है बल्कि उसे सम-सामयिक भी बनाए रखती है। प्रत्येक जीवन्त समाज की अपनी एक भाषा होती है। यह भाषा उस समाज के साथ ही पनपती है, बढ़ती है और व्यवहार करती है। उसके शोक में रोती है छाती पीटकर और उल्लास में झूमती है मदमस्त होकर। गीतों में गाती और नृत्यों में थिरकती है। उसके विचारों को शब्द देती है, अपेक्षाओं को अभिव्यक्त करती है और इस प्रकार वह उसे सम्पूर्ण क्षेत्र और समाज की सगी हो जाती है; उसकी पहचान बन जाती है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि भाषा 'ध्वनियों का समूह' और 'भावों की अभिव्यक्ति का साधन' मात्र न होकर किसी व्यक्ति या समाज का दर्पण, उसकी सभ्यता-संस्कृति की संरक्षक, शैक्षिक-आर्थिक स्थिति की निर्धारक और विचारधारा तथा आकांक्षाओं की परिचायक होती है।

भाषा ने मानव को न केवल चिन्तन, विचार-विमर्श और मन्त्रणा के योग्य बनाया अपितु उसके श्रमसंचित ज्ञान का मौखिक अथवा मुद्रित रूप में समाज और उसकी भावी पीढ़ी को सम्प्रेषित करने की सुविधा भी प्रदान की। तथ्यों, विचारों, तकनीकों और अन्वेषणों के इसी आदान-प्रदान ने आज मानव को इस पृथ्वी पर ज्ञान-विज्ञान का सिरमोर बना दिया है। कला-साहित्य, धर्म-दर्शन, व्यापार-वाणिज्य, विज्ञान और तकनीक इत्यादि के रूप में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का अस्तित्व और विकास भाषा की ही महिमा है। यदि भाषा न हो तो प्रत्येक मनुष्य को अपनी शुरुआत वहां से करनी होगी, जहाँ से उसके परम पूर्वज अर्थात्, आदिमानव ने की थी। आज की पीढ़ी के पास तथ्यों, सूचनाओं और विवरणों की जो अकूत विरासत है वह भाषा के रूप में ही है। इस प्रकार भाषा मानव की अनिवार्य आवश्यकता है।

हिंदी आज भारतवर्ष की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है। इसकी अपनी मानव शब्दावली, लिपि व्याकरण और शैली है। जिस रूप में आज हिंदी हमारे सामने है, उस विकास के पीछे अनेक मूर्धन्य विद्वानों, कवियों और साहित्यकारों का भागीरथ प्रयास निहित है। जहाँ से इस भाषा की यात्रा आरंभ हुई और जहाँ आज यह स्थापित है, उनके बीच के अपरिमेय विस्तार को पाटने के लिए हजारों सालों से प्रयास किए जाते रहे हैं। न केवल शब्द अपितु लिपि, व्याकरण और मानकता के स्तर पर भी इसे तार्किक और सर्वस्वीकार्य बनाने के लिए कितने ही विद्वानों ने अपना अमूल्य जीवन अर्पित किया है।

इस सन्दर्भ में वर्ष 769 में 'दोहाकोश' के रचयिता प्रथम हिंदी कवि 'सरहपद', वर्ष 933 में प्रथम हिंदी पुस्तक 'सर्वाक्षर' के प्रणेता देवनासा, अपभ्रंश हिंदी व्याकरणकर्ता हेमचन्द्र (1145-1229), वर्ष 1805 में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता से हिंदी की प्रथम मुद्रित पुस्तक 'प्रेम सागर' के रचयिता श्री लल्लूलाल, 1926 में कोलकाता से प्रकाशित प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका 'उदंत मार्तण्ड' के प्रकाशक श्री युगल किशोर शुक्ल, 1930 में पहले हिंदी टाइप-राइटर (नागरी लेखन यन्त्र) के प्रस्तुतकर्ता श्री शैलेन्द्र मेहता और 1931 में प्रदर्शित हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलमआरा के निर्माता-निर्देशक अर्देशिर ईरानी जैसे महानुभाव हिंदी उपासकों के लिए नित्य वन्दनीय हैं।

भारतीय संविधान द्वारा देवनागरी लिपि में निबद्ध खड़ी बोली को 14 सितम्बर, 1949 को भारतीय संघ की राजभाषा तथा राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार हिंदी भारत के लगभग 35 करोड़ नागरिकों की मातृभाषा है; जबकि लगभग 30 करोड़ भारतवासी दूसरी भाषा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। वर्ष 2011 में सम्पन्न जनगणना के अनुसार भारत में मातृभाषा एवं अन्यभाषा के रूप में हिंदी प्रयोक्ताओं की संख्या लगभग 53 करोड़ है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड भारत के प्रमुख हिंदी भाषी राज्य हैं। इनके अतिरिक्त भी हिंदी असम से गुजरात और कश्मीर से केरल तक लगभग पूरे भारतवर्ष में जानी और समझी जाती है।

विख्यात भाषाविद् डॉ॰ जयन्ती प्रसाद नौटियाल द्वारा सम्पादित 'भाषा अध्ययन शोध-2005' में दावा किया गया है कि विश्व भर में

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

हिंदी भाषियों की संख्या 100 करोड़ के आँकड़े को पार कर गयी है। हिंदी भाषा, प्रयोक्ताओं की संख्या की दृष्टि से चीन की 'मंडारिन' के बाद विश्व की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज भारतीय मूल के तकरीबन डेढ़ करोड़ लोग आजीविका या आवास के उद्देश्य से दुनिया के 132 देशों में निवास कर रहे हैं। इनमें से आधे से ज्यादा परस्पर सम्प्रेषण के लिए आमतौर पर हिंदी का ही व्यवहार करते हैं। विश्व के 144 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। हाल ही में आस्ट्रेलिया और कनाडा की सरकारों ने आरंभिक स्तर पर हिंदी को वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध कराया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) में इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह संस्था अन्तरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, विश्व विरासत, मानवाधिकार और अन्य विषयों के महत्वपूर्ण प्रपत्रों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित करती है।

वर्ष 1997 में वर्धा (महाराष्ट्र) में महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य हिंदी को विश्व भाषा के रूप में विकसित करना, हिंदी के विषय में विश्व भर में फैले हिंदी भाषियों की समस्याओं और जिज्ञासाओं का निराकरण करना, हिंदी भाषा अध्ययन के लिए विशेष पाठ्यक्रमों का निर्माण और संचालन करना और हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में स्थान दिलाने का प्रयास करना है। इस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के साथ ही शोध और विकास की भी व्यवस्था है। महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का गठन भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है, जिसे 08 जुलाई 1997 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और उसी दिन इसे अधिसूचित भी किया गया।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए एक 'विश्व हिंदी सचिवालय' की स्थापना का स्वप्न 1975 में भारत के नागपुर शहर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से ही देखा जा रहा था। यह संकल्प जून 1996 में भारत की सरकार के सहयोग से मॉरिशस के शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में 'विश्व हिंदी सचिवालय' की स्थापना के माध्यम से साकार हुआ। आज यह सचिवालय पूर्ण विकसित स्वायत्त संस्था के रूप में विश्व भर में हिंदी के विकास और प्रचार-प्रसार की दिशा में कार्यरत है। इस सचिवालय के गठन और संचालन हेतु 12 नवम्बर, 2002 को भारत और मॉरिशस की सरकारों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सचिवालय का उद्देश्य कार्यालय, व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान और अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में स्थान दिलाना है।

हिंदी भाषा, साहित्य और लिपि के प्रयोग को लोकप्रचलित करने के लिए सिंगापुर और बाली में हिंदी साहित्य सम्मेलन नाम से एक संस्था की स्थापना की गई है। सिंगापुर में संस्था का कार्यालय आर्य समाज सिंगापुर और बाली में भारतीय साहित्य केन्द्र से संचालित हो रहा है। ये संस्थाएँ बिहार साहित्य सम्मेलन, भारतीय दूतावास, विश्वविद्यालय के हिंदी विभागों और गणमान्य नागरिकों के सहयोग से अप्रवासी भारतीयों और स्थानीय निवासियों में हिंदी के प्रयोग और हिंदी साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए प्रयास कर रही है।

हिंदी को विकसित और समृद्ध करने में दुनिया के विभिन्न देशों में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों का भी अप्रतिम योगदान है। इन सम्मेलनों का आयोजन केवल औपचारिक विचार-विमर्श और विवरण प्रस्तुति तक सीमित नहीं है; अपितु सरकारों, साहित्यकारों और हिंदी सेवियों की ओर से हिंदी के व्यापक प्रसार की ठोस योजनाओं और संकल्प की प्रस्तुति का अवसर है। 1975 में भारत के नागपुर में आयोजित प्रथम 'विश्व हिंदी सम्मेलन' के बाद से विश्व के अनेक देशों में नौ विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितम्बर 2012 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित किया गया। इसके आयोजन में हिंदी शिक्षा संघ, दक्षिण अफ्रीका का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। इस सम्मेलन का विषय था-'भाषा की अस्मिता और हिंदी का वैश्विक सन्दर्भ'। सम्मेलन में विश्व भर से मूर्धन्य हिंदी सेवियों, राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों, शासकीय अधिकारियों और हिंदी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

सूचना क्रान्ति के इस दौर में बढ़ते कम्प्यूटरीकरण को देखते हुए कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने की सुविधा बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ प्रतिष्ठान-'सी डेक' ने 20 जून, 2005 को एक नि:शुल्क हिंदी सॉफ्टवेयर जारी किया था। इस सॉफ्टवेयर में 525 हिंदी फॉन्ट्स (लेख-विधियाँ), ओपन ऑफिस, वेब ब्राउजर, ई-मेल, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर (ओ॰सी॰आर॰) हिंदी-अंग्रेजी शब्दकोश, लिप्यांतरण, वर्ड प्रोसेसर, ऑडियो राइटिंग (लेख-वाणी) सिस्टम, हिंदी टाइपिंग ट्यूटर इत्यादि तमाम ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो कम्प्यूटर पर हिंदी प्रयोग को अत्यन्त सरल और बहुआयामी बना सकती हैं। हिंदी को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में 'सी-डेक' का यह प्रयास एक क्रान्तिकारी भूमिका निभाएगा, ऐसी आशा है। कम्प्यूटर, ई-मेल, ऑफिस और अन्य व्यवहारों में हिंदी के बढ़ते प्रयोग और लोकप्रियता को देखते हुए सूचना प्रविधि क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी माईक्रोसॉफ्ट कंपनी में भी 'एम॰ एस॰ ऑफिस' का हिंदी रूपान्तरण विकसित किया है। इन उपायों के फलस्वरूप आज हिंदी माध्यम से समाचार, साहित्य, व्यापार, ज्योतिष और ज्ञात-विज्ञान के तमाम विषयों का ज्ञान वेब पोर्टलों पर सुलभ होता जा रहा है।

14 सितम्बर, 2006 को आयोजित हिंदी दिवस समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ॰ ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम ने कहा था कि विश्व के अनेक भागों में हिंदी सरलता से पढ़ी-बोली जा सके, इसके लिए इंटरनेट पर हिंदी का यूनीकोड स्वरूप चाहिए। वैश्वीकरण के इस युग

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

में कम्प्यूटर और विश्वजाल (डब्ल्यू॰ डब्ल्यू॰ डब्ल्यू॰–वर्ल्ड वाइड वैब) पर विविध प्रकार के प्लेटफॉर्म, फॉण्ट और सिस्टम्स् के बावजूद एक ऐसी मानक कोडिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत विश्व की सभी भाषाएँ सह–अस्तित्व भाव के साथ रह सके। इस प्रणाली का नाम 'यूनीकोड' है। इसके माध्यम से हिंदी के प्रचार–प्रसार में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। आज माइक्रोसॉफ्ट, आई॰बी॰एम॰, लाइनेक्स और ऑरैकल जैसी सभी कम्पनियां लिखित भाषा–सामग्रियों के अंकन और प्रदर्शन के लिए यूनीकोड प्रणाली का उपयोग कर रही हैं। यह कोडिंग सिस्टम प्लेटफॉर्ममुक्त, फॉण्टमुक्त, और ब्राउजर मुक्त है। विंडोज 2000 के बाद के सभी पर्सनल कम्प्यूटरों (पी॰सी॰) में यूनीकोड का प्रयोग हो सकता है। यूनीकोड आधारित फॉण्ट का उपयोग करने से न केवल हिंदी को विश्व की उन्नत भाषाओं के समकक्ष रखा जा सकता है, अपितु उसकी सहायता से निर्मित वेबसाइट में खोज या सर्फिंग जैसी अद्यतन सुविधाएं भी सहजता से प्राप्त होती हैं। भारत सरकार के अनेक विभाग, प्रमुख हिंदी समाचारपत्र और हिंदी पोर्टल यूनिकोड का प्रयोग कर रहे हैं।

अंग्रेजी और उसके प्रभाव से आक्रान्त अनुभव करने वाले लोगों को यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि हिंदी सूचना, संचार और मनोरंजन के क्षेत्रों में लगातार अपने प्रभाव का विस्तार कर रही है। हिंदी सिनेमा भारतवर्ष ही नहीं विश्वभर में लोकप्रियता के शिखर छू रहा है। भारतीय फिल्में पूरी दुनिया में फैले भारतीयों ही नहीं,अन्य भाषा–भाषियों की भी पसन्द बनती जा रही है। यही नहीं, अब अनेक भाषाओं की विश्वविख्यात फिल्में भी भारत में हिंदी भाषान्तरण के साथ प्रसारित हो रही हैं, जिससे हिंदी की बढ़ती उपयोगिता का आभास होता है। टेलीविजन पर उपलब्ध होने वाले मनोरंजन चैनलों में अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के चैनलों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है; जबकि हिंदी चैनलों की गिनती लगातार बढ़ रही है। समाचार चैनलों की संख्या और दर्शक संख्या के मामले में भी हिंदी चैनल अन्य भाषाओं के चैनलों के मुकाबले काफी आगे हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रसार वाले 'डिस्कवरी' और 'नेशनल ज्योग्रॉफिक' जैसे ज्ञान–विज्ञान चैनल तो पहले ही हिंदी में उपलब्ध हैं; अब इनकी श्रेणी के अन्य चैनल जैसे 'एनिमल प्लानेट', 'हिस्ट्री' आदि भी हिंदी भाषा के माध्यम से उपलब्ध हो गए हैं। इन्हीं के साथ अनेक देशी–विदेशी कार्टून और जासूसी चैनल भी हिंदी माध्यम से प्रसारित हो रहे हैं। विज्ञापन के विषय में भी हिंदी चैनल का वर्चस्व स्थापित हो चुका है। हिंदी शब्दों, मुहावरों, गीतों के मुखड़ों आदि का प्रयोग हिंदीतर विज्ञापनों का भी अनिवार्य हिस्सा है। यही स्थिति समाचारपत्रों की भी है। हिंदी पत्र–पत्रिकाएं न केवल संख्या अपितु लोकप्रियता की दृष्टि से भी नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। समाचार एजेन्सी 'वार्ता' के अनुसार भारत में हिंदी भाषा के अखबार, पत्र और पत्रिकाएं पाठक–संख्या की दृष्टि से सबसे ऊपर हैं। भारत में समाचारपत्रों के पंजीयक की 40वीं वार्षिक रिपोर्ट 'प्रेस इन इंडिया' के मुताबिक देश में पंजीकृत 37,254 पत्र–पत्रिकाओं के सबसे ज्यादा संख्या हिंदी प्रकाशनों की है।

भारत आज नि:सन्देह विश्व की दूसरी सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आर्थिक उदारीकरण भारत के लिए विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ अनेक स्तर पर संवाद, व्यापार–वाणिज्य और सांस्कृतिक अदान–प्रदान के अवसर उपलब्ध करा रहा है। यह अन्तर्क्रिया न केवल व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में है अपितु जन–जीवन के दूसरे पक्ष भी इस गतिविधि में बराबर के हकदार बने हैं। अन्तरराष्ट्रीयता और बाजारीकरण के इस दौर में व्यापार वस्तुओं और सेवाओं की ही तरह भाषाएं भी एक दूसरे से निकटता बढ़ा रही हैं। इस क्रम में शब्दों के आदान–प्रदान के साथ ही उनके संकरीकरण की प्रवृत्ति भी पूरे जोरों पर है। एक अनुमान के मुताबिक ऑक्सफोर्ड इंगलिश डिक्शनरी में हर साल लगभग 300 हिंदी शब्द समायोजित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार हिंदी और अन्य देशी–विदेशी भाषाओं के संयोग से संकर शब्दों के सृजन का कार्य भी हो रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग इस प्रकार के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है।

हिंदी में ऐसे अनेक गुण हैं, जो न केवल उसे हर युग और स्थान पर समसामयिक बनाते हैं, अपितु व्यावहारिक क्षमता भी प्रदान करते हैं। सर्वप्रमुख है इसकी उदारवादिता या समन्वयवादिता। हिंदी ने हर युग में सम्पर्क में आने वाली हर भाषा और संस्कृति से शब्द विनिमय किया है, जिसके फलस्वरूप तत्सम के साथ देशी–विदेशी और संकर शब्दों के रूप में हिन्दी की शब्द निधि लगातार सक्षम और समृद्धतर होती चली है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देश अपने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिन्दी के अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था कर रहे हैं। भारत की 'एजुकेशनल कंसल्टेण्ट इंडिया लिमिटेड' नामक संस्था इस प्रकार के कार्यों में उनकी सहायता करती है। इस सहायता के रूप में ने केवल साहित्य और उपकरणों बल्कि हिंदी अध्यापकों का प्रशिक्षण और नियोजन भी कराया जाता है।

इस प्रकार हिंदी मंच पर अपनी पहचान स्थापित करने की दिशा में सतत् अग्रसर है। हालांकि इस अभियान के सभी चरण और पहलू पूरी तरह से सफल और व्यावहारिक नहीं हैं और उनमें से अनेक के साथ अपेक्षित जन और शासकीय सहयोग भी उपलब्ध नहीं है। किन्तु जिस प्रकार अतीत में इस भाषा ने अपनी सार्थकता और उपयोगिता सिद्ध की है, उसी प्रकार भविष्य में भी इसका विकास और प्रसार इसे समसामयिक और अनिवार्य बनाए रखेगा, ऐसा विश्वास हमें रखना चाहिए।

असिस्टेंट प्रॉफेसर, ऐमिटी इन्सटीट्यूट ऑफ एजुकेशन,
ऐमिटी विश्वविद्यालय, सैक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

देश-विदेश में हिंदी का भविष्य

-प्रदीप कुमार

अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिये जागरुकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। विदेशों में भारत के दूतावास यह दिन विशेष रूप से मनाते हैं। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं। विश्व में हिंदी का विकास करने और इसे प्रचारित-प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी, 2006 को प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की थी। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी, 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया।

विदेश में हिंदी

हिंदी विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। बड़े दुख की बात है कि अनेक प्रयासों के बावजूद हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक भाषाओं में अभी तक स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। विश्व के चार बहुचर्चित एवं सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में भारत का नाम और स्थान महत्वपूर्ण होने के बाद भी उसकी करीब एक अरब तेइस करोड़ जनता की राष्ट्रभाषा हिंदी को नजरअंदाज किया जा रहा है जो उचित नहीं है।

दुनियाभर में फैले लगभग चार करोड़ भारतीय भी हिंदी ही बोलते हैं। इसके अलावा दुनिया के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। दूसरे शब्दों में, हिंदी समाज की जनसंख्या एक अरब से अधिक है। पूरा पाकिस्तान हिंदी बोलता है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई गणतंत्रों में भी आपको हजारों से लेकर लाखों लोग हिंदी बोलते और समझते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरिनाम, ट्रिनिडाड जैसे देश तो हिंदी भाषियों के बसाए हुए ही हैं।

फीजी में हिंदी

प्रथम प्रवासी भारतीय श्रमिक के फीजी में अपना पग रखते ही हिंदी का प्रवेश यहां हो गया था क्योंकि अधिकांश श्रमिक भारत के हिंदी भाषी प्रदेशों से यहां आए थे अत: यहां उन्हीं की ही भाषा स्थापित हुई और इस तरह हिंदी भारतीयों की प्रमुख भाषा बनी। आज प्राथमिक पाठशालाओं से लेकर विश्वविद्यालय तक पढ़ाई जाने वाली हिंदी फीजी की एक महत्वपूर्ण भाषा है तथा समाचार माध्यमों में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है।

फीजी में आदिम निवासी खेत में काम करना नहीं चाहते थे। यह उनकी प्रकृति के विपरीत था। इसलिए हजारों प्रवासी भारतीय श्रमिक फीजी लाए गए और पांच वर्षों का सशर्त जीवन व्यतीत कर उनमें से अधिकांश गिरमिटिया वहीं बस गए जिससे गन्ने की खेती को और भी अधिक बढ़ावा मिला। सशर्त अथवा अग्रीमेंट के अंतर्गत आने के कारण वे शर्तबंदी मजदूर कहलाए और अंग्रेजी का तत्सम शब्द अग्रीमेंट बिगड़ कर गिरमिट हो गया। गिरमिट काटने वाले गिरमिटिया कहलाए।

गिरमिट काल में साहित्य रचना नगण्य ही रही है। चालीस वर्षों के इस अंतराल में रामायण, महाभारत, आल्हखंड जैसे महाकाव्यों से संबंधित कथाएं कही-सुनी जाती रहीं, साथ ही अन्य प्रेरक एवं मनोरंजक किस्सा-कहानी भी समय काटने का माध्यम रहीं। पूरे गिरमिट काल में अव्यवस्थित ढंग से हिंदी सांस लेती रही, हिंदी जीवित रही। इन दिनों पारंपरिक एवं तत्कालीन परिस्थितियों पर आधारित लोकगीतों का ही बोल-बाला था जो विशेषत: लोक रीतियों को पुष्ट करता रहा, उनका संरक्षण और संवर्धन करता रहा।

वर्ष 1916 में गिरमिट प्रथा का अंत हो गया लेकिन 1920 तक उसका प्रभाव बना ही रहा। लेकिन 1920 के बाद अनेक परिवर्तन होने लगे। लोगों की जीवन व्यवस्था में सुधार होने लगा, वे अपनी संतति के भविष्य को संवारने-सुधारने के उपाय सोचने लगे। भारत से हिंदी की किताबें मंगाई जाने लगीं। किस्सा-कहानी, नाटक-नौटंकी, मेला-ठेला आदि के माध्यम से हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ने लगा।

वर्ष 1970 की विजय दशमी को ब्रिटिश शासनाधिकार से फीजी स्वतंत्र हो गया। इस दिन प्रथम बार हिंदुओं ने विजय दशमी के साथ-साथ फीजी की स्वतंत्रता धूमधाम से मनाते हुए रामकथा से संबंधित 30 झांकियां और 12 घोड़ों की सवारियां राम की सवारी नामक जलूस में निकाली। इन्हीं दिनों हिंदी महापरिषद फीजी की भी स्थापना हुई, जिसके प्रमुख संरक्षक नवोदित राष्ट्र के प्रधान मंत्री रातू सर कमिरोसे मारा, संरक्षक प्रतिपक्षी दल के नेता जनाब सद्दीक कोया तथा प्रस्थापक अध्यक्ष हिंदी विद्वान पं॰ विवेकानंद शर्मा हुए। इसी दशक में नागपुर भारत में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें मॉरिशस के साथ-साथ फीजी ने भी बड़ी संख्या में अपना प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसी महा सम्मेलन में मॉरिशस तथा

फीजी के प्रस्ताव के फलस्वरूप हिंदी यूनेस्को की औपचारिक भाषा स्वीकार कर ली गई।

श्रीलंका में हिंदी

श्रीलंका हिंदी निकेतन वहां हिंदी को प्रोत्साहन देने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यह ऐसा संस्थान है, जो पूर्णतया राजनीति-निरपेक्ष है। इसका मुख्य उद्देश्य है श्रीलंका में हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करना। यह आशा की जाती है कि इसी प्रचार-प्रसार कार्य के फलस्वरूप अधिक-से-अधिक श्रीलंकावासी भारतीय संस्कृति तथा चिंतन से परिचित होकर चिरकाल से चली आ रही भारत-श्रीलंका सद्भावना की वृद्धि करेंगे।

मॉरिशस में हिंदी

मॉरिशस में हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं में साहित्य सृजन हो रहा है। यहां हिंदी कविता की एक सशक्त परंपरा है। मॉरिशस के प्रसिद्ध हिंदी कवि और समीक्षक मुनीश्वरलाल चिंतामणि ने मॉरिशस की हिंदी कविता को दो भागों में विभाजित किया है:–

- पूर्व स्वतंत्रता काल (1923-1968) की कविता
- स्वातंत्रयोत्तर काल (1968 से अब तक) की कविता

मॉरिशस में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत मणिलाल डॉक्टर के हिंदुस्तानी पत्र से हुई। 2 मार्च, 1913 को इस सत्र में होली कविता छपी। होली कविता को मॉरिशस की प्रथम हिंदी कविता होने का श्रेय प्राप्य है। कविता के रचनाकार का नाम अज्ञात है। लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी रसपुंज को मॉरिशस का प्रथम हिंदी कवि माना जाता है।

12 मार्च, 1968 को मॉरिशस ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। स्वाधीन राष्ट्र के नागरिकों के दिलों में नवोल्लास फूटा। आजादी के बाद मॉरिशस की हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया। हिंदी कविता को एक नया आयाम देने का श्रेय मॉरिशस के महान कथा-शिल्पी अभिमन्यु अनत को है।

मॉरिशस के कवियों पर भारत के साहित्याकारों का प्रभाव सहज रूप से पड़ा है। मॉरिशस में हिंदी में अब तक 100 से अधिक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मॉरिशस की हिंदी कविता औपनिवेशिक दासता से मुक्त होकर अपने पथ पर अग्रसर है। मॉरिशस में हिंदी कविता का भविष्य उज्ज्वल है और एक दिन हिंद महासागर के खूबसूरत द्वीप मॉरिशस की हिंदी कविता को भारत के हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मानजनक स्थान अवश्य मिलेगा।

ब्रिटेन में हिंदी

पिछली शताब्दी में ब्रिटेन में हिंदी को जो थोड़ा-बहुत प्रचार-प्रसार 1960-70 में आरंभ हुआ वह ब्रिटेन में भारत से आए माइग्रेशन के स्वभाव पर आधारित रहा है। ब्रिटेन में लाखों अप्रवासी एशियन नागरिक हैं, जिनमें से अधिकांश भारत के विभिन्न प्रांतों के भाषा-भाषी हैं अन्य दूसरे देशों से आए भारतीयों जैसे दिखते ऐसे लोग हैं, जिनके पूर्वज सदियों पहले किन्हीं कारणों से अन्य देशों में चले गए थे। अब उनके वंशज वहां से माइग्रेट कर के ग्रेट ब्रिटेन के बाशिंदे (वेस्ट इंडीज आइलैंड, कीनिया, युगांडा, मॉरिशस, फिजी आदि) हो गए हैं और उनके रंग-रूप और शारीरिक बनावट में आज भी भारतीय छवि है। इनमें से काफी कुछ लोग हिंदी फिल्में देखना पंसद करते हैं। वे हिंदी गाने सुनते हैं और साथ ही गुनगुनाते और गाते भी है। इनमें से बहुत-से लोग बाकायदा पूजा-पाठ और हिंदू संस्कार आदि कराने के लिए हिंदी पढ़ते हैं।

वास्तव में हिंदी भाषा के उन्नयन का श्रीगणेश ब्रिटेन में प्रिंटिंग प्रेस की क्रांति के साथ 16वीं सदी के आरंभ हुआ। वर्ष 1560 में देवनागरी में प्रिंटिंग का कार्य ब्रिटेन में आरंभ हुआ। उस समय भारत में प्रिंटिंग प्रेस की सुविधा न होने के कारण प्रसिद्ध कपाडिया स्पिरिचुएल क्रिस्टार नामक ग्रंथ सेंटपॉल कॉलेज प्रेस से प्रकाशित किया गया। उसके पश्चात नागरी लिपि के टाइप के ढलने का अधिकांश कार्य भी वर्ष 1567 से ब्रिटेन में ही आरंभ हुआ क्योंकि उस समय भारत में प्रिंटिंग प्रेस की सुविधा नहीं थी। इसी समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़नी आरंभ हो चुकी थी।

आयरलैंड के डॉ॰ गियर्सन ने भी भारत आकर संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। अपने अध्ययनकाल में ही उन्होंने अनुभव किया कि ग्रेट-ब्रिटेन में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने का कोई प्रबंध नहीं है, जिसके अध्ययन से भारत की उन्नत एवं सारगर्भित संस्कृति को गहराई से पढ़-समझकर उसका आंकलन किया जा सके। उनका विचार था कि भारतवासियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने के लिए उनकी भाषा और संस्कृति को जानना और समझना अतिआवश्यक है।

श्री गियर्सन ने नागरी प्रचारिणी सभा के हिंदी शब्दगार के प्रकाशन के लिए लंदन से आर्थिक सहायता भेजी। उन्होंने भारत की कचहरियों में देवनागरी के प्रवेश के आंदोलन का सशक्त समर्थन किया। गियर्सन जी की सेवाएं हिंदी भाषा एवं साहित्य के लिए जहां भारत में दिशा-निर्देश थी वहीं विश्व के मंच पर हिंदी को स्थापित करने में उनका योगदान ऐतिहासिक महत्व का है। केन्द्रीय हिंदी संस्थान-आगरा ने गियर्सन पुरस्कार की स्थापना कर गियर्सन जी को उनकी हिंदी सेवा के लिए जो विशेष सम्मान से नवाज़ा है वह वस्तुतः गर्व की बात है। गियर्सन जी की तरह ही सर एडविन ग्रीव्स थे जो अंग्रेजों के धर्म-जगत में हिंदी के सशक्त प्रवक्ता थे। वे तुलसीदास और मध्यकालीन हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ थे साथ ही हिंदी के पक्षधर भी थे। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटेन में रहते हुए मुल्कराज आनंद, सद्दाक ज़हीर और उनके साथियों ने प्रेमचंद को प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का विचार दिया था। यह वह समय था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

हो चुका था और हिंदी कई और दबावों के बीच अच्छी तरह अपने ही देश में स्थापित होने का प्रयास कर रही थी।

संयुक्त अरब अमारात में हिंदी

यहां हिंदी आम भाषा की तरह बोली जाती है। दुबई और शारजाह में धनी, यूरोपीय और शासक वर्ग के अरबी लोगों को छोड़ दें तो लगभग हर व्यक्ति हिंदी बोलता और समझता है। दैनिक जरूरतों के काम करने वाले लोग जैसे घरों में काम करने वाली महिलाएं, टैक्सी ड्राइवर, घर की सफाई का काम करने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले, सुपर मार्केट के कर्मचारी और सोने या कपड़े की दुकानवाले सब हिंदी समझते और बोलते हैं। यह सच है कि इसमें से ज्यादातर भारतीय हैं लेकिन जो लोग भारतीय नहीं हैं या जो भारतीय हैं पर जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है वे भी यहां हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका की महिलाएं जो घर की सफाई का काम करती हैं उनमें से 99 प्रतिशत हिंदी बोलती हैं।

संयुक्त अरब अमारात में हिंदी कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली कई संस्थाएं हैं। 'प्रतिबिंब' नामक एक नाटक संस्था भी है जिसने साप्ताहिक बैठकों से लेकर स्कूलों में छोटी कार्यशालाओं और नाटकों के मंचन तक हिंदी की नाट्यकला के विकास में महत्वूपर्ण योगदान किया।

संयुक्त अरब अमारात में एफ॰एम॰ के कम से कम तीन ऐसे चैनल हैं जिन पर चौबीसों घंटे हिंदी गाने, समाचार और अन्य कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। दिन भर इन पर अंतरराष्ट्रीय उत्पादों के विज्ञापन सुने जा सकते हैं। यह इस बात का सबूत है कि हिंदी खूब लोकप्रिय है और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपने माले बेचने के लिए हिंदी के महत्व को गंभीरता से महसूस करती हैं। व्यापार में इस प्रकार हिंदी की अंतरराष्ट्रीय जरूरत को हिंदी की ताकत समझा जाना चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका में हिंदी

दक्षिण अफ्रीका में बड़े पैमाने पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। यहां हिंदी के विकास का इतिहास बहुत पुराना है। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी आंदोलन में महात्मा गांधी से प्रेरणा ली गई। इस दौरान भारत की संस्कृति और भाषा से भी बहुत कुछ ग्रहण किया गया। इस दौर में सबसे अधिक फायदा हिंदी को हुआ। अब यहां भारतीय भाषाएं आधिकारिक विषय के रूप में पढ़ाई जाएंगी। लगभग दो दशक पहले सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम से इन्हें हटा दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के 14 लाख नागरिकों के प्रतिनिधियों की अपील के बाद हिंदी, तमिल, गुजराती, तेलुगू और उर्दू को अधिकारिक रूप से पढ़ाया जाएगा।

देश विदेश में हिंदी का भविष्य

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 सितंबर, 1949 को बहस में भाग लेते हुए यह कहा था कि यद्यपि अंग्रेजी से हमारा बहुत हित साधन हुआ है और इससे हमने बहुत कुछ सीखा है तथा उन्नति की है, लेकिन किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच को आधारभूत मानकर कहा कि विदेशी भाषा के वर्चस्व से नागरिकों में दो श्रेणियां स्थापित हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती। उन्होंने महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को प्रतिपादित करते हुए कहा, ''भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने के हित में जो अपनी आत्मा को पहचाने, जिसे आत्मविश्वास हो, जो संसार के साथ सहयोग कर सके, हमें हिंदी को अपनाना चाहिए।''

डॉ॰ श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने बहस में भाग लेते हुए हिंदी भाषा और देवनागरी का राजभाषा के रूप में समर्थन किया और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय अंकों को मान्यता देने के लिए अपील की। उन्होंने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए संविधान सभा से अनुरोध किया कि वह इस अवसर के अनुरूप निर्णय करे और अपनी मातृभूमि में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में वास्तविक योग दे।

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने एक निबंध में लिखा है, ''जिस हिंदी भाषा के खेत में ऐसी सुनहरी फसल फली है, वह भाषा भले ही कुछ दिन यों ही पड़ी रहे, तो भी उसकी स्वाभामिक उर्वरता नहीं मर सकती, वहां फिर खेती के सुदिन आएंगे और पौष मास में नवान्न उत्सव होगा।'' नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने यह घोषणा की थी कि हिंदी के विरोध का कोई भी आंदोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है।

प्रत्येक देश में हिंदी भाषा-भाषियों, कवि एवं लेखकों की समितियां अथवा संस्थाएं बनाकर साहित्यकारों को सृजन की प्रेरणा देकर कविता-कहानी-निबंध आदि की गोष्ठियां, प्रतियोगिताओं तथा राष्ट्रीय एवं सुविधानुसार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना चाहिए इन्हीं संस्थाओं को निजी रूप में हिंदी के पठन-पाठन की व्यवस्था कर हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करना चाहिए।

बी-5/60 प्रथम तल, अनुपम एन्क्लेव, फेज-1,
इग्नू रोड, नई दिल्ली-30,
मोबाइल-9811516020

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

दुनिया की निगाह हिंदी की ओर

–आर॰सी॰ गुप्ता

इंग्लैंड के विद्वान डॉ॰ मैग्रेसर के कथानुसार ''हिन्दी दुनिया की महान भाषाओं में एक है। भारत को समझने के लिए हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है। हिंदी का महत्व आज इसलिए और भी बढ़ गया है क्योंकि भारत आज शिक्षा, उद्योग और तकनीक के हिसाब से दुनिया का अग्रणी देश है। विश्व की कुल आबादी सात अरब है। इनमें से हिंदी जानने वाले एक अरब 20 करोड़ है अर्थात प्रत्येक छठवां व्यक्ति हिंदी जानता है।

वैश्वीकरण के इस दौर में हिन्दी बाजार की सशक्त भाषा बन चुकी है। पहले राष्ट्रीय आन्दोलन और फिर हिन्दी फिल्मों, रेडियो व दूरदर्शन ने इसे संपर्क भाषा बना दिया है। अब तो आई॰टी॰ प्रोफेशनल हिन्दी को पश्चिमी देशों तक ले गए हैं।

दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दृष्टि हमारे देश पर लगी है। वे यह भी बखूबी जानती हैं कि हिन्दी–ज्ञान बिना यहां पैठ बनाना मुश्किल ही नहीं, असम्भव है। हिन्दी सीखे बिना न तो भारतीयों के दिलों तक पहुंचा जा सकता है और न ही यहां के बाजार में पैर जमाना संभव है। आज उन्होंने एस॰एम॰एस॰ से लेकर इंटरनेट एवं ब्लॉग सभी में हिन्दी भाषा को उपयोग बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया है। हिन्दी की एक बड़ी खासियत यह भी है कि हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही लिखते हैं, ऐसा इसी भाषा में सम्भव है। जब कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा विदेशी टी॰वी॰ चैनलों का पदार्पण हुआ तो हिन्दी चैनल लाना भी अनिवार्य हो गया, क्योंकि बिना हिन्दी ज्ञान के यहां कारोबार करना संभव नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हिन्दी के विज्ञापनों की भरमार है। हिन्दी का व्यावसायिक रूप खूब निखर रहा है। आज टी॰वी॰ चैनलों में 75 प्रतिशत से अधिक बाजार हिन्दी के हाथ में है। यहां तक कि कार्यक्रम चाहे अंग्रेजी में हो लेकिन विज्ञापन हिन्दी में भी दिए जाते हैं। विज्ञापन अंग्रेजी में होने पर भी ''टैग लाइन'' हिन्दी में होना, हिन्दी के प्रति जनता के बढ़ते प्रेम को दर्शाता है।

विश्व में हिन्दी फिल्मों का बहुत बड़ा बाजार है। हिन्दी गीत–संगीत और बालिवुड की फिल्मों की विदेशों में धूम मची हुई है। आज दुनिया भर के लोग हिन्दी फिल्मों के दीवाने हैं, वे नायक–नायिकाओं को पसन्द ही नहीं करते, बल्कि उनके बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। ये फिल्मी कलाकार फिल्मों के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं। यही नहीं, हालिवुड की हिन्दी में डब फिल्में भी यहां अच्छा–खासा व्यवसाय कर रही हैं। इनकी लोकप्रियता हिन्दी के माध्यम से निरन्तर बढ़ रही है। हिन्दी फिल्मों के गायक–संगीतकार विदेशों में पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम प्रस्तुत करते आ रहे हैं।

विश्व में हिन्दी की लोकप्रियता का एक उदाहरण यह भी है कि आज विश्व के अनेक देशों को रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से हिन्दी भाषा में विभिन्न कार्यक्रम एवं समाचार आदि प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके लिए ऑल इंडिया रेडियो ने हिन्दी प्रसारण सेवा शुरू की है। जिसका लाभ विदेशों में रहने वाले करोड़ों हिन्दी प्रेमी उठा रहे हैं। इसके अलावा विश्व के कई देश रेडियो आदि के माध्यम से हिन्दी में कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, जोकि हिन्दी के महत्व व उपयोगिता का परिचायक है।

भारतीय मूल के लगभग दो करोड़ लोग विश्व के 132 देशों में रहते हैं, जो संबंधित देशों में भारत का ही नहीं, बल्कि हिन्दी भाषा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इन देशों में बसे भारतीय हिन्दी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इसके अलावा कई पत्र–पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती हैं।

हिन्दी पुस्तकों के पाठकों की संख्या विश्वभर में निरन्तर बढ़ रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि हिन्दी पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद हो रहा है तथा अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी भाषा में हो रहा है। हमारे देश में सबसे अधिक पत्र–पत्रिकाएं हिन्दी में प्रकाशित होती हैं।

इंटरनेट हिन्दी को अपनाने वाला नवीनतम बाजार है। यह हर क्षेत्र में अनिवार्य–सा हो गया है, इसके बगैर कामयाबी की कल्पना तक नहीं की जा सकती। सूचनाओं के इस मकड़जाल पर विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां हिन्दी में उपलब्ध हैं, बल्कि यूनिकोड जैसे हिन्दी में लिखने की सुविधा भी उपलब्ध है। यही नहीं, इंटरनेट पर आज हिन्दी में लिखी सामग्री को आसानी से अपलोड व डाउनलोड भी किया जा सकता है।

यह सर्वविदित है कि भारत विश्व में एक बड़े बाजार के रूप में उभरा है तथा इसकी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत है। अत: यहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आना लाजिमी है तथा कारोबार की सफलता की कुंजी हिन्दी के हाथ में है। इसलिए विभिन्न देशों के उद्यमियों ने हिन्दी के महत्व तथा उपयोगिता को समझते हुए हिन्दी का शिक्षण–प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल है तथा यह विश्व की एक सशक्त भाषा है।

मकान नं॰ I–31, गली नं॰ 5, श्याम विहार,
फेज़–2, गोयला रोड, नई दिल्ली–110043,
मोबाइल–9818393696

भूमण्डलीकरण के दौर में भाषाओं पर बढ़ता खतरा

–आकांक्षा यादव

भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी एवं सूचना-तकनीक के बढ़ते इस युग में सबसे बड़ा खतरा भाषा, साहित्य और संस्कृति के लिए पैदा हुआ है। भारत सदैव से विभिन्नताओं का देश रहा है। यहां के बारे में कहा जाता है कि यहां हर कोस पर पानी और हर चार कोस पर वाणी यानी भाषा बदल जाती है। पर लगता है यह मुहावरा कुछ दिनों में पुराना पड़ जाएगा। वस्तुत: भारत में बोली जाने वाली सैकड़ों भाषाओं में से 196 खत्म होने के कगार पर हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक पहलू यह है कि बोलियों का पूरा संसार ही सिमटता जा रहा है। दुनिया में बोली जाने वाली 6,900 भाषाओं में से 2,500 का अस्तित्व खतरे में है। भाषाएं आधुनिकीकरण के दौर में प्रजातियों की तरह विलुप्त होती जा रही हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2001 में किए गए अध्ययन से इसकी तुलना की जाए तो पिछले एक दशक में बदलाव काफी तेजी से हुआ है। उस समय विलुप्तप्राय: भाषाओं की संख्या मात्र 900 थी, लेकिन यह गंभीर चिंता का विषय है कि तमाम देशों में इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,652 भाषाएं थी, जबकि वर्ष 2001 में यह संख्या घटकर मात्र 224 रह गयी। स्पष्ट है कि इन पांच दशकों में भारत की 1,418 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। इंटरनेट पर हर कुछ खंगालने वाली युवा पीढ़ी भी उन्हीं भाषाओं को तरजीह देती है जिनका उनके कैरियर से कोई वास्ता होता है। नतीजन प्रगति और विकास के तमाम दावों के बीच कई भाषाएं व बोलियां अपनी उपेक्षा के चलते दम तोड़ती नजर आ रही हैं। अंग्रेजी के वर्चस्व और संरक्षण के अभाव में सैकड़ों भाषाएं समाप्ति के कगार पर हैं।

दुनियाभर में भाषाओं की इसी स्थिति के कारण संयुक्त राष्ट्र ने 1990 के दशक में 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। बांग्लादेश में 1952 में भाषा को लेकर एक आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि इसी से बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन की नींव पड़ी थी और भारत के सहयोग से नौ महीने तक चले मुक्ति संग्राम की परिणति पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने के रूप में हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत तत्कालीन पाकिस्तान सरकार द्वारा देश के पूर्वी हिस्से पर भी राष्ट्रभाषा के रूप में उर्दू को थोपे जाने के विरोध से हुई थी।

संयुक्त राष्ट्र की पहली 'स्टेट ऑफ द वर्लड्स इंडीजीनस पीपुल्स' रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि दुनिया भर में छह से सात हजार तक भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें से बहुत-सी भाषाओं पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से अधिकतर भाषाएं बहुत कम लोग बोलते हैं, जबकि बहुत थोड़ी-सी भाषाएं बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाती हैं। सभी मौजूदा भाषाओं में से लगभग 90 फीसदी अगले 100 सालों में लुप्त हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया की लगभग 97 फीसदी आबादी इनमें से सिर्फ चार फीसदी भाषाएं बोलती हैं। यूनेस्को द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक ठेठ आदिवासी भाषाओं पर विलुप्ति का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और इन्हें बचाने की आपात स्तर पर कोशिशें करनी होंगी।

यूनेस्को द्वारा कराये गये इस अध्ययन पर गौर करें तो इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा खतरा भारत की भाषाओं पर बताया गया है। जहां भारत में यह 196 भाषाओं पर है, वहीं अमेरिका व इण्डोनेशिया क्रमश: 192 व 147 भाषाओं पर खतरे के साथ दूसरे व तीसरे नंबर पर हैं। भाषाओं के मामले में सर्वाधिक समृद्ध पपुआ न्यू गिनी में 800 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि वहां केवल 88 भाषाओं पर ही खतरा है।

पीपुल्स लिंग्युस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (पी.एल.एस.आई.) के अध्ययन के अनुसार पिछले 50 वर्षों के दौरान 780 विभिन्न बोलियों वाले देश की 250 भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं। इनमें से 22 अधिसूचित भाषाएं हैं। जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली 122 भाषाएं हैं। बाकी 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाती है। आयरिश भाषाई विद्वान जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बाद पहली बार यह भाषाई सर्वे किया गया है। ग्रियर्सन ने 1898-1928 के बीचे भाषाई सर्वे किया था। पी.एल.एस.आई. सार्वजनिक विमर्श और अप्रेजल फोरम वाला एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसमें 85 संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के 3,000 विशेषज्ञ शामिल हैं। आजाद भारत में पहली बार किए गए इस पहले सर्वे में चार वर्ष लगे। सितंबर 2013 में इसकी 72 पुस्तकों में 50 खंड की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

इस रिपोर्ट के अनुसार भाषाई विविधता की दृष्टि से भारत में अरुणाचल प्रदेश सबसे समृद्ध राज्य है, वहां 90 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान है, जहां 50 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। 47 भाषाओं के साथ ओडिशा चौथे स्थान पर है। लिपियों के आधार पर देखें तो देश में 86 विभिन्न लिपियां हैं। सबसे ज्यादा नौ लिपियों के साथ पश्चिम बंगाल पहले

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

स्थान पर है और कई अन्य लिपियों को भी विकसित करने का यहां प्रयास किया जा रहा है। इस राज्य में 38 विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। देश की पांच प्रतिशत भाषाएं और 10 प्रतिशत लिपियां बंगाल में पाई जाती हैं। इस सर्वे के अनुसार उत्तर-पूर्व में किसी एक व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है। इसके बावजूद पूर्वोत्तर के पांच राज्यों में बोली जाने वाली करीब 130 भाषाओं का अस्तित्व खतरे में हैं। असम की 55, मेघालय की 31, मणिपुर की 28, नागालैंड की 17 और त्रिपुरा की 10 भाषाएं खतरे में हैं।

हाल ही में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक आदिवासी भाषा 'बो' हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। वस्तुत: कुछ समय पहले अंडमान में रहने वाले (बो) कबीले की आखिरी सदस्य 85 बर्षीय बोआ सीनियर के निधन के साथ ही इस आदिवासी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली 'बो' भाषा भी लुप्त हो गई। अंडमान-निकोबार में चिड़ियों पर शोध कर रही जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, की प्रोफेसर डॉ॰ अनविता अब्बी को तो यह देखकर हैरत हुई की बोआ सीनियर चिड़िया से बात कर रही थीं और वे दोनों एक-दूसरे की भाषा समझ रहे थे। गौरतलब है कि ग्रेट अंडमानीज में कुल 10 मूल आदिवासी समुदायों में से एक 'बो' समुदाय की इस अंतिम सदस्य ने 2004 की विनाशकारी सुनामी में अपने घर-बार को खो दिया था और सरकार द्वारा बनाए गए कांक्रीट के शेल्टर में स्ट्रैट द्वीप पर गुजर-बसर कर रही थी। 'बो' भाषा के बारे में भाषाई विशेषज्ञों का मानना है कि यह भाषा अंडमान में प्री-नियोलोथिक समय से इस समुदाय द्वारा उपयोग में लाई जा रही थी। दरअसल, ये भाषाएं शहरीकरण के चलते दूर-दराज के इलाकों में अंग्रेजी और हिंदी के बढ़ते प्रभाव के कारण हाशिए पर जा रही हैं।

भाषाओं के कमजोर पड़कर दम तोड़ने की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनियां भर में 199 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वालों की संख्या एक दर्जन लोगों से भी कम है। गौरतलब है कि 1974 में आइसले ऑफ मैन में नेड मैडरेल की मौत के साथ ही 'मैक्स' भाषा खत्म हो गई, जबकि वर्ष 2008 में अलास्का में मैरी स्मिथ जीन्स के निधन से 'इयाक' भाषा का अस्तित्व समाप्त हो गया। दुनिया की एक तिहाई भाषाएं अफ्रीकी देशों में बोली जाती हैं, आंकलन है कि अगली सदी के दौरान इनमें से दस फीसदी खत्म हो जाएंगी। यूक्रेन में कराइम भाषा बोलने वाले केवल छह लोग हैं, जबकि अमेरिका के ओकलाहामा में विशिता भाषा केवल दस लोगों द्वारा बोली जाती है। इसी तरह इंडोनेशिया में लेंगिलू बोलने वाले केवल चार लोग बचे हैं। 178 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वाले लोगों की संख्या 150 से कम हैं।

वाकई बोलियां-भाषा क्यों विलुप्त हो रही हैं। यह अपने आप में एक जटिल सवाल है। बकौल हिंदी कवयित्री और लेखिका अनामिका कहती है कि ''हम इस बात की अवलेहना नहीं कर सकते कि भाषा और बोलियों को बचाने की शुरुआत घर से ही की जा सकती है। हर परिवार में अलग-अलग पीढ़ियां होती हैं। यह जरूरी है कि अलग-अलग घरेलू बोलियों में घर के अंदर संवाद हो। बच्चों में लोक कथाओं के मिथक, लोकोक्तियां, मां-दादी व नानी की कहानियों के जरिए रूप लेती हैं। भाषाई संस्कृति का यह पूर्वराग ही अच्छी भाषा के विकास का आधार है। इस पच्चीकारी से भाषा सहज, पैनी और संवादगम्य होती है। भाषा-बोलियों को बचाने के लिए यह भी जरूरी है कि अनुवाद के जरिए दो भाषिक संस्कृतियों के बीच पुल बनाया जाए। यदि हम आज की स्थितियों में भारतीय परिप्रेक्ष्य को ही लें तो एक और अंग्रेजी का हौव्वा है तो दूसरी ओर हिंदी आम आदमी से कट रही है, वहीं उर्दू को मजहब से जोड़ दिया गया है। दूसरे शब्दों मे कहें तो उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य ने दो भाषाई परंपराओं को विकलांग बना दिया। यही नहीं आज की जबान में बोलियों के लफ्जों और कहावतों के समंदर का उपयोग भी नहीं हैं, इससे भी भाषा कमजोर हुई है।''

भारत में भी तेजी से खत्म हो रही भाषाओं और बोलियों को बचाने व संरक्षित करने के प्रयास तेज हो गये हैं। केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से बोलियों को लेकर एक अध्ययन कराया गया, जिसमें पाया गया कि उत्तर भारत की नौ बोलियां लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। इनमें दर्मिया, जाद, राजी, चिनाली, गहरी, जंघूघ, स्पीति, कांशी या मलानी और रोंगपो शामिल हैं। इन बोलियों को 5,000 से कम लोग ही बोलते हैं। इनमें दर्मिया, जाद और राजी बोलियां तिब्बती-बर्मी परिवार की हैं, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। राजी को 668, दर्मिया को लगभग 2,500 और जद को इससे कुछ अधिक ही लोग बोलते हैं। ये बोलियां उत्तराखंड में पिथौरागढ़, धारचूला, जौलजीवी और अस्कोट में बोली जाती हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ही बोली जाने वाली चिनाली और गहरी बोलियों को बोलने वालों की संख्या भी मात्र दो-तीन हजार ही है। वाकई समय रहते यदि इनको संरक्षित नहीं किया गया तो इन्हें खत्म होने में देरी नहीं लगेगी। इन बोलियों के खत्म होने से वहां की संस्कृति भी खत्म हो रही है, इसलिए इनका संरक्षण बेहद जरूरी है।

ऐसे में इन बोलियों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार ने स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इनडैंजर्ड लैंग्वेज योजना शुरू की है। इसके तेजी से लुप्त हो रही भाषाओं और बोलियों से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित किया जायेगा। इसके तहत तमाम प्रतिष्ठित शैक्षणिक व शोध संस्थानों को इन बोलियों के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गयी हैं। इन नौ विलुप्त प्राय: बोलियों में से

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

तीन बोलियों दर्मियां, जाद और राजी (जंगली) के संरक्षण का दायित्व लखनऊ विश्वविद्यालय और दो बोलियों-चिनाली व गहरी के संरक्षण का काम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। इसके अलावा दो बोलियों को बचाने का जिम्मा सीआईआईएल मैसूर और एक-एक का कोलकाता और जेएनयू, नई दिल्ली को दिया गया है। इनमें लखनऊ विश्वविद्यालय में भाषा विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो॰ कविता रस्तोगी और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रो॰ इम्तियाज हसनैन के नेतृत्व में काम होगा। डिजिटल स्वरूप में संरक्षित करने हेतु सर्वप्रथम लुप्त होती भाषाओं व बोलियों की टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। टेक्स्ट रिकार्डिंग के बाद बोलियों को इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स (आई.एफ.ए.) में लिखा जाएगा ताकि विश्व के भाषा वैज्ञानिक इन्हें पढ़ सकें और बोली को समझ सकें। आडियो रिकार्डिंग लाइब्रेरी में रखी जाएगी ताकि कोई भी इसको सुनकर समझ सके। वीडियो रिकार्डिंग में इन लोगों की दिनचर्या, बोलियों की संस्कृति और विशेष कार्यक्रमों को भी रिकार्ड किया जाएगा, ताकि बोलियों के साथ-साथ उनकी संस्कृति को भी संरक्षित किया जा सके।

इसी क्रम में केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक समूह ने भी तेजी से लुप्त हो रही भाषाओं से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित करने के लिए परियोजना शुरू की है। वहाँ के भाषा विज्ञान विभाग का भाषा विज्ञान अनुसंधान मंच बयारी, मलिजलाशांबा और मइगुरदुने सहित 25 भाषाओं एवं बोलियों को संग्रहीत कर चुका हैं इन भाषाओं को बोलने वाले अब केवल कुछ ही लोग बचे हैं। केरल की लुप्त होती बोलियों के अलावा इस समूह ने हिमाचल प्रदेश की मंतलिया और पहाड़ी भाषाओं, झारखंड की कुरमली और लद्दाख की पाली भाषा को भी रिकार्ड किया है। यहां के भाषा विज्ञान विभाग के तकनीकी अधिकारी एवं परियोजना प्रमुख शिजित एस॰के॰ निर्देशन में शिक्षकों के दल ने लुप्तप्राय भाषाओं के बचे हुए वक्ताओं की तलाश में देश भर की यात्रा की और उसे रिकार्ड किया। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी में एक प्रश्नमाला तैयार की और उन लोगों से अपनी मूल भाषा में इसका जवाब देने को कहा। इन 25 में से 15 भाषाओं के वक्ताओं को स्टूडियो में लाकर भी उनकी बातें रिकार्ड की गईं, ताकि इनका डिजिटलीकरण आसानी से हो सके।

वस्तुत: आज सवाल सिर्फ किसी भाषा के खत्म होने का ही नहीं है, बल्कि इसी के साथ उस समुदाय और उससे जुड़ी कई तरह की सांस्कृतिक विरासत के नष्ट होने का अहसास भी होता है। इन भाषाओं का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इनमें से कुछेक तो कभी समृद्ध और शिष्ट साहित्य का विपुल भण्डार मानी जाती थी। कुछेक देशों ने इस खतरे को भांपते हुए कदम भी उठाये हैं, नतीजन-ब्रिटेन की भाषा 'कॉर्निश' और न्यू कैलेडोनिया की भाषा 'श' को पहले खत्म हुआ मान लिया गया था लेकिन अब इन्हें फिर से बोला जाने लगा है। भाषा विशेषज्ञों का कहना है कि भाषाएं किसी भी संस्कृति का आईना होती हैं और एक भाषा की समाप्ति का अर्थ है कि एक पूरी सभ्यता और संस्कृति का नष्ट होना। इस तरफ सभी देशों को ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा दुनिया अपनी सभ्यता, संस्कृति व समृद्ध विरासत को यूं ही खोती रहेंगी।

टाइप 5, निदेशक बंगला,
जी.पी.ओ. कैम्पस, सिविल लाइन्स,
इलाहाबाद (उ.प्र.)-211001

लेखकों से अनुरोध

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित करता है। लेख A4 आकार के कागज़ पर दो प्रतियों में टाइप किया हुआ होना चाहिए, जो सामान्यत: 3,000 शब्दों से अधिक न हो। हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेख को स्पीड पोस्ट और ई-मेल दोनों से भेजना अनिवार्य है अन्यथा लेख स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेख यूनिकोड आधारित फोन्ट (मंगल फोन्ट) में ही होना चाहिए। लेख के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है। लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा।

कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजें:-

संपादक
राजभाषा भारती
राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
एन॰ डी॰ सी॰ सी॰ भवन-II, चौथा तल, बी विंग,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23438137
ई-मेल : patrika-ol@nic.in

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

इंटरनेट और हिंदी

–मेजर गौरव

इंटरनेट पर हिंदी अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। यह सिद्ध हो चुका है कि हिंदी किसी भी उच्च–तकनीकी के अनुकूल है। हिंदी की वेबसाइटों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है उसी अनुपात में इसके पाठकों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन अभी हिंदी को नेट पर बहुत लंबा सफ़र तय करना है।

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में दुनिया बहुत तेजी से सिकुड़ती और पास आती जा रही है। वैश्विक ग्राम की अवधारणा के पीछे सूचना क्रांति की शक्ति है। इस प्रक्रिया में इंटरनेट की भूमिका असंदिग्ध है, जहाँ दुनिया भर में पाठकों की संख्या का ग्राफ नीचे आया है, वही सूचना क्रांति को किताब पर छाए खतरे के रूप में भी देखा जा रहा है। इलेक्ट्रानिक माध्यमों में इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, जहाँ कथा और अ–कथा साहित्य बहुतायत में उपलब्ध हो सकते हैं। इस दिशा में प्रयास हुए भी हैं, उदाहरण के तौर पर माइक्रोफिल्म को सामने रखते हैं। खास अर्थों में यह भी पुस्तक की परिभाषा में एक नया आयाम तो जोड़ती है, लेकिन महँगाई और जटिल तकनीक के कारण इसकी पहुँच सीमित है, जबकि इंटरनेट का फैलाव विश्वव्यापी है।

इंटरनेट की उपयोगिता को सबसे पहले विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं ने ही समझा। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, नई दुनिया, इंडिया टुडे, आउटलुक जैसी पत्रिकों ने अपने इंटरनेट संस्करण निकालने आरंभ किए, इससे निश्चित ही इन पत्र–पत्रिकाओं की पाठक संख्या बढ़ी है।

इंटरनेट पर पूरी किताब उपलब्ध करवाना बाइट का खेल है (बाइट : कंप्यूटर में डेटा सुरक्षित रखने की आधारभूत इकाई है, जिसमें एक बाइट आठ बिट के बराबर होती है)। अधिकांश समाचार–परक लेखों की शब्द संख्या 1,000 शब्दों से कम होती हैं, पत्रिकाओं में छपने वाले लेखों की 5,000 शब्दों से कम, पुस्तकें इंटरनेट पर उपलब्ध करवाने में औसतन 80,000 शब्द लगेंगे, यद्यपि यह संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतीत होती है, लेकिन पूर्णत: व्यवहार्य है। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो बिना चित्रों की 80,000 शब्दों वाली किताब में मात्र 0.5 मेगाबाइट खर्च होंगे।

पुस्तकों के पाठकों की संख्या में आई गिरावट के इस दौर में इंटरनेट हमें एक नया पाठक वर्ग पैदा करने का अवसर देता है। तकनीकी विकास के साथ किताब का स्वरूप भी बदला है। हम जिस रूप में किताब को आज पाते हैं वह पहले से ऐसी नहीं थी। लेकिन तब से लेकर अब तक उसके होने पर कोई विवाद नहीं रहा। हाँ, तकनीकी का विरोध औद्योगिक क्रांति के समय से ही कमोबेश होता रहा है। किताब का जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है, उसमें किताब की अपनी स्वायतता होती है और पाठक की स्वायतता के खिलाफ इसकी दखलंदाजी बहुत सीमित होती है। मगर ऐसा इंटरनेट उपयोगकर्ता के साथ भी है। वह जब चाहे तब कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर सकता है।

वैज्ञानिक खोजें किसी एक बिंदु पर आकर नहीं रुकती, टेलीप्रिंटर के आने से संप्रेषण माध्यम में एक नया आयाम जुड़ा और बाद में यह रेडियों के विकास की कड़ी बना। हालाँकि अपने स्वतंत्र रूप में टेलीप्रिंटर आज भी बना हुआ है। इतिहास बताता है कि मशीन पर किताब छपने से क्लासिक की परिभाषा और किताब का स्वरूप, दोनों ही बदले हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले साहित्य को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर इंटरनेट–साहित्य किताब की परिभाषा में कुछ नया ही जोड़ता है। जब तक इंटरनेट सेवा मुफ्त न हो जाए, हिंदी पाठकों तक इसका पर्याप्त विस्तार हो सकेगा, इसमें शक है। अप्रवासी भारतीयों और भारत में ही निवास करने वाले लोगों की निजी वेबसाइटों से हिंदी प्रेम तो झलकता है, लेकिन स्तरीयता की कमी रहती है। लेकिन कुछ बेहतर प्रयास भी दिखते हैं। लोग निजी स्तर पर वेबसाइट बनाकर अपने पसंदीदा रचनाकार/रचनाकारों की रचनाएँ उपलब्ध कराते हैं। हिंदी को इंटरनेट पर अभी बहुत लम्बा सफर तय करना है। साहित्यिक पत्रिकाओं और किताबों को हिंदी में इंटरनेट पर उपलब्ध करने को लेकर बहुत बुद्धिजीवी से सवाल खड़े करते रहे हैं। उनसे यही कहा जा सकता है कि आज हम जिस रूप में किताब को जानते हैं वह हमेशा से ऐसी नहीं थी।

भूमंडलीकरण के औजार, बाजार और मीडिया ने न सिर्फ हिंदी को, बल्कि अपनी देहरी तक सीमित अन्य भाषाओं को भी विस्तार दिया है। प्रौद्योगिकी ने इसे आसान बनाया है। एक बार फिर भाषा निर्णायक रूप से बदल रही है। मीडिया में हिंदी के बढ़ावे को देखकर जो लोग खुश हो रहे हैं, उन्होंने स्थिति पर गहराई से विचार ही नहीं किया है। हिंदी में, आज आप कोई भी स्थायी या अस्थायी महत्व की वैश्विक जानकारी इंटरनेट पर जुटा सकेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इंटरनेट पर ऐसी वेबसाइटें बहुतायत में हैं जो हिंदी के ई–पाठक के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। जरूरत है बस, इन वेबसाइटों के बारे में जानकारी की। (**साभार, प्रयास**)

वरिष्ठ प्रबंधक–सुरक्षा,
पंजाब नैशनल बैंक,
मंडल कार्यालय, बेंगलुरू

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

राष्ट्रीय एकता और हिंदी

–डॉ॰ रामगोपाल शर्मा 'दिनेश'

भाषा मानव-समाज के संगठन की अंत:शक्ति होती है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए यह शक्ति आधार का काम करती है। भारत की जनवाणी हिंदी समन्वय, एकता और अखंडता की भाषा है। वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपभ्रंश, अरबी, फारसी आदि कई भाषाओं के साथ मिलकर इस भाषा ने विकास किया है। आधुनिक युग में भी सभी भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी के साथ इसने समन्वय किया है और उनकी शब्दावली तथा अन्य विशेषताओं को अपनाया है।

हिंदी भाषा की यह समन्वय-प्रवृत्ति उसके साहित्य में भी पाई जाती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि साहित्य की उदारता ने भी भाषा को भी उदार बनाया है। इस प्रकार हिंदी भाषा और उसका साहित्य दोनों ही राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गए हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के साहित्यों की परंपरा में विकसित होकर हिन्दी साहित्य लगभग 12 वर्षों की दीर्घयात्रा में निरंतर राष्ट्रीय एकता का वाहक बना हुआ विकसित हो रहा है। आरंभ से अब तक यह साहित्य किसी एक धर्म या रूढ़ संस्कृति का समर्थक न होकर व्यापक भारतीय संस्कृति का संवाहक बना हुआ है। यही कारण है कि इसके विकास में किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय के रचनाकारों का ही योगदान नहीं रहा, बल्कि सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों के रचनाकारों ने इसके विकास में योगदान दिया है।

हिंदी साहित्य का आरंभ करने वाले सिद्ध और नाथपंथी समस्त भारत में घूम-घूमकर आठवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक राष्ट्रीय एकता का प्रचार करते रहे। उन्होंने एक ऐसी भाषा तैयार की, जिसमें भारत की सभी भाषाओं के बहुप्रचलित शब्दों के प्रवेश का द्वार खुला था। इन्हीं सिद्धों और नाथपंथियों के प्रयास से उस भाषा का विकास हुआ, जिसे आज हिंदी कहा जाता है। आगे चलकर इस भाषा को लौकिक भावों की अभिव्यक्ति के लिए 'रासोकारों' और 'अमीर खुसरो' ने सशक्त माध्यम बनाया। यह हिन्दी साहित्य का आदिकाल था, लेकिन उस समय भी 'अमीर खुसरो' मुसलमानी दरबार में बैठकर राष्ट्रीय एकता की कविताएं लिख रहे थे। आपस की फूट के परिणामों को बताते हुए वे ककड़ी की जाति के फल 'फूट' का उदाहरण देते हैं–

''घर में होवै, घर खा जाय।
खेत में होवै, सब कोई खाय।।''

यहां घर से उनका परिवार और राष्ट्र दोनों की ओर संकेत था।

हिन्दू और मुसलमान दोनों ही संप्रदायों के कवियों ने हिन्दी में काव्य-रचना की तथा परस्पर भाईचारे की भावना फैलाने और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एकता में योगदान देने वाले विषय चुने। कबीर ने हिन्दुओं और मुसलमानों को एक साथ बिठाकर ज्ञान एवं प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने दोनों के अंधविश्वासों का विरोध किया। वे जीवन-भर सबकी मंगल कामना करते रहे–

''कबिरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर।
ना काहू सों दोस्ती, ना काहू सों बैर।।''

प्रेममार्गी शाखा के अनेक मुसलमान कवियों ने हिन्दुओं की कथाएं लेकर हिंदी में काव्य लिखे और उनमें राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता का स्वर गुंजरित किया। मलिक मुहम्मद जायसी, आलम, उसमान, मुल्ला दाऊद आदि ऐसे कवि हैं, जिन्होंने जीवन-भर अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र की अखंडता और जातीय अभेद का गायन हिन्दी भाषा में किया। वे भारतीय समाज में उतने ही पूज्य और श्रद्धास्पद बने रहे, जितने उस समय सूर या तुलसी थे। आलम 'माध वानलकामकंदला' लिखते हैं, तो उनका लक्ष्य 'प्रीति' बढ़ाना और सब लोगों के हृदय में सुख सरसाना ही होता है–

''बाढ़ै प्रीति हिए सुख होई।
प्रीतिवन्त ह्वै सुनै जो कोई।।''

इन कवियों की दृष्टि भारत की नदियों, पर्वतों, जंगलों, पशु-पक्षियों आदि पर केन्द्रित रहती है तथा उन्हीं का वे अपनी रचनाओं में विभिन्न रूपों में वर्णन करते हैं। अलंकारों तक में वे भारतीय जीवन और प्रकृति के उपमान प्रस्तुत करते हैं।

जिस प्रकार सिद्धों, नाथों और कबीर-पंथियों ने समस्त देश की एकता और अखंडता के लिए जाति-पांति, सांप्रदायिक भेदभाव आदि का विरोध किया था, उसी प्रकार विरोध का रास्ता ये प्रेममार्गी कवि नहीं अपनाते, बल्कि प्रेम और सद्भाव का सहारा लेकर देश की एकता का प्रचार करते हैं।

सगुण भक्ति का गायन करने वाले कवियों ने दक्षिण भारत से आए दर्शनाचार्यों को अपना गुरु बनाया और उनके सिद्धांतों के आधार पर वे राष्ट्रीय एकता का स्वर हिन्दी भाषा में बुलन्द करते रहे। सूरदास के गुरु वल्लाभाचार्य आंध्र के निवासी थे। उन्होंने तीन बार समस्त भारत का भ्रमण किया और हिन्दी के माध्यम से सामान्य जन को राधा-कृष्ण के प्रेम का संदेश देने की प्रेरणा हिंदी कवियों को दी। इस प्रेरणा में एक ऐसे राष्ट्र का स्वप्न था, जिसमें प्रदेश, जाति, धर्म,

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

संप्रदाय आदि की कोई खाई नहीं थी। उन्होंने सूर की गोपियों तक को सभी प्रकार से मुक्त और जातीय भेदभाव से रहित बना दिया।

तुलसीदास ने रामकथा पर कई काव्य लिखकर और विशेषत: 'रामचरितमानस' की रचना करके समस्त भारत का एक विशाल चित्र अंकित किया।

इस्लाम शासन के आरम्भ के समय ही देश में अंग्रेज आते जा रहे थे। धीरे-धीरे भारत उनके साम्राज्य का अंग ही बन गया। पराधीनता की इन नई बेड़ियों को तोड़ने के लिए हिन्दी साहित्य में जो स्वर गूंजे वे आज भी अमर हैं।

भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग की नींव डालने वाले पहले कवि थे, जिन्होंने देश की दुर्दशा की ओर जनता और देशी शासकों का ध्यान आकर्षित किया तथा धीरे-धीरे हिन्दी साहित्य को राष्ट्रीय जागरण का महत्त्वपूर्ण माध्यम बना दिया। भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने भारत की दुर्दशा का चित्रण करते हुए आह्वान किया–

''हा! हा! भारत-दुर्दशा न देखी जाई।
रोवहु सब मिलिकै भारत भाई।।''

प्रतापनारायण मिश्र भारतेंदु युग के एक श्रेष्ठ कवि और लेखक थे। वे भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि–

''निसि बासर चिंत-चिता जरिए, सब ही विधि दीन मलीन महा।
अब दीन दयाल दया करिए, हम आरत भारत-वासिन पै।।''

बालमुकुंद गुप्त ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए स्वावलंबी होने का स्वर हिन्दी भाषा में ऊंचा किया और इस झंडे के नीचे समस्त राष्ट्र को खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी से पहले वे 'स्वदेशी आंदोलन' की यह बात कह चुके थे–

''अपना कपड़ा आप बनावैं, अपना बोया आप ही खावैं।
अपना चरखा आप चलावैं, माल विदेशी दूर भगावैं।।''

इस प्रकार हम देखते हैं कि आगे चलकर राजनीति में राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए स्वदेशी का जो आंदोलन चला उसकी नींव बहुत पहले हिन्दी का साहित्य डाल चुका था। यही वह नींव थी, जिस पर महात्मा गांधी ने समस्त राष्ट्र को एक होने का संदेश दिया और जिसमें वे सफल हुए। गुप्त जी विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय जागरण के लिए स्वर-साधना कर रहे थे। उन्होंने समस्त जनता का दुख-दर्द बताते हुए अंग्रेजों की राजनीति की इन शब्दों में आलोचना की–

''बाबा उनसे कहने दो जो सीमा की रक्षा करते हैं।
लोहे की सीमा कर लेने की चिंता में क्यों मरते हैं?
प्रजा तुम्हारी दीन-दुखी है, रक्षा किसकी करते हो?
उनसे क्या कुछ भी होना है, नाहक पच-पच मरते हो।''

अंग्रेजों के विरुद्ध समस्त राष्ट्र को उठ खड़े होने की प्रेरणा हिन्दी के ऐसे ही कवियों ने दी। आज़ादी का बिगुल बजाने वाले अनेक हिंदी कवि सामने आए। इनमें सभी धर्मों और जातियों के लोग थे। सभी कवि और लेखक समस्त राष्ट्र को अपना घर मानकर जनता में जागरण का मंत्र फूंकते रहे। सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त आदि कवियों ने भारत को एक शक्ति, जन्मदात्री और पोषण करने वाली माता के रूप में चित्रित किया तथा हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई-सबको उसका पुत्र बतलाया। हिमालय से हिन्द महासागर तक का प्राकृतिक वैभव उनकी रचनाओं का शृंगार बन गया। भारत की उन सभी समस्याओं की ओर सभी साहित्यकारों ने ध्यान दिया और एक ऐसा वातावरण बनाया, जिससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

स्वतंत्रता के पश्चात् भी हिन्दी के साहित्य का प्रधान लक्ष्य राष्ट्रीय एकता रहा है। सभी रचनाकार देश की अखंडता के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करते रहे हैं। अत: हिंदी का साहित्य किसी वर्ग या क्षेत्र का साहित्य न होकर समस्त राष्ट्र का साहित्य है। इसमें अभेद और एकता के स्वर गूंज रहे हैं। इन्हीं स्वरों के कारण हिन्दी भी समस्त राष्ट्र की वाणी बनी। वह समता और अखंड़ता की भाषा के रूप में निरंतर विकसित होती रही और आज भी हो रही है।

डी-301, कृभको टाउनशिप,
प्लाट नं. 122, से. 35,
नोएडा (उ.प्र.)

किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा का लिखना (लिपि), पढ़ना और वार्तालाप जरूरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो कि सरल और वैज्ञानिक लिपि है, इसकी वर्णमाला में इतने स्वर और व्यंजन हैं जिनको मुंह से निकाली सभी ध्वनियों को लिखा जा सकता है, इसके अलावा देवनागरी लिपि बहुत ही आसान है जिसे मामूली अभ्यास से कुछ दिनों में ही सीखा जा सकता है।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

आधुनिक संचार माध्यम और नागरी लिपि

–आशीष जायसवाल

आज विज्ञान के इस युग में कम्प्यूटर के आगमन से विश्व में नया क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में कम्प्यूटर का पर्याप्त प्रयोग प्रगतिशील राष्ट्रों द्वारा किया जा रहा है। भाषा के क्षेत्र में भी कम्प्यूटर का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। कम्प्यूटर पर किये गये वर्तमान संशोधन से यह साबित हुआ है कि संस्कृत और हिन्दी भाषा जो नागरी भाषा में लिखी जाती है, वह कम्प्यूटर प्रणाली पर पूर्णत: वैज्ञानिक और समुचित है।

देवनागरी लिपि को कम्प्यूटर पर स्थापित करने के लिए वर्ष 1965 से ही प्रयास शुरू हो गये थे। वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद 1971–72 में एक बहुत सरल कुंजीपटल और उसकी प्रणाली तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई। सभी भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त हो सकने वाला पहला ''प्रोटो टाईप टर्मिनल'' वर्ष 1978 में तैयार किया गया। इस टर्मिनल पर शोध प्रबंध ''कम्प्यूटर पर आधारित सूचना प्रणालियों के भाषाई प्रभाव'' का पठन इलैक्ट्रॉनिक आयोग द्वारा संगोष्ठी में किया गया। कम्प्यूटर पर नागरी लिपि में कार्य सुचारू रूप से लागू करने के लिए सरकारी तथा निजी कंपनियां कार्यरत हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के परिप्रेक्ष्य में, यह भी जरूरी हो जाता है कि राजभाषा हिन्दी इस दिन–प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों के साथ कदम–से–कदम मिलाकर चले। कुछ लोगों का कहना है कि देवनागरी लिपि टंकण की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं, अत: इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन टंकण के लिए लिपि में सुधार करने के बजाय टंकण मशीनों में सुधार करने की आवश्यकता पर बल देने की जरूरत है। जब चीनी तथा जापानी लिपियों के लिए 300 संकेतों वाली टंकण मशीनें बनाई जा चुकी हैं तब देवनागरी लिपियां ऐसी टंकण मशीन क्यों नहीं बन सकती, जिसमें और अधिक वर्णों का प्रावधान हो।

राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर यह निर्देश जारी किए गए हैं कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में जो यांत्रिक उपकरण उपलब्ध हैं उनमें रोमन के साथ–साथ देवनागरी लिपि की सुविधा भी आवश्य प्राप्त होनी चाहिए। परिणामत: विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में उपलब्ध अधिकांश यांत्रिक उपकरणों में रोमन के साथ–साथ देवनागरी लिपि की सुविधा भी उपलब्ध है।

नागरी लिपि का प्रयोग आज कम्प्यूटर, रेडियो पेजर, इंटरनेट आदि आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा शुरू हो गया है तथा इंटरनेट के विश्वव्यापी प्रसार के कारण नागरी लिपि में मुद्रित साहित्य विश्व के कोने–कोने तक पहुंच रहा है। विनोबा भावे जी ने नागरी लिपि प्रचार के लिए सार्थक आंदोलन चलाया। उनके इस आंदोलन को आधुनिक विश्व में इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा सफल बनाया जा सकता है।

आज हम जबकि इस इलैक्ट्रॉनिक व संचार माध्यमों के अनुपम दौर से गुजर रहे हैं तो हमारे भाषाई प्रांत भाषाई संकीर्णता के कारण एक दूसरे के भावनात्मक संपर्क से दूर–दूर हो रहे हैं। भाषाई संकीर्णता एक प्रकार का पिछड़ापन है। विकास और पिछड़ेपन को जोड़ने वाली कड़ी है एक सह–भाषा और सह–लिपि और इसमें संदेह नहीं कि भारतीय संस्कृति के आदान–प्रदान में भाषाओं और लिपियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नागरी की उपादेयता पर विद्वानों, समाज सेवकों, राजनेताओं और भाषा–विदों द्वारा अनेक बार विचार किया गया है। सब लोग एकमत हैं, और विनोबा जी द्वारा सुझाए गए मार्ग का देश की स्वतंत्रता और एकता के लिए उदार रूप से अनुकरण करना चाहिए। आधुनिक काल के सभी लिपि विशेषज्ञ एवं भाषा विद्वान इस निर्णय पर पहुंच गये हैं कि देवनागरी लिपि ही हमारी स्वदेशी लिपियों में एकमात्र ऐसी लिपि है, जिसे सारे देश के निवासी कम प्रयत्न से सीख सकते हैं। नागरी के स्वर और व्यंजन प्राय: संपूर्ण हैं और आज भारत की सभी दिशाओं में प्रचलित अन्य लिपियों ने भी नागरी अक्षरों के स्वर व्यंजन क्रम को अपनाया है। संस्कृत भाषा की लिपि होने के कारण नागरी लिपि को व्यवहारिक रूप से अधिक व्यापकता प्राप्त हो गयी है।

रोमन लिपि के बढ़ते प्रयोग के पक्ष में प्राय: एक तर्क यह दिया जाता है कि उसमें अक्षर संख्या कम है तथा शब्द सरलता और शीघ्रता से लिखे जाते हैं देवनागरी लिपि अक्षरों या ध्वनियों की संख्या अधिक है किन्तु ध्यान देने की बात यह है कि सभी अक्षर एक ही रूपमाला में लिखे जाते हैं जबकि रोमन लिपि से अक्षर कम अवश्य हैं किन्तु वे चार प्रकार के हैं। छपाई के बड़े व छोटे अक्षर तथा लिखने के बड़े व छोटे अक्षर, जिससे कुल अक्षर रूप देवनागरी के अक्षरों से अधिक ही बैठते हैं। अत: रोमन लिपि की वर्णमाला देवनागरी की वर्णमाला की तुलना में अधिक कष्ट साध्य है। देवनागरी की वर्णमाला उच्चारण के वैज्ञानिक आधार पर चलती है और उसमें मात्राओं का भी ध्वनि क्रम

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

नियमापेक्षी होता है, जब कि रोमन लिपि की वर्णमाला के उच्चारण की वैज्ञानिकता एवं मात्रादि के क्रमादि का कोई विशेष नियम नहीं है। अत: जहां देवनागरी पढ़ने-लिखने में अत्यंत सरल लिपि है, वहीं रोमन ऐसी लिपि है जिसे सही उच्चारित नहीं किया जा सकता। आचार्य विनोबा भावे जी ने भी एक बार कहा था कि ''मैंने भारत की बहुत-सी भाषाएं सीखी हैं। अंग्रेजी भी जानता हूं परन्तु केवल अंग्रेजी भाषा सीखने में जितना श्रम करना पड़ता है उतने श्रम में भारत की सब भाषाएं सीखी जा सकती हैं, ऐसा मेरा अनुभव है।''

रोमन लिपि में ह्रस्व और दीर्घ स्वर का भेद नहीं होता जिसके कारण उच्चारण में शुद्धता की कठिनाई होती है जैसे — तल (तला) = तल, तला, ताल, ताला आदि का भ्रम होता है। प्रतिदिन के कामों में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे देवनागरी लिपि की उपयोगिता रोमन लिपि की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक स्वयंसिद्ध होती है। रोमन लिपि में ड़ व ड के लिए ''डी'' अक्षर ही प्रयोग होता है जैसे दिल्ली से लगभग 35 किमी॰ दूर एक गांव का नाम ''बड़खालसा'' रोमन लिपि में ''बैडखालसा'' ही पढ़ा जाएगा। रोमन लिपि में लिखा ''काला मंदिर'' का कोई ''कला मंदिर'' पढ़े तो यह कोई विचित्र बात न होगी।

देवनागरी लिपि में भी भारत की भाषाएं लिखी जाने लगें तो उत्तर में रहने वाला दक्षिण में जाने पर देवनागरी के ज्ञान के कारण कम-से-कम नाम आदि तो पढ़ सकेगा। सड़कों, स्टेशनों, बसों और ऐसे ही आम स्थानों के नाम किसी भी भाषा के हों, अगर उन्हें देवनागरी में भी लिखा जाने लगे तो किसी भी भारतीय को कोई कठिनाई नहीं होगी। नागरी लिपि केवल हिन्दी की ही लिपि नहीं अपितु अन्य भारतीय भाषाओं में से कुछ भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नागरी लिपि को भारतीय भाषाओं के समन्वय के काम में लाने का उपदेश कई नेताओं ने दिया जिनमें से कई तो अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के भी हैं।

आज भारत ही नहीं विदेशी विद्वानों ने भी इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। आधुनिक युग में आशुलिपि के आविष्कारक आइज़क पिटमैन ने देवनागरी के संबंध में कहा है कि - ''संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एक मात्र देवनागरी लिपि है।''

आचार्य विनोबा भावे ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ''देवनागरी को सारे भारत में चलाने का पहला उद्देश्य है कि इससे दक्षिण भारत के सभी प्रदेश एक हों, दूसरा उद्देश्य सारा उत्तरी भारत एक हो, तीसरा दक्षिण और उत्तर भारत एक हो, चौथा भारत और एशिया एक हो जाएं और पांचवा भारत और विश्व एक हो जाएं और विश्व नागरी और विश्व रोमन दोनों चलें।''

आचार्य विनोबा भावे जी की इच्छा थी कि देवनागरी लिपि की ध्वन्यानुसारी लेखन की विशेषता को देखते हुए उसे विश्वनागरी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और भारत इस दिशा में पहल कर सकता है। नेपाल में भी देवनागरी राजलिपि के रूप में पहले ही मान्य है। इसके अतिरिक्त जिन-देशों में अप्रवासी भारतीय और भारत मूल के लोग रह रहे हैं उनमें भी देवनागरी लिपि हिन्दी के साथ-साथ प्रचलन में हैं। विश्व में चीनी भाषा के बाद हिन्दी भाषियों का दूसरा स्थान है और हिन्दी भाषा-भाषी लोगों की संख्या विश्व में काफी अधिक हैं इससे विश्व लिपि के रूप में देवनागरी के प्रयोग की संभावनाएं उभर कर सामने आती हैं। आवश्यकता इसके प्रयोग और चलन को बढ़ाने और प्रश्रय देने की है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कथनी और करनी का भेद किये बिना पूरी ईमानदारी, श्रद्धा और इच्छापूर्वक देवनागरी लिपि को अपनाएं और अपनी राष्ट्रभाषा भी बिना किसी भेदभाव के सीखने की कोशिश करें। विशेषकर अहिन्दी भाषी अपनी क्षेत्रीय भाषा को देवनागरी में भी लिखें तथा हिन्दी को अंग्रेजी भाषा से अधिक महत्व दें। हिन्दी भारत वर्ष की राष्ट्रभाषा है। संकुचित प्रांतीयता और स्थानीय भाषाओं की भक्ति के कारण इसमें अवरोध उपस्थित नहीं किया जाना चाहिए। दक्षिण और अन्य अहिन्दी भाषी राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ अंग्रेजी को तो अपना सकते हैं लेकिन हिन्दी को नहीं क्योंकि उन्हें हिन्दी सीखने में भी परिश्रम करना पड़ता है और अंग्रेजी सीखने में भी। अंग्रेजी सीखने पर उनके लिए रोजगार के अवसर अधिक खुल जाते हैं इसलिए वे अंग्रेजी को अधिक महत्व देंगे ही। यदि सरकार द्वारा सभी नौकरियों में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए तो लोगों का अंग्रेजी के प्रति मोह कम हो सकता है विकल्प के तौर पर हिन्दी जानने वालों के लिए तो कम से कम अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए।

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में देखें जहां प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही है। परन्तु उच्च शिक्षा तथा शोध के स्तर पर अभी देवनागरी हिन्दी का प्रयोग अपेक्षित है। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा तथा शोध के क्षेत्र में रोमन लिपिबद्ध अंग्रेजी में प्रयोग होता है। चिकित्सा, अभियांत्रिकी विधि न्याय, प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष विज्ञान आदि क्षेत्रों में अभी देवनागरी का प्रयोग न के बराबर हो रहा है। जब हिन्दी इन सभी प्रयोजनों को पूरा करने में सक्षम है, तो इन क्षेत्रों में देवनागरी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

प्राचीन काल से ही समस्त भारत को जोड़ने वाली लिपि देवनागरी लिपि रही है। प्राचीन संस्कृत की लिपि होने के नाते देवनागरी इस देश की विशाल सांस्कृतिक परंपरा को स्वीकार करती दिखाई पड़ती है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं ने भी देवनागरी को अपनाया था और अनेक साहित्यिक रचनाओं को लिपिबद्ध कर दिया था। भारत की सब से प्राचीन भाषा संस्कृत से लेकर हिन्दी, मराठी, कोंकणी, डोगरी, नेपाली तथा सिक्किम भाषाएं भी आज देवनागरी में लिखी जाती हैं। बंगला, गुजराती, उड़िया, असमी आदि भाषाओं ने थोड़े समय से परिवर्तन के साथ नागरी को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार भारत की सर्वप्रमुख भाषा लिपि के रूप में देवनागरी का स्थान सर्वोपरि है।

हमारे लेखकों, कवियों और विद्वानों ने भी देवनागरी लिपि के लिए उसकी सफलता एवं प्रयोग में बढ़ाने हेतु काफी प्रयास किए हैं तथा अनेकों भारतीय विभूतियों ने भी समय-समय पर इसके विकास में अपूर्व सहयोग दिया हैं। श्री मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है कि:—

है एक लिपि विस्तार होना योग्य हिन्दुस्तान में,
अब आ गई है यह सभी विद्वजनों के ध्यान में।

है किन्तु इसके योग्य उत्तम कौन लिपि गुण आगरी?
इस प्रश्न का उत्तर यथोचित है उजागर ''नागरी''।

जैसा लिखो वैसा पढ़ो कुछ भूल हो सकती नहीं।
है अर्थ का न अनर्थ इसमें एक बार हुआ कहीं।

इस भांति होकर शुद्ध एक अति सरल और सुबोध है।
क्या उचित फिर इसका कभी अवरोध और विरोध है?

नागरी लिपि जितनी प्राचीन भाषाओं के लिए प्रासंगिक थी, उतनी भारतीय भाषाओं के लिए प्रासंगिक है, यह तथ्य निर्विवाद है। सभी राज्यों में इसके समुचित उपयोग और विकास के लिए पहल जरूरी है। सभी भारतवासी अंग्रेजी-लिपि का अनावश्यक मोह छोड़ कर रोजमर्रा के कार्य और व्यवहार में अपनी-अपनी प्रान्तीय लिपि के साथ-साथ देवनागरी लिपि के प्रयोग करने की आदत अभी से डालनी शुरू कर दें तो यह भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बनेगा और इससे सभी भारतवासियों को लाभ पहुंचेगा।

भारत की प्राय: सभी लिपियों ने भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखा, किन्तु अंग्रेजी और रोमन लिपि आने के कारण भाषाई दृष्टि से इसमें कुछ कमियां आ गई हैं। जिन शब्दों का उच्चारण हमारे प्राचीन वाडमय में एक जैसा मिलता है, वह अंग्रेजी और रोमन लिपि के कारण विकृत हो गया है। उच्चारण में इस दोष का कारण रोमन लिपि ही है क्योंकि इस विदेशी लिपि में भारतीय भाषाओं के शब्दों को ठीक ढंग से उच्चारित करने की क्षमता नहीं है। आज देश के विभिन्न नगरों, कस्बों और गांवों के नामों के साथ-साथ राज्यों तक के नाम गलत ढंग से लिखे और पढ़े जा रहे हैं। अत: हमें रोमन लिपि के प्रयोग को नकारना होगा। ऐतिहासिक परंपरा और भावात्मक स्तर पर रोमन लिपि का प्रयोग ठीक नहीं, इसलिए राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के लिए देवनागरी का प्रयोग बढ़ाना चाहिए।

मानवीय दृष्टि से यदि लिपिगत भेद की दीवार को विश्व के भेदकारक तत्वों में से हटा दिया जाये तो भाषाई समन्वय की साधना संभव है। इस दिशा में नागरी की बहुआयामी भूमिका निश्चय ही अद्वितीय सिद्ध हो सकती है। भाषा, मानव के समन्वय का सशक्त माध्यम है तो उसकी लिपि (लिखित रूप) देश-काल के बंधन को तोड़ने की दृष्टि से और अधिक समन्वयकारी सिद्ध हो सकती है। अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक धरोहर, वैज्ञानिकता और सरलता के कारण देवनागरी लिपि द्वारा यह कार्य सहज ही संभव है।

आज हमारे देश में नागरी लिपि में हिन्दी ही नहीं अपितु अन्य प्रादेशिक भाषा का मौलिक साहित्य काफी मात्रा में पढ़ने के लिए उपलब्ध है। इसका प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। इसे और भी अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। यह सर्वविदित है कि देवनागरी लिपि सभी भारतीय भाषाओं के बीच संपर्क लिपि के रूप में भाषाओं को निकट लाने की क्षमता रखती है। इस लिपि का अधिक से अधिक प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार करना राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा।

डी 1-ए/115, डी॰ ब्लाक,
जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

हिंदी अनुवाद की दशा और दिशा

–डॉ॰ वासुदेव ''शेष''

अनुवाद अंग्रेजी भाषा के Translation शब्द का हिन्दी— पर्याय है। मूलत: Translation शब्द लैटिन शब्द से इस प्रकार बना है Trans (पार) Lation (ले जाना) अर्थात एक पार से दूसरी पार ले जाना, इस अर्थ में Translation शब्द का प्रयोग होता था। भारतीय साहित्य में अनुवाद ''पुनर्कथन'' आदि के लिए प्रयुक्त होता रहा है।

कुछ लोगों की दृष्टि में अनुवाद का कोई महत्व नहीं है। जे. लेविस का तो यहां तक मानना है। "There is no such thing as translation"; ग्रांट शोबरमॅन यहां तक कहते हैं "Translation is sin", और इटली भाषा में एक कहावत चलती है, जिसका अभिप्राय है — "Translations are traitors", लेकिन इसके बाद भी अनुवाद का महत्व कम नहीं हो जाता है। टी॰एच॰ शैवारे का मत है कि अनुवाद मूल लेखन जितना ही प्राचीन है। गेटे, भारतेंदु, बच्चन जैसे महान लेखक अनुवादक भी रहे है।

अनुवाद की अवधारणा, इसके उद्‌गम अर्थ एवं स्वरूप-विश्लेषण की बारीक शल्य-क्रिया यदि न भी की जाए तो इतना विश्वासपूर्वक अवश्य कहा जा सकता है कि अपने अविकसित रूप में, इस दृष्टि और मानव रचना के साथ ही अनुवाद का श्रीगणेश हो चुका था। भले ही दो व्यक्तियों के पारस्परिक वैचारिक आदान-प्रदान में अनुवाद ने संकेतों, ध्वनियों और प्राकृतिक रंगों के रूप में अपनी भूमिक निभाई हो। मानव सभ्यता के विकास, चीन में कागज और स्याही के आविष्कार तथा वेस्टमिनिसट्‌र में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस के स्थापित होने से अनुवाद अपनी सही प्रक्रिया में आने लग गया था। ताज्जुब नहीं कि लिखित भाषा से पहले मौखिक अनुवाद की परंपरा रही है और आजकल के दुभाषियों की तरह प्राचीन काल में भी द्विभाषिक अभिव्यक्ति के मध्यस्थ हुआ करते थे, जिसकी पुष्टि पॉल, एंजिल, बाईक्लिफ और जॉन स्मिथ ने अनुवाद संबंधी अपनी टिप्पणियों में स्पष्ट रूप से की है।

कुछ भी हो, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अनुवाद का अभिप्राय इत्र से भरी शीशी को दूसरी खाली शीशी में इस संतुलन एवं कलात्मकता से उड़ेलना है कि सुंगंधित द्रव्य की एक बूंद भी नीचे न गिरे। अनुवादक भी मूल भाषा के भावों एवं विचारों रूपी यात्रियों का अपनी लक्ष्य भाषा रूपी नाव में समाहित कर दूसरे किनारे सही-सलामत पहुंचा दें।

कुछ विद्वानों का मत है कि अनुवाद प्रक्रिया के रुकने का अर्थ होगा ज्ञान-विज्ञान के रथ के पहियों का रुक जाना इसमें मतैक्य है कि अनुवाद अनुभवी, प्रतिभासम्पन्न और विलक्षण व्यक्ति का कार्य है। एक सामर्थ्यवान अनुवादक अपनी दक्षता, योग्यता एवं कुशलता से दो भाषाओं की दूरी तय करता है। कभी-कभी तो अनुवाद मूल से ज्यादा प्रभावोत्पादक और कलात्मक हो जाता है। सफल अनुवादक वही होता है जो अपनी दृष्टि भावों पर रखता है। उसे लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा के मध्य सर्कस में रस्सी पर चलने वाले खिलाड़ी की तरह संतुलन बनाए रखना पड़ता है। कहा जा चुका है कि अनुवाद गहरी समझ, निर्मल विवेक, सहनशीलता और श्रमशीलता का कार्य है कोई कार्बनकॉपी अभ्यास नहीं है। विषम भौगोलिक विशिष्टताएं एवं परिस्थिति विज्ञान परिवर्तन की पराकाष्ठा का भी अनुवाद में समानार्थी शब्दों के चयन में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अनुवाद के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखने योग्य यह है कि भाषा समाज सापेक्ष है और समाज के विकास के साथ-साथ भाषा का भी विकास होता है तथा शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं। इसका प्रभाव एवं परिणाम अनिवार्यत: वाक्य रचना पर भी पड़ता है। यहां भी शब्द जन्म लेते हैं। जवान होते हैं, वृद्धावस्था में पहुंचते हैं और प्रयोग मंच से अदृश्य भी हो जाते हैं। एक भाषा में अभिव्यक्त विचार को दूसरी भाषा में हू-ब-हू अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। हिंदी में ''क्या बज रहा है? का अनुवाद "What is ringing? नहीं हो सकता। इसे अंग्रेजी में "What is time? ही कहा जाएगा। इसी प्रकार भारतीय ''गुलाब जामुन'' में न तो गुलाब है और न ही जामुन। इसी प्रकार ''दालचीनी'' में भी न दाल है न चीनी ही।

इन उदाहरणों को देने का प्रयोजन यह है कि अनुवादक को किसी देश के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, वेशभूषा, खानपान, वृक्ष, फल, धर्म-दर्शन, यज्ञ, तपस्या, आश्रम, जप-पूजा-पाठ, भक्ति, श्रद्धा, श्राद्ध, मुहावरे, ध्वनि, छंद, लय, बिंब, प्रतीक, अलंकार आदि के संदर्भ प्रयोगों के प्रति बहुत सचेत रहना पड़ेगा।

अनुवाद का कार्य जितना सरल समझा जाता है उतना सरल नहीं है। स्थूल अर्थों के वाचक शब्दों को लेकर कठिनाई है तो सूक्ष्म और अपर्त वाचक शब्दों के अर्थ को लेकर अलग समस्याएं हैं। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी के समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार "While travelling by train, a women gave birth to a still

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

child" को उत्तर प्रदेश के हिंदी अखबार ने कुछ इस तरह छापा था ''रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक महिला ने शांत बच्चे को जन्म दिया''। जबकि ''still child'' का आशय ''मृतक बच्चे '' से था यदि अनुवादक ने संदर्भ विवेक से काम नहीं लिया तो ''The Tenth Master'' का दसवां अध्यापक, ''Freeship to students'' विद्यार्थियों को मुफ्त जहाज'', ''Dream in marble'', संगमरमर का स्वप्न'' अनुवाद स्टीक अर्थ संदर्भ से दूर चला जाएगा। एक अनुभवी एवं विवेकमान अनुवादक इन शब्दों का अनुवाद क्रमश: ''दशम गुरु गोबिंद सिंह'', विद्यार्थियों को नि:शुल्कता, ताजमहल ही करेगा।

अत: कहा जा सकता है कि अनुवाद में कठिनाई भाषा की नहीं, उसके प्रेरक तत्वों को लेकर होती है, जो अधिक महत्वपूर्ण और अरूपान्तरणीय है। प्रेमचंद, प्रसाद, निराला और पंत ने एक ही शैली में नहीं लिखा और न ही उनके प्रेरक प्रभाव तत्व एक समान थे। यही शैली वैविध्य अमरीकी साहित्यकार थोरो, एमर्सन विटमेन और हैमिंग्वे में भी देखी जा सकती है। इनकी रचनाएं भाव अभिव्यंजना और शैली के स्तर पर भिन्नता लिए हुए है । आईने को बिंब बदलने का अधिकार नहीं है। बिंब जैसा रहता है, प्रतिबिंब भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए । विश्व साहित्य में जो अनुवाद सफल हुए हैं उनमें शब्द, भाव, विचार, शैली और संदर्भ की रक्षा की गई है। अनूदित ग्रंथों के सर्वेक्षणोपरांत अंग्रेजी लेखक हिलेयर वेलाक ने ठीक ही कहा है-''कि अच्छे अनुवादक उतने ही दुर्लभ होत हैं, जितने अच्छे कवि''।

इस सच्चाई से किसी का माथा ठनक सकता है कि अनुवाद में स्थायिता नहीं आ सकती। यदि आज एक अनुवाद अच्छा माना जा रहा है तो संभव है कि कल उससे भी अच्छा अनुवाद प्रकाश में आ जाए। इस संदर्भ में बाइबिल, रामायण, श्रीमदभगवत गीता और शेक्सपियर के कुछेक नाटक (Othollo, Hamlet, King Lear, Macbeth) के अनुवादों की परख-पहचान की जा सकती है। होमर, गेटे, तालस्तॉय, शेक्सपियर, कालीदास, सूर, तुलसी और प्रेमचंद कभी पुराने नहीं होंगे। लेकिन उनकी रचनाओं के अनुवाद संबंधी यही बात नहीं की जा सकती। कारण यह कि अनुवाद का संबंध भाषा, विषय शैली, परिवेश, व्यक्ति, समाज, सदंर्भ आदि अनेक वस्तुओं से है। यह भी सत्य सर्वमान्य तथ्य है कि अनुवाद आज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक एवं कार्यालीय जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। बिल गेट्स तथा अन्य कम्प्यूटर निर्माता कंपनियों ने समय रहते ही अनुवाद की उपयोगिता और आवश्यकता को पहचान लिया है। विभिन्न प्रकार के उपलब्ध द्विभाषिक सॉफ्टवेयर इसी तथ्य के साक्षी हैं। इस दिशा में कम्प्यूटर क्रांतिकारी कदम है ही। राष्ट्रसंघ में अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी चीनी, जर्मन आदि भाषाओं में अनवरत अनुवाद कार्य चलता रहता है। गत कुछ वर्षों से वहां स्वचालित अनुवाद को बहुत बढ़ावा मिला है।

भारत में भी अनुवाद के लिए हिंदी को आधार भाषा अथवा संयोजक भाषा रखा जा सकता है, जिसके माध्यम से सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे के संपर्क में आ सकती हैं। मसलन तमिल के किसी ग्रंथ का अनुवाद पहले हिंदी में हो जाए उसे हिंदी से बांग्ला , तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, मराठी, गुजराती में रूपान्तरित करने वालों की संख्या बहुत मिल जाएगी। हिंदी जानने वाले सभी भाषाओं में उपलब्ध है, और यह कोई छोटी बात नहीं है।

सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद

यदि गौर से देखा जाए तो सृजनात्मक साहित्य किसी भी देश के समाज का दर्पण होता है। इस प्रकार के साहित्य के अनुवाद का मूल उद्देश्य उस राष्ट्र विशेष के नागरिकों की अच्छाइयां, रीति-रिवाज, परिवेश, संस्कार आदि से परिचित कराना है। लेकिन इस प्रकार के साहित्य का अनुवाद करते समय अनुवादक को कुछ स्वतंत्रता लेनी पड़ती है। इस संदर्भ में डॉ॰ जार्ज कैम्पबैल ने ठीक ही कहा है कि ''प्रत्येक भाषा में रीति-नीति, प्रेम, वासना, आदेश, स्पंदन तथा सुप्त-असुप्त चेतना आदि से संबंधित बहुत-सी ऐसी शब्दावली होती है जिसका ज्यों-का-त्यों अनुवाद किसी दूसरी भाषा में हो ही नहीं सकता।

उल्लेखनीय है कि किसी देश की लोकोक्तियों और मुहावरों का सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जन जीवन से गहरा संबंध होने के कारण उनके अनुवाद में कठिनाई आती है। सृजनात्मक साहित्य का लेखक अपनी भाषा को अलंकारिक बना देता है। कई शब्दों का चयन इतना सुंदर होता है कि उनका अनुवाद लक्ष्य भाषा में मूल के सौंदर्य और ध्वनात्मकता से दूर हो जाता है। कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र आदि का अनुवाद काव्य और नाटक की तुलना में सरल होता है। ज्ञान-विज्ञान की नई संकल्पनाओं के अनुवाद करने से अनुवादक अपनी भाषा के शब्द भंडार को बढ़ाता है। सी. राबिन इस प्रसंग में लिखते हैं— "Translation as it is well known brings out the hidden possibilities of a language" अर्थात् अनुवादक जैसा कि सर्वविदित है अनुवाद की भाषा की प्रच्छन्न क्षमताओं का उद्घाटन कर देता है।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

कुछ उदहारण:

स्रोत भाषा-(अंग्रेजी)	लक्ष्य भाषा (हिंदी)
Tree of knowledge	ज्ञान वृक्ष
A things of beauty is joy for ever	सौंदर्य वस्तु ही सतत् आनंद है
Life means giving	दान ही जीवन है
Eat, drink and be merry	खाओ, पीओ और मौज करो
Simple living and high thinking	सादा जीवन उच्च विचार
Love and smoke can never be hidden	प्रेम और धुंआ छिपाए नहीं छिपता
Summary of the case is sent herewith	मामले का सारांश साथ भेजा जा रहा है
Now it is high time to take decision in this regard	इस बारे में निर्णय हो ही जाना चाहिए
The manager does not press his amendment	प्रबंधक अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता
The Official Language Committee divided	राजभाषा समिति में मत विभाजन हुआ
I join issue	मेरा मतभेद है
Bull and Bear	तेजी और मंदी
Window dressing	ऊपरी बनावट

***

कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी),
361, अन्ना सलाई,
चैन्नई-600018

भाषा सीखने में आनंद

हम तो हमेशा कहते हैं कि मनुष्य की एक आंख है मातृभाषा और दूसरी है राजभाषा। उसके अलावा और भी एक-दो भाषाएं सीखनी चाहिए। उसका बोझ नहीं होगा, उसमें आनंद आता है। व्याकरण में कुछ समानता भी दीखती है। जैसे ''सुंदर'' का तमिल में होगा (सुदरमान), मलयालम में होगा (सुंदरमाया), कन्नड़ में होगा (सुंदरवाद) और तेलुगु में होगा (सुंदरमैना)। शब्द एक ही, परंतु हर एक भाषा में प्रत्यय अलग-अलग लगा है, कहीं शब्दों में थोड़ा फर्क होता है जैसे मलयालम और तमिल में 'कपास' को (परूत्ती), तेलुगु में (पत्ती)। यह परुत्ती का ही रूप है। कन्नड़ में 'प' का होता है (ह) इस वास्ते कहेंगे (हत्ती)। इस तरह भाषा सीखने से आनंद बढ़ता है।

— विनोबा भावे

SERVER3\E\4346HA\4346HA(1)(1-23).P65

कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का प्रयोग एवं कठिनाइयां

-शुभ्रता मिश्रा

हिन्दी हमारी राजभाषा है, अत: अधिकारिक तौर पर कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचा जाए तो अपनी राजभाषा में कार्यलयीन कार्यों को करना अतिगर्व का विषय है। परन्तु व्यावहारिक तौर पर यह कार्य थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि बोलचाल की हिंदी और दैनिक कार्यालयीन कार्यों में प्रयुक्त हिंदी के मध्य बहुत बड़ा अन्तर है। इस अन्तर के कारण ही हिंदी के कार्यालयीन प्रयोग में अहिंदी भाषी ही नहीं बल्कि हिन्दीभाषी लोगों को भी कठिनाइयाँ आती हैं।

हिंदी के मुख्यत: चार रूप हैं

1. **सामान्य बोलचाल व व्यवहार की हिंदी:** सामान्य बोलचाल व व्यवहार की हिंदी के अन्तर्गत हम अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। हम दैनिक कार्यों के संदर्भ में इसी भाषा का प्रयोग बहुत ही सरलता से करते रहते हैं क्योंकि इस भाषा का ज्ञान हमें बचपन से ही होता रहता है।

2. **साहित्यिक हिंदी:** साहित्यिक हिंदी में हमें साहित्य की विविध विधाओं के अनुरूप भाषा को स्वरूप प्रदान करना पड़ता है। सौन्दर्यानुभूति, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का निर्वहन यह भाषा अपनी शब्द शक्तियों एवं अलंकारपूर्ण और कलात्मक शैली के द्वारा करती रहती है।

3. **प्रयोजनमूलक हिंदी:** प्रयोजनमूलक हिंदी में भाषा का प्रयोजनपूरक उद्देश्य होता है अर्थात् किसी कार्य विशेष का प्रयोजन सिद्धी हेतु भाषा का प्रयोग ही प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है। जब हम हिंदी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में जीविका चलाने हेतु करने लगते हैं, तब हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप ग्रहण कर लेती है।

4. **कार्यालयीन हिंदी:** कार्यालयीन हिंदी का तात्पर्य देश के समस्त राजकीय, सरकारी, अर्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों में व्यवहार में होने वाली हिंदी भाषा से है। कार्यालयीन हिंदी में औपचारिकता की अधिकता होती है और बोलचाल की भाषा से एकदम भिन्न होती है। सूचना, टिप्पणी, मसौदा, पत्र, निविदा आदि में कार्यालयीन हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्यालयीन पत्राचारों में अक्सर ये वाक्य प्रयुक्त होते हैं कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, मामला विचाराधीन है, उचित कार्यवाही की जाए, तत्काल लागू किया जाए आदि अनेक ऐसे वाक्य हैं जो कार्यालयीन हिंदी में प्रचलित रूप से दिखाई देते हैं परन्तु बोलचाल की भाषा में ये कभी भी प्रयुक्त नहीं होते हैं।

हिन्दी हमारे देश की राजकाज की भाषा है। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में राजकाज की भाषा उसकी जनता की भाषा होती है। भारत में कुल 1,652 भाषाएं बोली जाती हैं। संघ सरकार के राजकाज के कार्य तथा केन्द्र एवं राज्यों के बीच संपर्क भाषा की भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व हिंदी को ही सौंपा गया, क्योंकि इसे भारत देश के अधिकांश लोग बोलते और समझते हैं तथा यह भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराओं से जुड़ी हुई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 343 (2) के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई थी कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात् वर्ष 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि इस बीच हिंदी न जानने वाले लोग हिंदी सीख जायेंगे और हिन्दी भाषा को प्रशासनिक कार्यों के लिए सभी प्रकार से सक्षम बनया जा सकेगा। अनुच्छेद 344 (3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह वर्ष 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकती है। अनुच्छेद 344 में यह कहा गया कि संविधान प्रारंभ होने के पांच वर्षों के बाद और फिर उसके दस वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे, जो अन्य बातों के साथ-साथ संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में और संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए इस अनुच्छेद के खंड 4 के अनुसार 30 संसद सदस्यों की एक समिति के गठन की भी व्यवस्था की गई थी।

राजभाषा विभाग, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। राजभाषा के बारे में संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा संघ के कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जून 1975 में, गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना की गयी थी। तब से राजभाषा विभाग भारत सरकार नियम 1961 के अनुरूप हिंदी

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यों, प्रशिक्षणों, अनुवादों और संवैधानिक प्रावधानों तथा राजभाषा अधिनियम के तहत कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी से संबंधित समस्त कार्यों के समन्वयन का दायित्व को समर्पण भाव से पूर्ण करने की दिशा में प्रयासरत है।

इस हेतु राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर हिंदी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे अधिकाधिक सरकारी कार्यालयों में कम्प्यूटरों पर हिंदी के कार्य को बढ़ाया जा सके। विभाग के केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 'हिंदी शब्द संसाधन' नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसके माध्यम से सभी सरकारी कर्मचारीगण स्वयं से कम्प्यूटर पर काम सीख सकते हैं। इसी श्रृंखला में भाषा प्रशिक्षण पर आधारित लीला सॉफ्टवेयर को भी सी डैक द्वारा राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर अंग्रेजी के अलावा भारत की 14 अन्य भाषाओं में प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अलावा हिंदी भाषा के 16 प्रशिक्षण केन्द्रों पर भी कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान की गई है।

कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर किए गए जाने वाले उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद भी अनेक सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में कठिनाइयां अनुभव की जाती हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से चार कारक यथा त्रुटि होने का भय, हीनता की भावना या उच्चता मनोग्रंथि, संकल्प शक्ति का अभाव और सामाजिक परिवेश व वातावरण जिम्मेदार हैं।

अक्सर यह देखने में आता है कि कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों में एक तरह का भय-सा रहता है कि कहीं त्रुटि न हो जाए। डर की यह भावना उन्हें उन्मुक्ता से काम नहीं करने देती है। हमेशा ही उनमें अधिकारियों को समझाने एवं उनके द्वारा पुन: अनुवाद करवाने का भय बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि प्राय: उच्च अधिकारियों को हिंदी में समझने में कठिनाइयाँ होती हैं। अत: कर्मचारियों को लगता है कि यदि हिंदी में नोटिंग लिखीं जायेगी तो उन्हें पुन: अनुवाद करना पड़ेगा और अधिकारियों को समझाने के लिये जाना होगा।

कुछ लोग इस हीन भावना से भी ग्रस्त होते हैं कि हिंदी में काम करने वाला अपेक्षाकृत निम्न योग्यता वाला होता है और अंग्रेजी में काम करने वाले लोग अधिक योग्य व विद्वान होते हैं। इस दुर्भावना के चलते ही वे हीनता मनोग्रंथि (Inferiority complex) के शिकार हो जाते हैं। प्राय: ही हिंदी के प्रति लोगों में यह भावना कहीं अवचेतन मन में बचपन से ही डाल दी जाती है कि हिंदी में काम करने वालों का विश्व में कोई स्थान नहीं है। वास्तव में ऐसी अवधारणा निश्चित रूप से विश्व के बारे में उनके सीमित ज्ञान का ही परिचायक है।

किसी भी कार्य की सफलता के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति का होना अतिआवश्यक है। हिंदीतर भाषी राज्यों के साथ-साथ यहां तक कि हिंदी भाषी राज्यों में भी कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग के प्रति कर्मचारियों में ऐसी कोई दृढ़ संकल्प शक्ति दिखाई नहीं देती है। संकल्प को तो सफलता की जननी कहा गया है। आज समस्त कार्यालयों में हिंदी को पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ आत्मसात करने की आवश्यकता है। शक्ति-जो संकल्प को परिणामदायक बनाती है उसे अर्जित करना एक साधना है। अत: हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए हिंदी के प्रति उच्च संकल्प शक्ति का होना परमावश्यक है।

किसी भी कार्य के सफल सम्पादन में सम्बद्ध परिवेश व वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भारतीय सरकारी कार्यालयीन परिवेशों में विशेषरूप से हमारी युवा पीढ़ी की हिंदी के प्रति नकारात्मक सोच ने हिंदी के प्रयोग को गहरा प्रभावित किया है। आज जिस तरह से हमारी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे वेश भूषा, खानपान, रहन-सहन और वैचारिक सोच को पाश्चात्य सभ्यता ने प्रभावित कर रखा है, उसी का प्रतिरूप कहीं-न-कहीं हमारे कार्यालयीन परिवेश में भी देखने को मिलता है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि कार्यालयीन वातावरण हिंदीमय बनाया जाए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सभी कर्मचारीगण आपस में वार्तालाप में हिंदी का प्रयोग करें।

कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में कठिनाइयों के लिए उत्तरदायी उपर्युक्त कारकों के अलावा कुछ कार्यस्तर संबंधी भी कठिनाइयां आती हैं, जिनके कारण कर्मचारीगण हिंदी में कार्य करने के प्रति उत्साहित नहीं हो पाते हैं। ये कठिनाइयां निम्नानुसार हैं:

1. **प्रशासनिक शब्दों की कठिनाइयाँ:** प्राय: यह पाया गया है कि छोटे सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक शब्दावलियां उपलब्ध ही नहीं होती है। कभी-कभी कार्यालयीन कार्यों के लिए उपयुक्त प्रशासनिक शब्दावलियों का अभाव देखा गया है। प्रशासनिक शब्द सामान्य हिंदी से इतने अधिक भिन्न प्रतीत होते हैं, मानो कभी-कभी तो लगता है जैसे यह कोई अन्य भाषा है। लगभग प्रतिदिन ही किसी-न-किसी शब्द के लिए प्रशासनिक शब्दों के शब्दकोष से अर्थ देखने पड़ते हैं। इससे बात को स्पष्ट व सहजरूप से रख पाने में कठिनाई आती है और अनेक बार तो अर्थ ही बदल जाते हैं।

2. **हिन्दी टाइपिंग की कठिनाई:** कार्यालयीन कार्यों में प्राय: ही हिन्दी के अलग-अलग फांट देश के अलग-अलग प्रांतों के कार्यालयों में उपयोग किए जाते हैं। हिन्दी फांटों के साथ परेशानी यह आती है कि इनको अंग्रेजी फांटों की भांति सरलता से एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता। फलत: एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में पहुंचते-पहुंचते भेजा गया पत्र या विषयवस्तु अपने मूलरूप से हट जाता

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)(24-

है। कई बार तो यदि सम्बद्ध हिन्दी फांट कम्प्यूटर में नहीं है, तो वह हिन्दी फाइल खुलकर भी कुछ भी जानकारी नहीं दे पाती। संक्षिप्त में कहें तो तकनीकी कारणों से हिन्दी टंकण का दैनिक कार्यालयीन कार्यों में उपयोग किया जाना बड़ा ही दुष्कर हो जाता है।

3. **हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण में कमी:** बड़े-बड़े कार्यालयों को छोड़ दिया जाए तो अनेक छोटे कार्यालयों में दैनिक कार्यालयीन कार्यों को किस सुविधा के साथ किया जाए, इस हेतु वहां उपयुक्त प्रशिक्षणों की बड़ी ही कमी पाई गई है। कार्यशालाओं या सेमिनारों के माध्यमों से मात्र औपचारिकताएं ही पूरी की जाती हैं। सही मायनों में हिन्दी प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

4. **हिन्दी अधिकारियों व अनुवादकों की कमी:** किसी भी कार्यालय में वहां के कामों को दृष्टिगत रखते हुए तदनुसार हिन्दी अधिकारियों व हिन्दी अनुवादकों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। एक बड़ा कार्यालय हो या एक छोटे-से कमरे का छोटा-सा कार्यालय हो दोनों के लिए हिन्दी अधिकारी की पदसंख्या एक ही होती है। हिन्दी अनुवादक जैसे पद भी सभी कार्यालयों में नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में कार्यालयीन क्लर्क अपनी योग्यता के अनुरूप हिन्दी में कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं।

कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली उपर्युक्त कठिनाइयों से निपटने हेतु निम्नलिखित सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं:

1. कार्यालय में हिन्दी कार्य हेतु परिवेश व वातावरण बनाया जाना चाहिए।
2. सहज व सरल एवं बोधगम्य हिन्दी शब्दों व वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
3. प्रशासनिक शब्दावलियों का सरलीकरण किया जाना चाहिए।
4. अधिकतर उपयोग में आने वाले अंग्रेजी शब्दों की सूची उनके हिन्दी अर्थ के साथ प्रत्येक कक्ष में लगवायें जाने चाहिए।
5. पुरानी पारम्परिक प्रक्रियाओं का नवीनीकरण किया जाना चाहिए।
6. कम्प्यूटरीकृत तकनीकी कठिनाइयों का शीघ्र ही समाधान निकाला जाना चाहिए।
7. हिन्दी टाइपिंग के लिये यूनिकोड आधारित फांट का प्रयोग किया जाना चाहिए।
8. सभी पुराने दस्तावेजों का हिन्दी में अनुवाद किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही समस्त नये दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से हिन्दी में बनाया जाना चाहिए।
9. सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी फांट की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
10. हिंदी से संबंधित रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए।
11. कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए।
12. राजभाषा अधिकारियों एवं हिंदी अनुवादकों का मनोबल बढ़ाने के लिए समयबद्ध पदोन्नति का प्रावधान किया जाना चाहिए।
13. हिन्दी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए।
14. कार्यालयीन स्तर पर प्रोत्साहन राशि को भी सम्मानजनक किया जाना चाहिए।
15. हिन्दी की राज्य व स्तरीय अवार्डों व सम्मान के नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
16. प्रत्येक कार्यालय में पूर्णरूप से हिन्दी के प्रति समर्पित एक राजभाषा विभाग होना चाहिए।
17. हिंदी अधिकारियों एवं अनुवादकों को नेटवर्क की अद्यतन शब्दावली से अवगत कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
18. वैज्ञानिक संस्थानों हिन्दी में कार्य के प्रोत्साहन के लिए हिन्दी जर्नलों को बढ़ावा देना चाहिए तथा उनके अधिकाधिक वितरण व संदर्भण की व्यवस्था होनी चाहिए।

204, सनसेट लगून (बिज़ी बी स्कूल के पास),
बायना, वास्को-द-गामा, गोवा-403802
मो॰ 09423319959
ईमेल: shubhrata@rediffmail.com

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

राजभाषा के सन्दर्भ में हिंदी और समकालीन चुनौतियां

–डॉ॰ आर.पी.एस. चौहान

हमारे देश के संविधान में हिंदी भाषा को 'संघ की राजभाषा' घोषित किया गया है। वर्तमान समय में भारत संघ की राजभाषा नाम से अभिहित हिंदी के समक्ष अनेक चुनौतियां उपस्थित हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता व अस्मिता की प्रतीक है। जिस राष्ट्र की 76 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती हो तथा जहां देश की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर आधारित हो, तो ऐसे राष्ट्र का सचमुच दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि वहां कृषि विज्ञान, कृषि तकनीकी एवं अन्य उच्च व्यवसायों से जुड़ी शिक्षा को, राष्ट्रभाषा के माध्यम से दे पाना स्वतंत्रता की अर्धशताब्दी बीत जाने पर भी सुनिश्चित नहीं दिखाई देता है।

हिंदी का यह दुर्भाग्य ही है कि उसके प्रति दुराग्रहपूर्ण मानसिकता का जन्म उसके कथित अपनों के ही मध्य हुआ है। अपनी कही जाने वाली भाषा को हम आज भी मनसा–वाचा–कर्मणा, पूर्णरूपेण आत्मसात नहीं कर पाए हैं। अतएव, इस परिदृश्य के रहते अहिंदी भाषी प्रान्तों को हिंदी की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराना 'याथार्थ से पलायन' की कोशिश मात्र है।

यह निर्विवादित तथ्य है कि हिंदी, हम हिंदी भाषियों की खानदानी जागीर नहीं, अपितु अहिंदी भाषियों द्वारा शताब्दियों से सिंचित, पल्लवित एवम् पुष्पित भाषाई एकता रूपी एक वृहद् वट वृक्ष है। जन प्रचलित आम धारणा के विपरीत वास्तविकता यही है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने की दिशा में, इन कथित हिंदी विरोधी अहिंदी भाषियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

हिंदी के 'राजभाषा' हो जाने के उपरांत अहिंदीभाषी प्रांतों को यह विश्वास दिलाए जाने की आवश्यकता है कि 'राजभाषा हिंदी' पर हिंदी भाषी लोगों से कहीं अधिक अधिकार उन देशवासियों का है, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। साथ ही, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राजभाषा के रूप में हिंदी की अभिवृद्धि समस्त देशवासियों का पुनीत राष्ट्रीय कर्तव्य है, तो निश्चित रूप में हिंदी का पक्ष सशक्त बनाया जा सकता है।

आज विश्व में, अंग्रेजी के प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ने की बजाए घट रही है। अपने चर्चित ग्रंथ 'सभ्यताओं के संघर्ष' में प्रो. सैम्युअल हन्टिंगटन ने स्पष्ट किया है कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और रूसी बोलने वालों का अनुपात पिछले कुछ दशकों में कम हुआ है। दूसरी ओर, हिंदी, अरबी, बंग्ला, और स्पेनिश आदि बोलने वालों की संख्या बढ़ी है। प्रो॰ हन्टिंगन के अनुसार वर्ष 1958 में दुनिया भर में 9.8 प्रतिशत लोग अंग्रेजी बोलते थे। वर्ष 1997 में यह प्रतिशत गिरकर 7.6 प्रतिशत रह गया। यह ह्रास निरन्तर बना हुआ है। स्पष्ट है कि विश्व में धीरे–धीरे अंग्रेजी के प्रति मोह भंग होता जा रहा है।

माना कि आज के प्रतिस्पर्धी वातावरण में अंग्रेजी का सर्वथा त्याग न तो बुद्धिमत्तापूर्ण है और न ही व्यावहारिक। अंग्रेजी की उपयोगिता वर्तमान में स्वयंसिद्ध है। वह हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रेरणा व वातायन की भाषा बन कर यहां रही है,और भविष्य में भी रहने वाली है। परंतु हिंदी व उससे जुड़ी अन्य भाषाओं की कीमत पर अंग्रेजी को पलकों पर बैठाया जाना आत्मघाती प्रयास है।

यथार्थ में,राजभाषा के रूप में हिंदी अन्य समकालीन प्रांतीय भाषाओं की अभिवृद्धि में, यथेष्ट रूप से सहायक सिद्ध हो सकती है। देश के संपूर्ण भाषायी विकास के लिए उचित एवं फलदायी होगा कि सभी भारतीय भाषाओं को समय रहते अंग्रेजी के व्यामोह से मुक्त हो जाना चाहिए।

बात–बात पर हिंदी की दुहाई देने वालों को यह तथ्य स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि हिंदी अपनी प्रकृति के अनुसार ही स्वाभाविक गति से आज तक अपने विकास मार्ग पर आरूढ़ रही है और भविष्य में भी रहेगी। भाषा का विकास उसकी सहजता व सुबोधता में निहित है। कृत्रिमता का बोझिल आवरण भाषा को जड़ बना देता है। आज की आवश्यकता है कि हिंदी को अधिक प्रचार व प्रसार की चकाचौंध से मुक्त रखकर उसे उसकी नियति पर छोड़ दिया जाए।

जनभाषा, जनशक्ति का परिचायक होती है। और यह भी सर्वविदित है कि हिंदी सर्वप्रथम एक सशक्त जनभाषा है,राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा बाद में। अतएव, हिंदी अपनी इस प्रबल जनशक्ति के बल पर धीरे–धीरे अपने प्रति उपजे समस्त दुराग्रहों को लीलते हुए स्वमेव राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन सर्वमान्य भाषा बन जाएगी। संभवत: बहुत कम लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था 'युनेस्को' ने स्वीकार किया है कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। 'युनेस्कों' की सात मान्यता प्राप्त भाषाओं में हिंदी को स्थान प्राप्त है। भारत के अतिरिक्त लगभग 50 देशों में हिंदी को जानने वाले लोग हैं। सुदूर अमेरिकी उपमहाद्वीप, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया सहित यूरोपीय व अरब देशों में रोजगार हेतु हिंदी भाषियों का बढ़ता प्रसार हिंदी को अंतरराष्ट्रीय वातावरण प्रदान करने में सक्षम सिद्ध हो रहा है। बॉलीवुड ने हिंदी सिनेमा जगत ने हिंदी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वूपर्ण भूमिका निभाई है। विगत में अनेक विश्व हिंदी सम्मेलनों का सफल आयोजन हिंदी

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)(24-

की दिनों-दिन बढ़ती लोकप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विश्व के अनेक देशों जैसे मारीशस, फिजी, त्रिनीडाड, सूरीनाम, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका, हालैंड व रूस आदि में हिंदी बोली व समझी जाती है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन-पाठन संचालित है। कहना न होगा कि हिंदी के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह एक शुभ संकेत है।

हिंदी की जीवंतता व आत्मसातता असंदिग्ध है। देश के विभिन्न भाषा-भाषी प्रांतों में फैलकर वह अपने ग्राह्य स्वरूप की दिशा में स्वत: अग्रसर है। अतएव, मेरा यह स्पष्ट मत है कि हिंदी के विकास के लिए प्रशासकीय अथवा राजनीतिक बैशाखियां अपेक्षित नहीं है। विगत वर्षों में, हिंदी की सर्वग्राह्यता व उसके मानक रूप को लेकर अनेक भ्रांतियां उपजी हैं, जोकि मात्र हिंदी की प्रकृति व उसके वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञता का ही दुष्परिणाम हैं। इन भ्रांतियों के पोषकों को यह बात भली-भांति समझ लेनी चाहिए कि हिंदी किसी जाति या धर्म विशेष की भाषा नहीं, अपितु प्रत्येक भारतीय का आत्मोद्गार है।

यह एक प्रमाणिक तथ्य है कि हिंदी इस देश के वृहद् भू-भाग में बोली जाने वाली एकमात्र प्रतिनिधि जनभाषा है। अतएव, इसकी सर्वदेशीयता व जन-व्यापकता को देखते हुए इसका कोई एक स्थिर मानक स्वरूप बनाए रखना संभव नहीं है। केवल इससे जुड़ी जनस्वीकृति ही समादरणीय है।

हिंदी की समाहार शक्ति किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इतिहास गवाह है कि अमीर खुसरों की 'हिंदवी', गांधी जी की 'हिंदुस्तानी' तथा अद्यतन् राष्ट्रभाषा नाम से अभिहित भारतीय अस्मिता की संवाहिका, 'हिंदी भाषा' ने अपने जन्म से लेकर आज तक अनेक पड़ाव तय किए हैं, और युगानुरूप अपनी उदार समाहार शक्ति के सहारे विभिन्न विजातीय संस्कृतियों एवं भाषाओं को अपनत्व प्रदान करते हुए भी वह अपने भाषिक वैशिष्ट्य को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल रही है। अतएव, यह मानना दुराशा मात्र ही होगा कि वर्तमान में अन्य भाषाओं के संपर्क में आकर हिंदी अपना निजित्व खो बैठेगी।

आज आवश्यकता आन पड़ी है कि देश में भाषिक सौहार्द हेतु विभिन्न प्रांतीय भाषाओं को पठन-पाठन तथा लेखन में खुले मन से स्वीकार करना होगा। और याद रहे कि इस क्षेत्र में पहल का उत्तरदायित्व भी हम हिंदी भाषियों को ही वहन करना है, तभी भाषिक समरसता की यह आदर्श स्थिति राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए अभ्युदयकारी एवं श्रेयस्कर होगी।

अभी भी समय है यदि हम सही मायनों में, जन-जन की दुलारी हिंदी को राजभाषा के विशेषाधिकार से सम्पन्न देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें हिंदी के प्रति समस्त पूर्वाग्रहों को त्यागकर उसे सादर अपने दिलों में प्रतिष्ठित करना होगा। उसे वही मान-सम्मान तथा अपनत्व देना होगा, जैसा कि हिंदी ने गत सैंकड़ों वर्षों में, इस देश की विभिन्न आगंतुक संस्कृतियों, धर्मों व भाषाओं को दिया है। यदि हम सभी देशवासी ऐसा कर पाए तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं, जब जन-जन की सेविका हिंदी मात्र राजभाषा ही नहीं, प्रत्युत, उससे कहीं अधिक समर्थ व सशक्त राष्ट्रभाषा के रूप में अधिमान्य होकर अपने वास्तविक, जनप्रदत्त तथा न्यायोचित अधिकार को प्राप्त करने में सफल हो जाएगी।

अतएव, इस अभीष्ट की सिद्धि के लिए हम भारतवासियों को यह पुनीत कर्त्तव्य है कि सभी देशवासी अपनी पृथक-पृथक मातृ भाषाओं एवं उनके साहित्य के माध्यम से हिंदी की श्रीवृद्धि सुनिश्चित करें, जिससे हिंदी संपूर्ण भारतराष्ट्र की महत्ती एकता व सांस्कृतिक गौरव को विश्व के समक्ष प्रतिभाषित करने के गुरुत्तर दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके।

भाषा विभाग, एम॰पी॰जी॰ कालेज,
मसूरी

जीता जागता राष्ट्रपुरुष

भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता-जागता राष्ट्रपुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है। कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विन्ध्याचल कटि है, नर्मदा करधनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट, दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। पावस के काले-काले मेघ इसके कुंतल केश हैं। चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वन्दन की भूमि है, अभिनन्दन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर-कंकर शंकर है, इसका बिंदु-बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए।

अटल बिहारी वाजपेयी
(बहुचर्चित भाषण से)

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

इक्कीसवीं सदी: साहित्यिक चिंतन और परिणाम

–डॉ॰ अशोक पण्ड्या

साहित्य सतत् एवं सकल दृष्टा सजग प्रहरी है। यह स्वभाव से निष्पक्ष एवं तटस्थ है। वर्तमान में प्रचलित सी॰सी॰ कैमरे की भूमिका निभाता यह सार्वभौमिक पुरातन संवाहक है। उसमें और इसमें फर्क यह है कि यह कैमरे की तरह मूक चित्रण नहीं करता। यह तो चित्रित करने से पहले ही बोलने लगता है और अंतत: बोलता ही रहता है तथा कागज पर अक्षर बन युगों–युगों तक बोलता रहता है।

साहित्य का यह स्वभाव इक्कीसवीं सदी में भी कैसे बदल सकता है? यह आज भी दीर्घ और सूक्ष्म दोनों ही दृष्टियों से अपने आसपास को देख शब्दों में ढालने के अपने स्वभाव को परिणाम प्रदान करता आज भी शीर्षस्थ भूमिका में है। आइये, चिंतन की इस प्रासंगिकता से कुछ यों रुबरू हों।

इक्कीसवीं सदी का अर्थ है वर्ष 2000 और उससे आगे का आज। इस सदी ने भारत को आजाद होने और आगे बढ़ते दोनों रूपों में देखा है। जो हुआ है उसे न तो नकारा जा सकता है और न ही इससे दूर रहा जा सकता है। यही साहित्य का गुण धर्म है।

इस दृष्टि से देखें तो निराला ही बरबस याद आ जाते है। उन्होंने लिखा–''जागो, फिर एक बार।'' यह जागने का आग्रह ही चेतना है, जिसने जनमानस को झकझोरा और परिणाम में स्वतंत्रता को पाया। यहां मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इन पंक्तियों के अन्तर्नाद को समकालीन सभी साहित्यकारों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया लेकिन परिणाम सामूहिक रूप से साझा हुआ। यहां व्यक्ति नहीं, साहित्य अस्त्र के रूप में प्रयुक्त हुआ है।

सुभद्रा की 'बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी', बंकिम का 'वंदे मातरम्' और अभी का 'ओ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी' आदि विविध वैकल्पिक आत्ममंथन साहित्य के रूप में चिंतन का आधार बन जनमानस को उद्वेलित कर पाया, यही इसकी उपलब्धि है।

धीरे–धीरे यह स्वतंत्रता के सुख के गुण गाने लगा–आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिन्दुस्तान की' जैसी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता के साथ अपना–पन परोसने लगा।' झण्डा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा'' आदि भी इसी सोच और चिंतन का परिणाम है। यहां साहित्य या सृजन के आकार और प्रकार को नहीं चेतना धर्म को इंगित करना ही श्रेयस्कर है। विस्तार को विराम।

और इधर जब प्रौढ़ता आई और मानवीय ऊर्जा विकेन्द्रित होने के बजाय आत्मकेन्द्रित होने लगी तो साहित्य ने इस दुर्गुण को भी इंगित करना शुरू कर दिया और कहा–अरे शर्म करो ए आस्तीन के काले नागों, न मेरे देश पर और जुल्म करो! (मृदुला से)। परिणामत: तंत्र और व्यवस्था पर नकेल कसी गई और एक हद तक अंकुश लगा। ये उद्धरण प्रतीक मात्र हैं जो चेतना को प्रतिपादित करते हैं।

साहित्य वस्तुत: शाब्दिक सृजन है। यह सृजक की अपनी शक्ति और समझ है कि वह विधा के रूप में क्या चुने! अत: लेख, कहानी, प्रहसन, नाटक, रूपक, उपन्यास के साथ–साथ मूल उद्भव कविता भी खूब रची गई।

प्रवर्त शताब्दी में तत्वत: सबसे बड़ा परिवर्तन आया, वह है—गल्प का अतिविस्तृत न होना। इस समय की कथाओं और लेखों में यथार्थ अधिक तो कल्पना अपेक्षाकृत कम इंगित हुई है। जो निश्चय ही मानसिक परिपक्वता का द्योतक है। अनावश्यक भूमिका बांधना, विषयवस्तु का छूट जाना आदि साहित्यिक व्यवधान भी कम हुआ और इस सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, वह है—समय की बचत जो मेरी दृष्टि में प्रवर्त की सबसे बड़ी मांग है। क्योंकि जितने मिनिट हम बचा पाएंगे एक विषय पर गड़े रहने पर, उतने समय में हम किसी और बिन्दु को भी पढ़–परख पाएंगे।

गद्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आया इस शती में वह है—लघु कथा। यों तो यह पूर्ववर्ती विद्या ही है तथापि वर्तमान इससे अधिक प्लावित है। लघुकथा बहुत कम शब्दों में समस्या और समाधान दोनों को उद्भित करता शब्द शिल्प है। कथानक न गढ़ा जाता है, न बुना। यह सीधा ही परोस दिया जाता है। अत: यहां भी यथार्थ ही निसृत हुआ है।

यही मूल परिवर्तन कविता में भी हुआ है। तुकबंदी से लगाकर द्विसम पंक्ति, शब्दांत आदि सभी शिल्प पीछे छूट गये तथा लक्ष्यपरक अल्पशब्दी, लघुपंक्ति भावयुक्त व भावविहीन भी लेकिन यथार्थबोधी गद्यगर्भा कविता का उदय भी इसी सदी की सौगात है।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)(24-

यद्यपि कि आज की कविता गद्य बन कर रह गई है। हाथ, मुंह, पेट कटवा कर पूंछ के रूप में 'हाइकू' बन बैठी है। तथापि मैं यह तो कहूंगा ही कि इससे भी परिणाम अधिक सोच-विचार का श्रम अवश्य कम हुआ है। पाठक भी इस बहुसोच से दूर त्वरित निर्णयी पंक्तियों को ही प्रथम पठनीय समझता है। इस सबसे अनुप्रासादि अलंकारों का स्वाद अवश्य कम हुआ है और साहित्य भिक्षु-सा कृशकाय भी हो गया है। अत: यह कहना होगा कि इक्कीसवीं सदी का साहित्य पूर्ववर्ती काल से सर्वथा भिन्न है। रसाभाव, उपमा रहित, अन्योक्ति शून्य प्रवर्तमान साहित्य चिंतन के धरातल पर तो खरा उतर सकता है, सहज भी है तथापि साहित्य का सौष्ठव अवश्य चरमराया है।

यहां यह उल्लेख करना नितांत आवश्यक है कि इस सदी में पुरातन विधाएं भी प्रौढ़ हुई हैं। मसलन दोहा, छंद, गीत और गजल के बंद शेर, मुक्तक और एक नई विधा जनक छंद भी सहोत्पाद के रूप में उपलब्ध है।

जहां तक प्रकाशन और प्रसारण का प्रश्न है, इस सदी ने विगत कई सदियों को मात दे दिया है। अत्यधिक प्रकाशन के रूप में यह शताब्दी मील स्तंभ है। पत्र-पत्रिकाओं, आवर्ती सामयिक, मासिक, पाक्षिक, विशेषांक आदि ''हर दस कोस में बोली बदल जाती है'' की तरह अपार लेखन की साक्षी है यह सदी।

हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी बहुत अधिक लेखन-प्रकाशन भी इसी सदी के खाते जाएगा। अत: यह तो कहना ही पड़ेगा कि इक्कीसवीं सदी का साहित्यिक चिंतन अपेक्षाकृत पूर्व शताब्दियों के बहुतायत के साथ बाहर आया है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी सदी की इस उपलब्धि की एक इकाई हैं। मैं साहित्यिक मनीषा को प्रणाम करता हूं।

अब प्रश्न रह जाता है साहित्य के चिंतन के उत्कर्ष का, तो मानना पड़ेगा कि, यह भी परावर्तित हुआ है तथापि मैं यह कहते हुए कतई संकोच नहीं रखना चाहता कि दूब की तरह उग आई और पत्तों की तरह बेंचती पुरस्कारदात्री संस्थाओं का इसमें कितना योगदान है कहा नहीं जा सकता। उत्कृष्टता और वैचारिक मंथन के धरातल पर इन्हें क्या दर्जा दिया जाए, यह कथनीय कम, वेदनीय शून्य तो आलोच्य अधिक है, कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह सभी अक्षर की उपासक संस्थाएं तो हैं ही। ईश्वर उन्हें पारखी साहस प्रदान करें, यही अभ्यर्थना है।

समाचारपत्रों और टीवी चैनलों में भी साहित्य ने इस सदी में सर्वाधिक ही नहीं सर्वोपरि स्थान पाया है। कहानी की तो अब संभवत: शरणस्थली है। कटाक्ष, स्वस्थ व्यंग्य और पारंपरिक कविता भी यहां देखने मिल जायगी। अत: वर्तमान में इसे भी इस सदी का साहित्यिक अवदान ही माना जाना चाहिए।

कहानी साहित्य की गर्भविद्या है सर्वाधिक है। मानस को एकाग्रता प्रदान करती यह विधा साहित्य की रीढ़ है। यहां भी शताब्दियों के अंतर का अंतर आया है। पहले जहां कहानी प्राय: सुखान्तक हुआ करती थी, अब यह यथार्थान्तक दिखने लगी है। लेखक का मन अब कल्पनाओं में कम हकीकत में ज्यादा रमने लगा है तथा समाज को यथार्थ परोसता दृष्टिगत हुआ है। यह निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। इसका श्रेय भी इक्कीसवीं सदी को ही जाएगा।

समाचारपत्रों के स्तंभ और संपादकीय भी नि:संदेह साहित्य की ही उपज है। रिपोतार्ज हो या रपट, चिंतन का सशक्त सिपाही है यह स्तंभ। मैं व्यक्तिश: इसे भी सराहना चाहता हूं—प्रणाम तक।

यहां एक और बात उल्लेखनीय है कि पुराण कथाओं का पुनर्चित्रण, पुनर्लेखन और आवर्तन भी इस सदी में बहुतायत से हुआ है। इस दृष्टि से जो पुरातन है। और स्वस्थ हैं, उसे समाज को परोसना साहित्य का दायित्व भी यहां लक्षित हुआ है।

जिसे हम अनादर्श और अचारित्रिक समझते हैं, ऐसा भी लेखन इस सदी में अछूता नहीं रहा है तथापि यह ध्यान देने योग्य है कि कीचड़ में भी कमल खिल सकता है। इस दृष्टि से यहां से भी अच्छाइयाँ ढूंढी जा सकती हैं।

मूलत: भाव यह है कि इस सदी में सर्वाधिक लेखन और सृजन हुआ है, जिसने साहित्य को तो सुदृढ़ बनाया ही है, चेतना को भी जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वस्तुत: साहित्यिक चिंतन का ही परिणाम है, जिसने विचारों के रूप में जन्म ले शब्द बन पाठक के मानस को चिंतन में डूबो दिया।

चिंतन के लिये चिंता करना यह साहित्यिक चिंतन इक्कीसवीं सदी की बहुत बड़ी सौगात है और चिंतन के लिये उपलब्धता प्रदान करना साहित्य का उद्देश्य सफल हुआ प्रतीत होता है। तभी तो लिखने को मन करता है—

सोचने से समझने की शक्ति बढ़ती है
नहीं सोचने से है जो बुद्धि,
उस पर और पर्त जमती है।
इसलिये सोचा करो साथियों !
सोचने से कभी-कभी जमाने की तकदीर बदलती है।

उमा पेलेस, खोडन-327022
दूरवाणी - 09461381400

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

जल बचाओ, ऊर्जा बचाओ

–सैय्यद आदिल शमीम अंद्राबी

हमारा जीवन बहुत बदल चुका है और हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास देख रहे हैं। हमारे इर्द-गिर्द इलेक्ट्रानिक उपकरण मौजूद हैं, जिन्हें बिजली की जरूरत होती है। जब बिजली नहीं होती, तो वे बेकार हो जाते हैं लेकिन तब भी हम उनके बगैर जिंदा रह सकते हैं। अगर एक दिन भी पानी न मिले तो हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते।

इस समय पृथ्वी ग्रह पर जीवन को बचाये रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत पानी को बचाने की है। पूरी दुनिया में वर्ष 1993 से हर 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता की जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ पेय जल, पेय जल की उपलब्धता को बनाये रखने, पानी को बचाने, ताजे पानी के स्रोतों को बचाने और इसके संबंध में विभिन्न देशों में चलायी जाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की थी। विश्व जल दिवस के अवसर पर लोगों को यह याद दिलाने की कोशिश की जाती है कि ताजे पानी का महत्व क्या है और कैसे उसके स्रोतों को बचाया जा सकता है। पूरी दुनिया के संगठन विश्व जल दिवस के अवसर पर साफ पानी और जल स्रोतों को बचाने के लिए जागरुकता और प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। इस अवसर पर वर्तमान समय में पानी संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया जाता है।

भारत की बात की जाए तो यहां प्रचुर मात्रा में बारिश होती है लेकिन आबादी बढ़ने के कारण देश में पानी की कमी महसूस की जा रही है। आबादी बढ़ने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिक इस्तेमाल होता है। जल स्रोत, स्थानीय तालाब, ताल-तलैया, नदियों और जलाशय प्रदूषित हो रहे हैं और उनका पानी कम हो रहा है। इस समय देश की बढ़ी आबादी को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा भारत में खेती भी बारिश के भरोसे ही होती है। भारत में खेती की सफलता पानी की उपलब्धता पर ही निर्भर है, जिसमें बारिश के पानी की अहम भूमिका होती है। अच्छी वर्षा का मतलब अच्छी फसल होता है। वर्षा जल को बचाने की बहुत जरूरत है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें कोई तेजाबी तत्व न मिलने पाये क्योंकि इससे पानी और उसके स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे।

ऊपर बताई गई बातों के आधार पर आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि देश में जल संरक्षण एक बड़ी आवश्यकता है। इससे संबंधित प्रमुख मुद्दों को निम्नलिखित बिन्दुओं में बांटा जा सकता है—

1. शहरी और ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल को सुनिश्चित किया जाना
2. सुरक्षित पेयजल सुविधाओं को बनाये रखना
3. शहरों और गांवों में स्वच्छ जल स्रोतों को सुरक्षित और पुनर्स्थापित करना
4. जल संरक्षण

हर वर्ष विश्व जल दिवस के अवसर पर ताजे जल के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया जाता है। वर्तमान विश्व जल दिवस की विषयवस्तु ''जल और ऊर्जा'' है। चूंकि जल और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए हमारे ग्रह के जीवन के लिए दोनों आवश्यक हैं। बिजली पैदा करने के लिए, खासतौर से पनबिजली और ताप बिजली के लिए जल संसाधनों की जरूरत होती है।

पानी और ऊर्जा के संबंध को बनाये रखने के लिए जल संरक्षण को बढ़ाने और प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह भावी ऊर्जा उत्पादन के लिए भी बहुत जरूरी हैं। बिजली उत्पादन के संबंध में भी जल की कार्य क्षमता बढ़ाने की भी जरूरत है। बिजली उत्पादन के लिए पानी की जरूरत होती है और पानी उपलब्ध करने के लिए बिजली की जरूरत होती है। पानी और बिजली के इस आपसी संबंध के कारण अगर दोनों में से किसी एक की भी कमी हो गयी तो दूसरे के लिए समस्या पैदा हो जाती है। अगर बिजली उत्पादन से संबंधित जल स्रोतों की कमी हो जाए तो बिजली उत्पादन में निश्चित तौर पर कमी आ जाएगी। इस समय बिजली बचाने वाले उपकरणों की बेहद आवश्यकता है। यदि उपकरण बिजली बचाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि पानी भी बचेगा।

हममें से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि पानी बचाने के लिए एक अकेला आदमी क्या कर सकता है। इस तरह के विचार से हम लोग रोज पानी नष्ट कर देते हैं। आज की दुनिया में सभी लोग इस दौड़ में लगे हैं कि हम अपने घरों में बड़े-बड़े गुसलखाने बनवायें, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि पानी के बिना वे सब बेकार हैं। हम अपनी जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं। कम-से-कम हममें से हर व्यक्ति अपने घरों और कार्यस्थलों में पानी का उचित इस्तेमाल तो कर ही सकता है।

कई बार ऐसा देखा जाता है कि सड़क किनारे लगे हुए नलों से पानी बह रहा है और बेकार जा रहा है, लेकिन हम वहां से गुजर जाते हैं और नल को बंद करने की चिन्ता नहीं करते। हमें इन विषयों पर सोचना चाहिए और अपने रोज के जीवन में जहां तक संभव हो पानी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बिजली का इस्तेमाल भी जरूरत के हिसाब से करना चाहिए न कि इच्छा के अनुसार। बिजली के उपकरणों को भी जब जरूरत हो तभी इस्तेमाल करना चाहिए।

एक बल्ब से ही हमें पर्याप्त रोशनी मिल जाती है, तो इस बात की क्या जरूरत है कि हम कई लाइटें जलाएं। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब जरूरी न हो तब लाइट और बिजली के अन्य उपकरणों को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ऐसा करके हम न सिर्फ बिजली बचाएंगे, बल्कि पानी भी बचाएंगे। (**साभार-पसूका**)

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)(24-

ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न सोपान

–डॉ॰ दुर्गादत्त ओझा

वस्तुत: ऊर्जा से तात्पर्य कार्य करने की क्षमता से है। मनुष्य हो या मशीन, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य की सम्पूर्ण आवश्यकताएं (मौलिक या विलासिता संबंधी) आज ऊर्जा से ही पूरी हो रही है।

मानव सभ्यता के विकास में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय दर्शन में तो ऊर्जा को शक्ति का रूप माना गया है।

ऊर्जा कई रूपों में पायी जाती है। झुके हुए धनुष में जो ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, बारूद की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, विद्युतधारा की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा तथा सूर्य के प्रकाश को प्रकाश ऊर्जा कहते है। सूर्य की ऊर्जा उसके उच्च तापमान के कारण होती है। अत: इसे ऊष्मा ऊर्जा भी कहते हैं।

विभिन्न उपायों द्वारा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इन परिवर्तनों में ऊर्जा की मात्रा सर्वदा एक ही रहती है। उसमें वृद्धि अथवा न्यूनता नहीं होती है। इसे ही ऊर्जा अविनाशिता का सिद्धांत कहते हैं।

मानव अपने जीवन काल में भारी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करता है, इसी कारण प्रत्येक दो दशक में ऊर्जा की खपत लगभग दोगुनी हो जाती है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास की गति भी तेज हो रही है। आज ऊर्जा का प्रयोग हम भोजन, प्रकाश, यातायात, संचार, आवास, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ मनोरंजन, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रों में कर रहे हैं। हमारी दैनिक जीवन शैली ही ऊर्जा पर आधारित हो चुकी है तथा हमारी दिनचर्या भी अधिकाधिक ऊर्जा की मांग करती जा रही है।

ऊर्जा संकट के संभावित कारण

वस्तुत: इक्कीसवीं शताब्दी की प्रमुख समस्याओं में ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जो विश्वव्यापी भी है। इसके संभावित कारण निम्नांकित हैं—

1. निरंतर बढ़ती जनसंख्या
2. मानव की बढ़ती भौतिक एवं भोगविलास की प्रवृति
3. एकल परिवहन व्यवस्था
4. जीवाश्म ईधनों की कमी
5. ऊर्जा का आदतन दुरूपयोग (सभी स्तर पर)
6. कृषि में दुरुपयोग
7. बिजली की चोरी
8. औद्योगिक क्षेत्र में अधिक अपव्यय
9. ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के उपयोग में कम रुझान
10. ऊर्जा शिक्षा का अभाव

ऊर्जा संकट एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत

पश्चिमी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित आधुनिक सभ्यता के पोषण के लिए मानव ने जिस ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम का विगत शताब्दी के अंत में अत्यधिक उपयोग किया, उसके समाप्त होने की संभावना वर्ष 1973 में ऊर्जा संकट के रूप में उभरकर सामने आई। ऊर्जा के इस संकट ने तीसरे विश्व के अधिकांश देशों को चिन्तित कर दिया।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए तथा ऊर्जा संकट से बचने हेतु स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोतों के विकास तथा उनके उपयोग की नितान्त आवश्यकता प्रतिपादित की गई। इसके लिए दो सबसे उत्तम मार्ग है— पहला ऊर्जा संरक्षण को अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन देना तथा दूसरा पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रयोग में लाना, जिससे ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति की जा सके।

वस्तुत: वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन आज इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार सीमित हैं। और अनुमान यह है कि इनकी खपत में यदि कमी नहीं लायी गई तो आने वाले लगभग 40-50 वर्षों में इनका भंडार समाप्त हो सकता है। फिर ऊर्जा के इन परंपरागत संसाधनों का विकल्प क्या होगा? इसलिए भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूर्ण करने के लिए हमें बेहतर भविष्य के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का भी अधिकाधिक उपयोग करना होगा।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के साथ एक बात और अच्छी भी है कि ये पर्यावरण को स्वच्छ रखते है तथा इनसे कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होता है और वैश्विक तापन से बचाव का रास्ता भी खुलता है।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

ऊर्जा संरक्षण

वस्तुत: ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य ऊर्जा के उपलब्ध साधनों का मितव्ययता से उपयोग करना है। ऊर्जा स्रोत सीमित है लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित है। विशेषज्ञों के अनुसार योजनाबद्ध प्रयासों, विवेकपूर्ण उपयोग तथा आदतों में परिवर्तन द्वारा ऊर्जा की खपत में 30-35 प्रतिशत बचत संभव हो सकती है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को इस प्रकार की संज्ञा दी गई है — सौर ऊर्जा (स्वच्छ ऊर्जा), पवन ऊर्जा (नि:शुल्क ऊर्जा), जैविक द्रव्यों से ऊर्जा (हरित ऊर्जा), ग्राम्य ऊर्जा (सुलभ ऊर्जा), छोटे पन बिजलीघर परियोजनाएं (प्रवाहमान ऊर्जा), कचरे से ऊर्जा (पुन: चक्रित ऊर्जा)।

ऊर्जा संरक्षण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमें भागीदार बनने के लिए, अनुकूल वातावरण बनाये रखने के लिए, भवनों में रोशनी के लिए, विभिन्न उपकरणों एवं मशीनों के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना होगा, जिससे बिजली की खपत में कमी लाई जा सके —

1. **प्रकृति का उपयोग:**—जहां तक हो सके प्रकृति के द्वारा मिलने वाले उपहारों पर अधिक-से-अधिक निर्भरता रखें एवं कृत्रिम ऊर्जा का कम-से-कम उपयोग करे। सूर्य की किरणें, बहती हुई हवा, पेड़-पौधे, झरने, समुद्र, पहाड़, भूगर्भ ऊष्मा आदि से वातावरण स्वच्छ बनाये रखा जा सकता है।

2. **कम अपव्यय:**— किसी भी निर्माण में, कारखानों में, मशीन में बनने वाली वस्तु का कम-से-कम अपव्यय होना चाहिए। यदि अवशेष अधिक रहते हो तो उस पर की गई ऊर्जा का व्यय भी हानिप्रद रहता है।

3. **प्रत्यक्ष उपयोग:**— जहां तक हो सके ऊर्जा का सीधा ही उपयोग करें, उसके रूप को बदलकर या एकत्रित कर उपयोग करने से ऊर्जा की क्षति होती है।

4. **उच्च दक्षता:**— कोई भी उपकरण अगर कम दक्षता दे रहा है तो उसमें ऊर्जा की हानि हो रही है। हानि वाले बिन्दुओं को ढूंढ़ना चाहिए तथा उसमें सुधार करके दक्षता बढ़ाई जा सकती है।

5. **उच्च तकनीक:**— यह प्रेक्षित किया गया है कि नई तकनीक के साथ ऊर्जा का उपयोग किया जायेगा तो ऊर्जा की बचत होगी। जैसे-इलेक्ट्रॉनिक्स रेग्यूलेटर के उपयोग से पंखा धीमी गति पर चलाने से कम ऊर्जा का व्यय होगा, जबकि रजिस्टेन्स कॉयल वाले रेग्यूलेटर के उपयोग से बिजली का व्यय अधिक रहता है।

6. **विवेकपूर्ण निर्माण:**— भवन निर्माण करते समय प्राकृतिक रूप से भवनों को सर्दी में गरम एवं गर्मी में ठंडी रखने हेतु सूर्य की किरणों के प्रवेश एवं अवरोध के बारे में ध्यान रखने से बिजली की खपत में काफी बचत की जा सकती है।

ऊर्जा संरक्षण का गणित:— इस संबंध में एक सोच विकसित हुई है:-

Energy conservation is arithmetic,
New sources can be added,
Losses can be substracted,
Old techniques can be divided and
New techniques can be multiplied.

छोटे नुस्खे करते बहुत फायदे:— यद्यपि ऊर्जा का उपयोग प्रगति का घोतक है। परन्तु इसका समुचित उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अत: आवश्यकता है ऊर्जा के सदुपयोग करने की। जिन जगहों पर विद्युत का क्षय हो रहा हो, वहां निम्न सावधानियां बरते:—

1. रिमोट से विद्युत उपकरण बन्द किये गए टी॰वी, ए॰सी, कम्प्यूटर आदि में लगभग 22 वॉट की बिजली की खपत होती है। अत: इन उपकरणों को विद्युत स्विच से बन्द करके बिजली की बचत करें।
2. स्टेण्ड बाई पॉवर को बचाने के लिए माइक्रोवेव अवन, वाशिंग मशीन, कम्प्युटर तथा इंडीकेटर स्विचों को विद्युत आपूर्ति से बन्द करें। मसलन टाइमर वाला माइक्रोवेव अवन स्टेण्डबाई मोड में अपने इस्तेमाल में आने के दौरान की मात्रा से कहीं अधिक बिजली का उपयोग करते हैं।
3. पढ़ते समय जहां तक हो सके टेबल लैम्प अथवा टास्क लाईट का प्रयोग करें, जिससे जरूरत वाले स्थान पर समुचित बिजली मिलती रहे।
4. इमरजेन्सी लाईट, लेपटॉप, डिजीटल कैमरा, सेलफोन के बैटरी चार्जर जब उपयोग में होते है, तब बिजली खर्च करते हैं। यदि आवश्यकता नहीं हो तो चार्जर को प्लग से बाहर निकाल दे और बिजली के अपव्यय को रोकें।
5. गीजर से निकलने वाले गरम पानी के नल तथा बाल्टी के मध्य रबड़ का लचीला हायर स्टार रेटिंग के विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। पाइप लगा देने से ऊष्मा का क्षय कम होगा।

कूलर तथा पंखे:

- रेजीस्टेन्स कॉयल वाले इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर जो साधारणतया घरों में लगे होते हैं, धीमी स्पीड से काम लेने पर उतनी ही बिजली व्यय होती है जितनी की तेज गति में। अत: पंखों तथा कूलर आदि को तेज अथवा धीरे करने हेतु इलेक्ट्रानिक रेग्यूलेटर लगाकर बिजली की बचत कर सकते हैं।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)(24-

- जब आवश्यकता न हो तो पंखों तथा कूलरों के स्विच ऑफ रखें।
- सीजन शुरू होने से पहले कूलर तथा पंखों की ओवर हॉलिंग करवा लेना चाहिए इससे इनकी क्षमता बढ़ जाती है।
- कूलरों में पम्प को ऑन/ऑफ करने हेतु स्वचालित टाइमर स्विच का प्रयोग करना चाहिए, इससे विद्युत ऊर्जा के साथ-साथ पानी की भी बचत होती है।

वाशिंग मशीन

- वाशिंग मशीन में कपड़े धोने से आधा घंटे पूर्व उन्हें सर्फ में भीगोकर रखने से सर्फ का पूरा उपयोग एवं बिजली की बचत की जा सकती है। लोडर लगी वाशिंग मशीन में अन्य की अपेक्षा 25 प्रतिशत बिजली कम व्यय होती है।
- वाशिंग मशीन को फुल लोड पर चलाना चाहिए।
- रीन्ज साइकल में हमेशा ठंडे पानी का उपयोग करना चाहिए।
- मशीन में जरूरत के अनुसार ही पानी भरना चाहिए।
- कपड़े धोते समय टाइमर का प्रयोग करना चाहिए।
- मशीन में कपड़े सुखाने की अपेक्षा बाहर कपड़े सुखाने चाहिए।

एयर कण्डीशनर

- गरमी के मौसम की शुरुआत में पहले पंखा ही चलाना चाहिए, क्योंकि पंखा एक घंटे में 40 पैसे की बिजली खर्च करता है, जबकि एअर कण्डीशनर एक घंटे में 10 रुपए खर्च करता है।
- कमरे के आकार के हिसाब से उचित क्षमता का एअर कण्डीशनर लगाना चाहिए।
- ए॰सी॰ रूम में फॉल्स सीलिंग लगी होनी चाहिए तथा यह एअर सील्ड होना चाहिए।
- ऊष्मा शोषक पदार्थों से बने सामानों को ए॰सी रूम में नहीं रखना चाहिए।
- कमरा छोड़ने के आधा घंटा पहले ए॰सी॰ ऑफ कर देना चाहिए।
- ए॰सी॰ के एअर फिल्टर तथा कण्डेंसर क्वाइल को समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए।
- ए॰सी॰ के थर्मोस्टेट को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करना चाहिए। इससे कम खर्च में आरामदायक ठंडक मिलती है।
- पेड़ों से ढकी दीवारें तथा खिड़कियां 40 प्रतिशत तक ऊर्जा की खपत में कमी करती है।

वाटर हीटर (गीजर)

- गरम पानी के पाइप पर थर्मल इन्सुलेशन को लपेटना चाहिए ताकि ऊष्मा की हानि न हो।
- सही ग्रेड के प्लास्टिक पाइप का प्रयोग करना चाहिए।
- गीजर की थर्मोस्टेट की सेटिंग निम्न स्तर पर अर्थात् 60 डिग्री सै॰ के स्थान पर 50 डिग्री सै॰ पर करना चाहिए। इससे 20 प्रतिशत तक विद्युत ऊर्जा की बचत होती है।

माइक्रोवेव अवन

- माइक्रोवेव अवन में भोजन साधारण अवन की अपेक्षा आधे समय में बनता है। इससे 50 प्रतिशत ऊर्जा तथा समय की बचत होती है।
- इस अवन में खाना बनाते समय पदार्थों की अधिक मात्रा किनारे की तरफ रखनी चाहिए क्योंकि इसमें खाना किनारे से बीच की तरफ पकता है।
- इस अवन को फुललोड पर चलाना चाहिए, खाली नहीं चलाना चाहिए।

इलेक्ट्रिक कैटल

- विद्युत कैटल में आवश्यकतानुसार ही पानी गरम करना चाहिए।
- थर्मोस्टेट स्विच तथा कुचालक पदार्थ से बनी हैंडल वाली ही कैटल खरीदनी चाहिए।
- कैटल को समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए ताकि उसके एलिमैंट पर स्केल जमा न हो सके।

कम्प्यूटर

- जब कम्प्यूटर की आवश्यकता न हो तो उसे ऑफ कर देना चाहिए।
- जब कम्प्यूटर को ऑन रखना आवश्यक हो तो उसके मॉनिटर को ऑफ कर देना चाहिए। इससे 50 प्रतिशत विद्युत ऊर्जा की बचत होती है।
- कम्प्यूटर की सैटिंग इस प्रकार करना चाहिए कि आवश्यकता न होने पर वह स्लीप मोड में आ जाए। इससे भी 40 प्रतिशत विद्युत ऊर्जा की बचत होती है।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

रेफ्रीजरेटर

- रेफ्रीजरेटर या फ्रिज में गरम सामान नहीं रखना चाहिए।
- फ्रिज की कण्डेंसर क्वाइल के दीवार से दूर रखना चाहिए, जिससे उसको ठंडा होने के लिए पर्याप्त हवा मिल सकें।
- रेफ्रीजरेटर के दरवाजे को बार-बार नहीं खोलना चाहिए तथा इसके दरवाजे की गास्केट साफ तथा टाइट होनी चाहिए।
- फ्रिज के पीछे की दीवार छिदसुक्त सामग्री (पोरस ईंट/जाली) से बनानी चाहिए।
- रेफ्रीजरेटर को समय-समय पर डिफ्रास्ट करना चाहिए। इस कार्य हेतु आधे घंटे के लिए विद्युत आपूर्ति बंद भी की जा सकती है।

रसोई में ऊर्जा की बचत

- गरम करने के प्रयोग में आने वाले बर्तन ऊष्मा के सुचालक होने चाहिए। आजकल स्टील के बर्तनों के पैंदे पर भी तांबे का तला लगा मिल जाता है, जो ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। इससे गैस की कम खपत होगी।
- दालों तथा सब्जियों को उबालने से पूर्व आधा घंटा भिगो देना चाहिए जिससे उबालने में कम ऊर्जा व्यय होगी। इस कार्य में कुकर या बंद बर्तन का प्रयोग करना चाहिए।
- किसी द्रव को उबालने के लिए ढक्कन लगे बर्तन में आधा गरम होने तक तेज गति से ऊष्मा देनी चाहिए तथा बाद में धीरे-धीरे गरम करने से ईंधन की बचत होती है।
- सोलर चूल्हों, सोलर गीजर, सोलर लाइट का उपयोग सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार लकड़ी व कोयले के स्थान पर गैस ईंधन का प्रयोग करना चाहिए।
- रसोई में बैठकर खाना बनाने की अपेक्षा स्टेंडिंग किचन सिस्टम से कार्य जल्दी सम्पन्न होता है तथा ऊर्जा में बचत होती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जहां घरों में पशुपालन किया जाता है, वहां गोबर गैस संयंत्र लगाकर कुकिंग गैस तथा कम्पोस्ट खाद प्राप्त की जा सकती है।
- सामान्य बल्ब (इन्फैण्डैसेन्ट) तथा सी॰एफ॰एल॰ की तुलना में लेड बल्ब (एलईडी) ऊर्जा की बचत करने में सहायक होता है।

इमारतों में बिजली की बचत एवं ऊर्जा संरक्षण के लिए अमेरिका में बुद्धिमान (इंटेलीजेंट) इमारतों की कल्पना साकार हो चुकी है। वस्तुतः बुद्धिमान इमारतें बाहर से कांच से घिरी हुई दिखाई पड़ती हैं। विशेष रूप से निर्मित ये कांच इन्फ्रारेड किरणों के रूप में आने वाले सूर्य के उच्च ताप को तो रोक देते हैं परन्तु प्रकाश की किरणों को बिना किसी रुकावट के अंदर प्रवेश करने देते हैं। हमारे देश में पहली बुद्धिमान इमारत मुम्बई में, तत्पश्चात् पुणे एवं दिल्ली में बनी है।

कृषि में ऊर्जा की बचत

कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के लिए ऊर्जा दक्षता वाले पंपों के विकास से भी काफी मात्रा में ऊर्जा की बचत हो सकती है। पंप के लिए प्रयोग किए जाने वाले संयंत्रों की ऊर्जाधारिता की उचित गणना बहुत जरूरी है। ऐसे संयंत्रों की जरूरत से अधिक शक्ति होने पर अधिक ऊर्जा का नाहक उपयोग होगा। इसी प्रकार गांवों में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली द्वारा सिंचाई ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों तथा बहुमूल्य बिजली को बचाने में बहुत सहायक होगी। ट्रैक्टरों में भी ऊर्जा दक्ष इंजन लगाकर ऊर्जा संरक्षण की दिशा में सार्थक कदम उठाया जा सकता है।

यातायात के क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण

यातायात के क्षेत्र में भी पेट्रोल और डीजल की काफी बचत वाहनों के ऊर्जा दक्ष इंजनों के विकास द्वारा की जा सकती है। इस हेतु निम्नांकित सुझाव है–

- कार 45—55 कि॰मी॰ प्रतिघंटा की गति से चलाए।
- इंजन की नियमित ट्यूनिंग से 6 प्रतिशत पेट्रोल में बचत।
- टायरों में हमेशा हवा के दबाव का ध्यान रखें, कम हवा होने से पेट्रोल की खपत में वृद्धि।
- कार रोकते समय या लालबत्ती पर इंजन बंद कर दें।
- गाड़ी सही गियर में चलाएं।
- कार में इंजन हीटिंग सिस्टम लगवाएं।
- एयरफिल्टर की सामयिक सफाई।
- सही रास्ता चुनकर ड्राइविंग करे।
- कार पूल बनाकर साथ में यात्रा करने की आदत डालें।
- ब्रेक का सही प्रयोग करें।
- क्लच से पांव हटाकर गाड़ी चलाएं।
- गाड़ी को ओवरलोड नहीं करें इससे ईंधन अधिक खर्च होता है।

ऊर्जा का संरक्षण सरकारी मुद्दा न बनकर आम नागरिक का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए तथा इस सद्कार्य की शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए।

''गुरु कृपा''

ब्रह्मपुरी, हजारी चबूतरा,
जोधपुर-342001

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)(24-

'एक प्रवासी भारतीय' के 'सत्याग्रही महात्मा' बनने की यात्रा

–शोभना जैन

नौ जनवरी 1915, अरब सागर की शांत-सी लहरों के बीच एक जहाज धीरे-धीरे मुंबई के अपोलो बंदर बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है, समुद्र के किनारे बड़ी तादाद में लोग जहाज की दिशा में टकटकी बांधे ''महात्मा, महात्मा'' के नारे लगा रहे हैं, ''सत्याग्रही'' की मद्धम आवाजें माहौल में जब तब गूंज उठती है भीड़ का उत्साह बेकाबू होता जा रहा है, भीड़ के जुनून को देख कर लग रहा है, वे किसी ''देवदूत'' का इंतजार कर रहे हैं जो आजादी की 'क़ैद कर दी हवा' उनके लिये खोल देगा, उन्हें बेड़ियों से आजाद कर देगा। लेकिन दूर जहाज पर लंदन के रास्ते दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौट रहा दुबला पतला-सा एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा है, वह देख तो भीड़ की तरफ रहा है, उसकी नजरें भले ही उनकी तरफ है लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, समुद्र शांत है लेकिन उसके मन में बवंडर उठ रहे हैं, उसके मन में लगातार बीते कल के साथ-साथ आने वाले कल को लेकर विचारों का मंथन चल रहा है ''इन सब के मन में दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के हकों की सफल लड़ाई लड़कर वापस आने वाले सत्याग्रही को लेकर कितनी उम्मीदें हैं, यहां कर अपने देश में आजादी का शंखनाद करने को लेकर इतनी अपेक्षायें, आजादी की खुली हवा में सांस लेने की बैचेनी, इतने सपने, इतनी उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेवारी...'' जन समूह की बैचेनी लगातार उस व्यक्ति की बैचेनी भी बढ़ा रही है, उनके मन में अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के पन्ने-दर-पन्ने खुलते जा रहे हैं...

जहाज के डेक पर खड़े उस व्यक्ति की सूनी-सी आंखें नम हो रही हैं। यह व्यक्ति है गुजरात के मोहनदास करमचंद गांधी। केवल 24 साल की उम्र में वर्ष 1893 में मोहनदास अपना देश छोड़ सात समुद्र पार दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गया। यह व्यक्ति 21 बरस बाद एक सफल वकील नहीं एक ''महात्मा'' और ''सत्याग्रही'' बन लौटा है, वहां नस्ली हिंसा के शिकार भारतवंशियों के हकों की ''अहिंसक सफल लड़ाई'' लड़ने की गाथायें सुन-सुन कर, उसके देश के लोगों ने कितनी ही उम्मीदें लगा रखी हैं। जहाज के डेक पर खड़े उस दुबले-पतले व्यक्ति के मन में स्मृतियों की फिल्म-सी चल रही है। ''तेरहवां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह'' वर्ष 2015 अपने एक प्रवासी मोहन दास गांधी के ''महात्मा'' बन स्वदेश लौटने और देश की आजादी की लड़ाई में स्वयं को समर्पित कर देश को आजाद कराने वाले इसी ''सत्याग्रही महात्मा'' को

समर्पित है। पूरा देश अपने इसी ''सर्वश्रेष्ठ प्रवासी भारतीय'' की स्वदेश वापसी के ''शताब्दी वर्ष'' को ''उत्सव'' के रूप में मना रहा है और उनसे नई ऊर्जा और प्रेरणा ले रहा है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस समारोह में अपने इस ''सर्वश्रेष्ठ प्रवासी भारतीय'' की स्मृति को नमन किया। महात्मा गांधी की स्मृति की खुशबू से सराबोर इस समारोह स्थल का नाम केवल 'महात्मा मंदिर' रखा गया बल्कि इस अवसर पर उनके जीवन के अनेक जाने-अनजाने पहलुओं संबंधी अनेक कार्यक्रम भी रखे गये।

जहाज पर खड़े ''महात्मा'' के मन में दक्षिण अफ्रीका प्रवास का एक-एक लम्हा मानों फिर से ''जिन्दा'' हो उठा है। कैसा भाग्य चक्र था, जिसने उनके लिये एक अलग रास्ता तय कर रखा था, उनका मन लगातार यादों में भटक रहा है... विलायत से बेरिस्टेरी की पढ़ाई करने के बावजूद मुंबई और अपने गृह राज्य गुजरात में जब वकालत चली नहीं तो कैसे 1893 में एकाएक दक्षिण अफ्रीका के एक भारतवंशी कारोबारी दादा अब्दुला को अपने संबंधियों से कारोबारी लेन-देन को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिये गुजराती भाषा जानने वाले वकील की जरूरत पड़ी और किसी ने उन्हें दूर देश गुजरात में मोहन दास का नाम सुझाया। उन्होंने मोहनदास के दक्षिण अफ्रीका आने की यात्रा व्यवस्था की और वे ''एस॰एस॰सफारी'' जहाज पर रवाना होकर 24 मई, 1893 को ''डर्बन'' उतरे जहां सिर्फ वकालत ही नहीं बल्कि इस सदी के ''एक महानायक'' की भूमिका

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

उनका इंतजार कर रही थी। वह वक्त ऐसा था जब कि वहां ''गिरमिटिया प्रवासी भारतीयों'' के साथ नस्लभेद और भेदभाव का मुद्दा गर्म था, रोजी-रोटी की खातिर अपने घरों से हजारों मील दूर गये इन भारतीयों की ''बदहाली'' की झलक उन्हें जाते ही मिल गयी, वहां जाने के चंद रोज बाद ही उनके मुवक्किल अब्दुल्ला उन्हें मुकदमें के सुनवाई से पहले अदालत दिखाने ले गये, लेकिन अदालत में घुसने से पहले उन्हें उनकी ''पगड़ी'' उतार उसे अदालत से बाहर रखने को कहा गया, मोहनदास ने साफ इंकार करते हुए कहा ''पगड़ी उतारना भारत में अनादर माना जाता है'' और वे अदालत के दरवाजे से बाहर ही लौट गये। एक स्थानीय अखबार 'नटाल एड्वरटाईजर' द्वारा ''सम्मान'' को सर्वोपरी मानने वाले इस ''प्रवासी भारतीय'' की यह खबर छापते ही ''आत्मसम्मान'' पाने के लिये बैचेन भारतवंशियों में इस प्रवासी के आने की खबर फैल गयी। दक्षिण अफ्रीका में भारतवंशियों के साथ हो रहे नस्ली भेदभाव के खिलाफ यह बीज था जो बाद में 7 जून, 1893 को 'पीटरमेरिट्ज' रेलवे स्टेशन पर फूटा जो अब इतिहास का एक अमिट पन्ना बन चुका है। मोहन दास एक मुकदमे के लिये प्रीतोरिया जाने के लिये इस रेलवे स्टेशन से एक रेलगाड़ी पर सवार होने लगे, प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हे तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा गया जब उन्होंने इंकार किया तो उन्हें गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। ठंड से ठिठुरती रात में रात भर वे स्टेशन पर इस नस्ली भेदभाव के बारे में सोचते रहे, क्या करे वापस जाये, यहीं रह कर इसका मुकाबला करें? आज भी इस स्टेशन पर एक पट्टिका लगी है, जिसमें लिखा है 'इसी जगह के पास 7 जून, 1893 को एम॰के॰ गांधी को रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया था, इस घटना ने उनकी जीवन धारा मोड़ दी, और नस्ली भेदभाव के खिलाफ उन्होंने लड़ाई छेड़ दी, और यहीं से शुरू हुआ उनका अहिंसक आंदोलन।''

एक के बाद एक स्मृतियां...चल रही थीं गांधी के मन में... दक्षिण अफ्रीका में उनके ''भारतीय स्वाभिमान'' की खबरें जोरों पर कही सुनी जा रही थी। एक साल बाद 1894 में आपसी सुलह से उनके मुवक्किल अब्दुल्ला के पक्ष में अदालती फैसला हो गया, गांधी ने भी काम पूरा होने पर स्वदेश लौटने का मन बना लिया, अब्दुल्ला ने जाने से पहले उनके सम्मान में एक ''विदाई दावत'' दी लेकिन उस दावत में देश की नेशनल असेंबली में पेश किये जाने वाला वह बिल छाया रहा, जिसमें भारतीयों को मतदाता सूची से हटाने का प्रावधान था। दावत में मौजूद कुछ भारतवंशियों ने गांधी जी से आग्रह किया कि वह उनकी तरफ से इस फैसले के खिलाफ मुकदमा लड़े। नियति सारे मोड़ एक खास दिशा में ले जा रही थी, गांधीजी ने लिखा ''यह विदाई भोज'' एक ''कार्यकारिणी मीटिंग'' बन गया, ईश्वर ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे जीवन की बुनियाद डाल रख दी थी और 'राष्ट्रीय आत्मसम्मान का बिरवा' रोप दिया था। रात भर बैठ उन्होंने उस कानून के खिलाफ अपील तैयार की। महीने भर के अंदर लगभग 10,000 भारतवंशियों ने उस अपील पर हस्ताक्षर कर दिये,

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)(24-

अपील के बाद वहां के कोलोनिअल सचिव लॉर्ड रिपन ने हालांकि उस वक्त फैसले पर अमल पर अस्थाई तौर पर रोक दिया लेकिन 1896 में सरकार ने एक कानून पास करके गैर-योरोपियन मूल के लोगों के मत देने पर आखिरकार पाबंदी लगा दी। गांधी को लग गया था कि यहां लड़ाई लंबी होगी, उस रात विदाई भोज में शामिल कुछ लोगों के साथ उन्होंने ''नटाल इंडियन कांग्रेस'' बनाई जिसनें 1893 से 1906 के दौरान ''सत्याग्रह आंदोलनों'' में अहम भूमिका निभाई। भारतवंशियों के हितों को लेकर किये जा रहे संघर्ष, निरंतर बढ़ते प्रभाव और खास तौर पर अहिंसक आंदोलन शैली से नटाल की गोरी सरकार बौखलाने लगी थी, आखिरकार गांधी ने अपना पड़ाव जॉहनिसबर्ग बनाने का फैसला किया। वर्ष 1896 में कुछ समय के लिये गांधी स्वदेश आये और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतवंशियों की बदहाली और उनके साथ होने वाले नस्ली भेदभाव के बारे में भाषण दिये। वापसी में अपने परिवार, पत्नी कस्तूरबा और दोनों बेटों के साथ वापस लौटने तक गोरी सरकार की उन्हें लेकर दहशत और बढ़ चुकी थी, उन्हें बहाना बना कर जहाज से उतरने नहीं दिया गया। आखिरकार 20 दिन तक उनके जहाज एस॰एस॰ कोर्टलैंड तथा भारत से आये एक अन्य जहाज को समुद्र में रोके जाने के बाद उन्हें समुद्र तट पर पैर रखने दिया गया। यह काल खंड और भी अधिक सरगर्मियों से भरा रहा।

17 अक्तूबर, 1899 में दक्षिण अफ्रीका युद्ध के बाद उन्होंने कुछ भारतवंशियों को उनकी असहमति के बावजूद अम्बुलेंस कोर बनाने के लिये मनाया, ताकि सौहार्दपूर्ण ढंग से गोरी सरकार उन सब के खिलाफ नस्ली भेद कम कर सके। नित नयी-नयी भूमिकायें उनके साथ जुड़ रही थीं। इसी दौरान उन्होंने ''इंडियन ओपिनियन'' प्रकाशन निकाला जिसने वहां भारतवंशियों को वाणी दी। गांधीजी ने कहा भी 'इस प्रकाशन के बिना सत्याग्रह संभव नहीं था'। 30 मई, 1910 को सत्याग्रहियों के रहने के लिये टॉल्स्टॉय फार्म उनके

मित्र हरमन कलेन्बश ने सत्याग्रहियों के रहने के लिये दान में दे दिया, जहां गांधी जी ने सारा काम खुद करना शुरू किया और दूसरों को भी यही करने को कहा। वे सोच रहे थे 'अपने हाथ से अपना काम करने में गौरव पाने का अहसास मुझे यहीं से मिला'। एक के बाद एक गोरी सरकार के काले कानून आ रहे थे। गांधी के नेतृत्व में भारतवंशियों में बढ़ता जन असंतोष सत्याग्रह की शक्ल ले चुका था। 11 सितंबर, 1906 जॉहनिसबर्ग में हुई एक सभा ''सत्याग्रह'' अभियान मानी गयी और ऐसी सभाओं में हिस्सा लेने वाले भारतवंशी को ''सत्याग्रही'' कहलाये। वर्ष 1914 में भारत लौटने से पहले गांधीजी ने सत्याग्रहियों को ''पृथ्वी का संभवत: सबसे शक्तिशाली यंत्र'' माना और भारत की स्वाधीनता संघर्ष ने यह साबित भी कर दिया। सत्याग्रह के दौरान वर्ष 1908 से 1913 तक उन्हें चार बार जेल भी जाना पड़ा। कस्तूरबा को भी जेल हुई और उन्हें वहां सात माह 10 दिन की कैद काटनी पड़ी। लेकिन इसी सत्याग्रह ने वहां के प्रशासन की चूलें हिला दीं। लोग रात खुले आसमान के नीचे खुली जेल में सत्याग्रह करते हुए काटते, सत्याग्रह का सिलसिला जारी था कोयला मजदूरों, गन्ने के खेतों में काम करने वाले कामगारों के गांधी की अगुआई में सत्याग्रह के साथ प्रदर्शन जारी थे। वर्ष 1913 में गांधीजी ने 2,000 भारतीय कोयला खान मजदूरों और गन्ने के खेतों में काम कर रहे मजदूरों द्वारा किये जा रहे मार्च का नेतृत्व किया, आखिरकार 30 जून, 1914 को गांधी जी व तत्कालीन कोलोनियल सेक्रेटरी जनरल स्मुट्स के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारतीयों के खिलाफ लगी शर्तों को कुछ ढीला किया गया और उसके बदले में गांधीजी ने ''सत्याग्रह आंदोलन'' वापस ले लिया, भारतवंशियों के लिये हालात कुछ बेहतर बनाने के संतोष के साथ गांधीजी ने स्वदेश लौटने का फैसला किया... 9 जनवरी 1914 को दक्षिण अफ्रीका के अपने अनुभवों को संजोये वे अब स्वदेश लौट रहे हैं... यादों में डूबते, उतरते अब समुद्र के साथ मन भी शांत होने लगा है, प्रशंसकों का शोर और नारेबाजी बढ़ती जा रही है, गांधीजी के चेहरे पर द्वंद्व और परेशानी की लकीरें मिटने लगी हैं, एक उजली-सी राह साफ नजर आने लगी है, एक नया विश्वास चेहरे पर चमकने लगा है...और फिर सत्याग्रह और अहिंसा का सबसे बड़ा सहारा तो अब साथ है ही और साथ है करोड़ों अपनों का भरोसा और आजादी की खुली हवा में सांस लेने की उनकी अदम्य इच्छा। जहाज तट को छू रहा है। अचानक देश में वापस आ कर सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, यह सोच रहे हैं वे अब...

वी एन आई।

(साभार-पत्र सूचना कार्यालय)

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

हिंदी के अथक साधक: मदनमोहन मालवीय

–राकेश शर्मा ''निशीथ''

मालवीय जी एक महान देशभक्त, राजनेता, अद्‌भुत वक्ता, निर्भीक पत्रकार, समाज सुधारक, हिंदी के सबसे बड़े प्रवर्तक तथा पोषक, अपने समय के उच्च न्यायालय के सफलतम अधिवक्ता, आर्थिक सुधारों के चिंतक, मिष्टभाषी, सत्य और मैत्री के उपासक तथा आदर्श आचरण के व्यक्तित्व के धनी थे। आधुनिक भारत के निर्माताओं में उनका अद्वितीय स्थान है। वे भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम मूर्तिमान रूप थे। वे किसी भी राजनीतिक दल से पूर्ण रूप से जुड़े नहीं थे, परन्तु भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी समस्त शक्ति समर्पित करने वाले राजनीतिज्ञों में अग्रगण्य थे। इसी कारण ही मालवीय जी को महामना कहा गया।

ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य कर्नल बैजवुड ने मालवीय जी द्वारा भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में की गई सेवाओं का स्मरण करते हुए कहा था, ''सारा यूरोप भली–भांति जानता है कि भारतीय शिक्षा का क्षेत्र मालवीय जी का कितना ऋणी है। मैंने आज तक कोई दूसरा शिक्षा संस्थान नहीं देखा, जो मुख्यत: एक ही व्यक्ति की कृति हो। यदि पं॰ मालवीय जी राजनीतिज्ञ न होते तो वे शिक्षा संसार के सबसे बड़े नेता के रूप में मान्य किये जाते और यदि उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की सृष्टि न की होती तो वे संसार के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते। भारत और पाश्चात्य देशों के इतिहास में यह बड़ा विचित्र समन्वय है।''

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का एक सामाजिक–राजनीतिक सुधारक के रूप में ऐसे समय उदय हुआ जब पूरा देश विकट परिस्थितियों में गुजर रहा था। उस समय देश गुलाम था। उनका जन्म 25 दिसम्बर, 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहबाद शहर में हुआ। उनके पिता पं॰ ब्रजनाथ और मां का नाम मूनी देवी था। दोनों आध्यात्मिक प्रकृति के थे और सनातन धर्म में आस्था रखते थे। उनके पूर्वज मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के निवासी थे। 15वीं सदी में वे उत्तर प्रदेश चले आए। मालवा का होने के कारण वे लोग मल्लई कहलाते थे, जो बाद में मालवीय हो गया।

मालवीय जी की आरंभिक शिक्षा इलाहबाद में पूरी हुई। उन्होंने मकरंद के नाम से 15 वर्ष की आयु में कविता लिखना आरंभ कर दिया था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह मिर्जापुर के पंडित नंद लाल जी की सुपुत्री कुंदन देवी के साथ हुआ। वर्ष 1868 में उन्होंने प्रयाग सरकारी हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके उपरान्त उन्होंने मायर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए वर्ष 1880 में उन्होंने अपने गुरु पं॰ आदित्यराम भट्टाचार्य के नेतृत्व में हिंदू समाज नामक सामाजिक सेवा संघ स्थापित किया। वे स्कूल के साथ–साथ कॉलेज में भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे।

उन्होंने अनेक संगठनों की स्थापना की तथा सनातन धर्म के हिंदू विचारों को प्रोत्साहन देने तथा भारत को सशक्त और दुनिया का विकसित देश बनाने के लिए उच्च स्तर की पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने प्रयाग हिंदू समाज की स्थापना की और समकालीन मुद्दों और देश की समस्याओं पर अनेक लेख लिखे। वर्ष 1884 में ''हिंदी–उद्धारिणी–प्रतिनिधि–मध्य–सभा'' प्रयाग में खुली। इसका उद्देश्य नागरिकों को उसका अधिकार दिलाना था। मालवीय जी ने इसमें दिल खोलकर काम किया, व्याख्यान दिये, लेख लिखे और अपने मित्रों को भी इस काम में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित किया। मालवीय जी ने अपने ही देश में विदेशी भाषाओं के स्थान पर नागरी को समुचित स्थान दिलाने का प्रयास में हिंदी का प्रचलन अपने ही प्रदेश में आरंभ किया।

मालवीय जी के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान वर्ष 1886 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे वार्षिक अधिवेशन से हुई। वहां उन्होंने जो भाषण दिया, उससे कालाकांकर के राजा रामपाल सिंह प्रभावित हुए। वे 'हिन्दुस्तान' नामक एक साप्ताहिक समाचारपत्र निकालते थे। इसे वे दैनिक बनाना चाहते थे। उन्होंने मालवीय जी से इसका संपादक बनने का प्रस्ताव रखा। मालवीय जी बेहद स्वाभिमानी थे और अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करते थे। उन्होंने अपनी कुछ शर्तों सहित इसे स्वीकार किया।

वे एक प्रखर पत्रकार थे और हिंदी पत्रकारिता करते हुए उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार का काम किया। मालवीय जी को हिंदी के अखबारों का जनक कहना भी अतिश्योक्ति न होगी। कालाकांकर के हिन्दुस्तान का संपादन करने के बाद प्रयाग से वर्ष 1907 में प्रकाशित ''अभ्युदय'' व उसके बाद ''मर्यादा'' ने अपने समाचारपत्र संपादकीय से जो अतिशय सफलता पाई वह बाद में प्रकाशित होने वाले अन्य समाचारपत्रों के लिए मार्गदर्शक बनी। वर्ष 1909 में उन्होंने 'लीडर'' नामक समाचारपत्र का प्रकाशन आरंभ किया और वर्ष 1924 से 1946 तक दिल्ली से प्रकाशित हिन्दुस्तान टाइम्स से भी संबद्ध रहे। साथ ही ''किसान'' और ''मर्यादा'' नामक पत्रों का संपादन किया। ''लीडर'' के हिंदी संस्करण ''भारत'' और ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' का हिंदी संस्करण ''हिन्दुस्तान'' निकला।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)(24-

मालवीय जी अहिंसा के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी के श्रद्धा पात्र एवं नियम विधान के पाबंद थे। मालवीय जी उन चंद महापुरुषों में से थे, जिनके गांधी जी चरणस्पर्श करते थे। दोनों ही अपने सिद्धांतों पर अटल रहा करते थे और कभी-कभी इसके चलते उनमें वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो जाते थे। परन्तु परस्पर सम्मान पर कायम उनके संबंधों में यह भी बाधक नहीं बना। मालवीय जी कानून के भी अच्छे जानकार थे। वर्ष 1891 में वह बैरिस्टर बने और इलाहबाद उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ की। वकालत के दौरान उन्हें गरीबों का वकील कहा जाता था। वह झूठा मुकदमा नहीं लेते थे। इन दिनों उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुकदमों में पैरवी भी की। वर्ष 1913 में उन्होंने वकालत छोड़ दी थी लेकिन ब्रिटिश राज से आजादी के लिए राष्ट्र की सेवा करने का फैसला लिया। लेकिन जब गोरखपुर के ऐतिहासिक चौरीचौरा कांड में 170 लोगों को फांसी की सजा हुई तब इलाहाबाद हाइकोर्ट में मालवीय जी ने अपनी बहस से इनमें से 150 लोगों को फांसी के फंदे से बचा लिया।

उन्होंने लिखा है, ''मैं एक गरीब ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। इसलिए पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए एक सेठ के छोटे बच्चे को पढ़ाने जाता था। धार्मिक भावों के प्रति मेरा रुझान बचपन से था। स्कूल जाने के पहले मैं रोज हनुमान जी के दर्शन करने जाता था।'' वे भारतीय विद्यार्थी के मार्ग में आने वाली भावी मुसीबतों को जानते थे। उनका कहना था, ''छात्रों की सबसे बड़ी कठिनता यह है कि शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा न होकर एक विदेशी भाषा है। सभ्य संसार के किसी भी अन्य भूभाग में उन समुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है।''

राष्ट्रभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि के प्रति उनका अटूट प्रेम था। उन्होंने वर्ष 1898 में संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) के लेफ्टिनेंट गर्वनर को हिंदी के विषय में ज्ञापन दिया तथा तीन वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद कचहरियों में प्रचलित फारसी के साथ देवनागरी लिपि को भी स्वीकृत कराया। राजनीतिक गतिविधियों के अतिरिक्त मालवीय जी साहित्यिक गतिविधियों से भी जुड़े रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की अदालतों और कार्यालयों में हिंदी के व्यवहार योग्य भाषा के रूप में स्वीकृत कराया। वर्ष 1900 में हिंदी को सरकारी काम-काज की भाषा मान लिया गया। वे हिंदी में भाषण दिया करते थे।

मालवीय जी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अंतिम क्षणों तक इसका मार्ग दर्शन करते रहे। वर्ष 1910 में मालवीय के सहयोग से इलाहाबाद में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की नींव पड़ी। वे अखिल भारतीय सनातन धर्म महासभा के संस्थापक व आजीवन अध्यक्ष रहे। उन्होंने संगीत विद्या को भी कोठे की चारदिवारियों से बाहर निकाल कर पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठापित किया। वर्ष 1919 में, प्रयाग में कुंभ के पावन अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए प्रयाग सेवा समिति की शुरुआत की। मालवीय जी स्वदेशी आंदोलन की भी नींव डालने वालों में अग्रणी थे। वर्ष 1881 में उन्होंने देशी तिजारत कंपनी का गठन किया। इसके बाद 1907 में उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल कांफ्रेंस का भी आयोजन किया।

मालवीय जी स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे। पहली बार वर्ष 1886 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में शामिल हुए। वे चार बार 1909 लाहौर, 1918 दिल्ली तथा 1932 और 1933 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के सभापति रहे। 28 जून, 1935 को लाहौर में मुसलमानों की सभा में उन्होंने कहा था, ''हिंदू और मुसलमानों की एकता को, स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला पहला चरण समझना चाहिए। यह हम लोगों के लिए कम लज्जा की बात नहीं है कि हमें अपनी सुरक्षा और हित के लिए विदेशियों का मुंह ताकना पड़े। मुझे अपने धर्म में बड़ी प्रबल आस्था है, किंतु जब मैं किसी गिरजाघर या मस्जिद के सामने से निकलता हूं तो मेरा सिर स्वयं श्रद्धा के साथ झुक जाता है।''

उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश निषेध की बुराई के विरोध में संपूर्ण राष्ट्र में आंदोलन चलाया। 1 अगस्त, 1936 को काशी में महात्मा गांधी के एक वर्षीय हरिजनोद्धार कार्यक्रम के समापन पर आयोजित सभा में मालवीय जी ने एक रूढ़िवादी विद्वान के भाषण के जवाब में अपने भाषण में कहा, ''मेरी समझ में नहीं आता कि करोड़ों गरीब हिंदुओं को धर्माचरण और देवदर्शन से वंचित रखना कौन-सा धर्म है। यह वही काशी नगरी है, जहां रैदास और कबीर जैसे भक्त हुए हैं, जहां स्वयं शंकर भगवान ने चांडाल का वेष धरकर भगवान शंकराचार्य को सब जीवों की एकता का उपदेश दिया। उस नगरी में एक विद्वान धर्माचार्य कैसे इतने बड़े अधर्म की बात कहता है? कैसे वह भगवान को भक्त से दूर रखने का साहस करता है। कैसे वह छुआछूत के नाम पर पवित्र राम-नाम और शिव का नाम लेने से उन्हें रोकता है, जिसके उच्चारण से उन्हें मुक्ति मिलती है?''

मालवीय जी का उदार हिंदुत्व किसी धर्म या समुदाय का विरोधी नहीं था। हिंदू जागरण के अग्रणी नायक के रूप में उनका नाम प्रसिद्ध है। लेकिन वह सभी धर्मों और समुदायों की अधिकार रक्षा के प्रति सजग भी रहे। हिंदू महासभा से जुड़े होने पर भी वे मुस्लिम लीग के अधिवेशन में भी भाग लेते थे। हिंदुओं की जाति-वर्ण संबंधी रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए उन्होंने दलितों को मंत्र दीक्षा देने का ऐतिहासिक कार्य भी किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में मालवीय जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा। मालवीय जी के अनुसार जनता की बदहाली का कारण अशिक्षा है। 20वीं सदी के पहले दशक में उन्होंने विशेष रूप से हिंदुओं के लिए तथा सामान्य रूप से सभी के लिए एक ऐसा हिंदु विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया जहां हिंदु धर्म और संस्कृति के अलावा प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान की उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके और जो भारत की प्राचीन गुरुकुल पद्धति को आधुनिक रूप से आगे बढ़ाए। इसके लिए उन्होंने स्वयं ही धन एकत्रित करने का बीड़ा उठाया। विश्वविद्यालय के लिए हिंदुओं की आस्था नगरी वाराणसी को चुना गया। वाराणसी के तत्कालीन नरेश ने इस कार्य के लिए 1,300 एकड़ भूमि उन्हें दान में दी। मालवीय जी भारत के कोने-कोने में घूम कर विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्रित करते रहे। इसलिए उन्हें भारत का भिक्षु सम्राट कहा जाने लगा।

उनके अथक परिश्रम के कारण 04 फरवरी, 1916 को वसंत पंचमी के दिन बनारस हिंदु विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर भवन की नींव तत्कालीन भारत के वाइस राय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रखी गई। विश्वविद्यालय का नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रखा गया। लगभग तीन दशक तक कुलपति के रूप में उन्होंने विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन किया। मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदु विश्वविद्यालय के रूप में देश में पहली बार एक पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल की। जिस तरह से नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। इसके एक ही परिसर में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि विज्ञान, तकनीकी, संगीत और ललित कलाओं की पढ़ाई संभव हुई।

मालवीय जी का कहना था कि पुरुषों की शिक्षा से स्त्रियों की शिक्षा कहीं अधिक अर्थवान है। उन्होंने कहा था, ''स्त्रियां हमारे भावी राजनीतिज्ञों, विद्वानों, तत्वज्ञानियों, व्यापार तथा कला-कौशल के नेताओं की प्रथम शिक्षिका है। उनकी शिक्षा का प्रभाव भारत के भावी नागरिकों की शिक्षा पर विशेष रूप से पड़ेगा।'' उनका मानना था कि पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण स्त्रियों की शिक्षा है, क्योंकि वे ही देश की भावी संतानों की माताएं हैं।

मालवीय जी ने हिंदी साहित्य की भी सेवा की। तब वे मकरंद और झक्कड़ सिंह उपनाम से लिखते थे। उनका कथन था कि ''जहां लोग हिंदी जानते हैं वहां आपस में हिंदी में वार्तालाप न करना देशद्रोह के समान अपराध है।'' आधुनिक काल में हिंदी के निर्माण और विकास का सर्वाधिक श्रेय स्वामी दयानन्द, महात्मा गांधी और मदनमोहन मालवीय को दिया जाता है। मालवीय जी की मातृभाषा हिंदी थी। देश की एकता के लिए उन्होंने प्राचीन वैदिक संस्कृति और आर्य भाषा हिंदी को सम्बल दिया।

वर्ष 1919 में मुम्बई में राष्ट्रभाषा के संबंध में उन्होंने कहा था, ''वह कौन-सी भाषा है, जो वृन्दावन, बद्रीनारायण, द्वारका, जगन्नाथपुरी इत्यादि चारों धामों तक एक समान धार्मिक यात्रियों को सहायता देती है? वह एक हिंदी भाषा है। लिंग्वा फ्रेंका, लिंग्वा फ्रेंका ही क्यों लिंग्वा इंडिका है। गुरु नानकजी लंका, तिब्बत, मक्का और मदीना, चीन इत्यादि सब देशों में गये। वहां उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया था? यही हिंदी भाषा थी। इससे जान पड़ता है कि उस समय भी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा थी, और उसका सार्वजनिक प्रचार था।''

मालवीय जी हिंदु और मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। उनका कहना था, ''हम दोनों में जितना ही बैर या विरोध या अनेकता रहेगी, उतने ही हम दुर्बल रहेंगे। इसीलिए जो जाति इन्हें परस्पर लड़ाने का प्रयत्न करती है, वह देश की शत्रु है।'' उनका कहना था, ''हिंदु और मुसलमान दोनों ही साम्प्रदायिकता से दूर रहें और अपने धर्म के साथ-साथ देश की उपासना करें।''

स्वतंत्रता के कुछ माह पूर्व 12 नवम्बर, 1946 को मालवीय जी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु को राष्ट्रीय क्षति बताते हुए महात्मा गांधी ने कहा, ''मालवीय जी ने देश को अपनी महान सेवाएं प्रदान की। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदु विश्वविद्यालय की स्थापना उनकी सबसे महान सेवा व उपलब्धि रही। यह कार्य उन्हें प्राणों से भी प्रिय था, जिसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। सभी जानते हैं कि मालवीय जी को भिक्षु सम्राट के नाम से जाना जाता है। ईश्वर की कृपा से उन्होंने स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं की अत: उन्हें कभी किसी चीज का अभाव भी नहीं रहा। उक्त कार्य को उन्होंने अपना कर्तव्य माना और स्वेच्छा से भिक्षु भी बने। इसीलिए ईश्वर ने भी उनके पात्र को सदा जरूरत से ज्यादा भरे रखा।''

राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय (मरणोपरांत) और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, ''पंडित मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाना बहुत खुशी की बात है। इन महान हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा का उपयुक्त सम्मान है। पंडित मदन मोहन मालवीय असाधारण विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाते हैं, जिन्होंने लोगों में राष्ट्रीय चेतना की लौ जलाई। अटल जी हर किसी के लिए बहुत अधिक सार्थक हैं। मार्गदर्शक, प्रेरणा और महान से भी महान। भारत के लिए उनका योगदान अमूल्य है।''

* * *

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)(24-

विधि-विज्ञान के प्रतिमान : सूक्ष्म-वनस्पतियों के निशान

-प्रो॰ मुकुल चंद पांडेय

भौतिकता के दौर में आपराधिक घटनाओं का भूचाल-सा आ गया है। समाचारपत्रों में सनसनीखेज खबरें रोमांचित कर देती हैं। आज जैसे-जैसे विज्ञान और भौतिक संसाधन विकसित होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे सामाजिक विन्यास बदलता जा रहा है। भौतिक रूप से संपन्न इस समाज में नये-नये तरीकों का उपयोग आपराधिक कृत्यों में भी किए जा रहे हैं।

किसी भी आपराधिक घटना के सुलझाने, विवेचना या अपराधियों को दंड दिलाने में पुलिस विभाग के साथ-साथ न्यायालिक विज्ञान या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। ये विशेषज्ञ घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांचकर घटनाक्रम में प्रयोग की गयी वस्तुओं व तकनीक का विधिवत विश्लेषण कर अपराधियों की पहचान करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में इन विशेषज्ञों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए अब देश के अनेक विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध पर फोरेंसिक साइंस का अध्ययन आरम्भ हो चुका है। इस समय देश में विधिविज्ञान की पांच केन्द्रीय तथा राज्यस्तर पर अनेक प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इन प्रयोगशालाओं में विज्ञान की आठ शाखाओं के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती हैं। ये विषय हैं:— भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, रूधिर विज्ञान, बैलेस्टिक विज्ञान, विष विज्ञान, चित्रांकन विज्ञान व यथोपयुक्त पत्रजात संरक्षण विज्ञान।

अन्य अनेक साक्ष्यों के साथ-साथ आपराधिक स्थल से प्राप्त होने वाले पादप (वनस्पतियों)साक्ष्यों की भी गहन चर्चा करना प्रासंगिक होता है। अनेक प्रकार के उलझे हुए घटनाक्रम को साक्ष्य विज्ञानियों ने सुलझाया व अपराधियों को सजा दिलायी गयी। यह पादप वैज्ञानिक, न्यायायिक जीवविज्ञानी (फोरेंसिक बायोलाजिस्ट) कहलाते हैं, जिनको घटना स्थल से प्राप्त पशु, पक्षी, मानव या पादप-साक्ष्यों अथवा उनके अवयवों का विश्लेषण करना होता है। विधि विज्ञान के संगत साक्ष्यों को काफी समय तक महत्व नहीं दिया गया क्योंकि इस क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक अधिकतर प्राणिविज्ञान से सम्बन्धित होते थे परन्तु पादप विज्ञानियों की विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं में बढ़ती उपस्थिति व बढ़ती तकनीकी निपुणता ने पादप साक्ष्यों की महत्ता को स्वीकार किया है। वर्ष 2003 की विधिविज्ञान के हैंडबुक में घटना स्थल से प्राप्त पादप साक्ष्यों जैसे — परागकण, बीजाधु, लकड़ी (काष्ठ), रेशे, रूई, बीज, फल, शैवाल, घटनास्थल के आस-पास की वनस्पतियों को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। न्यायालय द्वारा इनको साक्ष्य के आकार-प्रकार के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है:

1. **अदृष्ट साक्ष्य (सूक्ष्मदर्शीय लघुसाक्ष्य)**

ये आकार में अति सूक्ष्म होते हैं तथा इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र (माइक्रोस्कोप) की आवश्यकता होती है जैसे — शैवाल, कवक (फफूंद), बीजाणु, परागकण, इत्यादि। किसी भी घटना स्थल से प्राप्त यह साक्ष्य अपराधी के बारे में संदिग्ध व्यक्ति के वस्त्रों, बालों इत्यादि से प्राप्त होने पर घटनास्थल के विषय में अत्यंत गूढ़ संकेत प्रदान करते हैं।

2. **दृष्ट साक्ष्य (दीर्घदर्शिक— मैक्रोस्कोपिक साक्ष्य)**

यह बड़े आकार के होते हैं, जिनको बिना किसी आवर्धन के नेत्रों द्वारा ही देखा जा सकता है, जैसे—पत्ती, फल, बीज, लकड़ी, रूई, रेशे, पौधों के कांटे आदि।

अदृष्ट साक्ष्य

शैवाल या एल्गी या काई

पानी में पाये जाने वाले हरे रंग के पौधों को शैवाल कहा जाता है, जन भाषा के इसके लिए 'काई' का व्यवहार किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से इनके विशिष्ट गुण धर्मों यथा संरचना, जनन व प्राप्ति स्थान के आधार पर इनको 11 वर्गों में बांटा गया है।

समुद्री जल में अलग प्रजातियां मिलती हैं। इसी प्रकार बहते मीठे पानी व स्थिर रुके हुए मीठे जल में अलग-अलग प्रजातियां पायी जाती हैं। प्रदूषित पानी में भी प्रदूषण की प्रकृति व मात्रा के अनुसार, इनकी प्रजातियां मिलती हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्राप्ति स्थल के गुण धर्मों या पानी, तापमान, व भोज्य पदार्थों के अनुसार एक स्थान विशेष पर विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं, अत: स्पष्ट है कि किसी भी तालाब, नदी, पोखर, झील या समुद्र के स्थान विशेष का जल संसार अति विशिष्ट होता है। विधिविज्ञान के दृष्टिकोण से आदि पानी के भीतर कोई शव मिलता है तो उसकी दो संभावनाएं बनती हैं:

1. **मृत्यु का कारण पानी में डूबना है:** इस दशा में शव के पेट व फेफड़ों में भरे पानी का विश्लेषण किया जाता है, यदि वहां के पानी और जलीय वातावरण के पानी में एक जैसी वनस्पतियां (शैवाल, डाएटमस) मिलती है तो मृत्यु डूबने से हुई है।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

2. **हत्या के उपरांत शव को पानी में डाला गया:** इस दशा में सांस बंद होने के कारण पानी फेफड़ों व पेट में नहीं पहुंच पाता है, जो कि स्पष्ट कारण बनता है कि मुत्यु के पश्चात् शव को पानी में फेंक दिया गया है।

कवक या फफूंद (फंगस)

सामान्य भाषा मे फफूंदी के नाम से जाने वाले पौधे बिना हरीतिमा के होते हैं। ये किसी भी वातावरण में उग सकते हैं परन्तु कुछ कवक की विशिष्ट वातावरण में ही उगते हैं। कभी-कभी किसी आपराधिक घटना से गुमराह करने के लिए शव घटनास्थल से बहुत दूर फेंक दिया जाता है। इस स्थिति में उस पर उगने वाले फफूंद व उनके बीजाणु घटनास्थल के सत्य साक्ष्य देकर अपराध का संकेत प्रदान करते हैं।

परागकण (पालेन ग्रेन)

फूलों में पाये जाने वाले जननांग से अति सूक्ष्म गोलाकार अथवा अंडाकार कण बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक जाति के पौधे का परागकरण आकार एवं वाह्यभित्ति संरचना में दूसरी प्रजाति से एकदम अलग होता है। वाह्यभित्ति अत्यंत कठोर व एक विशिष्ट पैटर्न की होती है, जिससे जाति विशेष की पहचान की जा सकती है। कठोर वाह्यभित्ति के कारण परागकण कुछ वर्षों से लेकर हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकते हैं। अपने अति सूक्ष्म आकार के कारण यह हवा से भी मौजूद रहते हैं तथा किसी का ध्यान इनकी ओर नहीं जाता है। ये आपराधिक घटना के मूक गवाह के रूप में उपस्थित रहते हैं। ये घटना तथा मौसम सहित भौगोलिक स्थिति के विषय में भी जानकारी देते हैं।

उदाहरणस्वरूप न्यूजीलैंड में हुए एक बलात्कार के मामले में साक्ष्य के रूप में दोषी व्यक्ति के वस्त्रों में चिपका हुआ पौधे का परागकण उसके आपराधिक कृत्य का साक्षी बना तथा उसको 8 वर्षों की सजी दी गयी।

दृष्ट साक्ष्य

फल

अनेक पादप प्रजातियों के फल का वाह्य आवरण कंटीले हुकनुमा संरचनाओं से घिरा होता है जैसे गोखरू, लटजीरा, रेड़ी आदि। ये संरचनाएं इन फूलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णन में मदद करते हैं। संयोगवश ये संदिग्ध अपराधी व्यक्ति के बालों, कपड़ों में फंसकर एक ठोस सबूत पेश करते हैं। उदाहरणार्थ: वर्ष 1997 में कनाडा में घटित एक घटना में ओहियो में 2 बच्चों के गुम होने की सूचना उनके सौतेले पिता ने दर्ज कराई, कुछ समय बाद दोनों बच्चों का शव एक स्थानीय कब्रिस्तान के बाहर दफन मिला। वहां पर **जीयम तथा गैलियम** (वानस्पतिक नाम) के पेड़ लगे थे। इनके बीज व फलों में रोयेंदार रचनाएं पायी जाती हैं। पिता को संदिग्ध मानकर घर की तलाशी में बरामद उसके कपड़ों में यह फल व बीज लगे पाये गये। कपड़ों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और पिता ने अपना अपराघ कबूल किया।

बीज

घटनास्थल से प्राप्त कांटेदार बीज के अलावा भोजन के साथ ग्रहण किये गये बीज भी घटनाओं की गुत्थी सुलझातें हैं। प्रत्येक बीज का बाह्य आकार अनूठा व दूसरों से अलग होता है, जिससे उसके पौधे को पहचाना जा सकता है। कुछ वनस्पतियों के बीजों में यह गुण विद्यमान होता है, जो आहारनाल के पाचक रसायनों से अप्रभावित रहते हैं। इसके लिए मानवबलि से जुड़ा एक दिलचप्स उदाहरण वैज्ञानिकों में प्रस्तुत कर चकित कर दिया। सितम्बर, 2001 में लंदन की थेम्स नदी में एक बालक का सिर-रहित शव प्राप्त हुआ । उसकी शिनाख्त नहीं हो पायी। उसके पेट से **एलडर** नामक पौधे का परागकण, मिट्टी की गोलियां जिनपर सोना चढ़ा था, और एक विषैला-सा बीज मिला, जो बच्चों को जहर देकर मारने के बाद बलि देकर नदी में बहा दिया गया था। अपराधी का सुराग नहीं मिला परन्तु मानव तस्करी से जुड़े 21 लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया।

लकड़ी

ऐसा पाया गया है कि अपराध स्थल पर पेड़ों की डालें व लकड़ी के टुकड़े बरामद होते हैं। प्रत्येक पेड़ की लकड़ी की संरचना अलग किस्म की होती है। वनस्पति विज्ञानी लकड़ी के टुकड़े से पेड़ की सही जानकारी प्राप्त कर उसके भौगोलिक स्थिति को जानकर अपराधी को तलाशने में महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं।

रेशे-रस्सी: रस्सी या डोरी जिन रेशों से बनती है, वे पौधे के तने या पत्तों से प्राप्त होते हैं। हर पौधे में रेशे बनाने वाले ऊतक आकार और संरचना में एकदम अलग होते हैं। अत: अपराधी को साक्ष्य के द्वारा कभी घटनास्थल से प्राप्त रेशे या रस्सी से पहचाना जा सकता है।

आणविक साक्ष्य

वर्तमान समय में डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिग की तकनीक ने वनस्पति साक्ष्यों में आणविक क्षेत्र को नयी दिशा प्रदान कर चमत्कार कर दिखाया है। पौधों की सम्यक पहचान के लिए उनकी डी.एन.ए. जांच से अनेक मामलों को सुलझाने में सहायता मिली है। एरिजोना में एक युवा महिला की हत्या कर शव को रेगिस्तान में दफना दिया गया। घटना स्थल पर एक पेजर पाया गया, जिसके मालिक को संदिग्ध माना गया परन्तु उसने बताया कि उस महिला को कुछ देर के लिए अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी व उसने इस व्यक्ति का पेजर और वालेट

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)(24-

चुरा लिया था। इस घटना की जांच करने वाले दल के एक सदस्य चार्ल्स वारटन ने घटना स्थल पर फिन **सोनिया माइक्रोफिला** का वृक्ष देखा, जिसका तना छिला हुआ था, यह किसी वाहन के टकराने से हुआ था। उन्होंने इस वृक्ष में लगी फली को तोड़ लिया और बागान के ट्रक का निरीक्षण किया, उसके ट्रक में भी उसी प्रकार की फली व फूल पाये गये, उन्होंने एरिजोना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टिम हेलन टेजारिस से दोनों फलियों का डी.एन.ए. परीक्षण करवाया, यह एक समान निकला। अत: वारटन ही अपराधी माना गया।

इस घटना से उत्साहित होकर आस्ट्रेलिया के केनबरा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के पादप डी.एन.ए. शोध द्वारा घासों के डी.एन.ए. का एक प्रौटोटाइप तंत्र विकसित किया है, जिसे आणविक वर्गीकरण कुंजी कहा गया है। पृथ्वी पर घास हर ओर व सर्वत्र मिलती है अत: किसी की आपराधिक घटना में आणविक साक्ष्य एक सटीक सबूत माना जाता है।

अपराधों में संलिप्तता में घटना स्थल पर उपलब्ध वानस्पतिक साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इस दिशा में नये आयाम व प्रतिमान स्थापित करने हेतु अधिक-से-अधिक वनस्पति विज्ञानियों को प्रशिक्षित किया जाना समीचीन होगा।

353, त्रिवेणीनगर-2
लखनऊ-226020

प्रपत्र-4 (देखिए नियम-8)

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

समाचारपत्रों का पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम ''राजभाषा भारती'' के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1.	प्रकाशन स्थान	नई दिल्ली
2.	प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3.	मुद्रक का नाम	भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड़, नई दिल्ली-110 001
4.	क्या भारत का नागरिक है?	भारतीय
5.	प्रकाशक का नाम व पता	राकेश शर्मा 'निशीथ', सहायक संपादक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एन॰डी॰सी॰सी॰-2, भवन, चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली-110001
6.	संपादक (पदेन) का नाम व पता	डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एन॰डी॰सी॰सी॰-2 भवन, चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली-110001
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचारपत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	अप्रयोज्य

मैं राकेश शर्म 'निशीथ', घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह/-
प्रकाशक का हस्ताक्षर

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

संगठन में टीम व टीम भावना

–विजय प्रकाश श्रीवास्तव

एक संगठन को मिलने वाले परिणाम उसके द्वारा उपयुक्त संसाधन जुटाने तथा इन संसाधनों के उसके द्वारा उपयोग पर निर्भर होते हैं। वैसे तो संगठनों को विभिन्न प्रकार के संसाधनों की जरूरत होती है लेकिन इनमें मानव संसाधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य संसाधनों का उपयोग भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। संगठन लोगों से मिल कर बना होता है और लोग मिल–जुल कर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। संगठन को मिला परिणाम किसी एक व्यक्ति की देन नहीं होता बल्कि सम्मिलित प्रयासों का परिणाम होता है। इससे हम संगठनों में टीम व टीम भावना के महत्व को समझ सकते हैं।

मानव संसाधन प्रबंधन में जिन विषयों का प्रमुखता से अध्ययन किया जाता है उनमें टीम, टीम निर्माण व टीम भावना का विकास शामिल हैं। अलग से भी इन विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और अब भी लिखी जा रही हैं। जब उपलब्धियों की बात आती है तो बहुत–से कार्यपालक व कारोबार प्रमुख इसका श्रेय अपनी टीम एवं अपनी इकाई की टीम भावना को देते हैं। इन सब से हम समझ सकते हैं कि एक संगठन की सफलता एवं उपलब्धियों में टीम भावना का कितना योगदान होता है। बढ़ती प्रतियोगिता के इस दौर में संगठन अपने यहां टीम भावना के विकास पर पहले से अधिक ज़ोर देने लगे हैं। विभिन्न अध्ययनों में यह बात उभर कर सामने आयी है कि संगठनों में टीम भावना का मौजूद होना उनकी सफलता की संभावनाओं में वृद्धि करता है।

टीम से आशय

टीम को अलग–अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। एक सरल परिभाषा के अनुसार टीम पूरक कुशलता वाले लोगों का सह समूह है, जिसमें लोग साथ–साथ, एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। प्रत्येक टीम में एक नेता होता है जिससे टीम के सदस्य निर्देश ग्रहण करते हैं। एक प्रकार से टीम समुदाय, जो भले ही आकार में काफी छोटा हो, का सबसे उन्नत रूप है।

टीम को एक आम समूह से भिन्न समझा जाना चाहिए। समूह, जो भीड़ के रूप में भी हो सकता है, के लिए यह जरूरी नहीं कि यहां सभी एक ही उद्देश्य के लिए ही कार्य कर रहे हों। यह भी जरूरी नहीं कि समूह में लोग एक दूसरे का सहयोग करते हों। समूह ज़्यादातर अनौपचारिक होते हैं, जबकि टीम का निर्माण औपचारिक होता है। समूह में नेता हो सकता है और नहीं भी। परंतु टीम में नेता का होना अनिवार्य है। समूह कहीं भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन टीमों के उदाहरण प्रायः सांगठनिक क्षेत्र में होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक टीम समूह है लेकिन प्रत्येक समूह टीम नहीं है।

टीम सफल भी, असफल भी

टीमों की सफलता के उदाहरणों की चर्चा हुआ करती है लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी टीमें अपने सभी प्रयासों में हमेशा सफल हुआ करें। किसी भी क्षेत्र में परिणाम को बहुत–से कारक प्रभावित करते हैं। कुछ कारक अंदरूनी होते हैं और कुछ बाहरी। कई बाहरी कारक नियंत्रण से परे होते हैं। एक अच्छी टीम उन सभी कारकों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करती है जिन पर उसका नियंत्रण हो और जो उसकी सफलता में योगदान कर सकते हों। एक टीम पहले सिर्फ टीम होती है। टीम के सदस्य जिस प्रकार से बर्ताव करते हैं, उनके जो व्यैक्तिक गुण हैं, उनके प्रयासों में कितनी गंभीरता होती है, इन से तय होता है कि टीम को अच्छी टीम कहा जा सकता है या नहीं। अतः ज़ोर सिर्फ टीम बनाने पर नहीं बल्कि अच्छी टीम बनाने पर होना चाहिए । जाहिर है कि एक अच्छी टीम का निष्पादन भी तुलनात्मक रूप से अच्छा होगा। प्रत्येक संगठन चाहता है कि उसके पास अच्छी टीमें हों जिनके जरिए वह अपने परिणामों को हासिल कर सके। एक अच्छी टीम की विशेषताओं को समझ कर ही ऐसी टीम जुटाई जा सकती है।

अच्छी टीम की विशेषताएं

- टीम के सभी सदस्य टीम में और व्यापक रूप से संगठन में अपनी भूमिका को समझते हैं और अपनी इस भूमिका का ईमानदारीपूर्वक निर्वाह करते हैं।
- सदस्यों को टीम के और संगठन के लक्ष्यों को, ज्ञान होता है और उनमें इन लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता होती है। वे टीम या संगठन के लक्ष्यों को अपना लक्ष्य समझते हैं।
- लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में टीम का प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता और कुशलता के साथ सर्वोत्तम प्रयास करता है।
- टीम के सदस्यों का आपस में एक दूसरे पर विश्वास होता है और प्रत्येक सदस्य इस विश्वास की रक्षा करता है।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)(24-

- सदस्य एक दूसरे की निजता का सम्मान करते हैं यह मानते हुए कि सभी का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता।
- सदस्य इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि विभिन्न दृष्टिकोणों, पृष्ठभूमियों वाले व्यक्ति जब एक साथ होंगे तो उनमें मतभेद हो सकते हैं। लेकिन रास्ता इन्हीं मतभेदों के बीच से निकालना होता है।
- सदस्य यह भी जानते हैं कि टीम में सभी सदस्यों की क्षमताएं व कुशलताएं एक जैसी नहीं होती। सबकी प्रतिभा का स्तर भी एक जैसा नहीं होता। फिर भी टीम में सब के लिए जगह होती है। टीम में मजबूत लोगों के पीछे कमजोर लोगों की कमजोरियां छिप जाती हैं।
- टीम में सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। आसान व मुश्किल घड़ियों में एक दूसरे का साथ देते हैं और टीम के प्रयासों में सहभागी बने रहते हैं।
- टीम के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना होती है। वे जिम्मेदारी लेने, इसे निभाने को तैयार होते हैं और जिम्मेदारी से बचते नहीं।
- टीम में सूचनाओं, जानकारियों का मुक्त रूप से आदान-प्रदान होता है। टीम के लिए महत्वपूर्ण, उपयोगी जानकारियां सदस्य एक-दूसरे से छिपाते नहीं।
- सदस्यों का कोई गुप्त अजेंडा नहीं होता। सभी सदस्य संगठन के लिए और इसके हित में कार्य करते हैं।
- टीम में लोग ''मैं'' की भाषा नहीं, 'हम' की भाषा बोलते हैं।
- टीम में कार्य करते हुए सदस्यों के बीच संबंध विकसित होते हैं जिसका परिणाम आपसी सहयोग के रूप में होता है। ऐसे सम्बन्धों से सदस्यों को भावनात्मक समर्थन मिलता है। कुल मिलाकर इससे संगठन को लाभ होता है।

टीम में नेता की भूमिका

नेता की भूमिका टीम में मुखिया अथवा अभिभावक की होती है। वह टीम के सदस्यों के दुख-सुख का ख्याल रखता है। इससे भी अधिक वह टीम का पथ प्रदर्शक होता है। इस भूमिका का कारगर ढंग से निर्वाह करने के लिए आवश्यक है कि नेता को लक्ष्यों की स्पष्ट समझ हो और वह टीम के सदस्यों को लक्ष्य के प्रति संवदेनशील बना सके। एक अच्छी टीम में नेता का अपनी टीम के सदस्यों में विश्वास होता है और सदस्यों का अपने नेता में। नेता सदस्यों के हितों का ध्यान रखता है और जरूरत पड़ने पर उनके लिए त्याग करने को भी तैयार रहता है। नेता व टीम सदस्यों के बीच संवाद बना रहता है। वह सदस्यों से विचार, सुझाव आदि आमंत्रित करता है और उपयोगिता के आधार पर इन्हें लागू भी करता है। लक्ष्य प्राप्त करने की जो रणनीति नेता बनाता है उसे वह सदस्यों को समझाता है और इस रणनीति में सदस्यों के उपयोगी व व्यावहारिक सुझावों को सम्मिलित करता है। टीम को प्रेरित करने, इसका मनोबल ऊंचा रखने का दायित्व भी नेता का है। ऐसे मौके आ सकते हैं जब पूरी टीम या इसके कुछ सदस्यों में निराशा की भावना आ गयी हो या उनका उत्साह ठंडा पड़ने लगा हो। ऐसी स्थिति में नेता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसे सावधानी से काम लेना होता है। नेता टीम में जोश भर सकता है अथवा ऐसा वातावरण उत्पन्न करने में योगदान कर सकता है, जिससे टीम के सदस्यों में ऊर्जा और जोश भर जाए और वे लक्ष्यों के प्रति पुनः समर्पित हो जायें। टीम में निराशा की स्थिति तब आती है जब प्रतियोगिता ज्यादा हो या कारोबार के क्षेत्र में मंदी हो या टीम के सामने कोई संकट खड़ा हो गया हो। निराशा के कारण और भी हो सकते हैं। पर टीम को निराशा से उबारना नेता के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और नेता की यह जिम्मेदारी भी होती है। नेता टीम के सदस्यों की क्षमताओं व कुशलताओं से परिचित होता है और ऐसा वातावरण विकसित करने पर जोर देता है जिसमें लोग इन क्षमताओं तथा कुशलताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। नेता का ध्यान इस बात पर भी रहता है कि टीम के सदस्यों की क्षमताएं विस्तार पाती रहें और सदस्यों के मन में यह विश्वास उत्पन्न हो कि वे जैसा व जितना कर रहे हैं उससे बेहतर व ज्यादा कर सकते हैं।

नेता के लिए टीम के सभी सदस्य बराबर होते हैं। उस के मन में पक्षपात की कोई भावना नहीं होती। अपनी निष्पक्षता की वजह से वह लोगों के सम्मान का पात्र बनता है।

नेता अपने विचारों को टीम पर थोपता नहीं। ज्यादातर मामलों में उसके विचार इतने परिपक्व, संतुलित व सारगर्भित होते हैं कि लोग खुद-ब-खुद इन विचारों के प्रति आश्वस्त होते हैं लेकिन यदि सदस्यों के मन में कोई शंका है तो नेता अपना पक्ष विस्तार से रखता है और अपने विचार के औचित्य को भी स्पष्ट करता है। अगर आवश्यकता हुई तो नेता अपने विचार को बदलने या अपने दृष्टिकोण को दुरूस्त करने से हिचकिचाता नहीं।

टीम की सफलता का श्रेय नेता खुद नहीं लेता बल्कि वह श्रेय देने में यकीन रखता है। नेता को टीम के सामने आदर्श के रूप में होना चाहिए। अक्सर टीम के सदस्य नेता को रोल मॉडेल के रूप में देखते हैं। टीम के लिए एक नेता का महत्व इससे समझा जा सकता है कि नेता टीम में साधारण लोगों के जरिए असाधारण परिणाम हासिल करने में सफल हो सकता है।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

भ्रातियां

टीम को लेकर कुछ लोगों के मन में कतिपय भ्रांतियां हैं। टीम की अवधारणा व इसकी कार्यप्रणाली को सही प्रकार से समझने के लिए जरूरी है कि इन भ्रांतियों को मन से निकाल दिया जाए। काफी लोगों का मानना है कि एक अच्छी टीम वह होती है जो पूर्ण सहमति की नीति पर कार्य करे लेकिन ऐसा मानना सही नहीं है। यह कतई जरूरी नहीं कि टीम के सभी सदस्यों में हर समय हर बात पर सहमति हो। सदस्यों के बीच विचार या मत की विभिन्नता हो सकती हैं और एक विषय विशेष पर लोगों की राय भी अलग-अलग हो सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो टीम और संगठन दोनों के लिए यह अच्छा है क्योंकि जब बहुत-से विचार सामने होते हैं तो चयन की गुणवत्ता पर इसका अनुकूल असर होता है और हम एक उत्तम विकल्प चुनने में समर्थ होते हैं। एक अच्छी टीम में सभी विचारों, दृष्टिकोणों का सम्मान किया जाता है और इन पर खुल कर चर्चा होती है। इससे एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है। यदि सदस्यों की सोच का दायरा व्यापक है और वे पूर्वाग्रह से रहित हैं तो वे कतिपय मामलों में अन्य सदस्यों के विचारों की श्रेष्ठता को महसूस कर इसका समर्थन कर सकते हैं।

पहले कुछ लोग यह मानते थे कि टीम में सदस्य यदि मिलती-जुलती सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले हों और उनकी प्रतिभा भी कमोबेश एक जैसी हो तो यह टीम के पक्ष में होगा। परंतु आधुनिक दृष्टिकोण इससे भिन्न है। अब टीम में विविधता को प्रोत्साहित किया जाता है और विविधता को टीम की एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों एवं वैश्वीकरण ने संगठनों में बहुत-से बदलाव लाए हैं और उनके लिए जनशक्ति के चुनाव का दायरा व्यापक होता जा रहा है। प्रगतिशील संगठन खुद को 'इक्वल आपारचुनिटी इम्प्लायर' के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। बहुत-से संगठनों में अब 'क्रॉस कल्चरल' टीमों के गठन व उनके प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाने लगा है। विचार यह है कि टीम में विविधता टीम की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है और इसलिए विविधता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

टीम निर्माण की अवस्थाएं एवं आवश्यकताएं

यह जरूरी नहीं कि नेता को हमेशा अपने चुनाव या पसंद के अनुसार टीम बनाने का अवसर मिले। कई बार पहले से बनी टीम को नया नेता मिलता है या पहले से बनी टीम में पुराने सदस्यों की जगह नए सदस्य शामिल हो जाते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ज्यादातर ऐसी ही स्थिति होती है। निजी क्षेत्र में बहुत-से मामलों में कार्यपालकों को, नेताओं को अपनी टीम चुनने की आज़ादी रहती है।

जहां नयी टीम का गठन किया जाना हो वहां नेता के सामने अलग प्रकार की चुनौतियां होती हैं पर यहां नेता के लिए टीम पर अपनी पकड़ बनाना आसान होता है। जहां नेतृत्व परिवर्तन हो या टीम के सदस्यों में फेर-बदल हो वहां नेता भिन्न प्रकार की चुनौतियां महसूस कर सकता है। जहां टीम नए सिरे से बनाई जानी हो वहां सदस्यों को टीम का उद्देश्य समझाना ज्यादा जरूरी होता है। अन्य स्थितियों में टीम व नेता के लिए परिवर्तनों को स्वीकार करने, टीम का मनोबल एवं उत्साह बनाए रखने/बढ़ाने जैसी चुनौतियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

एक संगठन में बहुत सारी टीमें हो सकती हैं। आवश्यकतानुसार इन टीमों के बीच भी आपसी ताल मेल होना चाहिए।

अंत में

टीमों की मौजूदगी प्रत्येक संगठन में हो सकती है लेकिन सभी टीमों का स्वरूप एक जैसा नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी टीमों के लिए लागू हैं लेकिन परिवेश, उद्देश्य, संगठनात्मक वातावरण व संस्कृति आदि के अनुसार टीमों को विशिष्ट मानदंडों, निर्देशों तथा अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना पड़ सकता है। शीर्ष प्रबंधन को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे संगठन में लोग टीम भावना के महत्व को समझें और अपनी टीम में रहते हुए संगठन के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान दें। ऐसे बहुत-से उदाहरण मिलेंगे जहां व्यक्तियों का टीम में निष्पादन उनके स्वतंत्र या एकल निष्पादन से श्रेष्ठ पाया गया है। इसका श्रेय टीम भावना को ही दिया जाना चाहिए।

संकाय-सदस्य, प्रबंधन विकास संस्थान,
बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर-11,
सी॰ओ॰डी॰ बेलापुर-400614, नवी मुंबई
मोबाइल-9820702403,ई-मेल: v2j2s@yahoo.in

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)(24-

बढ़ती उम्र तथा लंबी किडनी बीमारियां

–माजिद मुश्ताक पंडित

भारत में प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से एक किडनी की बीमारियों से ग्रस्त है। दुर्भाग्य से आधे-से-अधिक मरीज अपनी बीमारी के बारे में तब जान पाते हैं जब उनकी किडनियां 60 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी होती हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार लगभग 1.50 लाख नए किडनी मरीजों की संख्या हर वर्ष बढ़ जाती है, जिनमें से बहुत थोड़े से लोगों को किसी प्रकार का इलाज मुहैया हो पाता है।

आरंभिक चरण में बीमारी का पता न चल पाने, धन की कमी या फिर सही मिलान वाली किडनी के दानकर्ता के अभाव के कारण हर वर्ष अनेक मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता। भारत में हर साल लगभग पांच लाख किडनी ट्रांसप्लांट किए जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस महंगी प्रक्रिया के माध्यम से कुछ हजार मरीज ही नया जीवन प्राप्त कर पाते हैं।

13 मार्च को विश्व में किडनी दिवस मनाया जाता है। किडनी स्वास्थ्य की महत्ता तथा किडनी और इससे जुड़ी बीमारियों का खतरे से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसके लिए विशेष विषय शीर्षक तय किया जाता है। इस वर्ष 2014 का विषय शीर्षक था—''बढ़ती उम्र तथा लंबी किडनी बीमारियां''। वर्ष 2015 का विषय है:—

हाइपरटेंशन तथा मधुमेह के बाद लंबी किडनी बीमारी तीसरी सबसे गैर-संक्रमणकारी बिमारी है। इतना ही नहीं ऊपर की दोनों बीमारियां भी किडनी को प्रभावित करती हैं और अकसर लंबी किडनी बीमारी में परिणत हो जाती हैं। आंकड़ों के अनुसार लंबी किडनी बीमारी के 60 प्रतिशत मरीज पूर्व में या तो मधुमेह के मरीज रहे हैं या फिर उच्च रक्तचाप के मरीज रहे हैं और अनेक मामलों में इन दोनों ही बीमारियों से पूर्व में ग्रस्त रहे हैं। किडनी की बीमारी का यदि आरंभिक चरण में ही पता चल सके तो उसका इलाज समय से किया जा सकता है और इसके साथ जुड़ी दूसरी जटिलताओं से बचा जा सकता है परिणामस्वरूप मूत्र संबंधी तथा कार्डिया-वैस्कूलर बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या में भी काफी कमी आ सकती है।

किडनी की लंबी बीमारी से जुड़े खतरों को समझना जरूरी है। यह ध्यान में रखन आवश्यक है कि अपने शुरुआती चरण में बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते इसलिए शुरुआती चरण में इलाज भी संभव नहीं हो पाता। विश्व किडनी दिवस लंबी किडनी बीमारी के खिलाफ कदम उठाए जाने की आवश्यकता याद दिलाता है। यह दिन हम सभी के लिए इस जटिल अंग को स्वस्थ्य रखने की जानकारी जुटाने के लिए एक अवसर है। विश्व किडनी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य हर व्यक्ति को इस विषय में जागरूक करना है कि मधुमेह तथा उक्त रक्तचाप किडनी के स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं अत: मधुमेह तथा उक्त रक्तचाप के सभी मरीजों को किडनी की नियमित जांच करानी चाहिए।

लंबी किडनी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस दिवस के माध्यम से भी सरकारी प्राधिकारियों को किडनी की जांच-सुविधाओं में निवेश करने और इस विषय में विभिन्न कदम उठाए जाने के लिए संदेश दिया जाता है।

किडनी फेल होने जैसी आपातकाल स्थिति में किडनी ट्रांसप्लांट ही सबसे बेहतर विकल्प है। अत: अंग दान को जीवनदायी कदम के रूप में प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने मानव अंग स्थानान्तरण (संशोधन) अधिनियम, 2011 लागू किया है, जिसमें किडनी दान तथा मृत्य व्यक्तियों की किडनी दान को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रावधान हैं। अभी तक सरकार ने लंबी किडनी बीमारियों के रोकथाम और इलाज के लिए अनेक कदम उठाएं हैं। सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध है।

भारत सरकार ने कैंसर, मधुमेह, कार्डियो-वेस्कूलर बीमारियों तथा स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया है, जिससे गुर्दे संबंधी लंबी बीमारियों और गुर्दे फेल होने से बचाव संभव हो सका है। जनता के बीच स्वास्थ्य संबंधी और विशेषकर लंबी किडनी बीमारी सहित गैर-संक्रामक रोगों के विषय में जागरुकता फैलाने के लिए भारत सरकार द्वारा दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है।

आज के समय की आवश्यकता है कि हम सभी स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। साथ ही बीमारी के खतरे से ग्रस्त व्यक्तियों को नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने एवं निगरानी रखने की आवश्यकता है। **(साभार-पसूका)**

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

माझगांव डॉक–राष्ट्र का गौरवशाली पोत निर्माता

–रामप्रीत एच. यादव

किसी भी लोकतान्त्रिक देश की सुरक्षा और संप्रभुता उसके राष्ट्रीय विकास की मूलभूत आवश्यकता होती है। अपना देश भारत, अपने विलक्षण भौगोलिक स्वरूप में तीन ओर सागर से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र पर, इस पुण्य भूमि की आकृति ही इसकी सुरक्षा के लिए सशक्त एवं संसाधन सम्पन्न नौसेना की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। इस संदर्भ में एक कवि की ये पक्तियाँ समीचीन प्रतीत होती हैं:—

तीन ओर सागर के घेरे, चौथे ओर पहाड़।
बहुत ज़रूरी हैं नौसैनिक, सक्षम विविध प्रकार।

यह माझगांव डॉक का सौभाग्य है, कि यहाँ निर्मित गुणवत्तापूर्ण युद्धपोतों और पनडुब्बियों से, न केवल भारतीय नौसेना की सामरिक सम्पदा में वृद्धि हुई है, बल्कि विश्वस्तरीय इन उत्पादों के स्वदेश में ही निर्माण की दक्षता प्रमाणित हुई है। विश्व में बदलते सामरिक वातावरण और तद्नुसार राष्ट्र और भारतीय नौसेना की अपेक्षाओं के अनुरूप, यह कंपनी अपने कौशल और अत्याधुनिक संसाधनों का सतत् विकास करता रहा है।

माझगांव डॉक लिमिटेड की 250 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का आरम्भ वर्ष 1774 में एक छोटे ड्राई डॉक की स्थापना से होती है। उस समय यहाँ एक जहाज मरम्मत यार्ड की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के जहाजों की मरम्मत होती थी।

उस छोटी–सी शुरुआत से आज इस उपक्रम का स्वरूप एक विशाल एवं आधुनिक पोत निर्माता का है, जहाँ भारतीय नौसेना के लिए ''स्टेट आफ द आर्ट'' युद्धपोत एवं पनडुब्बियों का निर्माण किया जाता है। वर्ष 1960 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण होने के बाद, यह एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थपित हुई। पाँच दशक पहले, भारत सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय युद्धपोत निर्माण योजना प्रारम्भ करने के लिए इस उपक्रम का अधिग्रहण किया गया। इस उपक्रम ने मुख्य युद्धपोत निर्माण केन्द्र के रूप में अपने आप को देश के रणनीतिक पश्चिमी तट पर स्थापित किया है।

नौसेना के साथ, इस शिपयार्ड ने अनेक अग्रणी श्रेणी के युद्धपोत और पनडुब्बी की सुपुर्दगी करने का गौरव हासिल किया है, जिससे इसका स्थान अग्रणी समुद्री सेवाओं में शामिल है। ये सभी एमडीएल की जहाज निर्माण क्षमता के साक्षात प्रमाण हैं, यहाँ हम अब 10,000 टन विस्थापन क्षमतावाली युद्धपोत का निर्माण कर सकते हैं।

एमडीएल देश का एकमात्र जहाज निर्माण कम्पनी है, जिसने अपनी क्षमता वाणिज्यिक निर्माण कौशल में साबित की है। आधुनिकीकृत बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित, उच्चकुशल और बहुकुशल कार्यबल, समर्पित और उच्च कुशल अभियंताओं के समूह, भौगोलिक रूप से देश की वाणिज्यिक राजधानी के मध्य में यह स्थित है। एमडीएल देश का अद्वितीय मुख्य युद्धपोत निर्माण यार्ड है।

उत्पाद पोर्टफोलियो

एमडीएल ने भारतीय नौसेना के लिए अनेक अग्रणी युद्धपोतों का निर्माण किया है। इस कम्पनी ने लगभग 50 प्रतिशत प्रतितट वेलहेड प्लेटफार्म का निर्माण भी बाम्बे हाई के लिए किया है। एमडीएल ने विभिन्न उत्पादों की सुपुर्दगी की है जिसमें स्टील्थ फ्रीगेट, विध्वंशक, पनडुब्बी मिसाईल बोढस, कारवेटस्, कार्गो शिप्स्, पैसेन्जर शिप्स, ड्रेजर, वॉटर टैंकर, फिशींग ट्रालर, बार्जेस, जैकअप रिग्स्, टग्स, आफसोर सप्लाई वेसल्स् और बहुउद्देशीय जलयान का निर्माण शामिल हैं।

नौसेना परियोजनायें

ब्रिटिश एडमिरेलिटी से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अन्तर्गत लिएंडर श्रेणी युद्धपोतों की एक वर्ग का निर्माण प्रारम्भिक आदेश में किया था। इस परियोजना के अन्तर्गत भाप से संचालित पहली जहाज आईएनएस 'नीलगिरी' का निर्माण किया गया था। तत्पश्चात् इस श्रेणी के 06 अन्य जहाजों का निर्माण किया गया। इस उच्च सफलतापूर्ण कार्य के बाद कंपनी को फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। शीघ्र ही गोदावरी, गंगा, गोमती नाम के जहाजों का निर्माण किया, जो लिएंडर श्रेणी के सुधारित रूप थे। वर्ष 1980 में भारतीय नौसेना के डिजाइनरों और एमडीएल के संयुक्त प्रयास से स्वदेशी अग्रणी जहाजों के रूपांकन करने का रास्ता तैयार किया जो स्वदेशीकरण

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)(24-

की ओर एक महत्वपूर्ण पहल थी। उसी समय एमडीएल ने परम्परागत स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम का प्रयास किया। इस कारण एमडीएल ने सफलतापूर्वक दो पनडुब्बियों का निर्माण जर्मनी की कम्पनी एचडीडब्ल्यू से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अन्तर्गत किया। इसके साथ ही भारत उन देशों के संघ में शामिल हो गया, जो स्वदेश रूप से पनडुब्बी उत्पादन करने में सक्षम हैं।

एमडीएल ने पी-15 की बहु प्रतिक्षित दिल्ली श्रेणी मिसाईल विध्वंशकों का निर्माण 1990 में किया, जिसने इस शिपयार्ड की युद्धपोत निर्माण क्षमता को फिर से प्रमाणित किया है। इन जहाजों की गुणवत्ता न केवल विश्व मानक के अनुरूप थी बल्कि इन्होंने भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है।

पी 17-स्टील्थ फ्रिगेट

एमडीएल निरंतर मुख्य रक्षा शिपयार्ड के रूप में आगे बढ़कर स्वदेशी रूपांकन से स्टील्थ फ्रिगेट शिवालिक, सतपुड़ा और सह्याद्री का निर्माण और सुपुर्दगी किया। पहला स्वेदशी रूप से निर्मित बहुलक्ष्यीय स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक की सुपुर्दगी वास्तव में हमारी समुद्री रक्षा इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। ये सुन्दर पोत पूर्ण रूप से स्वदेशी रूपांकन से निर्मित हैं और ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कौशल के प्रतीक हैं। शिवालिक, सतपुड़ा और सह्याद्री की सुपुर्दगी भारतीय नौसेना में दिनांक 30 मार्च 2010, 09 जुलाई, 2011 और 25 जून, 2012 को क्रमश: किया गया।

भावी/जारी युद्धपोत परियोजनायें

विश्वस्तर पर सामरिक एवं आत्मरक्षा के परिदृश्य में परिवर्तन की बहती हवा के बावजूद, भारतीय नौसेना अब आत्मनिर्भर रह सकती है, क्योंकि एमडीएल ने स्वदेशी रूपांकन से निर्मित कोलकाता श्रेणी के प्रथम विध्वंशक युद्धपोत का निर्माण कर उसे भारतीय नौसेना को जुलाई, 2014 में सुपुर्द कर दिया है।

इस श्रेणी की निर्माणाधीन अन्य दो युद्धपोतों का निर्माण कार्य पूर्णता के करीब है और आशा है कि, शीघ्र ही इन दोनों की भी सुपुर्दगी की जाएगी।

पी-75 की पहली पनडुब्बी ''कलावरी'' का जलावतरण माननीय रक्षा मंत्री श्री॰ मनोहर पर्रिकर द्वारा 06 अप्रैल, 2015 को किया गया। स्कोर्पिन पनडुब्बी का जलावतरण वास्तव में एमडीएल के गौरव में एक बढ़ोत्तरी है।

एमडीएल में यार्ड 12704 (विशाखापत्तनम्) का जलावतरण 20 अप्रैल, 2015 को किया गया। कोलकाता श्रेणी के दूसरे और तीसरे जहाज का जलावरण शीघ्र किया जायेगा। यह उच्च तकनीकी मंच, आधुनिक आयुध और सेन्सर अग्रिम कम्बैट प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली के साथ सोफिस्टीकेटेड आटोमेटिक पावर मैनेजमेन्ट आर्कीटेक्चर और अति आधुनिक क्रू आवास से सुसज्जित होगा। जलयान की सम्पूर्ण लम्बाई 163 मीटर और प्रतिस्थापन लगभग 7500 टन है। यह 30 नाट से अधिक की गति प्राप्त कर सकती है। इसके जलावतरण की घोषणा से नौसेना जहाजों की एक नई श्रेणी निर्मित होगी जिसमें स्टील्थ, स्ट्रेल्थ मैनोइवरेबिलीटी, स्र्वाइवएबिलीटी और क्रू कम्फार्ट शामिल होगा और इससे स्वेदशीकरण में एक बड़ी पहल भी होगी।

जहाज की शक्ति और प्रापलजन विशेषताएं जैसे स्टेट आफ द आर्ट कम्बाईड, गैस एंड गैस (सीओजीएजी) समाकृति जो क्रूज परिचालन के लिए सुविधा प्रदान करता हैं और ईंधन बचत को खतरे में डाले बिना सहायता प्रदान करता है। बढ़ते हुए स्वेदशी उपकरण यथा मुख्य जहाज दिल्ली श्रेणी विध्वंशक में चाहे यह उसकी क्षमता या प्लेटफार्म अथवा कम्बेट सिस्टम में हो। उसमें 36 बड़े प्रणालियों का आयात किया गया था, जबकि कोलकाता श्रेणी में अब घटकर 10 हो गया है। इस जहाज के लगभग 70 प्रतिशत उपकरण स्वदेशी हैं और यह अपने प्रकार के प्रथम हैं।

गौरवशाली पी-17ए परियोजना की चार जहाजों के निर्माण और सुपुर्दगी के लिए एमडीएल ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें चार जहाजों का निर्माण एमडीएल में तथा तीन जहाजों का निर्माण जीआरएसई कोलकाता में किया जायेगा।

एमडीएल ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है ''गुणवत्तापूर्ण जहाजों की समय पर सुपुर्दगी'' और युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बने रहना। स्वदेशीकरण और एकीकरण यार्ड की विशिष्टताएं हैं। कम्पेक्स इक्यूपमेंट और वेपेन सेंसर सूट्स विभिन्न स्रोतों से मंगाए जाते हैं, जिनके द्वारा एक साथ जोड़कर स्टेट ऑफ द आर्ट युद्धपोत का निर्माण किया जाता है। भारतीय नौसेना की सभी महत्वकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एमडीएल उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की सुपुर्दगी करने में सक्षम है।

उपसंहार

एमडीएल के भविष्य का भावी दृष्टिकोण पूर्ण रूप से इस यार्ड की समृद्ध विरासत के साथ से जुड़ा हुआ है, जिसने भारतीय नौसेना के लिए उच्चस्तरीय युद्ध प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है। यह एक छोटी इकाई और एक लघु जहाज मरम्मत कंपनी के रूप में 1774 से शुरू होकर सर्वश्रेष्ठ जहाज निर्माण का केंद्र बना हुआ है, जिसने तीन अग्रणी युद्धपोत परियोजनाओं और पनडुब्बी निर्माण की योजना शुरू की है जो विश्व मानक के अनुरूप हैं।

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी,
माझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई-400010
फोन: 022-23710456

SERVER3\E\4346HA\4346HA(2)

राजभाषा संबंधी गतिविधियाँ

(क) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चण्डीगढ़

चण्डीगढ़, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 27 नवम्बर, 2014 को किसान भवन, सैक्टर-35, चण्डीगढ़, में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, श्री स्वतंत्र कुमार ने की। बैठक आरंभ होने से पूर्व सदस्य सचिव ने सूचित किया कि समिति अध्यक्ष श्री कुमार के नेतृत्व में सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से सदस्य कार्यालयों में राजभाषा शील्ड प्रदान की गई है एवं लखनऊ में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में भी समिति को राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में छह में से चार पुरस्कार इस समिति के सदस्य कार्यालयों को प्राप्त हुए हैं। श्रीमती अंबिका खटुआ, मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र द्वारा अध्यक्ष महोदय का औपचारिक स्वागत किया गया। यूनीकोड पर कार्य करने संबंधी कार्यशाला हुई। सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों को यूनिकोड फांट्स में हिंदी कार्य करने का प्रशिक्षण देने के लिए 25 जुलाई, 2014 को हिंदी टाइप व आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय सदन, सैक्टर-9, चण्डीगढ़ के सहयोग से यह कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में सदस्य कार्यालयों के 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समिति की पत्रिका ''शिवालिक चंडीगढ़'' के 16वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। अंत में अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों के धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कटक

कटक, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 44वीं बैठक 3 दिसम्बर, 2014 को पांथ निवास के सभागृह में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा आकाशवाणी, कटक, के निदेशक अभियांत्रिकी श्री आनंद चन्द्र सुबुद्धि ने की। सर्वकार्यभारी अधिकारी हिंदी शिक्षण योजना तथा उप महाप्रबंधक दूरसंचार श्री सुदर्शन राय, पूर्व सदस्य सचिव तथा राजभाषा अधिकारी श्रीमती मौसुमी राय एवं सदस्य सचिव श्री सुरेन्द्रनाथ सामल मंच पर उपस्थित थे। बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिए गए। श्री सुदर्शन राय ने कहा कि 2015 तक प्रशिक्षण पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने समस्त कार्यालय प्रधानों से आग्रह किया कि अपने-अपने कार्यालय में प्रशिक्षण के लिए शेष बचे कर्मचारियों को यथाशीघ्र नामित करें। उन्होंने सभा को सूचित किया कि कटक में टंकण प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हिंदी शिक्षण योजना के हिंदी प्राध्यापक श्री विमल किशोर मिश्र ने विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय जीवन बीमा निगम, विदेश व्यापार कार्यालय, विज्ञापन प्रसारण सेवा, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड, डाक व दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने कार्यालय में राजभाषा संबंधी गतिविधियों पर प्रकाश डाला। आकाशवाणी, कटक, के निदेशक अभियांत्रिकी तथा कटक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री आनंद चन्द्र सुबुद्धि ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कटक नगर के समस्त कार्यालयों को उत्साह के साथ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के समस्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दृढ़ मानसिकता एवं लगन के साथ काम करने से हम एक दिन जरूर सफल होंगे। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि किसी कार्यालय में अगर कोई समस्या है तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति उसके समाधान में भी यथासंभव सहयोग देने के लिए तैयार है। अंत में भारत संचार निगम के राजभाषा अधिकारी श्रीमती मौसुमी राय ने अपने कार्यालय में राजभाषा संबंधी कार्यकलापों पर प्रकाश डाला तथा उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद अर्पित किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, वड़ोदरा

वड़ोदरा, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 11 दिसम्बर, 2014 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, रेसकोर्स सर्कल, वड़ोदरा स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता, श्री ए॰ के॰ ज्योतिषी, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, वड़ोदरा-1 तथा अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, वड़ोदरा, ने की। सर्वप्रथम समिति के सदस्य सचिव, श्री आर॰ एम॰ यादव, सहायक निदेशक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वड़ोदरा-1, ने अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का हार्दिक स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने आगे यह भी कहा कि देश में परिवर्तन की हवा बह रही है तथा हिंदी के प्रति सकारात्मक माहौल बन रहा है। अत: संभव है कि आने वाले समय में हमें और अधिक कार्य हिंदी में करने के आदेश मिलें। उन्होंने सबसे अनुरोध किया कि हम सब एकजुट होकर हिंदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं और हिंदी के प्रयोग तथा उसके प्रचार-प्रसार व विकास में जितना संभव हो सके, वृद्धि दर्ज करें तथा सरकार द्वारा की गई अपेक्षाओं को न केवल पूरा करें बल्कि उससे भी आगे निकलने का प्रयास करें। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रेल डाक सेवा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, महिला विकलांग केंद्र, केंद्रीय जल आयोग एवं नाशीजीव

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

प्रबंध केंद्र को छोड़कर सभी कार्यालयों ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की हैं। समिति ने इस स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन करने वाले कार्यालयों को साधुवाद तथा जिन कार्यालयों ने किसी कारणवश यह बैठकें आयोजित नहीं की हैं या नहीं कर पाये हैं, उन्हें सलाह दी गई कि वे यथाशीघ्र इन बैठकों को आयोजित करें जिससे वे राजभाषा हिंदी की प्रगति की दिशा में कुछ कदम और आगे बढ़ सकें। श्री आर॰ एम॰ यादव, सदस्य सचिव, ने अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही बैठक संपन्न हुई।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, देवास

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 54वीं बैठक 18 दिसम्बर, 2014 को बैंक नोट मुद्रणालय, देवास, के सभाकक्ष में बैंक नोट मुद्रणालय के महाप्रबंधक श्री संजीव रंजन जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। क्षेत्रीय कार्यान्वयन, कार्यालय (मध्य), भोपाल की ओर से श्रीमती साधना त्रिपाठी, उप निदेशक (कार्यान्वयन), बैठक में उपस्थित हुई। श्रीमती त्रिपाठी ने अपने उद्‌बोधन में राजभाषा के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन के सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। सभी कार्यालयों से समय पर अपनी रिपोर्ट देने एवं अर्द्धवार्षिक बैठकों में अधिक-से-अधिक तादाद में भाग लेने का आह्‌वाहन किया। उन्होंने बताया कि नराकास को पुरस्कार में नामित होने के लिए कम-से-कम 90 प्रतिशत उपस्थिति की आवश्यकता होती है। उन्होंने आपसी सहयोग व तालमेल और बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक के अंत में उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्रीमती साधना त्रिपाठी, व सभी कार्यालयों के प्रतिनिधियों का श्री वेद प्रकाश मिश्र, टी॰जी॰टी॰, हिंदी केंद्रीय विद्यालय, द्वारा आभार व्यक्त किया गया तथा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक संपन्न हुई।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजकोट

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजकोट, के अंतर्गत गठित अंतर विभागीय राजभाषा समिति (2014-2015) द्वारा 7 जनवरी, 2015 को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ॰ राजीव मिश्रा, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी, द्वारा किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक श्री विनय बाबतीवाले थे तथा विशिष्ट अतिथि श्री एस॰ के॰ वर्मा, महाप्रबंधक, भारत संचार नगर लिमिटेड थे। अन्य अतिथियों में विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख थे। अंविरास की पत्रिका ''राजभाषा'' के सातवें अंक का विमोचन नराकास के अध्यक्ष श्री विनय बाबतीवाले, श्री एस॰ के॰ वर्मा, श्री रवि अग्रवाल अध्यक्ष-अंविरास तथा सचिव-नराकास श्री पी॰ बी॰ सिंह द्वारा किया गया। अपने संबोधन में श्री वर्मा ने कहा कि उनके लिए यह दिन खास है क्योंकि उन्हें अत्यंत सराहनीय कार्यक्रम देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत संचार निगम लिमिटेड भविष्य में भी संस्था को हर संभव सहायता एवं सुविधा प्रदान करता रहेगा। अंत में श्री रवि अग्रवाल ने आयोजन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े सभी व्यक्तियों को धन्यवाद दिया और कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गोवा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उत्तर गोवा, की 59वीं बैठक 20 जनवरी, 2015, को श्री एस॰ एस॰ राठौर, भा॰र॰से॰, मुख्य आयकर आयुक्त, पणजी-गोवा, की अध्यक्षता में आयकर भवन पणजी के सभा कक्ष में आयोजित की गई। हिंदी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं आयकर संयुक्त आयुक्त श्री बंगारी मल्लिकार्जुन राव भी बैठक में उपस्थित थे।

केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रांची

केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रांची, की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 103वीं बैठक संस्थान के सभा कक्ष में 23 जनवरी, 2015, को डॉ॰ आलोक सहाय, निदेशक, की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संस्थान की वेबसाइट के द्‌विभाषीकरण के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि दो चरणों में अधिकांश वेब पृष्ठों का अनुवाद कार्य पूरा कर लिया गया है। डॉ॰ वी॰पी॰ गुप्ता, वैज्ञानिक-डी, पी॰एम॰ई॰सी॰ अनुभाग, ने सूचित किया कि संस्थान के वेबसाइट के अधिकांश पृष्ठों को द्‌विभाषी रूप में अपलोड कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया कि बाकी बचे हुए पृष्ठों को भी शीघ्रातिशीघ्र अनूदित कर अपलोड किया जाए। अनुभागीय प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने धारा 3(3) एवं अन्य प्रावधानों के अनुपालन पर संतोष व्यक्त किया तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट समय पर न भेजे जाने वाले अनुभागों को यह हिदायत भी दी कि किसी भी स्थिति में माह की समाप्ति के पश्चात तत्काल मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर हिंदी अनुभाग को भेजी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अत्यधिक विलम्ब अथवा बैठक के दिन मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अनुभाग इस ओर विशेष ध्यान दें। उन्होंने संस्थान की पिछली तिमाही रिपोर्ट में विभिन्न मदों में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से अनुरोध किया कि संस्थान से भेजे जा रहे ई-मेल को भी द्‌विभाषी/हिंदी में भेजा जाना चाहिए। उन्होंने सभी अनुभागीय प्रधानों से अनुरोध किया कि वे प्रारंभ में सामान्य प्रवृत्ति के सभी ई-मेल (अत्यधिक तकनीक एवं गोपनीय प्रवृत्ति के ई-मेल को छोड़कर) हिंदी में भेंजे। समिति के सदस्य डॉ॰ बी॰पी॰ गुप्ता, वैज्ञानिक-डी, ने कहा कि ई-टेंडर को भी द्‌विभाषी रूप में जारी किए जाने की आवश्यकता है। सहायक निदेशक (राजभाषा) ने यह सूचित किया कि सभी टेंडर आदि द्‌विभाषी मुद्रित एवं जारी किए जाते हैं। अध्यक्ष

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

महोदय ने कहा कि भंडार अनुभाग इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जब भी वे कंप्यूटर अनुभाग को ई-टेंडर की प्रति अंग्रेजी में उपलब्ध कराते हैं तो वे साथ की हिंदी रूपांतरण की प्रति भी उपलब्ध करायें ताकि दोनों भाषाओं में ई-टेंडर को वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजकोट

मंडल रेल प्रबंध कार्यालय, कोठी कंपाउन्ड, राजकोट, के सभाकक्ष में 28 जनवरी, 2015 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 70वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के प्रारंभ में श्री पी॰बी॰ सिंह, सचिव, नराकास, ने समिति के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री विनय बाबतीवाले, अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं विभिन्न कार्यालयों, निगमों से पधारे कार्यालय प्रमुखों एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने श्री बाबतीवाले से समिति को संबोधित करने का अनुरोध किया। अपने संशोधन में श्री बाबतीवाले ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि राजकोट शहर के केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा का प्रचार-प्रसार अच्छा हो रहा है। उन्होंने नराकास की ओर से हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। नराकास की गतिविधियों से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि कैलेंडर के अनुसार वर्ष में दो बार निर्धारित बैठकें आयोजित की जाती हैं। ''राजप्रभा'' नाम से वार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है और प्रतिवर्ष केंद्र सरकार तथा निगम कार्यालयों से दो-दो कार्यालयों को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

पश्चिम रेलवे, मुम्बई

पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय में स्थापित राजभाषा विभाग द्वारा मुम्बई स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा का प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग बढ़ाने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ मंडलों/कारखानों एवं स्टेशनों में भारत सरकार की राजभाषा नीति और रेलवे बोर्ड द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार राजभाषा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 29 जनवरी, 2015, को मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर की अध्यक्षता में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधान कार्यालय के विभागाध्यक्षों, सभी छः मंडलों एवं छः कारखानों के अपर मुख्य राजभाषा अधिकारियों ने सहभागिता की।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर की 68वीं अर्द्ध-वार्षिक बैठक 29 जनवरी, 2015, को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक॰) के मनोरंजन कक्ष में आयोजित की गई। श्री जयराम भोजवानी, उप महालेखाकार (लेखा व हक॰) एवं सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय कार्यालय), जयपुर, ने अपने संबोधन में श्रीमती सुदर्शना तलापत्रा, प्रधान लेखाकार एवं नराकास; अध्यक्षा प्रो॰ ए॰पी॰ सिंह, कुलपति, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय; श्री भूपिन्दर सिंह, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर) एवं केंद्रीय कार्यालयों के उपस्थित विभागाध्यक्ष/प्रतिनिधिगणों का स्वागत करते हुए कहा कि राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशानुसार प्रतिवर्ष दो अर्द्धवार्षिक बैठकों का आयोजन नराकास करती है। इन बैठकों में राजभाषा विभाग द्वारा हर वर्ष जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यालयों ने कितना कार्य किया, इसकी समीक्षा होती है। इसके अतिरिक्त सभी के उपयोगी विचार और सुझाव, नराकास बैठकों की सार्थकता बढ़ा देते हैं। ये बैठकें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु उपयोगी है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में इनका योगदान होगा। बैठक को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि प्रो॰ ए॰पी॰ सिंह ने बैठक की उपस्थिति में हुई बढ़ोत्तरी पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा इसके साथ ही आगामी बैठकों में भी उपस्थिति बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने सभी कार्यालय अध्यक्षों से अपने ई-मेल पते उपस्थिति पत्रक में लिखने का अनुरोध किया। उन्होंने हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने का भी अनुरोध किया।

आकाशवाणी केंद्र, जलगांव

आकाशवाणी केंद्र, जलगांव, में संपन्न हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अक्तूबर-दिसम्बर, 2014 तिमाही बैठक निदेशक (अभियांत्रिकी) एवं केंद्र प्रमुख श्री एस॰एम॰ बोदेले की अध्यक्षता में 5 फरवरी, 2015 को संपन्न हुई। सचिव ने बैठक के सभी सदस्यों को अवगत कराया कि दिसंबर 2014 तक की तिमाही रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भेजी गयी है और सभी तिमाही रिपोर्टों को सराहा गया है। उन्होंने कहा कि इस तिमाही में ''क'' क्षेत्र को 80.06 प्रतिशत पत्राचार हुआ, ''ख'' क्षेत्र को 78.39 प्रतिशत पत्राचार और ''ग'' क्षेत्र को 85.71 प्रतिशत पत्राचार हुआ है। समीक्षा के पश्चात् सदस्य सचिव ने अक्तूबर-दिसम्बर 2014 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट से सदस्यों को अवगत कराया कि कार्यालय का पत्राचार लक्ष्य के समीप आ रहा है। अतः अधिक-से-अधिक पत्राचार हिंदी में ही किया जाए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पंचकूला

मुख्य आयकर आयुक्त (हरियाणा क्षेत्र) पंचकूला की वित्तीय वर्ष 2014-2015 की चतुर्थ तिमाही बैठक 6 फरवरी, 2015 को मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष श्रीमती अम्बिका खटुआ की अध्यक्षता में कार्यालय आयकर आयुक्त, गुडगांव, में आयोजित की गई। हरियाणा क्षेत्र के सभी आयकर आयुक्त प्रभारों के 31 दिसम्बर को समाप्त तिमाही के तुलनात्मक आंकड़ों की समीक्षा भी बैठक में की गई। सदस्य सचिव ने धारा 3(3) में दर्शाए जाने वाले आंकड़ों के

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

संदर्भ में कहा कि इन आंकड़ों में एकरूपता होनी चाहिए तथा सभी पत्रों को इसमें नही दिखाया जाना चाहिए। केवल वे ही पत्र जो कि धारा 3(3) के अंतर्गत यथा-सामान्य आदेश, प्रशासनिक रिपोर्ट, ज्ञापन, अनुदेश इत्यादि ही इस मद में दिखाए जाएं एवं इस मद में भी जारी पत्रों की मास्टर फाइल भी प्रत्येक कार्यालय में अवश्य बनाई जानी चाहिए ताकि संसदीय समिति के निरीक्षण के समय मांग करने पर प्रस्तुत की जा सके। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा 14 फरवरी, 2015 को गुड़गांव आयकर अपर आयुक्त रेंज-1 कार्यालय का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जा रहा है। संसदीय राजभाषा समिति एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है जिसमें 20 सदस्य लोक सभा से और 10 सदस्य राज्य सभा के होते हैं। 30 सदस्य क्रमशः प्रथम, दूसरी और तीसरी उपसमिति के सदस्यों के रूप में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालय/बैंकों/निगमों/उपक्रमों का राजभाषा के प्रयोग संबंधी निरीक्षण करते हैं। गुड़गांव कार्यालय का निरीक्षण तीसरी उपसमिति द्वारा किया जा रहा है।

आकाशवाणी केंद्र, शिमला

आकाशवाणी शिमला की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2014 को समाप्त तिमाही की बैठक 10 फरवरी, 2015, को केंद्राध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। धारा 3(3) के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यद्यपि कार्यालय में धारा 3(3) का अनुपालन हो रहा है तथापि सभी इकाई प्रभारी इस दिशा में विशेष ध्यान रखें कि कहीं से भी इसके अनुपालन में कोई कोताही न रह जाए। अतः धारा 3(3) से संबंधित सभी कागजातों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी सुनिश्चित करें कि उक्त कागजात द्विभाषी ही जारी किए जा रहे हैं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बैंगलुरू

केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय के मुख्य सम्मेलन कक्ष में 14 फरवरी, 2015, को राजभाषा अधिकारियों/प्रभारियों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, के संयुक्त निदेशक डॉ. वेद प्रकाश दूबे ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सुलेखा मोहन, उप महाप्रबंधक, केनरा बैंक व सदस्य-सचिव, नराकास (बैंक), बैंगलूरू, ने की। श्रीमती मोहन ने अपने संबोधन में सभी सदस्य कार्यालयों से आह्वान किया कि वे भारत सरकार एवं संसदीय राजभाषा समिति की अपेक्षाओं के अनुरूप राजभाषा कार्यान्वयन करें। इससे पूर्व राजभाषा अनुभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरू के वरिष्ठ प्रबंधक श्री आर.पी. शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा राजभाषा अनुभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरू के प्रबंधक श्री षोजो लोबो ने नराकस (बैंक), बेंगलुरू की उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने के. वाई. सी. आंतरिक नियंत्रण व निवारक सतर्कता एवं उत्पाद जागरूकता एवं ग्राहक सेवा विषय संबंधी अध्ययन सामग्रियों का विमोचन किया।

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे

गृह मंत्रालय के 15 मई, 2014 के पत्रांक संख्या 12019/82/2014/रा.भा. (का.-2) के माध्यम से सूचित किया गया था कि सभी कार्यालयों को प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी संगोष्ठी का आयोजन करना अनिवार्य है तथा संगोष्ठी के विषय भी नियत कर दिए गए थे। तदनुसार अनुसंधानशाला में 24 फरवरी, 2015 को चौथी तिमाही की संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस साल की चौथी तिमाही के विषय निम्नानुसार नियत किए गए थे: सरकारी कामकाज में सरल एवं सहज हिंदी, सामाजिक मीडिया में हिंदी के प्रयोग की संभावनाएं, हिंदी शिक्षण दशा और दिशा। श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, वैज्ञानिक ''सी'' एवं प्रभारी सहायक निदेशक (रा.भा.) ने उद्घाटन भाषण में सूचित किया कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, के निर्देशों के अनुसार हिंदी के कामकाज को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधानशाला में प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया।

नराकास, मंगलूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलूर, के सभी सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों व मंगलूर विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों के हिंदी प्राध्यापकों/विद्यार्थियों के उपयोगार्थ, 27 फरवरी, 2015, को ओ.एन.जी.सी. की सहायक कंपनी मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने अपने कर्मचारी क्लब में ''सरल हिंदी एवं उसके प्रयोग में होने वाली सामान्य अशुद्धियां'' विषय पर एक दिवसीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए संगोष्ठी को दो सत्रों में विभाजित किया गया था। प्रथम सत्र के दौरान डॉ. शंकर प्रसाद, पूर्व उप महाप्रबंधक (राजभाषा), एच.ए.एल., बैंगलुरू ने ''कार्यालयीन भाषा के परिप्रेक्ष्य में सरल हिंदी एवं उसके प्रयोग में होनेवाली सामान्य अशुद्धियों'' पर अपना शोधपत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक तथा मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दो तकनीकी नियमावली के हिंदी संस्करण का विमोचन भी किया।

केनरा बैंक, गुड़गांव

केनरा बैंक राजभाषा अधिकारियों का 32वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन 9-10 मार्च 2015, को क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुड़गांव में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, उपस्थित रहीं। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता बैंक के मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

श्री सी.पी. गिरि ने की। अपने संबोधन में श्रीमती जुनेजा ने केनरा बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि दक्षिण स्थित बैंक होने के बावजूद भी केनरा बैंक ने विभिन्न टेक्नॉलोजी उत्पादों को हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केनरा बैंक के ''इंटरनेट बैंकिंग पॉर्टल'' के हिंदी संस्करण का लोकार्पण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हिंदी में उपलब्ध होने से ग्राहकों को इसका अभूतपूर्व फायदा होगा। यह केनरा बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री गिरि ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में राजभाषा कार्यान्वयन को कारोबार संवर्धन के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। श्रीमती मोहन ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बैंक के राजभाषा कार्यान्वयन के प्रगतिपथ को दर्शाते हुए कहा कि ग्राहकों को उनकी भाषा में सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिछले एक वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी के अनेक उत्पादों में हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अलावा वर्ष 2014-15 के दो सर्वश्रेष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री अम्बरीश वर्मा, परि. राजभाषा अधिकारी, अंचल कार्यालय, नागपुर और श्रीमती वंदना देवी, परि. राजभाषा अधिकारी, अंचल कार्यालय, दिल्ली को प्रमाणपत्र व नकद पुरस्कार से सम्मनित किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 60वीं छमाही समीक्षा बैठक पी.एन.बी. मंडल कार्यालय, करनाल, में आयोजित की गई। इस अवसर पर हरिन्द्र कुमार, निदेशक (कार्यान्वयन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉ. ए. के. श्रीवास्तव ने की। इस बैठक का प्रयोजन आर.के. गुप्ता, उप महाप्रबंधक/मंडल प्रमुख, पी.एन.बी. करनाल, द्वारा किया गया। इस अवसर पर करनाल स्थित भारत सरकार के केंद्रीय कार्यालय, उपक्रम निगम आयोग वि.वि. तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रशासनिक अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी व अन्य कार्मिकों ने शिरकत की। श्री आर.एस. गौतम, उपनिदेशक (राजभाषा) एवं सचिव नराकास, करनाल, बैठक की कार्यसूची पर मदवार कार्रवाई करते हुए विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त छमाही राजभाषा प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करने के क्रम में बताया कि करनाल स्थित केंद्रीय कार्यालयों से राजभाषा प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवाकर आयुक्तालय, इंदौर

मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक माणिक बाग पैलेस, इंदौर स्थित सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय में 10 नवम्बर, 2014 को आयुक्त श्री जे॰ पी॰ ममगाई की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें 30 सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही अवधि में हिन्दी कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई। बैठक के दौरान आयुक्त महोदय ने आयुक्तालय द्वारा 30 जून, 2014 की तिमाही में भेजे गए पत्रों के प्रतिशत को संतोषपूर्ण बताया एवं इस लक्ष्य को 100 प्रतिशत हासिल करने हेतु पूर्ण प्रयास करने के लिए प्रेरित किया तथा आगामी बैठक में इसे प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए।

दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट

दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट, के कार्यालय अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में 27 नवम्बर, 2014 को कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही (अक्तूबर-दिसम्बर) बैठक माननीय कार्यालय अध्यक्ष एवं निदेशक अभियांत्रिकी श्री अनिल भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समिति-सचिव ने बैठक में उपस्थित सभी का अभिवादन ज्ञापित करते हुए, राजभाषा नीति का विवरण प्रस्तुत किया और इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पूर्ण निष्ठा सहित नियमों का अनुपालन करने पर जोर दिया। धारा 3 (3) पर विशेष चर्चा में समिति सचिव ने बताया कि कोई भी आदेश, करार, निविदा आदि अंग्रेजी में जारी न करके हिन्दी में भी अनिवार्य रूप से करना होता है। अत: हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी इसे गंभीरता से लें। सदस्यों ने स्पष्ट किया कि इस पर पूर्णत: ध्यान है और आगे अनुपालनरत रहेंगे।

एन॰एम॰डी॰सी॰ लिमिटेड मुख्यालय, हैदराबाद

एन॰एम॰डी॰सी॰ मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 22 सितम्बर, 2014 को निदेशक (कार्मिक) श्री रवीन्द्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में अधिशासी निदेशक (का॰ एवं प्रशा॰) श्री संदीप तुला, अधिशासी निदेशक (अभियांत्रिकी) एवं अन्य उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में हिन्दी पत्राचार बढ़ाने, हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने, टिप्पणियों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने, नोडल अधिकारियों की बैठक एवं संगोष्ठी आयोजित करने संबंधी निर्णय लिए गए। समिति के सदस्य सचिव, श्री रूद्रनाथ मिश्र, सहायक महाप्रबंधक (रा॰भा॰), ने तिमाही के दौरान राजभाषा प्रयोग में प्रगति का विवरण समिति के समक्ष पावर पाइंट के माध्यम से प्रस्तुत किया।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 48वीं बैठक 23 दिसम्बर, 2014 को श्री मधुरेश कुमार, महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर की अध्यक्षता में मुख्यालय के नए प्रशासनिक भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। महाप्रबंधक श्री मधुरेश कुमार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्यादा-से-ज्यादा कार्य हिन्दी में करने का आह्वान किया। उनका कहना था कि यदि हिन्दी इस क्षेत्र में पिछड़ जाएगी तो आने वाले समय में उसके सामने बड़ी चुनौती उपस्थित होगी। आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं उससे हिन्दी को जोड़ना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा जहां कहीं कोई नया कार्य हो रहा हो वहां प्रारंभ से ही हिन्दी का प्रयोग हो। महाप्रबंधक महोदय ने ''वैशाली'' पत्रिका के 12वें अंक का भी विमोचन किया।

आकाशवाणी, राजकोट

आकाशवाणी राजकोट की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन 23 दिसम्बर, 2014 को केन्द्र प्रमुख डॉ॰ मीरा सौरभ की अध्यक्षता में किया गया। सदस्य सचिव ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त को सदस्यों के सामने पढ़कर सुनाया तथा की गई अनुवृत्ति कार्रवाई से अवगत कराया। सदस्य सचिव ने समिति को धारा 3(3) का अनुपालन का स्मरण कराया कि यह मद अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा कार्यालय से जारी होने वाले परिपत्र/कार्यालय आदेश/टेंडर/नोटिस 'संविदाएं/करार आदि 100 प्रतिशत द्विभाषी होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कार्यक्रम अनुभाग के अधिकांश करार एवं पत्राचार हिन्दी में हो रहा है फिर भी जहां गुंजाइश है वहां बढ़ाने के लिए प्रशासनिक अनुभाग एवं तकनीकी अनुभाग में भी प्रयत्न किए जाएंगे। सदस्य सचिव ने हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग में वृद्धि के संबंध में सुझाव दिया कि कार्यालय में हिन्दी नोटिंग और ड्राफ्टिंग को जब तक बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक इसका प्रभाव हिन्दी पत्राचार में अभिवृद्धि पर भी दिखाई नहीं देगा। अत: थोड़ा-सा प्रयास करने से हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अंत में सदस्य सचिव ने बैठक में पधारे सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पटियाला

पटियाला प्रभार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्री सुरेश कुमार, आयकर आयुक्त, पटियाला की अध्यक्षता में 24 दिसम्बर, 2014 को आयकर आयुक्त पटियाला के सम्मेलन कक्ष में की गई। सदस्य सचिव ने सूचित किया कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र, चण्डीगढ़ की क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 25 सितम्बर, 2014 को आयोजित की गई थी, जिसमें राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी अनेक मदों पर निर्णय लिए गए थे। इन्हें आवश्यक एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रभार के सभी कार्यालयों में परिचालित कर दिया गया था। सदस्य सचिव ने बताया कि राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में प्रभार में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन अनिवार्य रूप से करवाया जाना होता है, ताकि अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नीति एवं राजभाषा के कार्यान्वयन/अनुपालन के संबंध में जानकारी प्रदान की जा सके। आयकर आयुक्त महोदय ने निदेश दिया कि प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला अवश्य आयोजित की जाए। उपस्थित सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार ने कहा कि हमें मात्र लक्ष्य प्राप्त करने या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ही हिन्दी में काम नहीं करना है अपितु संविधान द्वारा प्रदत्त राजभाषा होने एवं देश के नागरिक होने के कारण इसका प्रयोग करना हमारा कर्तव्य भी है।

मुख्य आयकर आयुक्त स्तर, हरियाणा

मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र, पंचकूला, की वित्तीय वर्ष 2014-15 की तृतीय तिमाही बैठक 24 दिसम्बर, 2014 को मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष श्रीमती अम्बिका खटुआ की अध्यक्षता में कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकूला के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। सूचित किया गया कि सितम्बर माह को राजभाषा चेतना माह के रूप में हरियाणा क्षेत्र के सभी कार्यालयों में आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी में प्रचार-प्रसार संबंधी बैनरों का प्रदर्शन, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन, हिन्दी कार्यशालाओं एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया इसमें हरियाणा क्षेत्र के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साह एवं उमंग से भाग लिया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आयकर निदेशालय, नई दिल्ली, के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2013-14 में सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने वाले हरियाणा क्षेत्र के 74 अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण आलेखन एवं डिक्टेशन प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। सदस्य सचिव ने कहा कि डी॰ओ॰ लैटर हिन्दी में भेजने संबंधी मद पर कार्रवाई करते हुए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय चण्डीगढ़ से प्राप्त डी॰ओ॰ लैटर की प्रति सभी कार्यालयों को मार्गदर्शन हेतु 4 दिसम्बर, 2014 को भिजवा दी गई है। कृपया भविष्य में अपना डी॰ओ॰ लैटर द्विभाषी ही भेजें। मानक मसौदों की सी॰डी॰ प्रभार के अधिकतर कार्यालयों में कंप्यूटर पर अपलोड कर दी गई है तथा यूनीकोड संबंधी सी॰डी॰ भी सब जगह लोड कर दी गई है। अनुरोध किया गया कि इस सी॰डी॰ की सहायता से वर्ष 2014-15 के पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि निर्धारण अधिकारी भी छोटी-छोटी नोटिंग हिन्दी में करें। अत: सभी प्रभार अपनी-अपनी रचनाएं 11वें अंक हेतु भिजवाएं। हरियाणा क्षेत्र की पत्रिका के नौवें अंक को नराकास चण्डीगढ़ द्वारा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा 60

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

पृष्ठ से अधिक पत्रिका ''पल्लव'' श्रेणी में तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसी प्रकार हरियाणा क्षेत्र की गतिविधियों के परिचायक न्यूजलैटर ''आयकर प्रहरी'' का भी जनवरी से जून छमाही अंक का विमोचन भी बैठक में किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दूरदर्शन केंद्र, लखनऊ

दूरदर्शन केंद्र, लखनऊ, की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 29 दिसम्बर, 2014 को श्री डी. एन. मोघे, उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, लखनऊ, की अध्यक्षता में सभाकक्ष में आयोजित की गई। सर्वप्रथम सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री मकरध्वज मौर्य ने अध्यक्ष महोदय को बताया कि केन्द्र में राजभाषा नियमों का अनुपालन सुचारू रूप से हो रहा है। प्रेस विज्ञप्तियां, सूचनाएं आदि हिंदी/द्विभाषी रूप में जारी की जा रही हैं। पिछली तिमाही की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार केंद्र का पत्राचार 86 प्रतिशत रहा। इसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि 27 नवम्बर, 2014 को लखनऊ दूरदर्शन के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र की गृह पत्रिका ''दृष्टि-सृष्टि'' के 11वें अंक का विमोचन किया गया।

आकाशवाणी, निजामाबाद

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अक्तूबर-दिसम्बर, 2014 की कार्यवृत्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 30 दिसम्बर, 2014 को आकाशवाणी, निजामाबाद, केंद्र में श्री वी. राजेश्वर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रथम उपस्थित सभी सदस्यों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए वर्ष की प्रथम बैठक में सभी का स्वागत करते हुए सदस्य सचिव ने गत तिमाही बैठक कार्यवृत्त की पुष्टि के पश्चात् महत्वपूर्ण मदों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिए गए।

आयकर आयुक्त कार्यालय, पंचकूला

आयकर आयुक्त, पंचकूला, प्रभार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 6 जनवरी, 2015 को आयकर आयुक्त एवं राजभाषा अधिकारी श्री एस. के मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए सदस्य सचिव श्रीमती नीना मल्होत्रा, सहायक निदेशक (राजभाषा), ने सभी उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया और पंचकूला प्रभार में चल रहे हिंदी कार्यों की प्रगति पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री मित्तल ने कहा कि सदस्य सचिव द्वारा दी गई जानकारियों पर सभी कार्यालय ध्यान दें व रिपोर्ट भेजते समय आंकड़ों की भी जांच करें। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक रेंज स्तर पर भी नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाए और उसके कार्यवृत मुख्यालय भिजवाएं जाएं। सभी कार्यालय प्रयास करें कि इसे और अधिक बढ़ाया जा सके, जिससे लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो।

आकाशवाणी, बीकानेर

इस केंद्र पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 21 जनवरी, 2015 को श्री एस. के. मीना. निदेशक (अभियांत्रिकी), एवं केन्द्राध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह बैठक वर्ष 2015 की प्रथम बैठक के रूप में, वर्ष 2014 की तीसरी तिमाही में राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रगति पर विचारार्थ रखी गयी थी। सदस्य सचिव श्री ओम मल्होत्रा, हिंदी अनुवादक एवं प्रभारी सहायक निदेशक (रा.भा.) ने वर्ष 2014-15 के वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम की सभी मदों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सारा कामकाज शत प्रतिशत रूप से हिंदी में ही निष्पादित करने की बात दोहराई। केंद्राध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि तकनीकी अनुभाग के कुछ पत्रों और कोटेशनों आदि को भी हिंदी में जारी किया जाए ताकि हम शत-प्रतिशत रूप से हिंदी प्रयोग के लक्ष्य तक पहुंच सकें। सदस्य सचिव ने बताया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से आयोजित बैठकों एवं अन्य गतिविधियों में इस केंद्र द्वारा बराबर प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। सदस्य सचिव ने बताया कि इस केंद्र पर हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी शेष नहीं रहा है। सदस्य सचिव ने बताया कि गत वर्ष 2014 में केंद्र पर 4 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे प्राप्त कर लिया है।

केनरा बैंक, वार्षिक बैठकें, दिल्ली

महाप्रबंधक श्री हेमन्त कुमार टमटा के कुशल नेतृत्व में 5 फरवरी, 2015 एवं 6 फरवरी, 2015 को अंचल के सम्मेलन कक्ष में राजभाषा प्रतिनिधियों की दूसरी एवं तीसरी वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैंक की अध्यक्षता अंचल प्रमुख श्री टमटा द्वारा की गई, साथ में अंचल कार्यालय के उप महाप्रबंधक श्री एस॰पी॰ भट्टाचार्य, श्री एन॰डी॰ शर्मा एवं सहायक महाप्रबंधक श्री आर॰पी॰ जायसवाल भी उपस्थित रहे। बैठक में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अध्यक्ष महोदय ने प्रतिभागियों को संबंधित करते हुए कहा कि राजभाषा प्रतिनिधियों की बैठक करना कोई औपचारिकता नहीं है अपितु इसका अत्यन्त महत्व है। भाषा व्यापार को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है और ग्राहक की भाषा में सुविधाएं प्रदान करने से व्यापार स्वयं ही बढ़ता चला जाता है। सहायक महाप्रबंधक श्री जायसवाल ने अपने वक्तव्य में राजभाषा प्रतिनिधियों को संबंधित करते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्राहकों को सभी सुविधाएं उनकी भाषा में प्रदान की जा सकती हैं केवल जरूरत है तो उसको उपयोग में लाने की। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र नें भी हिंदी भाषा को व्यापार बढ़ाने के लिए अपनाया है उसी प्रकार व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाना होगा। कार्यक्रम का समापन श्रीमती अनिता रेलन के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। बैठक का संचालन श्रीमती वन्दना देवी, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, द्वारा किया गया।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

(ग) कार्यशालाएं

मंगलूरू रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

एम॰आर॰पी॰एल॰ कार्यशाला भवन के सेमीनार कक्ष में 26 नवम्बर, 2014 को रिफाइनरी के अधिकारियों के लिए हिंदी वर्तनी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में 31 प्रशिक्षणार्थियों को यूनिकोड, वर्तनी, अनुवाद, राजभाषा नीति एवं कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अनुप्रयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्यालीन कार्यों को हिंदी में करने, हिंदी पत्राचार लेखन संबंधी कौशल को बढ़ाने एवं राजभाषा नियमों की जानकारी देना था। एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री वाई॰ रवीन्द्रनाथ ने किया। कार्यशाला का संचालन डॉ॰ बी॰आर॰ पाल, उप प्रबंधक (रा॰भा॰), ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय, केरल, के वरिष्ठ हिंदी प्रोफेसर डॉ॰ विजय कुमार बतौर अतिथि संकाय के रूप में आमंत्रित थे। उद्घाटन सत्र के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए श्री रवींद्रनाथ ने कहा कि हिंदी पत्राचार के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी कर्मचारियों को हिंदी पत्र-लेखन का ज्ञान हो तथा कंप्यूटर पर अपना कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसी आशय को ध्यान में रखते हुए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए मुख्य संकाय प्रोफेसर विजय कुमार ने कहा कि हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ताकि वे कार्यालयीन पत्राचार हिंदी में करना आरंभ कर सकें तथा दैनिक कार्यालयीन कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादित कर सकें।

आकाशवाणी, राजकोट

आकाशवाणी, राजकोट, में हिंदी कार्यशाला एवं कविता पाठ का आयोजन 9 दिसम्बर, 2014 को किया गया। इसमें राजभाषा कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों पर व्याख्यान रखा गया था। कार्यशाला का उद्घाटन कार्यालय प्रमुख डॉ॰ मीरा सौरभ द्वारा किया गया। सर्वप्रथम कार्यालय अध्यक्ष ने कार्यशाला के व्याख्याता श्री मनोज कुमार दुबे, प्राचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, राजकोट, का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में कार्यालय अध्यक्ष ने उपस्थित सभी कर्मिकों से अपील की कि वे कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लें तथा अपना सरकारी काम-काज उत्साहपूर्वक हिंदी में करें। उन्होंने कहा कि गलत अंग्रेजी लिखने से अच्छा है गलत हिंदी लिखना क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है और इसका उपयोग करना हमारी संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेवारी भी है। उसके तुरंत बाद कार्यशाला के व्याख्याता श्री दुबे ने अपना व्याख्यान शुरू किया तथा कार्मिकों को राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में आने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। कार्यशाला के द्वितीय चरण में दोपहर बाद हिंदी कविता पाठ का आयोजन आकाशवाणी, राजकोट, द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में राजकोट शहर में स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों ने भाग लिया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विमानपत्तन पर 11 एवं 12 दिसम्बर, 2014 को दो दिनों की अर्द्ध-दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के प्रथम दिन श्री ओमप्रकाश मनियारिया, राजभाषा अधिकारी, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर, ने हिंदी में टिप्पण एवं मसौदा लेखन विषय पर व्याख्यान दिया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों को दैनिक कामकाज में प्रयुक्त होने वाली हिंदी टिप्पणियों का अभ्यास कराया। कार्यशाला के दूसरे दिन श्री विनय कुमार सिंह, प्रबंधक राजभाषा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ने प्रशासनिक पत्राचार में हिंदी का प्रयोग एवं कठिनाइयों पर व्याख्यान दिया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों को हिंदी में प्रशासनिक पत्राचार करते समय आने वाली सामान्य कठिनाइयों का निवारण किया।

दूरदर्शन केंद्र, लखनऊ

दिनांक 5 सितम्बर, 2014 को संपन्न राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में 16 दिसंबर, 2014 को केन्द्र के सभागार में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में चार अधिकारियों और 13 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से अपने उदबोधन में आयकर विभाग के सहायक निदेशक (रा॰भा॰) श्री शीतला प्रसाद तिवारी ने कंप्यूटर पर यूनीकोड का व्यावहारिक प्रशिक्षण देते हुए यूनीकोड के व्यवहार पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि कैसे यूनीकोड का प्रयोग कंप्यूटर वर्ड, एक्सेल, पावर प्वांइट ई-मेल आदि पर प्रयोग कर सकते हैं। इस कार्यशाला में यूनिकोड के प्रयोग से संबंधित प्रतिभागियों की शंकाओं और प्रश्नों के समाधान किए गए। श्री प्रेम प्रकाश शुक्ल, उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी), श्री ए॰के॰ लाल, उप निदेशक (प्रशासन), सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस कार्यशाला में प्रतिभागिता की। सहायक निदेशक (रा॰भा॰) श्री मकरध्वज मौर्य ने इस कार्यशाला की रूपरेखा तैयार की एवं उसका संचालन व धन्यवाद ज्ञापन किया।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, रांची

केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, रांची, में 16 दिसम्बर, 2014 को पूर्णकालिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संस्थान के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन की मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने वाले कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आयोजन की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के निदेशक डॉ॰ आलोक सहाय ने आह्वान किया कि सभी कर्मचारी राजभाषा के संवैधानिक प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन करें। उन्होंने संस्थान की गृह पत्रिका ''रेशमवाणी'' एवं संवाद पत्रिका ''तसर'' संवाद में रचनात्मक योगदान देने हेतु कर्मचारियों से अनुरोध किया। दो सत्र में आयोजित इस कार्यशाला में श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, सहायक निदेशक, राजभाषा, ने संघ की राजभाषा नीति के विविध पहलुओं पर वार्षिक कार्यक्रम के परिपेक्ष्य में प्रकाश डाला। इस अवसर पर श्री के॰ पी॰ राय, उपनिदेशक (प्रशासन व लेखा), ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान, नाईपर

नाईपर में राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु हिंदी कार्यशाला का आयोजन 17 दिसम्बर, 2014 को किया गया। इस कार्यशाला में संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य राजभाषा के अधिक-से अधिक प्रयोग के लिए नाईपरवासियों को अभिप्रेरित करना था। कार्यशाला को मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक बनाने के लिए दो प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रथम सुलेख प्रतियोगिता तथा द्वितीय प्रतियोगिता वाद-विवाद थी, जिसका विषय था ''क्या फिल्में सामाजिक बुराइयों का कारण हैं?'' कार्यशाला में आयोजित सुलेख प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में डॉ ईप्सिता रॉय, सह प्राध्यापक तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका प्रो॰ प्रतिपाल सिंह, प्राध्यापक ने निभाई।

एन॰एम॰डी॰सी॰ लिमिटेड, हैदराबाद

एन॰एम॰डी॰सी॰ लिमिटेड, हैदराबाद, में 18 दिसम्बर, 2014 को निगम के सभी विभागों के प्रबंधक, उप-प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधकों के लिए एक दिवसीय विशेष राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री एस.पी. हिमांशु, संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक), ने कहा कि भारत की सभी भाषाएं समृद्ध हैं परंतु हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अत: हमारा दायित्व है कि अपना कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें। राजभाषा विभाग के विभागाध्यक्ष श्री आर.एन. मिश्र, सहायक महाप्रबंधक, ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि भाषा का पर्याप्त ज्ञान होने के बावजूद हिंदी का प्रयोग वांछित स्तर तक नहीं होने का कारण है संकोच। कार्यशाला का उद्देश्य हिंदी में कार्य करने में आपके संकोच को दूर करना है। इसके पूर्व श्रीमती जी. सुजाता, प्रबंधक (रा.भा.), ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए मंचासीन महानुभावों का परिचय प्रतिभागियों से कराया। कार्यशाला के प्रथम सत्र में संकाय सदस्य श्री मो. कमालुद्दीन, प्राध्यापक, हिंदी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग और हिंदी पत्राचार की विस्तार से जानकारी दी। द्वितीय सत्र में श्री रूद्रनाथ मिश्र, सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.), ने सभी प्रतिभागियों को राजभाषा नीति की जानकारी दी। तृतीय सत्र के संकाय सदस्य श्री आर.के. वर्मा, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद, ने प्रतिभागियों को कंप्यूटर में यूनीकोड के माध्यम से टंकण कार्य करने के विषय में प्रशिक्षण दिया तथा उनसे अभ्यास भी कराया। कार्यशाला के संचालन में श्री राजेश कुमार गोंड, उप प्रबंधक (रा.भा.), डॉ. (श्रीमती) रजिन्दर कौर, कनिष्ठ अधिकारी (रा.भा.), एवं श्री एस.के. सनोडिया, निजी सहायक एवं सुश्री प्रवल्लिका, प्रशिक्षु का विशेष सहयोग रहा।

आकाशवाणी, पणजी

गोवा मुक्ति दिवस, 19 दिसम्बर, क्रिसमस 25 दिसम्बर और नव वर्ष के परिप्रेक्ष्य में 17 दिसम्बर, 2014 को आकाशवाणी, पणजी, में हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता श्री रवीन्द्र खासनीस, सहायक निदेशक, कार्यक्रम कार्यालयाध्यक्ष ने की। कोंकणी कविता संग्रह यमन के लिए और रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के कोंकणी अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आकाशवाणी पणजी के सेवानिवृत्त उपनिदेशक (कार्यक्रम) श्री वेणि माधव बोरकार हिंदी कार्यशाला के मुख्य अतिथि थे। अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री खासनीस ने कहा कि आकाशवाणी भारत सरकार के अधीन प्रचार माध्यम हैं, जिसका उद्देश्य शिक्षा, मनोरंजन, भूमंडलीकरण के युग में राष्ट्र के समग्र विकास के लिए कार्य करना है। मुख्य अतिथि श्री वेणि माधव बोरकार ने कहा कि कोई भी भाषा बड़ी या छोटी नहीं होती। हिंदी कार्यशाला में हुए विचार-विमर्श में सर्वश्री संतोष पाडगांवकर, नंदादीपक बट्टा, श्रीमती सिंथिया रेगो, रामचंद्र गावडे, युसुफ कुरूदेसरी, एस॰एस॰ भोगले, श्रीमती रंजना रेडकर, श्रीमती वैशाली फर्नान्डिस, श्रीमती मनीषा शेट, अशोक गावस, निशाकांत केरकर, विजय परवार, रामनाथ गावस, अशोक बांडोडकर और चंदू तारी ने भाग लिया।

अपर महाप्रबंधक (मा॰सं॰ व प्रशा॰) भारत संचार निगम लि॰, चेन्नई

हिंदी भाषा के गहरे ज्ञान सम्पन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए यूनिकोड आधारित मंगल फॉन्ट का लोकार्पण एक वरदान के रूप में उभरकर आया है। देश भर में इस फॉन्ट का प्रयोग गति शक्ति पा रहा है। बी॰एस॰एन॰एल॰ में इसके प्रयोग के प्रचार के लिए चेन्नई टेलीफोन के अधिकांश एककों में हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण आयोजित

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

किया जा रहा है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपर महाप्रबंधक (मा॰सं॰ व प्रशा.) के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए ऐसी कार्यशाला 20 दिसम्बर, 2014 को आयोजित की गई, जिसमें एक अधिकारी व 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। सत्र का उद्घाटन श्रीमती एस॰ राजेश्वरी, सहायक महाप्रबंधक (प्रशा.) ने किया। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को अपने कार्यालय में संचालित इस कार्यशाला का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। श्रीमती जया सूर्या चेल्लम, राजभाषा अधिकारी, द्वारा www.bhashaindia.com से यूनिकोड मंगल फॉन्ट के डाऊनलोडिंग के तौर-तरीके एवं उसके आगे के प्रयोग पर प्रस्तुत प्रवचन दिया।

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली, के प्रशासन अनुभाग, प्रशासन सामान्य अनुभाग एवं विधि एकांश में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा सह डेस्क कार्यशाला का आयोजन 22 दिसम्बर, 2014 को किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन केंद्र के राजभाषा एकांश द्वारा किया गया। इसमें राजभाषा नीति का पूर्ण रूप से अनुपालन एवं उसके अनुसरण में कार्यालय कार्य सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की गई। कार्यशाला के दौरान मसौदा तैयार करने, टिप्पणी लिखने और टंकण कार्य आदि में शत-प्रतिशत हिंदी के प्रयोग तथा इसमें असुविधा की स्थिति में राजभाषा एकांश से तत्काल किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त करने का अनुरोध किया गया।

यूको बैंक, पटना

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना, के तत्वावधान में 24 दिसम्बर, 2014 को हिंदी की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में पदस्थापित 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पटना अंचल के अंचल प्रबंधक श्री ए॰ के॰ कंठवाल व उप अंचल प्रमुख श्री बी॰बी॰ पंडा की गरिमामयी उपस्थिति में सर्किल कार्यालय के उप महाप्रबंधक व उप सर्किल प्रमुख श्री गदाधर पंडा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में श्री गदाधर पंडा ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए राजभाषा हिंदी में अधिकतम काम करने का अनुरोध किया। अंचल प्रबंधक श्री ए॰के॰ कंठवाल ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों में हिंदी कार्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि चिंतन में अभिव्यक्ति की भाषा एक होने पर हमारा संवाद अधिक सफल होता है। ''क'' क्षेत्र में स्थिति होने के कारण राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हमारा दायित्व कुछ अधिक बढ़ जाता है। विविधता में एकता वाले हमारे देश ने राजभाषा हिंदी जोड़ने का कार्य करती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता व अखंडता की कड़ी है। यह हमारे देश की अस्मिता है। उन्होंने प्रतिभागियों से राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उप अंचल प्रमुख श्री बी॰बी॰ पंडा ने भी अपने विचार रखे। यह कार्यशाला मुख्यत: कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने पर आधारित थी। प्रतिभागियों को यूनिकोड का प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वे आसानी से हिंदी में काम कर सकें। प्रतिभागियों ने इसका अभ्यास भी किया। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पदस्थापित अधिकारी श्री शंभु कुमार ने कार्यशाला को सफल बनाने में महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, सहसपुर (देहरादून)

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, सहसपुर, (देहरादून), में 30 दिसम्बर, 2014, को हिंदी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का सुधार तथा देवनागरी लिपि एवं इसकी वैज्ञानिकता विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कार्यालय प्रभारी डॉ॰ पी॰ के॰ सिंह ने की। श्री कमल किशोर बडोला, वरिष्ठ अनुवादक ने व्याख्यान व प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे दिलों में चिंगारी नहीं पनपेगी तब तक हम हिंदी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कार्यशाला में डॉ॰ आबाद अहमद सिद्दिकी, वैज्ञानिक-घ, ने कहा कि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, और प्राय: सभी संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। हिंदी की लिपि विश्व में सर्वाधिक वैज्ञानिक है। कार्यक्रम का संचालन श्री आर॰ सी॰ किमोठी वैज्ञानिक-ग, ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ॰ घनश्याम मौर्य, वैज्ञानिक-ग, द्वारा किया गया।

खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, राज्य कार्यालय, हैदराबाद

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रमनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय में हर तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजना करना अनिवार्य है। इसी का अनुपालन करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, राज्य कार्यालय, हैदराबाद, में 30 दिसम्बर, 2014 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री कमालुद्दीन, प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद, के साथ-साथ आर्थिक अधिकारी श्री टी॰ आर॰ वी॰ प्रसाद तथा कार्यालय के अन्य राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सभी कमचारियों को अधिक-से-अधिक काम हिंदी में करने का प्रयत्न करना चाहिए।

मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन

मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन, में 31 दिसम्बर, 2014 को एम॰सी॰एफ॰ हासन में कार्यरत वैज्ञानिक/अभियंता-एस॰डी॰ वर्ग के

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सत्र संचालन के लिए वाईजैग, बेंगलुरू, से सेवानिवृत्त वरि॰ हिंदी अधिकारी डॉ॰ जी॰ आर॰ श्रीनाथ को आमंत्रित किया गया । कार्यशाला सत्र संचालन के दौरान उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से हिंदी कार्यान्वयन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई एवं राजभाषा अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए इसकी धाराओं तथा उप धाराओं से भी अवगत कराया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम के अध्यक्ष, श्री एच॰ पी॰ शेणॉय, समूह निदेशक-एस॰ओ॰, मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन, ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इजराईल का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे वहां की भाषा को आगे लाने के लिए वहां के नागरिकों ने अथक प्रयास किए और अंततः हिब्रू को अपनी राजभाषा बनाया। हमें भी यह प्रण करना चाहिए कि हम भी अपने देश की राजभाषा हिंदी गर्व से अपनाएं और राष्ट्र के हित में अपना योगदान दें। साथ ही उन्होंने कार्यशाला में भाग ले रहे सभी अधिकारियों से अपील की कि वे ज्यादा-से-ज्यादा हिंदी में काम करें और हिंदी कार्यान्वयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। कार्यशाला के दौरान श्री कमलेश कुमार खरे, हिंदी टंकक, एम॰सी॰एफ॰, ने कंप्यूटर पर यूनिकोड के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण भी दिया। कार्यशाला के दौरान मंच संचालन श्री महेश्वर घनकोट, हिंदी अधिकारी, एम॰सी॰एफ॰, द्वारा किया गया।

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार (परमाणु ऊर्जा विभाग उद्यम) हैदराबाद, में श्री पी॰ सुधाकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तथा अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, श्री वी॰ एस॰ बी॰ बाबू, निदेशक (कार्मिक), एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, और श्री एन॰ नागेश्वर राव, उप महाप्रबंधक (राजभाषा), के निर्देशन में 7 जनवरी, 2015 को निगम के विभिन्न प्रभागों के कार्मिकों हेतु 'प्रयोजनमूलक हिंदी एवं तकनीकी लेखन' पर हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। इस द्वि-सत्रीय तकनीकी कार्यशाला के प्रथम सत्र में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संकल्प, राजभाषा संबंधी विभिन्न आदेश, राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रयोजनमूलक व्यावहारिक हिंदी व्याकरण आदि विषयों की जानकारी दी गई। द्वितीय तकनीकी सत्र में तकनीकी लेखन के विविध सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयामों के साथ यूनिकोड सक्रिय करने की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया। सभी अधिकारियों ने यूनिकोड आधारित मंगल फांट में कार्य करने का अभ्यास किया ताकि कंपनी के व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को हिंदी में ई-मेल के माध्यम से पत्राचार किया जा सके।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जयपुर

दो दिवसीय यूनिकोड कार्यशाला भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जयपुर में 21 जनवरी, 2015 एवं 22 जनवरी, 2015 को आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन निदेशक विमानपत्तन श्री एस॰ एन॰ बोरकर द्वारा किया गया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का अधिक-से-अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में ई-ऑफिस की संकल्पना को शीघ्र ही लागू किया जा रहा है। श्री एम॰ एम॰ चौहान, सहायक महाप्रबंधक (संचार), जयपुर एयरपोर्ट, ने यूनिकोड की आवश्यकता के विषय में जानकारी प्रदान की। श्री निशांत यादव, कनि॰ कार्यपालक (राजभाषा), जयपुर एयरपोर्ट ने सभी प्रतिभागियों को यूनिकोड सॉफ्टवेयर को इंस्टाल तथा अनइंस्टाल करने की जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात् सभी प्रतिभागियों को यूनिकोड में हिंदी टंकण का अभ्यास कराया गया तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया गया।

दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट

दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट में 4 फरवरी, 2015 को कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अतिथि वक्ता डॉ॰ हर्षद पंडित, डिप्टी कंट्रोलर, पशुपालन विभाग, गुजरात में कार्यवृत थे। कार्यशाला का विषय था-भारत की राजभाषा हिंदी की प्रगति में राष्ट्रीय आरोग्यता और मातृभाषा का महत्व एवं योगदान। केन्द्र के प्रभारी हिंदी अधिकारी श्री एस॰ के॰ शर्मा ने राजभाषा कार्यशाला की नीतिगत आवश्यकता, उद्देश्य व महत्व पर प्रकाश डाला। केन्द्र के कर्मनिष्ठ छायाकार एवं हिंदी में अर्जित वाचस्पति उपाधि डॉ॰ विजयेश्वर मोहन को कुशल संचालन हेतु मंच पर आमंत्रित किया गया। अतिथि वक्ता डॉ॰ पंडित ने बताया कि भारतवासी केवल भाषा के संबंध में ही मानसिक गुलाम नहीं बल्कि आहार-विहार, कपड़े-पहनावे, रहन-सहन और घर-निवास के मामले में भी विदेशी जीवन शैली को अंधा-धुंध तरीके से सतत अपनाते चले जा रहे है। पाश्चात्य वेश-भूषा, आहार, जीवनशैली आदि वहां के वातावरण और अन्य परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त या उनकी विवशता हो सकी है, परंतु भारत जैसे देश के लिए कदापि हितकर या लाभदायी नहीं है। इस तथ्य को जानना-समझना अत्यावश्यक है। अंत में डॉ॰ मोहन, डॉ॰ पंड़ित, श्री अनिल भारद्वाज व कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ॰ एस॰ ए॰ वोरा ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करके कार्यशाला की इतिश्री की।

आकाशवाणी, कोलकाता

आकाशवाणी, कोलकाता केन्द्र द्वारा 13 फरवरी, 2015, को युवावाणी हाल में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

में ''हिंदी व्याकरण'' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला में श्रीमती रजनी पोद्दार, हिंदी प्राध्यापक, को आमंत्रित किया गया था। श्री उत्तम चंद साह, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने व्याख्याता एवं सभी उपस्थित प्रशिक्षणर्थियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वे राजभाषा हिंदी का प्रयोग अपने कार्य में करें। व्याख्याता श्रीमती पोद्दार ने सर्वप्रथम बताया कि संविधान के लागू होने के साथ-साथ 26 जनवरी, 1950, से संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा बनी। उन्होंने प्रश्नोत्तर माध्यम से भी कर्मचारियों से सवाल-जवाब किया जिसमें कर्मचारियों में कौतुहल एवं चाव दिखाई दिया। अंत में श्री साह के धन्यवाद ज्ञापन से कार्यशाला संपन्न हुई।

केनरा बैंक, मेरठ

अंचल कार्यालय, मेरठ, में 13 फरवरी, 2015, को अंचल के सम्मेलन कक्ष में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में हिंदी यूनीकोड कार्यशाला तथा आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेरठ (बैंक) नराकास के अध्यक्ष श्री आर॰ अलगिरी सामी, उप महाप्रबंधक, सिंडिकेट बैंक, को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री एस॰ ए॰ मिश्रा, उप महाप्रबंधक, द्वारा की गई। इसके साथ ही कार्यक्रम में अंचल के सहायक महाप्रबंधक श्री एम॰के॰एस॰ पै तथा अनुभाग के वरिष्ठ प्रबंधक श्री आर॰के॰ टंडन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री मयंक पाठक, राजभाषा अधिकारी, एवं नराकास सदस्य सचिव श्री चरन सिंह, राजभाषा प्रबंधक, के द्वारा किया गया।

दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी

दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी, में 18 फरवरी, 2015, को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आठ कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का विषय था-हिंदी पत्रलेखन और नोटिंग। प्रतिभागियों को संकाय सदस्य से अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी के कई प्रशासनिक शब्दावलियों का ज्ञात हुआ। श्रीमती उदिता जैन, सहायक निदेशक (रा॰भा॰) ने अत्यन्त सहज-सरल भाषा में टिप्पणी और प्रशासनिक शब्दावली का अभ्यास करवाया। उन्होंने कर्मचारियों को उत्साह देने के साथ हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।

आकाशवाणी, चेन्नई

आकाशवाणी, चेन्नई, में 19 फरवरी, 2015, को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। डॉ॰ ओ॰ वासवन, सहायक निदेशक (रा॰भा॰), ने राजभाषा के कार्यान्वयन के विषय में अनुभाग प्रधान के उत्तरदायित्व पर बल दिया। कार्यालय प्रधान, अपर महानिदेशक (अभि॰), श्री पी॰पी॰ बेबी ने कहा कि कार्यशाला के उद्देश्य को समझाते हुए सक्रिय रूप से उसके क्रियान्वयन में बल देना लाभदायक सिद्ध होगा। डॉ॰ डी॰ एन॰ सिंह, उप महाप्रबंधक (रा॰भा॰), दक्षिण रेलवे, चेन्नई, व्याख्याता के रूप में आमंत्रित थे। कुल 14 अधिकारियों/कर्मचारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। श्रीमती आर॰ रमा, हिंदी अनुवादक, ने कार्यशाला में सहयोग दिया। श्रीमती तला वेंकटेश, हिंदी अनुवादक, के धन्यवादार्पण के साथ कार्यशाला संपन्न हुई।

नार्थ ईस्टर्नइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग

नार्थ ईस्टर्नइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के कारपोरेट मुख्यालय, शिलांग, में 20 फरवरी, 2015, को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री समरजीत चक्रबर्ती, महाप्रबंधक (मा॰सं॰), ने किया। संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित डॉ॰ सुनील कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, शिलांग, के साथ-साथ श्री पी॰एस॰ बरठाकुर, उप-महाप्रबंधक (मा॰सं॰), तथा श्री अभिषेक कुमार, प्रबंधक (मा॰सं॰), राजभाषा विभाग, उद्घाटन अवसर पर उपस्थित थे। श्री समरजीत चक्रबर्ती, महाप्रबंधक (मा॰सं॰), ने कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए उनसे अनुरोध किया कि हिंदी में लिखकर सरकारी काम कर सकते हैं। इस अवसर पर श्री बरठाकुर ने हिंदी को सरल और सहज भाषा की संज्ञा देते हुए सभी से यथासंभव सरकारी कामकाज हिंदी में करने का अनुरोध किया। डॉ॰ सुनील कुमार ने कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति और नियमों से अवगत कराते हुए हिंदी भाषा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।

यूको बैंक, पटना

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना के तत्वावधान में 21 फरवरी, 2015, को हिंदी की कार्यशाला आयोजित की गई। पटना अंचल के अंचल प्रबंधक श्री कंठवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में श्री अरविंद कुमार कंठवाल ने कहा कि हमारा देश सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। राजभाषा हिंदी आपसी समन्वय व सौहार्द्र स्थापित करने में सेतु का कार्य करती है। इस अवसर पर उप अंचल प्रमुख श्री बी॰ बी॰ पंडा ने कहा कि बेहतर ग्राहक सेवा एवं बैंकिंग व्यवसाय के संवर्धन में हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री सुभाष चंद्र सह वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने कार्यशाला के महत्व एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए दिल से हिंदी अपनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग व्यवसाय के संवर्धन व लाभप्रदता बढ़ाने के लिए ग्राहकों की भाषा में संवाद व कार्य करना आवश्यक है। कार्यशाला में राजभाषा संबंधी प्रावधानों,

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

वार्षिक कार्यक्रम, तिमाही प्रगति रिपोर्ट, हिंदी पत्राचार आदि विषयों पर पॉवर प्वायंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से चर्चा की गई। इसके अलावा, प्रतियोगियों को यूनीकोड के माध्यम से हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया गया। श्री शंभु कुमार ने तकनीकी सहयोग प्रदान कर कार्यशाला को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कोलकाता

राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कोलकाता, में 21 फरवरी, 2015 को संस्थान के हिंदी अनुभाग के प्रभारी अधिकारी श्री आर॰ डी॰ शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), की अध्यक्षता में हिंदी में नोटिंग, ड्राफ्टिंग एवं पत्राचार विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में तकनीकी एवं प्रशासनिक वर्ग के कुल मिलाकर 24 प्रतिभागियों (2 अधिकारी और 22 कर्मचारी) ने भाग लिया। सर्वप्रथम सत्राध्यक्ष श्री आर॰ डी॰ शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), ने सभी प्रतिभागियों तथा हिंदी विशेषज्ञ श्रीमती मंजू शीरीन, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, का स्वागत किया तथा कार्यशाला में मौजूद प्रतिभागियों को संबोधित किया। परिचयात्मक सत्र में श्रीमती मंजू शीरीन ने हिंदी में नोटिंग, ड्राफ्टिंग एवं पत्राचार तथा हिंदी अनुवाद के संबंध में विस्तार से बताया तथा समझाया। उन्होंने प्रतिभागियों को विषय की जानकारी हिंदी, बंगला एवं अंग्रेजी में दी। सभी प्रतिभागियों ने पूरे सत्र में शातिपूर्ण ढंग से उत्साहपूर्वक एवं तल्लीन होकर ज्ञानार्जन किया। कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों एवं बाहर से पधारे हिंदी विशेषज्ञ के प्रति श्री आर॰ डी॰ शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला संपन्न हुई।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, नाईपर

नाईपर में राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु हिंदी कार्यशाला का आयोजन 23 फरवरी, 2015 को किया गया। इस कार्यशाला में संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य राजभाषा के अधिक-से-अधिक प्रयोग के लिए नाईपरवासियों को अभिप्रेरित करना था। कार्यशाला को मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक बनाने के लिए दो प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इसमें प्रथम प्रतियोगिता ''अंग्रजी टिप्पणियों का हिंदी अनुवाद ''तथा द्वितीय प्रतियोगिता ''स्वरचित कवित वाचन'' थी। दोनों प्रतियोगिताओं में लगभग 25 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। कार्यशाला के समापन अवसर पर डॉ॰ सविता सिंह, कार्यकारी हिंदी अधिकारी, ने उपस्थित नाईपरवासियों का आभार जताया और कहा कि वह आशा करती हैं कि आगामी कार्यशाला में अधिक-से-अधिक लोग उपस्थित होंगे।

महानिदेशालय, असम राइफल्स

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से महानिदेशालय असम राइफल्स, शिलांग के चाणक्य हॉल में 24-25 फरवरी, 2015 को नराकास स्तर की दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। अतिथि वक्ता श्री अरुण कुमार प्रधान, नीपको लिमिटेड, ने राजभाषा नीति तथा द्वितीय सत्र में हिंदी पत्राचार के बारे में व्याख्यान दिये। श्री कालीचरण बॉसफोर, प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय स्टेट बैंक, शिलांग, ने हिंदी व्याकरण के बारे में व्याख्यान दिया। कार्यशाला का समापन डिप्टी कमाण्डेंट राज शेखर, सदस्य सचिव, नराकास, शिलांग, के धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।

आकाशवाणी, दिल्ली

आकाशवाणी, दिल्ली में 3 मार्च, 2015, को सभागार कक्ष में आकाशवाणी, दिल्ली के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में श्री प्रेम सिंह, पूर्व संयुक्त निदेशक (राजभाषा), को आमंत्रित किया गया। श्री प्रेमसिंह ने राजभाषा नियम और अधिनियम व अनुपालन पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बादशाह अकबर ने अपने मंत्रियों को नीतिगत परिपत्र ''दस्तूर-ए-अमल'' हिंदी भाषा में जारी किया था, जिसकी मूल प्रति बीकानेर (राजस्थान) के अभिलेखागार में आज भी मौजूद है। श्री सिंह ने राजभाषा अधिनियम, 1963, की विभिन्न धाराओं के विषय में बताया। राजभाषा नियम-5 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी में प्राप्त प्रत्येक पत्र का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। अंत में सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री डी॰डी॰ मीना ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कार्यशाला तभी सफल मानी जाएगी जब सभी प्रतिभागी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अधिक-से-अधिक कार्य हिंदी में करने का प्रयास करेंगे।

(घ) हिंदी दिवस/विश्व हिंदी दिवस

हिंदी पखवाड़ा, दूरदर्शन केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, में 15-30 सितम्बर, 2014 के बीच हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत संचार निगम लिमिटेड के हिंदी अधिकारी श्री महेन्द्र प्रताप मिश्र मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्र के उप निदेशक (अभियांत्रिकी), श्री एम॰ सुन्दरम और उप निदेशक (कार्य.) श्रीमती के॰ आर॰ बीना ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भारत संचार नगर लिमिटेड के हिंदी

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

अधिकारी श्री महेन्द्र प्रताप मिश्र ने हिंदी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राजभाषा नियमों तथा प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। केंद्र में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत कुल नौ प्रतियोगिताएं यथा-कविता, वाद-विवाद, टिप्पण और आलेख, श्रुतलेख, सुलेखन, निबंध पत्र लेखन, अनुवाद तथा टंकण आयोजित की गईं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बैंगलुरू

दिनांक 18 दिसंबर, 2014 को कैनरा बैंक, प्रधान कार्यालय बेंगलुरू के सभागार में देवास, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूरू की 58वीं अर्द्ध वार्षिक बैठक व संयुक्त हिंदी दिवस 2014 का आयोजन श्री एस॰ एस॰ भट्ट, मुख्य महाप्रबंधक, केनरा बैंक, ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि नराकास (बैंक), बेंगलुरू में काफी सक्रियता आयी है। नराकास की ओर से सदस्य बैंकों ने अनेक हिंदी कार्यक्रम आयोजित किए हैं तथा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में 500 से भी अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। सदस्य बैंकों की ओर से हर माह हिंदी में संगोष्ठियों का आयोजन भी किया गया, जिनका विषय सामान्य बैंकिंग से संबंधित था।

उन्होंने नराकास (बैंक), बेंगलुरू, को वर्ष 2013-14 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार मिलने पद बधाई दी एवं समिति की सदस्य सचिव व सभी सदस्य कार्यालयों के अथक प्रयास व योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की। नराकास (बैंक), बेंगलुरू, की सदस्य सचिव एवं उप महाप्रबंधक, केनरा बैंक, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरू, श्रीमती सुलेखा मोहन ने नराकास सदस्य कार्यालयों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंचासीन अधिकारियों द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलुरू, की छःमाही पत्रिका ''प्रयास'' के 30वें अंक का विमोचन किया। श्री षोजो लोबो, प्रबंधक, केनरा बैंक, श्रीमती नीना देवसी, वरिष्ठ प्रबंधक, विजया बैंक एवं श्रीमती एस.एम. अनुजा, उप-प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, द्वारा मंच का संचालन किया गया। श्रीमती कौस्तुभा वी. एस., सहायक प्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक, द्वारा माननीय गृह मंत्री का संदेश व श्री मो. हफीजुर रहमान, वरिष्ठ प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, द्वारा माननीय वित्त मंत्री का संदेश प्रस्तुत किया गया। श्री गुलाब चन्द्र यादव, सहायक महाप्रबंधक, आई.डी. बी.आई. बैंक लिमिटेड, द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम के समन्वयन का कार्य श्री आर.पी. शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक, केनरा बैंक, श्री षोजो लोबो व श्री अनिल कुमार केशरी द्वारा किया गया।

हिंदी दिवस, मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन

मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन, में 9 जनवरी, 2015 को विश्व हिंदी दिवस समारोह बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एस.परमेश्वरन, निदेशक, एम.सी.एफ. रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री एच.पी.शेणॉय, समूह निदेशक-एस.ओ., एम.सी.एफ., ने की तथा उनके साथ श्री आर. शिवकुमार, प्रधान लेखा एवं आंविस/कासाप्र, भी मंच पर आसीन थे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री आर. शिवकुमार, प्रधान लेखा एवं आंविस/कासाप्र, एम. सी.एफ., के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए, हिंदी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री एच.पी. शेणाय, समूह निदेशक (एस. ओ.) ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्व हिंदी दिवस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए हिंदी की महत्ता पर जोर दिया। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन के कार्मिकों के लिए हिंदी गायन और हिंदी तकनीकी आलेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विशेषकर, हिंदी गीत गायन प्रतियोगिता हिंदी और हिंदीतर भाषी वर्ग के लिए अलग-अलग आयोजित की गई। इसके बाद हिंदी अनुभाग द्वारा तैयार की गई हिंदी पत्रिका ''राजभाषा दर्पण'' का दसवां अंक विमोचित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचानल श्री महेश्वर घनकोट, हिंदी अधिकारी ने किया। श्री कमलेश कुमार खरे, हिंदी टंकक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा विभाग, में विश्व हिंदी दिवस एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ''भास्वर भारत'' के संपादक डॉ. राधेश्याम शुक्ल, मुख्य अतिथि के रूप में तथा श्री पी. सुधाकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री वी.एस.बी.बाबू, निदेशक (कार्मिक), तथा उपाध्यक्ष, राजभषा कार्यान्वयन समिति, ने की। इस अवसर पर श्री एन. नागेश्वर राव, उप महाप्रबंधक (राजभाषा), के निर्देशन में डॉ. राजनारायण अवस्थी, हिंदी अधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए विश्व भर में मनाए जाने वाले विश्व हिंदी दिवस पर प्रकाश डाला। स्वागत भाषण में श्री एन॰ नागेश्वर राव, उपमहाप्रबंधक (राजभाषा) ने मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि 10 जनवरी, 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी कारण प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. शुक्ल ने भाषा, संस्कृति और समाज में तादात्म्य स्थापित करते हुए भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से संस्कृत एवं भारतीय वैदिक ग्रथों के गौरवशली इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भाषा बनाना चाहिए तभी वास्तविक अर्थों में हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल हो पाएगी।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, मुम्बई

प्रधान कार्यालय ने विदेश स्थित अपने सभी कार्यालयों और शाखाओं को विश्व हिंदी दिवस मनाने विषय पत्र 30 दिसम्बर, 2014 को प्रेषित किया गया था। कौलून (हांगकांग) शाखा ने विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, 2015 को शाखा परिसर में मनाया। शाखा ने इस अवसर पर अति महत्वपूर्ण तथा सशक्त अनिवासी भारतीय (एन॰आर॰आई) कारोबारियों को आमंत्रित किया, इस विशेष अवसर पर आमंत्रित शाखा में उपस्थित थे। इस आयोजन में भारतीय समुदाय के दैनिक जीवन में हिंदी की उपयोगिता पर विशेष जागरुकता लाने पर चर्चा व विचार-विमर्श किया गया। स्थानीय स्टाफ को विश्व हिंदी दिवस के महत्व के बारे में बतलाया गया। हिंदी भाषा के विकास जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए इस आयोजन पर सभी एन॰आर॰आई॰ ने प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीयों के बीच सम्प्रेषण में हिंदी का और अधिक उपयोग तथा इसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास करने की इच्छा सम्मानित व्यावसायिकों ने दर्शाई। कौलून शाखा, हांगकांग, में विश्व हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया।

जोहान्सबर्ग

विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जोहान्सबर्ग शाखा ने 12 जनवरी, 2015 को शाखा परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया। इसका विषय दक्षिण अफ्रीका में हिंदी का प्रयोग और उसका विकास था। इसकी अध्यक्षता डॉ॰ विमलेश कान्ति वर्मा, ख्याति प्राप्त लेखक, विद्वान और भाषाविद ने की। इसके विशिष्ट अतिथि जोहान्सबर्ग में भारत के काउंसल जनरल थे। श्री वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर विचार रखते हुए कहा कि इस देश में हिंदी के विकास के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। श्री रणधीर जायसवाल ने भी हिंदी के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम करने की इच्छा प्रकट की और अपने कार्यालय की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। श्री गरीब भाई और श्रीमती शिवा श्रीवास्तव ने भी हिंदी के विकास के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और इस आयोजन हेतु प्रसन्नता भी व्यक्त की। गोष्ठी के अंत में शाखा के उप-महाप्रबंधक श्री राजेन्द्र प्रसाद बैसानी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। आयोजन का संचालन श्री विनय कुमार सिंह और श्री सम्राट ने किया।

मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

ओ॰एन॰जी॰सी॰ की सहायक कंपनी मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर 12 जनवरी, 2015 को एक समारोह का आयोजन पर किया गया। कंपनी के उप प्रबंधक (रा॰भा॰) ने विश्व हिंदी दिवस समारोह की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। समारोह की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए डॉ॰बी॰आर॰ पाल ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश कराना है। समूह महाप्रबंधक श्री के॰ लक्ष्मीनारायण ने सभी का स्वागत किया। श्री लक्ष्मीनारायण ने कहा कि हालांकि वर्ष 2006 के बाद से भारतीय दूतावासों द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है किंतु उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत गठित हिंदी सलाहकार समिति की अनुशंसा पर क्रमश: चौथी बार रिफाइनरी में विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस का उद्घाटन प्रबंध निदेशक श्री एच॰ कुमार जी ने अपने संक्षिप्त एवं सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि आपने देखा होगा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, तो वे वहां हिंदी में ही अपना संबोधन देते हैं, यहां तक कि यू॰एन॰ में भी उन्होंने हिंदी में ही भाषण दिया। सरकारी विज्ञापन में भी टैगलाइन हिंदी में ही होती है, कुल मिलाकर आज, हिंदी बाजार एवं कूटनीति की भाषा बन गई है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जिस प्रकार भारतीय योग दर्शन को वैश्विक पहचान मिली है, उसी प्रकार अब वह दिन भी दूर नहीं है जब हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में स्थान मिलेगा। समारोह के दौरान मुख्य वक्ता के तौर पर डॉ॰ वी॰ जी॰ गोपालकृष्णन, असोसिएट प्रोफेसर, श्री शंकराचार्य, संस्कृत विश्वविद्यालय, कोच्ची, को आमंत्रित किया गया था। डॉ॰ वी॰ जी॰ गोपालकृष्णन ने अपने वक्तव्य के दौरान बताया कि नेपाल, पाकिस्तान, के अलावा फिजी, मारिशस, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, हांगकांग और खाड़ी जैसे अनेक देशों में हिंदी का बोलबाला है, उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि फिजी जैसे देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में पहचान दी गई है। आज हिंदी पूरे विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व हिंदी दिवस समारोह का संचालन उप प्रबंधक (राजभाषा), डॉ॰ बी॰ आर॰ पाटील ने किया तथा श्री ललितसिंह राजपुरोहित (राजभाषा) ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

(ङ) राजभाषा समारोह/सम्मेलन/संगोष्ठी

राजभाषा सम्मेलन, भोपाल

भोपाल में 30 जनवरी, 2015 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सांस्कृतिक भवन, पिपलानी, में मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन और पुरस्करार समारोह वर्ष 2013-2014 के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर माननीय श्रीमती स्नेह लता कुमार, सचिव, राजभाषा विभाग, के कर-कमलों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रगति हासिल करने वाल मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कृत किया गया।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

श्रीमती स्नेह लता कुमार, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सुश्री पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग; श्री वी॰ भावे, महाप्रबंधक, बी॰एच॰ई॰एल॰; प्रो॰ के॰ के॰ जैन, एन॰आई॰टी॰टी॰आर॰; श्री उमेश सिंह, फील्ड महाप्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया; श्री गिरीश्वर मिश्रा, कुलपति, महात्मा गांधी हिंदी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा; प्रो॰ पी॰ जी॰ सुधाकर, पी॰आई॰बी॰ एवं श्री अप्पूकूट्टन के॰ के॰, निदेशक, मौलाना आजाद एन॰आई॰टी॰, भोपाल, भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

उप निदेशक, पश्चिम क्षेत्र और सहायक निदेशक, मध्य क्षेत्र, द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी विवरण प्रस्तुत किया।

सुश्री पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने अपने संशोधन में महात्मा गांधी की 67वीं पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संयुक्त सचिव महोदया ने राजभाषा विभाग की अद्यतन वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in का प्रयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर राजभाषा हिंदी से संबंधित उपकरण एवं सूचना के संबंध में समस्त जानकारी उपलब्ध है। इस जानकारी के सदुपयोग से एक वातावरण तैयार होगा, जिसके फलस्वरूप राजभाषा हिंदी को औपचारिक व्यवहार में लाने के नये रास्ते खुलेंगे।

सचिव श्रीमती स्नेह लता कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि ''हिंदी वह कड़ी है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से लेकर आज तक भारत के सांस्कृतिक एवं जीवन मूल्यों को एक सूत्र में पिरोये रखा।''

उपस्थित अधिकारीगण, मीडिया एवं अन्य लोगों को राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय—केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान—द्वारा ''पारंगत'' नाम हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अगले वित्त वर्ष में शुभारम्भ होने की संभावना से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कार्मिकों को हिंदी में दक्ष बनाने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

श्रीमती कुमार महोदया ने सूचना तकनीकी पर जोर देते हुए कहा कि हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए सूचना तकनीकी को अपनाना जरूरी हो गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कंप्यूटर आदि उपकरणों में प्रयोग में आने वाले साफ्टवेयर द्विभाषी ही बनवाये जाएं। सचिव महोदया ने हाल ही में राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर राजभाषा हिंदी से संबंधित ई-बुक अपलोड किए जाने से भी अवगत कराया।

केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक, श्री जय प्रकाश कर्दम ने अपने भाषण में दोनों संस्थान के कार्यों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। राजभाषा विभाग के निदेशक (तकनीकी/कार्यान्वयन) श्री हरिन्द्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट को नया रूप दिया है। उन्होंने कहा कि गृह पत्रिकाओं को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके इसके लिए राजभाषा विभाग ने कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि वे राजभाषा विभाग की वेबसाइट को नियमित अन्तराल पर चैक करते रहें क्योंकि राजभाषा विभाग वेबसाइट को डिजीटल एज की नयी पीढ़ी के लिए समय-समय पर अद्यतन करता रहता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन आयोजित हुए कार्यक्रम में 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

राजभाषा सम्मेलन, कोलकाता

कोलकाता में 18 फरवरी, 2015 को राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, में पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह वर्ष 2013-14 के लिए आयोजित किया गया।

माननीय श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, राज्यपाल, पश्चिम बंगाल, के कर-कमलों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रगति हासिल करने वाले पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कृत किया गया।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। श्रीमती पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में श्री पी॰ वाई॰ राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक, नेशनल लाईब्रेरी; श्री हरिन्द्र कुमार, निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग; डॉ॰ जयप्रकाश कर्दम, निदेशक (के.हि.प्र.सं.), राजभाषा विभाग; श्री आलोक श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक (प्रभारी), सेल; एवं श्री राजपाल सिंह काहलो, अध्यक्ष, कोलकाता पत्तन न्यास, भी उपस्थित थे।

श्री हरिन्द्र कुमार, निदेशक, राजभाषा विभाग ने अपने स्वागत संबोधन में उपस्थित अधिकारीगणों, प्रतिभागियों, मीडिया से पधारे पत्रकारों एवं अन्य लोगों का स्वागत किया और राजभाषा विभाग की गतिविधियों से सबको अवगत कराया। श्री हरिन्द्र कुमार ने श्री पी॰ वाई॰ राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक, नेशनल लाईब्रेरी, को सम्मेलन आयोजित करने में जो सहायता प्रदान की उसके लिए उन्होंने आभार प्रकट किया और सभी पुरस्कृत विजेताओं को सराहते हुए स्वागत किया और कहा हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि भविष्य में राजभाषा में काम को और आगे बढ़ाना है।

श्री पी॰ वाई॰ राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक, नेशनल लाइब्रेरी ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें खुशी है कि राजभाषा सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। नेशनल लाइब्रेरी के काम

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल लाइब्रेरी का काम माइक्रोफिल्म सामग्री व सभी पांडुलिपियों का संरक्षण करना है। सामान्य एवं क्षेत्रीय सामग्री के आधार पर इसमें भारतवर्ष के विभिन्न पुस्तकालयों पर सामग्री तैयार करते हैं।

पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका ''राजभाषा भारती'' का 141वें अंक तथा ई-बुक का विमोचन माननीय श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के कर-कमलों से किया गया।

माननीय श्री त्रिपाठी ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रगति हासिल करने वाले पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों और नगर राजभाषा कार्यान्यवन समितियों को पुरस्कृत किया। श्री त्रिपाठी ने कुल 36 शील्ड्स और 36 प्रमाणपत्र प्रदान किए।

श्रीमती पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, ने अपने संबोधन में कहा कि राजभाषा सम्मेलनों का मकसद राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान ढूंढ़ना और इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करने हेतु यह एक सशक्त मंच है। संयुक्त सचिव महोदया ने हिंदी की वैज्ञानिकता को सराहते हुए यह बताया कि गत 50 वर्षों से हिंदी की शब्द संपदा में जितना विस्तार हुआ है उतना विश्व की किसी दूसरी भाषा में नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनने की अधिकारिणी है।

श्रीमती जुनेजा महोदया ने बताया कि हिंदी भाषा और साहित्य को राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए जितना सहयोग हिंदीतर भाषा-भाषियों का रहा है उतना हिंदी भाषियों ने भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि आर्चाय केशवचंद्र सेन, रविन्द्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस जैसे बंगाली महानुभावों ने हिंदी के लिए जो योगदान किया है वह अप्रतिम है।

माननीय श्री केशरीनाथ त्रिपाठी ने अपने संबोधन में सभी सरकारी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से पहले राष्ट्रीय एकीकरण और सशक्तीकरण की एक भाषा हिंदी थी। हिंदी राष्ट्र की जनता की संक्षेप, सशक्त एवं सरल भाषा है। हिंदी हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। इतिहास साक्षी है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान देश को एकजुट रखने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश के आम नागरिक को भाषा ही सरकारी की कल्याणकारी योजनाओं को लाभान्वित करेगी। हमें संघ के काम-काज में उनकी प्रादेशिक भाषाओं को बढ़ाना ही है। उन्होंने कहा कि भारत में जरूरत है कि अंग्रेजी के बजाय हिंदी भाषा को अधिक महत्व दिया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें किसी विदेशी भाषा के प्रति अनावश्यक आसक्ति में न बंधकर स्वाभिमान और आत्म-गौरव की भावना से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने और देश की राजभाषा बनाने में बंगाल के महानुभवों का उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि राजभाषा विभाग ने यह सम्मेलन भारत के प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं शैक्षिक केंद्र कोलकाता में आयोजित किया। उन्होंने इस बात पर गर्व जाहिर किया कि बंगाल की मिट्टी ने देश को न केवल ऐतिहासिक महानुभावों जैसे राजा राममोहन राय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चन्द्र बोस, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को जन्म दिया बल्कि आज भी बंगाल ने अर्मत्य सेन, सत्यजीत रे, सचिन देव बर्मन, मन्ना डे एवं पन्नालाल घोष जैसी हस्तियां विश्व को दी है।

माननीय राजयपाल ने हिंदी के अंतरराष्ट्रीयकरण के संदर्भ में यह कहा कि भारतीय भाषाओं और हिंदी में श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं में अनुवाद का कार्य हुआ है परंतु वह पर्याप्त नहीं है। माननीय श्री त्रिपाठी जी ने कहा कि मूल रूप से हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए सरल हिंदी का प्रयोग आवश्यक है क्योंकि अनुवाद पर निर्भर रहकर हिंदी के विकास को गति नहीं दी जा सकती। अतएव इसके लिए एक सुव्यवस्थित योजना बनाई जानी चाहिए।

माननीय राज्यपाल महोदय ने हिंदी को राजभाषा स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर के उदाहरण दिए और कहा कुछ देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, चीन आदि देश अपनी भाषा के बल पर प्रगति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि आक्सफोर्ड के नये अंग्रेजी शब्दकोश में हिंदी शब्द ''जलेबी'' शमिल है। इसका अर्थ यह है कि हिंदी का आशय हिंदी में ही समझा जा सकता है और आक्सफोर्ड को जबरन यह शब्द अपने अंग्रेजी शब्दकोश में सम्मिलित करना पड़ा।

सम्मेलन के विचार-विमर्श को कायम करते हुए राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार को कैसे उत्कृष्ट स्तर पर लाया जाए और राजभाषा हिंदी को और प्रोत्साहन देने के बारे में द्वितीय सत्र में चर्चा हुई। चर्चा में प्रमुख रूप से राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु श्री अतुल सिन्हा, उप निदेशक (का॰); श्री निर्मल कुमार दूबे, अनुसंधान अधिकारी (का॰); श्री सोमेन्द्र यमदग्नि, अध्यक्ष नराकास, कोलकाता (कार्यालय); श्री आलोक श्रीवास्तव, अध्यक्ष नराकास, कोलकाता (उपक्रम) ने हिस्सा लिया।

राजभाषा सम्मेलन, कोलकाता में यूको बैंक की त्रैमासिक पत्रिका- ''अनुगूंज'' और नाराकास पोर्टब्लेयर की पत्रिका ''द्वीप तरंग'' का विमोचन भी हुआ।

श्री निर्मल कुमार दूबे, अनुसंधान अधिकारी (का॰), ने सभी अधिकारीगणों, प्रतिभागियों और मीडिया से आये पत्रकारों को धन्यवाद देते हुए सम्मेलन को संपन्न किया।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

राजभाषा सम्मेलन, मंगलूरू

मंगलूरू में 27 मार्च, 2015 को दि ओशन पर्ल होटल, नवभारत सर्किल, कोडियालबेल, में दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन तथा पुरस्कार वितरण समारोह वर्ष 2013-14 के लिए आयोजित किया गया। माननीय श्री बजुभाई रुदाभाई वाला, राज्यपाल, कर्नाटक, इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।

माननीय राज्यपाल जी के कर-कमलों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रगति हासिल करने वाले दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने कुल 24 शील्ड्स और 24 प्रमाणपत्र प्रदान किए।

श्रीमती स्नेह लता कुमार, सचिव, राजभाषा विभाग, की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रीमती पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव (रा॰भा॰); श्री मलय चटर्जी, अध्यक्ष, नराकास (उपक्रम), बेंगलुरू; श्री हरिन्द्र कुमार, निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग; श्री टी॰एन॰ कृष्णमूर्ति, उप मुख्य अभियंता, लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य एवं अध्यक्ष (नराकास), करवत्ती एवं श्री ए॰ पी॰ मलहोत्रा, महाप्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक, मंगलूरू, भी उपस्थित थे।

श्रीमती पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, ने अपने स्वागत संबोधन में माननीय श्री वजुभाई रुदाभाई वाला को मुख्य अतिथि आमंत्रण स्वीकार करने का आभार व्यक्त किया और सम्मेलन का शुभारम्भ किया।

श्री वजुभाई रुदाभाई वाला, राज्यपाल, कर्नाटक, ने अपने संबोधन में कहा कि जीते तो सब हैं पर मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि मनुष्य मौलिक विचारों से बहुत उंची उड़ान भर सकता है। उन्होंने कहा कि वही मनुष्य सफल होता है जो अपना उद्देश्य स्थापित करके उन्हें प्राप्त करता है। ज्यादा जरूरी यह नहीं है कि हम कितना खा सकते हैं परंतु यह है कि कितना पचा सकते हैं। उन्होंने भारत के दार्शनिक सिद्धांत ''वसुधैव कुटुम्बकम'' के बारे में बताया और कहा कि दक्षिण भारत में प्रतिदिन कामकाज में इस सिद्धांत का पालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय एक दूसरे की भाषाओं का विरोध नहीं करते, बल्कि सम्मान करते हैं और यह हमारे देश की ताकत है। उन्होंने कहा कि हम सबका मानना है कि भारत अनेक भाषा, अनेक वेश पर एक देश है। सांस्कृतिक विविधता के बावजूद, जहां कुछ हर सौ मिलों के बाद संस्कृति बदल जाती है, वहां हिंदी एकमात्र भाषा है जिसे 75 प्रतिशत लोग समझते हैं। हम सब स्वतंत्र हैं अपनी भाषा में बोलने, पढ़ने और समझने के लिये परंतु वास्तव में हिंदी ही एक भाषा है जो हमें एक सूत्र में पिरोये रखे हुए है। उन्होंने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरलता को अपनाने पर जोर दिया और कहा कि अकेले अनुवाद पर निर्भर होकर हिंदी का विकास संभव नहीं है। हिंदी को अपनी सहोदर भाषाओं के भण्डार का उपयोग करना लाभदायक होगा क्योंकि ये शब्द हमारी भाषा की प्रकृति के निकट हैं। माननीय राज्यपाल ने हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए सुझाव दिया कि भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों का अनुवाद हिंदी में तथा हिंदी की श्रेष्ठ कृतियों का अनुवाद भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। यदि हम राजभाषा हिंदी की नींव मजबूत करेंगे तो हमारे देश कि नींव और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि हमें यह समझना चाहिये कि हिंदी के प्रचार-प्रसार को गति देने से देश की एकता को गति मिलेगी।

माननीय राज्यपाल जी ने विजेता कार्यालयों और उनके कार्मिकों को बधाई दी और साथ-ही-साथ हिंदी का अधिक-से-अधिक प्रयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा को सही स्थान तभी प्राप्त होगा जब हम सब एकजुट होकर मन, वचन और कर्म से राष्ट्र प्रेम की उच्च भावना से प्रचार-प्रसार में सक्रिय एवं सृजनात्मक सहयोग देंगे। इस अवसर पर उन्होंने तीन गृह पत्रिकाओं-नराकास बेंगलुरु (का॰) की गृह पत्रिका ''त्रिकुटा'', नराकास (उपक्रम) बेंगलुरू की पत्रिका ''दीपिका'' तथा कार्पोरेशन बैंक की पत्रिका ''त्रिधारा'' का विमोचन भी किया।

श्रीमती स्नेह लता कुमार, सचिव, राजभाषा विभाग, ने राजभाषा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए अपने सम्बोधन में कहा कि इन सम्मेलनों की बढ़ती हुई भागीदारी इस बात की पुष्टि करती है कि देश के सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। उन्होंने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की हिंदी का प्रचार-प्रसार करने में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की अहम भूमिका के लिए सराहना की और यह बताया कि देश में इस समय 382 नराकास कार्यरत हैं। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए सभी अधिकारियों/प्रतिभागियों और उपस्थितगणों को अपने प्रयासों से हिंदी के प्रचार-प्रसार को अधिक गति देने का अनुरोध किया।

श्रीमती पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, ने अपने संबोधन में सभी उपस्थितजनों को बताया कि श्री रुदाभाई वाला का हिंदी से विशेष लगाव इस बात से जाहिर होता है कि हाल ही में उन्होंने कर्नाटक विधान सभा के संयुक्त सत्र को हिंदी में सम्बोधित किया था। श्रीमती जुनेजा ने कहा कि हिंदी का उद्भव एवं विकास क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हुआ है। और लगभग सभी भाषाएं भारत की संस्कृति में रची-बसी हुई हैं और अपने प्रांतों में अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की लोकप्रियता के कई उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में हर साल प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी शब्दकोशों में हिन्दी के आम बोलचाल के शब्द शामिल किए जाते हैं; विश्व बैंक ने अपनी अधिकारिक वेबसाईट

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

हिन्दी में भी उपलब्ध करायी है; सर्च इंजन गूगल ने हिंदी के सरल प्रयोग और अनुवाद में सराहनीय कदम उठाए हैं और अब तो भारत सरकार की पहल से इंटरनेट पर डोमेन नाम हिंदी में भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि ये सब तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत और हिंदी आज विश्व की एक उभरती हुई शक्ति है। राजभाषा विभाग की वेबसाइट की गतिविधियों से उपस्थितजनों को अवगत कराते हुए उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर आई॰टी॰ टूल्स नि:शुल्क उपलब्ध हैं और उनका विश्वास है कि इन टूल्स के जरिए हिंदी का प्रयोग सरल और व्यापक होगा। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय बेंगलुरू और कोच्चि को उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए बधाई दी और उनके राजभाषा संबंधी निरीक्षण और पुरस्कार विजेताओं को निर्धारण करने में उनकी भूमिका की सराहना भी की।

श्री हरिन्द्र कुमार, निदेशक, राजभाषा विभाग ने धन्यवाद ज्ञापन में सभी गणमान्यों को धन्यवाद किया और अधिकारीगणों, प्रतिभागियों, मीडिया से पधारे पत्रकारों एवं अन्य लोगों को राजभाषा विभाग की गतिविधियों से अवगत कराया। श्री हरिन्द्र कुमार ने मुख्य अतिथि का आभार प्रकट किया और सभी पुरस्कृत विजेताओं को सराहते हुए कहा कि हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि भविष्य में राजभाषा के काम को और आगे बढ़ायेंगे।

सम्मेलन के विचार-विमर्श को कायम करते हुए राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार को कैसे उत्कृष्ट स्तर पर लाया जाए और राजभाषा हिंदी को और प्रोत्साहन देने के बारे में द्वितीय सत्र में चर्चा हुई। चर्चा में प्रमुख रूप से राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु श्री टी॰एन॰ कृष्णमूर्ति, उप-मुख्य अभियंता, लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य एवं अध्यक्ष (नराकास), करवत्ती; श्रीमती सुनिता देवी यादव, उप निदेशक (का॰) क्षेकाका, कोच्चि; श्री पी॰ विजय कुमार, उप निदेशक, राजभाषा विभाग, मंगलूरू; श्री ए॰पी॰ मल्होत्रा, अध यक्ष, नराकास, बेंगलुरू (बैंक) एवं श्री मलय चटर्जी, अध्यक्ष, नराकास (उपक्रम), बेंगलुरू ने हिस्सा लिया।

श्री सतेन्दर दहिया ने क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के मंच संखलन एवं उद्घोषक का दायित्व बखूभी निभाया। अंत में श्री पी॰ विजय कुमार, उप निदेशक, राजभाषा विभाग, मंगलूर, ने सभी अधिकारीगणों, प्रतिभागियों और मीडिया से आए पत्रकारों को धन्यवाद देते हुए सम्मेलन को सम्पन्न किया।

यूको बैंक अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन, 2014, चैन्नई

यूको बैंक का अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, 24 एवं 25 सितम्बर, 2014 को चैन्नई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय रखा गया था ''दक्षिण भारत के मनीषियों का हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान''। सम्मेलन में जिन हिंदीतर भाषी हिंदी विद्वानों को आमंत्रित किया गया था, उसमें भारत सरकार केन्द्रीय हिंदी संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक डॉ॰ ज्ञानम, प्रेसीडेंसी कालेज, चैन्नई, के सेवानिवृत्त हिंदी विश्वविद्यालय के कार्यपालक सदस्य डॉ॰ एन सुंदरम, वरिष्ठ अध्यापक डॉ॰ एम॰ शेषण, लोयल कॉलेज के सेवानिवृत्त हिंदी प्रोफेसर डॉ॰ एल॰वी॰के॰ श्रीधरन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अवकाश प्राप्त हिंदी प्रोफेसर डॉ॰ पी॰के॰ बालसुब्रमण्यम, मद्रास यूनिवर्सिटी की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ॰ चिट्टी अन्नपूर्णा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास के उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान की सहायक प्रोफेसर डॉ॰ बी॰ संतोषी कुमारी, श्रीमती के॰ सुलोचना एवं आकाशवाणी, चैन्नई, के हिंदी उद्घोषक डॉ॰ उदय मेघानी प्रमुख हैं। अतिथि वक्ताओं ने तमिल एवं हिंदी की भाषागत एवं सांस्कृतिक दूरी को कम करने के उद्देश्य से तमिल साहित्य के हिंदी अनुवाद तथा हिंदी साहित्य के तमिल अनुवाद के क्षेत्र में अपने बहुमूल्य योगदान का ब्यौरा भी दिया। सम्मेलन के दूसरे दिन महाप्रबंधक, कार्मिक सेवाएं एवं राजभाषा श्री एस॰पी॰ सिंह ने बैंक में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के कार्य में राजभाषा अधिकारियों को आ रही समस्याओं को राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु बैंक द्वारा अपनाए गए एम॰आई॰एस॰ और ए॰डी॰एफ॰ प्रणालियों की जानकारी प्रतिभागियों को दी। भोजन के बाद के सत्र को भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई स्थित मुख्यालय के उप महाप्रबंधक (राजभाषा) डॉ॰ रमाकांत गुप्ता ने संबोधित किया।

आकाशवाणी, नई दिल्ली

आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा आकाशवाणी, हैदराबाद, के सहयोग से दक्षिण क्षेत्र में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों हेतु हैदराबाद में 20 एवं 21 नवम्बर, 2014 को राजभाषा हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन होटल मरजान इंटरनेशनल, नामपल्ली, हैदराबाद, में आयोजित किया गया है। सम्मेलन में आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख (अभियांत्रिकी/कार्यक्रम) तथा उन केन्द्रों/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता आकाशवाणी, हैदराबाद, के उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी/कार्यक्रम) तथा उन केन्द्रों/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता आकाशवाणी, हैदराबाद, के उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी) एवं कार्यालय प्रमुख श्री मोहम्मद खमरूद्दीन ने की। आकाशवाणी हैदराबाद के सहायक निदेशक (कार्यक्रम) एवं कार्यक्रम प्रमुख श्री वी॰ उदय शंकर की उपस्थिति ने सम्मेलन की गरिमा बढ़ाई। आकाशवाणी, हैदराबाद, के

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

हिंदी अनुवादकों श्री डी॰के॰एस॰ रेड्डी एवं श्रीमती वाई॰ लक्ष्मी बाई ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से कार्यालय में हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3) में उल्लिखित 14 दस्तावेजों तथा राजभाषा नियम 1976 के महत्वपूर्ण नियम 5, 8, 9, 10, 11 एवं 12 की विस्तृत जानकारी दी। अपराह्न सत्र में दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद, से आमंत्रित श्री अरुण कुमार मंडल, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी ने यूनिकोड एवं उसकी उपादेयता पर गहरा प्रकाश डालते हुए कम्प्यूटरों को यूनिकोड से सक्रिय करने की प्रक्रिया पर विस्तार से समझाया। सम्मेलन के दूसरे दिन के पूर्वाह्न सत्र में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, से आमंत्रित श्री होमनिधि शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन-राजभाषा) ने राजभाषा स्वरूप, संभावनाएं और चुनौतियों पर बहुत ही रोचक एवं प्रभावी ढंग से व्याख्यान दिया। सम्मेलन संबंधी रेडियो रिपोर्ट भी प्रसारित की गयी। श्रीमती यू॰ गायत्री देवी, सहायक निदेशक (राजभाषा), के सुयोग्य नेतृत्व में श्री डी॰के॰एस॰ रेड्डी, हिंदी अनुवादक, श्रीमती वाई॰ लक्ष्मी बाई, हिंदी अनुवादक एवं कार्यालय के इंजीनियरी, कार्यक्रम प्रशासन लेखा, एवं परिवहन अनुभागों के स्टाफ ने सम्मेलन के सफल संचालन में सहयोग दिया। कार्यक्रम का समापन श्रीमती वाई॰ लक्ष्मी बाई, हिंदी अनुवादक, के ध न्यवाद प्रस्ताव से हुआ।

पुणे मंडल के डीजल लोको शेड, घोरपड़ी

डीजल लोको शेड, पुणे में 27 नवम्बर, 2014 को डॉ॰ हरिवंशराय बच्चन जयंती का समारोह पूर्वक आयोजन किया। उल्लेखनीय है कि रेल कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए संचालित नि:शुल्क हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय का नामकरण हिंदी जगत के महान साहित्यकार डॉ॰ हरिवंशराय बच्चन के नाम पर किया गया है एवं प्रतिवर्ष उनकी जयंती के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाता हैं। इस अवसर पर पुणे मंडल के श्री ए॰बी॰ मेंढेकर, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक तथा डीजल लोको शेड के सभी अधिकारी एवं भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मध्य रेल मुख्यालय, मुम्बई, छशिट के उप महाप्रबंधक (राजभाषा), श्री विपिन पवार भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। समारोह में बच्चन जी के संपूर्ण साहित्य की प्रदर्शनी भी लगाई गई साथ ही रेल कर्मी साहित्यकारों की रचनाओं को भी प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर डीजल लोको शेड की सांस्कृतिक समिति ने बच्चन जी की रचनाओं की संगीतमय प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री ए॰बी॰ मेंढेकर, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक, ने कहा कि आज के इस वर्तमान युग में बच्चन जी का साहित्य हमारे लिए अत्यंत पठनीय एवं विचारणीय है, प्रत्येक व्यक्ति को बच्चन जी के साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। उप महाप्रबंधक (राजभाषा), मध्य रेल, श्री विपिन पवार ने बच्चन जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए एवं रेल कार्यालयों में महान साहित्यकारों की जयंतियां आयोजित करने की उपादेयता सिद्ध की।

केनरा बैंक, मेरठ

अंचल कार्यालय मेरठ में बुधवार, 24 दिसम्बर, 2014 को अंचल के सम्मेलन कक्ष में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेरठ अंचल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (राभाकास) के अध्यक्ष उप महाप्रबंधक श्री एस॰एस॰ मिश्रा की उपस्थिति में विशेष अतिथि के रूप में मेरठ के प्रसिद्ध कवि व हिंदी सेवा समिति (उ॰प्र॰) के अध्यक्ष डॉ॰ ईश्वर चन्द्र गंभीर को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में अंचल की राजभाषा त्रैमासिक समाचार पत्रिका 'मेरठ उद्बोधन' के चतुर्थ अंक में परिवर्धित संस्करण का विमोचन किया गया। सभी कार्यपालकों एवं सभी अनुभागों के प्रभारी व अधिकारियों की उपस्थिति में हिंदी कार्यशालाओं की सार्थकता के साथ बैंकिंग के समसामयिक विभिन्न विषयों की विशेष निगरानी, क्यों और कैसे, अनर्जक आस्तियां (एन॰पी॰ए॰) वसूली व समाधान व बैंक के नये उत्पादों को प्रभावी व लोकप्रिय बनाना कैसे-विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधिकारी श्री मयंक पाठक के द्वारा किया गया। अंतत: सहायक महाप्रबंधक श्री एम॰के॰एस॰ पै द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ संगोष्ठी का समापन हुआ।

राजभाषा संगोष्ठी, इंदौर

अंचल कार्यालय, इंदौर, में 5 फरवरी, 2015 को ''बढ़ती प्रतियोगिता में बैंकिंग कारोबार एवं विपणन रणनीति'' विषय पर राजभाषा हिंदी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंचल कार्यालय के उप महाप्रबंधक श्री सजु अलेक्सान्डर ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की। अंचल कार्यालय के मंडल प्रबंधक श्री रंजन प्रभाकर भालेराव व श्री सी॰ पी॰ सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री भालेराव संगोष्ठी में मुख्य वक्त के रूप में आमंत्रित थे। राजभाषा अधिकारी के स्वागत संबोधन के साथ संगोष्ठी क शुभारम्भ हुआ। उप महाप्रबंधक महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्र होने के नाते विपणन की भाषा के रूप में हिंदी का महत्व अपरिहार्य है। संगोष्ठी में राजभाषा अधिकारी श्री प्रकाश माली ने उक्त विष्य पर एक ''पॉवर प्वाइंट'' प्रस्तुत दी। संगोष्ठी आद्योपांत एक तारतम्यता, प्रवाहशीलता और एकसूत्रता के धागे में बंधी रही। संगोष्ठी में विचार-मंथन से कई नवोन्मेषी विचार उभरकर सामने आए, संगोष्ठी में अंचल कार्यालय के अनुभागों एवं क्षेत्राधीन शखाओं के 16 अधिकारियों व आठ कर्मचारियों ने सक्रियता से भाग लिया।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

केनरा बैंक, बेंगलुरू मेट्रो

अंचल कार्यालय, बेंगलुरू मेट्रो, में 20 फरवरी, 2015 को ''व्यक्ति एवं संगठन के विकास पर प्रशिक्षण का महत्व'' विषय पर हिंदी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री के॰ सत्यनारायणन, उप महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय, बेंगलुरू मेट्रो ने की। इस अवसर पर श्री आर॰ गिरीश कुमार, सहायक महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय बेंगलुरू मेट्रो, उपस्थित थे। संगोष्ठी में सभी प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने-अपने विचार रखे। श्री के. सत्यनारायणन, उप महाप्रबंधक ने संगोष्ठी में खुले सत्र के दौरान प्रतिभागियों के सवालों व जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रतिभागियों को अपने दैनंदिन कामकाज में राजभाषा का अधिक-से-अधिक प्रयोग करने पर बल दिया और अंत में संगोष्ठी का सारांश प्रस्तुत करते हुए प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

नराकास वार्षिक समारोह, चण्डीगढ़

चण्डीगढ़ के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चण्डीगढ़, द्वारा टैगोर थियेटर, सैक्टर-18 में वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रधान आयकर आयुक्त, उत्तर पश्चिम क्षेत्र एवं अध्यक्ष, नराकास, श्री स्वतंत्र कुमार जी ने की। उन्होंने दीप प्रज्जवलित करके समारोह का शुभारंभ किया। समिति सचिव डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने सभी अधिकारियों एवं अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा समिति की गतिविधियों की जानकारी सदस्यों को दी। समारोह में चण्डीगढ़, पंचकूला एवं मोहाली स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों के लगभग 150 कार्यालयों के प्रमुखों सहित लगभग 650 कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। समारोह में उन 42 कार्यालयों के अध्यक्षों को पुरस्कार प्रदान किए गए जिनके कार्यालयों में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। अपने अध्यक्षीय संबोधन में समिति अध्यक्ष श्री कुमार ने कहा कि हिंदी केवल राजभाषा ही नहीं है बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान भी है। यह हमारे विचारों और संस्कारों की भाषा है। हिंदी में काम करना और इसका प्रचार-प्रसार करना हर अधिकारी/कर्मचारी का कानूनी और नैतिक दायित्व है। समाज का हर वर्ग आज हिंदी का प्रयोग करता है और यह पूरे देश की संपर्क भाषा बन चुकी है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की कि वे स्वयं हिंदी में कार्य करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करें।

(च) प्रतियोगिताएं/पुरस्कार

देना बैंक, अंचल कार्यालय

देना बैंक, अंचल कार्यालय, के सभागार में नराकास (बैंक) बेंगलुरू के सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अंतर बैंक हिंदी पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 19 नवम्बर, 2014 को किया गया। इसमें विभिन्न बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। देना बैंक, अंचल कार्यालय, बेंगलुरू, के मुख्य प्रबंधक श्री वी.जी.सेंथिल कुमार ने इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में देना बैंक, अंचल कार्यालय, बेंगलुरू के वरिष्ठ प्रबंधक श्री नवीन कांत झा एवं राजभाषा अधिकारी श्री वेंकट पवन कुमार भी उपस्थित थे।

विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलुरू

विजया बैंक, प्रधान कार्यालय के सभागार में 12 दिसम्बर, 2014 को नराकास (बैंक), बेंगलुरू के सभी सदस्य कार्यालयों के कार्यपालकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी में बैंकों में सूचना सुरक्षा का महत्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न बैंकों के कार्यपालकों/अधिकारियों ने भाग लिया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलुरू, के सदस्य सचिव व उप महाप्रबंधक, केनरा बैंक, श्रीमती सुलेखा मोहन एवं विजया बैंक, प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री ए.सी स्वाई ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विजया बैंक के महाप्रबंधक श्री ए.सी. स्वाई ने विजया बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन पर किए जा रहे प्रयास पर प्रकाश डाला और सभा को इस सेमीनार का लाभ उठाने का परामर्श दिया। विजया बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री रतन ज्योति, जोखिम प्रबंधन विभाग ने बैंकों में सूचना सुरक्षा का महत्व पर अपना आलेख प्रस्तुत किया। श्री रतन ज्योति ने ई-मेल को सुरक्षित रखने के कुछ सरल व महत्वपूर्ण उपाय बताए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), श्रीमती सुलेखा मोहन ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह की तकनीकी जानकारी इतनी सरल भाषा में समझाना काबिले तारीफ है और विजया बैंक द्वारा किया गया इस तरह का प्रयास सराहनीय है। विजया बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री नीना देवसी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। संपूर्ण कार्यक्रम के समन्वयन का कार्य श्रीमती जी.आर. सुब्बालक्ष्मी, मुख्य प्रबंधक, विजया बैंक, ने किया।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कर्नाटक

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कर्नाटक ने 23 दिसम्बर, 2014 को क्षेत्रीय कार्यालय के सभागार में नराकास

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

(बैंक), बेंगलुरू, के सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ''अंतर बैंक हिंदी आशु सृजन प्रतियोगिता'' का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के उप महाप्रबंधक श्री आनंद काशिद ने इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री सी. वसंत कुमार, प्रबंधक श्री भवनाथ झा, प्रबंधक श्री संजय कुमार त्रिवेदी, प्रबंधक श्री महेश कुमार सिंह एवं प्रबंधक श्री सुधीर कुमार मिश्रा उपस्थिति थे। इस कार्यक्रम में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलुरू, के प्रतिनिधि के रूप में श्री अनलि कुमार केशरी उपस्थिति थे। हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री सी. वसंत कुमार, प्रबंधक श्री भवनाथ झा एवं राष्ट्रीय प्रबंधक श्री संजय कुमार त्रिवेदी थे। कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के श्री एल.एल. रावल, उप महाप्रबंधक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुई।

बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, बेंगलुरू

बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, बेंगलुरू, में 27 दिसम्बर, 2014 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) का तत्वावधान में बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, बेंगलुरू, द्वारा नराकास (बैंक), बेंगलुरू, के सभी सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री एम.पी. दामोदरन, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, बेंगलुरू, के उपमहाप्रबंधक श्री डी.के. नामदेव एवं बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, बेंगलुरू, के प्राचार्य श्री सुरेश कुमार द्वारा किया गया। श्री डी.के. नामदेव ने यूनिकोड के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री एम.पी. दामोदरन, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, बेंगलुरू एवं श्री अनलि कुमार केशरी अधिकारी, केनरा बैंक, राजभाषा अनुभाग, प्रधान कार्यालय, ने विभिन्न सत्र चलाए। बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रबंधक श्रीमती सुमी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयन का कार्य श्रीमती के.बी. यमुना, राजभाषा अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, बेंगलुरू ने किया।

नराकास बैंक, बेंगलुरू

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूरू, के सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने एवं हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर राजभाषा प्रतियोगिताएं वर्ष भर आयोजित की जाती हैं। आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड, दक्षिण, अंचल कार्यालय बेंगलुरू, द्वारा नराकास (बैंक), बेंगलुरू, के तत्वावधान में 23 जनवरी, 2015 को चिन्नमा मेमोरियल विद्यालय, मिशन रोड, बेंगलुरू, के परिसर में दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 27 छात्रों ने भाग लिया। आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड के उप महाप्रबंधक श्री एम. मनोहर तथा चिन्नमा मेमोरियल विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती कौसर ने इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलुरू, के प्रतिनिधि के रूप में श्री अनिल कुमार केशरी, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में विद्यालय की हिंदी शिक्षिका सुश्री भारती भी उपस्थित थी। छात्रों ने ''हिंदी निबंध प्रतियोगिता'' में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम की समाप्ति श्री गुलाबचन्द यादव, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुई।

आन्ध्रा बैंक, बेंगलुरू

आन्ध्रा बैंक, आंचलिक कार्यालय के सभागार में नराकास (बैंक), बेंगलुरू, के सभी सदस्य कार्यालयों के कार्यपालकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 13 फरवरी, 2015, को हिंदी में ''ई-उत्पाद और हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग'' एवं ''जन धन योजना एवं वित्तीय समावेशन'' विषयों पर ''संगोष्ठी'' का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न बैंकों के कार्यपालकों/अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। नराकास (बैंक), बेंगलुरू, की सदस्य-सचिव व उप महाप्रबंधक, केनरा बैंक, श्रीमती सुलेखा मोहन एवं आन्ध्रा बैंक, आंचलिक कार्यालय, के उप महाप्रबंधक श्री ए. बालसुब्रह्मण्यम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केनरा बैंक की परि. प्रबंधक सुश्री नेहा शर्मा, आन्ध्रा बैंक, की सहायक प्रबंधक श्रीमती सबिता पात्रा एवं सुश्री जलजा कंदुला ने ''जन धन योजना एवं वित्तीय समावेशन'' पर अपने आलेख प्रस्तुत किए तथा आन्ध्रा बैंक के प्रबंधक श्री संजय कुमार वर्णवाल एवं आन्ध्रा बैंक की सहायक प्रबंधक श्रीमती सबिता कुमारी ने ''ई उत्पाद और हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग'' पर अपने आलेख प्रस्तुत किया। श्रीमती मोहन ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह की तकनीकी जानकारी इतनी सरल भाषा में समझाना काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि आन्ध्रा बैंक द्वारा किया गया इस तरह का प्रयास सराहनीय है। आन्ध्रा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक शेख जाफर साहेब ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

केनरा बैंक, बेंगलुरू

केनरा बैंक, कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेंगलुरू, में नराकास (बैंक), बेंगलुरू, के सभी सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 21 फरवरी, 2015 को यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नराकास (बैंक), बेंगलुरू, की सदस्य-सचिव व केनरा बैंक की उप महाप्रंधक श्रीमती सुलेखा मोहन एवं केनरा बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेंगलुरू, के सहायक महाप्रबंधक श्री एन. श्रीनिवास राव द्वारा किया गया। श्रीमती मोहन ने यूनिकोड की आवश्यकता व

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

उपयोगिता पर प्रकाश डाला। श्री जी. अशोक कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, केनरा बैंक, कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं श्री अनिल कुमार केशरी, अधिकारी, केनरा बैंक, राजभाषा अनुभाग, प्रधान कार्यालय, ने विभिन्न सत्र चलाए। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने यूनिकोड का परिचय, प्रतिष्ठापन, हिंदी की-बोर्ड का प्रतिष्ठापन, यूनिकोड फांट्स, यूनिकोड पर टाइपिंग, यूनिकोड में उपलब्ध अन्य सुविधाओं से अवगत कराया। प्रशिक्षण के दौरान हैंड्स ऑन अभ्यास भी कराया गया। इण्डियन ओवरसीज बैंक के श्री प्रेमचन्द गुप्ता के धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की गई। विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

केनरा बैंक, दिल्ली

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, दिल्ली, में 12 मार्च, 2015 को उप महाप्रबंधक श्री एन.डी. शर्मा की अध्यक्षता में अंतर बैंक मुहावरा/लोकोक्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक श्री आर.पी. जायसवाल भी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में विभिन्न बैंकों से आए 28 प्रतिनिधियों ने उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन 9वीं मंजिल के सम्मेलन कक्ष में किया गया। अध्यक्ष महोदय एवं सहायक महाप्रबंधक ने अपने विचारों से प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया तथा हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता का आयोजन उमंग के साथ किया गया।

इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली

इस्पात मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 150वीं बैठक संयुक्त सचिव (के) की अध्यक्षता में 26 मार्च, 2015, को अपराह्न 3.00 बजे स्टील रूम, इस्पात मंत्रालय उद्योग भवन, नई दिल्ली, में संपन्न हुई। श्री शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक में भाग लेने वाले उपक्रमों के प्रतिभागियों के परिचय के उपरान्त कार्यसूची की मदों के अनुसार विचार-विमर्श की कार्यवाही शुरू हुई। अध्यक्ष महोदय ने 31 दिसम्बर, 2014, को संपन्न हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी अनुपालन की स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को समाप्त तिमाही के लिए मंत्रालय तथा एम॰एस॰टीएम॰एस॰टी॰सी॰ लिमिटेड, फैरोस्क्रैप लिमिटेड तथा मॉयल लिमिटेड की हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की भी बैठक में उपस्थित उनके प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से समीक्षा की। मंत्रालय में हिन्दी पत्राचार की समीक्षा करते हुए श्रीमती उर्विला खाती, अध्यक्ष महोदया, ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि हिन्दी पत्राचार बढ़ाने के सतत प्रयास किए जाएं। उन्होंने विभिन्न प्रभागों की पिछली तिमाही की तुलना में वर्तमान तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि एम॰एफ॰एच॰ और के॰डी॰एच॰ में हिन्दी पत्राचार की स्थिति अच्छी है। इसके साथ-साथ सतर्कता ने भी अच्छा प्रयास किया है। परन्तु वित्त आर॰आई॰एन॰एल॰, सेल एवं आर॰एम॰ प्रभागों को यह प्रयास करना चाहिए कि यदि हिन्दी पत्राचार में वृद्धि न हो तो कम से कम इसकी प्रतिशतता में गिरावट न आने पाए। उन्होंने कहा कि सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और उन पर हिन्दी में कार्य को बढ़ाया दिया जाए जिसके लिए प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही वेबसाइट की अपडेटिंग भी द्विभाषी रूप में साथ-साथ की जाए तथा नेमी प्रकृति के मसौदे/अनुस्मारक एवं टिप्पणियां हिन्दी में तैयार/जारी किए जाएं।

वार्षिक कार्यक्रम

(2015-2016)

दिनांक 18 जनवरी, 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह व्यक्त किया गया है कि:

> ''यह सभा संकल्प करती है हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी.....''

उक्त संकल्प के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार के कार्यालपों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों द्वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिन्दी के प्रसार और प्रगति प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इसके लिए हिन्दी बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर जिन तीन क्षेत्रों के रूप में देश के राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को चिह्नित किया गया है, की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 2015-16 का वार्षिक कार्यक्रम इसी क्रम में जारी किया जा रहा है। इन तीनों क्षेत्रों, यथा—'क', 'ख' और 'ग' का विवरण इस प्रकार है:—

क क्षेत्र;— बिहार, छत्तीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र, ख क्षेत्र;— गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ दमण और

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र, ग क्षेत्र;- 'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

सरकारी कामकाज में हिन्दी में प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में प्रगति हुई है, किन्तु अब भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है किन्तु अभी भी बहुत-सा काम अंग्रेजी में हो रहा है। लक्ष्य यह है कि सरकारी कामकाज में सामान्यत: हिन्दी का प्रयोग हो। यही संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जनता की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।

वर्तमान युग में कोई भी भाषा वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी विषयों से जुड़े बिना नहीं पनप सकती। इसलिए सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों में वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी विषयों में हिन्दी के प्रयोग को अधिक-से-अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। राजभाषा हिन्दी का शब्दकोश बहुत व्यापक है तथा यह वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी विषयों को समाहित करने में समर्थ है। व्यावहारिक रूप से अधिक-से-अधिक हिन्दी का प्रयोग करने के लिए भाषा को सरल एवं सहज रूप में लिखा जाए ताकि आम जनता को वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि यह सुस्पष्ट है कि वर्तमान समय में लगभग सभी मंत्रालययों/विभागों/केन्द्रीय कार्यालयों/उपक्रमों में कम्प्यूटर, ई-मेल, वेबसाइट सहित सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं उपलब्ध होने से वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में अधिक-से-अधिक हिन्दी का प्रयोग करना और भी आसान हो गया है।

वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित बिंदु विशेष रूप से विचारणीय हैं:—

- यह जरूरी है कि संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के आठ खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए।
- कम्प्यूटर, ई-मेल और वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिक-से-अधिक उपयोग करते हुए हिन्दी में काम को बढ़ाया जाए।
- संबंधित विभाग वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिन्दी में छपवाकर उसे जनसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय करें।
- हिन्दी शिक्षण योजना कैलेंडर वर्ष वर्ष 2015 में समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए हिन्दी, हिन्दी टंकण/आशुलिपि संबंधी प्रशिक्षण कार्य में तीव्रता लाएं और सभी संबंधितों को प्रशिक्षण दिलवाने का कार्य समय-सीमा में पूर्ण करे ताकि तत्संबंधी लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त किया जा सके।
- राजभाषा कार्य से संबंधित अधिकारियों को विभाग के समस्त कार्यकलापों से परिचित कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने दायित्व अच्छी तरह निभा पाएं।
- मंत्रालय/विभाग कार्यालय अपने विषयों से संबंधित संगोष्ठियां हिन्दी माध्यम में आयोजित करें।
- प्रशिक्षण हेतु अधिक-से-अधिक अधिकारी/कर्मचारी नामित किए जाएं ताथा संबंधित अधिकारियों द्वारा व राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों (उ०स०/नि०/सं०स०) द्वारा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जाए।
- मंत्रालय/विभाग अपने यहां हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन अविलंब करते हुए उनकी बैठक नियमित आधार पर सुनिश्चित करें। बैठक में लिए गए निर्णय का पूरी तरह अनुपालन किया जाए।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) की बैठकों का नियमित आधार पर आयोजन किया जाए तथा इनमें राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी (उ०स/नि०/सं०स०) भी समय-समय पर भाग लें।
- संघ की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणाा और प्रोत्साहन है, किन्तु राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए। जानबूझकर राजभाषा संबंधी आदेशों की अवहेलना के लिए मंत्रालय/विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई करन पर विचार कर सकते हैं।
- मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शत-प्रतिशत कम्प्यूटरों में हिन्दी में काम करने की सुविधा विकसित की जाए तथा अंतर मंत्रालयी/अंतर विभागीय पत्राचारों के साथ- साथ निजी पार्टियों के साथ किए जाने वाले पत्राचारों में ई-मेल/इलेक्ट्रॉनिक संदेशों आदि में अधिक-से-अधिक हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।
- तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु राजभाषा विभाग ने एक वेब आधारित ऑनलाइन सिस्टम विकसित करवाया है। केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों से अपेक्षित है कि आगे से सभी रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपरोक्त ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से ही भेजें। यह सिस्टम विभाग की वेबासाइट www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है।

राजभाषा विभाग सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं केन्द्रीय उपक्रमों से समस्त कार्यपालिका को राजभाषा प्रयोग संबंधी सौंपे गए संवैधानिक और सांविधिक दायित्वों के निष्पादन में और 2015-16 के वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में अभीष्ट व स्वैच्छिक समर्थन की आशा और अपेक्षा करता है।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती का अंक 140 प्राप्त हुआ। पत्रिका की प्राप्ति से सरकारी कार्यालयों, अन्य संस्थानों तथा विभागों में हो रही राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों की भी जानकारी प्राप्त हुई। पत्रिका प्रकाशन से जुड़े सभी लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद सम्प्रेषित करता हूं।

डॉ॰ पुरूषोत्तम कुमार, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर

राजभाषा भारती का अंक 140 अक्षर-शिल्पी कार्यालय में प्राप्त हुआ। हिंदी जगत के अनमोल रत्न, हिन्दी रतन, हिंदी एक मत से नहीं, भाषा बहता नीर, मालवीय जी और हिंदी, शोर के विरुद्ध शोर, प्रशासन के क्षेत्र और हिंदी का प्रयोग आदि सभी लेख एवं आलेख ज्ञानवर्द्धक एवं सोचने पर विवश करने वाले हैं। यह अंक मन को सदैव भाता रहेगा।

सुश्री सुषमा गजापुरे, अक्षर शिल्पी, दानिश नगर, भोपाल

हिंदी पत्रिका राजभाषा भारती का अंक-140 प्राप्त हुआ। पत्रिका का हर भाग गहराई से अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि आपने पत्रिका के छापने में तन-मन-धन से प्रयास किया है। हमें आशा है कि हमारे सभी सदस्यगण भी इसी प्रकार पत्रिका छापने का कार्य प्रारंभ करेंगे, जिससे कि पत्रिका के माध्यम से हम न केवल एक दूसरे को जानने एवं समझने का शुभ अवसर प्राप्त कर पायेंगे बल्कि राजभाषा हिंदी के लागू करने में हमें पूणत: सफलता प्राप्त होगी।

श्री सी॰एल॰ यादव, कार्यालय महाप्रबंधक, दूरसंचार, जिला-जामनगर

राजभाषा भारती के अंक-140 में भरतेंदु हरिश्चंद्र, देवकीनंदन खत्री, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा आदि अनेक कवियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ने को मिली। इसके साथ ही लेख हिंदी अनुवाद में उर्दू शब्दावली का प्रयोग पढ़ने पर विदेशी भाषा के बहुत सारे शब्दों के बारे में भी जानकारी मिली। आपसे अनुरोध है कि पत्रिका के आगामी अंक में पर्यटन संबंधी लेख को भी स्थान दें। पत्रिका के सफल संपादन के लिए संपादन मंडल बधाई के पात्र हैं।

श्रीमती विमला, प्रिंस व कुमारी प्राची, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद

राजभाषा भारती का अंक-140 प्राप्त हुआ। पत्रिका का प्रथम मुख्य पृष्ठ देखकर बहुत अच्छा लगा। हिंदी साहित्य जगत के सभी साहित्यकार का चित्र हमारे भारत के मानचित्र के अंदर दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा लगा। श्री हीरावल्लभ शर्मा जी द्वारा लिखा गया लेख हिंदी जगत के अनमोल रत्न, श्री ओम प्रकाश वर्मा जी द्वारा लेख हिंदी भाषा की विकास गाथा तथा डा॰ एम॰ शेषण द्वारा लिखित प्रशासन के क्षेत्र और हिंदी का प्रयोग प्रशंसनीय है। अंत में हिंदी दिवस समारोह में राजभाषा के विभिन्न पुरस्कार विजेताओं को बहुत-बहुत बधाई।

नरेश कुमार, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोचीन

राजभाषा भारती का अंक-139 प्राप्त हुआ। पत्रिका के मुखपृष्ठ के रंग का चयन उत्तम एवं मनमोहक है। कंप्यूटर पर शब्द संसाधन: भारतीय भाषा संदर्भ, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की भूमिका और महिला सशक्तिकरण, बैंक की लाभप्रदता बढ़ाने में हिंदी का महत्व, जल संकट: कुव्यवस्था अथवा प्राकृतिक समस्या जैसे सामयिक लेख तथ्यपूर्ण सुस्पष्ट, सारगर्भित एवं संग्रहणीय हैं। संपादक मंडल को कोटिश: धन्यवाद।

श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र, सहा॰ निदेशक, मुख्य आयकर आयुक्त, इलाहाबाद

राजभाषा भारती का अंक-140 प्राप्त हुआ। वास्तव में राजभाषा से जुड़ी सभी रचनाएं हिंदी की सार्थकता को सिद्ध करती हैं। विभिन्न कार्यालय की गतिविधियां एवं विशेष अवसरों के छाया चित्र आकर्षक हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण और संपादकीय अच्छा लगा। पत्रिका की सफलता हेतु संपादक मंडली को आभार एवं साधुवाद। ''जन-जन की भाषा है हिंदी'' को जन-जन तक पहुंचाने में राजभाषा भारती मील का पत्थर साबित हो रही है।

सुश्री अनीता गोस्वामी, सहा॰ महाप्रबंधक (राजभाषा), कोलकाता

राजभाषा भारती का अंक-140 हिंदी दिवस विशेषांक प्राप्त हुआ। मैं इसकी अभिस्वीकृति के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। उपरोक्त पत्रिका संस्थान के वैज्ञानिकों एवं अन्य कर्मचारियों के अवलोकन हेतु पुस्तकालय में रखवा दी है।

श्री एस॰ के॰ भट्टाचार्य, निदेशक, सी॰एस॰आई॰आर॰, रूड़की

राजभाषा भारती का अंक-140 प्राप्त हुआ। मुख्य पृष्ठ बहुत आकर्षक लगा। महिला सशक्तिकरण, बैंक की लाभप्रदता बढ़ाने में हिंदी का महत्व, आदि लेख ज्ञानवर्द्धक थे। राजभाषा के विभिन्न पुरस्कार विजेताओं को मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई। राजभाषा भारती से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

श्री जगनारायण भगत, भारत संचार निगम लि॰, दानापुर, पटना

राजभाषा भारती का अंक–140 प्राप्त हुआ। पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर विद्यमान साहित्यकारों के छायाचित्र, मां भारती की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। श्री श्रीलाल प्रसाद का लेख हिंदी एक मत से नहीं, एकमत से बनी थी राजभाषा और प्रो॰ योगेशचन्द्र शर्मा का लेख 'शोर के विरूद्ध शोर, मगर शोर न हो' बहुत अच्छे लगे। पत्रिका की सभी रचनाएं उच्चस्तरीय, पठनीय, ज्ञानवर्धक एवं संग्रहणीय हैं। पत्रिका के श्रेष्ठ संपादन एवं उत्कृष्ठ साज–सज्जा के लिए संपूर्ण संपादन मंडल को मेरी और मेरे कार्यालय की ओर से हार्दिक बधाई।

श्री ए॰ के॰ तिवारी, वित्त एवं लेखा नियंत्रक, पुणे, महाराष्ट्र

राजभाषा भारती का जुलाई–सितंबर, 2014 का अंक चयनित सामग्री तथा साजसज्जा की दृष्टि से बढ़िया निकला है। इसमें प्रकाशित राजभाषा विषयक आलेख ज्ञानवर्द्धक हैं। राजभाषा के लिए संपूर्णतया समर्पित एवं अपने नाम को सार्थक करती इस पत्रिका के समर्थ एवं सराहनीय संपादन पर संपादक, सहायक संपादक तथा इससे जुड़े व्यक्तियों को हार्दिक बधाइयां।

प्रो॰ एस॰ तंकमणि अम्मा, केरल विश्वविद्यालय, तिरूवनंतपुरम

राजभाषा भारती का अंक–140 प्राप्त हुआ पत्रिका में सम्मिलित किए गए सभी लेख बहुत ही सारगर्भित एवं ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका में छपी सचित्र झलकियां, हिंदी के क्रियाकलाप एवं इसके व्यापक प्रचार–प्रसार का संदेश देती हैं। संपादक मंडल एवं सभी रचनाकारों को धन्यवाद देते हुए पत्रिका के निरंतर प्रकाशन हेतु कामना करता हूं।

रवि कुमार, सहा॰ निदेशक, मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद

राजभाषा भारती का अंक–140 प्राप्त हुआ। बहुत–बहुत धन्यवाद पत्रिका की साज–सज्जा बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक है। पत्रिका में प्रकाशित राजभाषा विषयक गतिविधियों के विवरण व सचित्र प्रस्तुति से राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियों का पूरा अवलोकन होता है। इस सुंदर अंक को प्रकाशित करने के लिए आपको एवं संपादन मंडल को हार्दिक बधाई।

आपकी भेजी हुई राजभाषा भारती पत्रिका मिली। बहुत सुंदर छपी है विशेष रूप से अंतिम पृष्ठ पर छपा हुआ महात्मा गांधी का चित्र। संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं।

डा॰ संतोष अग्रवाल, एकता विहार, नई दिल्ली

राजभाषा भारती का अंक–140 प्राप्त हुआ। बहुत–बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की उपयोगी तथा ज्ञानवर्द्धक पत्रिका के प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई स्वीकार करें। पत्रिका के प्रत्येक अंक में देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा के प्रचार–प्रसार संबंधी जानकारियों तथा लेख तो शामिल किए जाते ही हैं, इसमें जगह–जगह पर बाक्स में हिंदी के बारे में देश के महापुरुषों के कथन पत्रिका को और अधिक जीवंत बना देते हैं। इस अंक में 14 सितम्बर, 2014 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित हिंदी दिवस समारोह 2014 के चित्रों ने पत्रिका को और आकर्षक कलेवर दिया है।

श्री अरविन्द कुमार, सहायक निदेशक, नई दिल्ली

पत्रिका में छपी रचनाएं ज्ञानवर्द्धक एवं विचारोत्तेजक है। पत्रिका में छपे सभी लेख विविधमुखी एवं प्रशंसनीय हैं। पत्रिका से राजभाषा हिंदी के स्वर्णिम अतीत, उत्साहवर्द्धक वर्तमान एवं उज्ज्वल भविष्य की संभावना की उम्मीद बंधती है। पत्रिका में राजभाषा हिंदी एवं देवनागरी लिपि के संबंध में दिए गए तथ्य विशेष रूप से प्रयोजनीय हैं। भारतीय प्रथम श्रेणी के राजनीतिज्ञों एवं हिंदी के अंतर्संबंध पर रचित आलेख एवं राष्ट्रीय भाषाई समस्याओं के संदर्भ में दिए गए सुझाव विशेष रूप से पठनीय हैं।

श्री जय सिंह, सहा॰ निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

राजभाषा भारती पत्रिका का अंक–140 प्राप्त हुआ। पत्रिका के ऊपर देखा तो भारत के कई साहित्यकारों का चित्र देखकर आनंद में डूब गई और भीर उनका परिचय पढ़कर भी खुशी हुई आशा है कि आज के युवा इसे पढ़कर अपने ज्ञान को बढाएंगे है। गृह मंत्रालय यह कार्य प्रस्तुत कर भारत को उज्ज्वल बना रही है। कई कार्यक्रमों में भारत के राष्ट्रपति ने पधारकर हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया है।

सुश्री बी॰एस॰ शांताबाई, चामराजपेट, बेंगलूर

राजभाषा भारती पत्रिका का अंक–140 प्राप्त हुआ। इस बार का अंक विशेष गरिमा, उपयोगिता और अपने आप में संपूर्णता लिए हुए है। हिंदी भाषा के लगभग सभी पहलुओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। हिंदी भाषा की विकास गाथा, देवनागरी लिपि के गुणदोष और वैज्ञानिकता तथा हिंदी में अंग्रेजी और उर्दू शब्दों के प्रयोग से संबंधित आलेख विशेष रूप से पठनीय और संग्रहणीय है।

प्रो॰ योगश चन्द्र शर्मा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान

आपके द्वारा भेजी गयी राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका ''राजभाषा भारती'' अंक 140 की प्रति मिली। पत्रिका भेजने के लिए धन्यवाद। पत्रिका में मुद्रित सभी लेख ज्ञानवर्धक हैं तथा पृष्ठों की सजावट अति सुंदर एवं अत्यंत आकर्षक है। इसके लिए पत्रिका के प्रकाशन से जुड़ी हुई पूरी टीम अभिनन्दन की पात्र हैं।

श्री टी॰ वी॰ राजेन्द्रन, हिंदी अधिकारी, तरमणी, चैन्नई

निम्न पाठकों के भी पत्र प्रशंसनीय रहे, परन्तु स्थानाभाव के कारण सब पत्रों को नहीं छापा जा सकता। आशा है कि पाठकगण हमारी विवशता को समझेंगे—

ए॰ इन्दूरेखा देवी, सहायक निदेशक, मणिपुर; श्री पी॰ के॰ छेत्री, सहायक निदेशक, सिक्किम, श्री राजेन्द्र पांडे, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश; श्री एम॰ पी॰ पाण्डेय, बस्तर, छत्तीसगढ़; जयश्री पी॰ जी॰, हिंदी अधिकारी, बेंगलूर; डॉ॰ राकेश शर्मा, हिंदी अधिकारी, गोवा; श्री सोवन सिंह, सहायक प्रबंधक नई दिल्ली एवं डॉ॰ इन्दिरा रानी थॉमस, प्रबंधक (राजभाषा) चेन्नई।

GMGIPMRND—4346HA(S3)—20-05-2015.

SERVER3\E\4346HA\4346HA(3)

राजभाषा सम्मेलन मंगलुरु, 2015

माननीय श्री वजुभाई रूदाभाई वाला, राज्यपाल, मंगलुरु, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित करते हुए।

श्रीमती स्नेह लता कुमार, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, दीप प्रज्वलित करते हुए।

श्रीमती पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, दीप प्रज्वलित करते हुए।

मंगलुरु राजभाषा सम्मेलन में पत्रिका एकक की विभिन्न गृह पत्रिकाओं की प्रदर्शनी।

पं. सं. 3246/77
आई एस एम एन 0970-9398

गीत नया गाता हूँ

टूटे हुए तारों से फूटे वासन्ती स्वर,
पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर,

झरे सब पीले पात,
कोयल की कुहुक रात,

प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ
गीत नया गाता हूँ

टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी?
अन्तर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी

हार नहीं मानूँगा,
रार नई ठानूँगा,

काल के कपाल पर लिखता-मिटाता हूँ
गीत नया गाता हूँ

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

पूर्व प्रधान मंत्री-भारत रत्न

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड,नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय),एनडीसीसी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 के लिए राकेश शर्मा 'निशीथ' सहायक संपादक द्वारा प्रकाशित